खण्ड-365, अंक-5
सोमवार, 22 फाल्गुन, शक संवत् 1905
(12 मार्च, 1984 ई0)

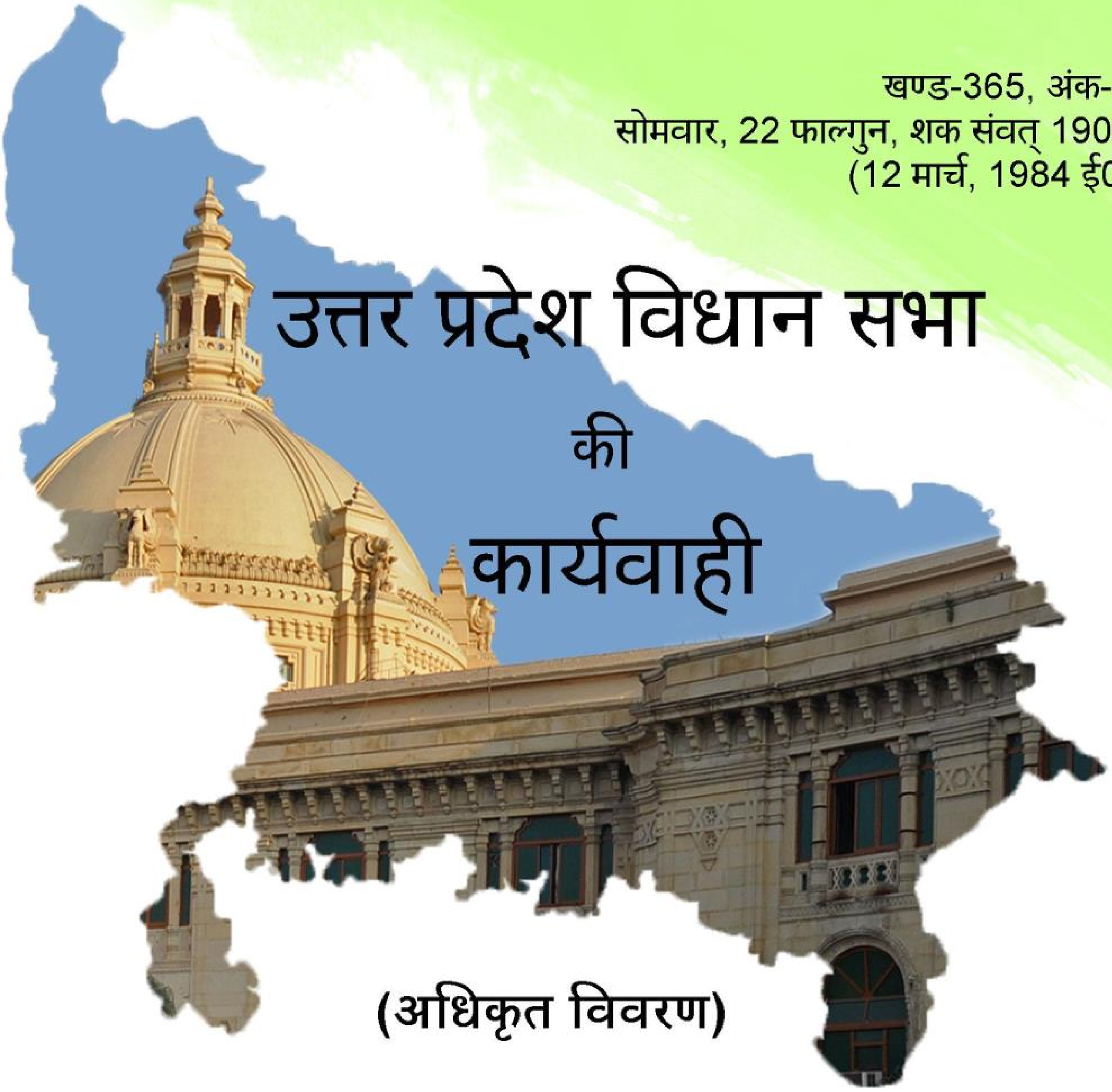

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 365 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1--4
प्रश्नोत्तर	5--85
ग्राम प्रधानों के सम्मेलन का उद्घाटन सांसद् श्री राजीव गांधी से कराये जाने पर आपत्ति	85--87
श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के सदन से निलम्बन का प्रस्ताव ..	87--88
श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के सदन से निलम्बन प्रस्ताव की वापसी का प्रस्ताव (स्वीकृत)	88
बुन्देलखंड क्षेत्र में नहरी पानी न पहुंचने से फसलों के सूखने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	88--89
नरायनपुर (मिर्जापुर) के बैरियर के कर्मचारियों के अवांछनीय कार्यों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	89
बाबूराम चमार पुत्र मन्नालाल, निवासी नटपुरवा (कानपुर देहात) की हत्या तथा पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
जनपद देवरिया के ग्रामों में नहरी पानी न पहुंचने से फसलों के सूखने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	90--91
थाना बारादरी, स्थित मोहल्ला हाजिमापुर (बरेली) में हुए अग्निकांड से क्षति तथा सहायता की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
बसन्तपुर, निवासी हरिजन गोमती के थानाध्यक्ष द्वारा उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	91--92
पुलिस चौकी बरही (गोरखपुर) की पुलिस द्वारा लोकदल कार्यकर्त्ताओं को बन्द करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	92--102
1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 19-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा), अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) तथा अनुदान संख्या 21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)...(जारी)	102--103
गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा अन्य पांच निकायों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना	103

विषय	पृष्ठ-संख्या
1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा), अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) तथा अनुदान संख्या 21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)... (जारी)	104--131
प्रदेश में दैनिक वस्तुओं के मूल्य में जबरदस्त तेजी आने तथा राज्य सरकार के उसे रोकने में असफल होने के कारण उत्पन्न जन असन्तोष की समस्या के सम्बन्ध में होने वाली चर्चा के स्थगन की सूचना	131
1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा), अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) तथा अनुदान संख्या 21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)...(जारी)	131--140
उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 पर नियुक्ति प्रवर समिति के लिये सदस्यों के नामों का प्रस्ताव...(स्वीकृत) ..	140--141
1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा), अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) तथा अनुदान संख्या 21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)	141--146
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	146
कानपुर देहात का पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में निर्दोष व्यक्तियों की हत्या किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य के स्थगन की सूचना	146
द्वारिका पुत्र जोद्धन, जनपद सीतापुर की भूख से मृत्यु होने के सम्बन्ध में वक्तव्य	146--152
नस्थियां	158--157

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 12 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मंडल, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—333

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार मुहम्मद खां, श्री, (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी) (उर्फ सुत्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित) (आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम रत्नाकर, श्री (मिर्जापुर)
किरन पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल) (हरदोई)
कुबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त श्री (फतेहपुर) (उर्फ बालराज),
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार नाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
खवाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रोफेसर (बांदा)
चन्द्र बली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र भान सिंह, श्री (बांदा)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नारायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटा शंकर सिंह, श्री (बहराइच)

जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवा, श्री (खीरी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जितेन्द्र शाह, श्री (जालौन)
जियाराम शुक्ल 'विकल सकेती', श्री (फैजाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झगड़ सिंह, श्री (मेरठ)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
थम्मन सिंह गहलोत, श्री (बिजनौर)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दलसिंगार, श्री (आजमगढ़)
दमोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीनानाथ, श्री (बस्ती)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धरमपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुव प्रसाद राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री (एटा)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायन द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायन सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पांडेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)

महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
राम जी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण सिंह, श्री एडवोकेट (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप मिश्र, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रमेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियाज अहमद, श्री (पीलीभीत)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (इलाहाबाद) (उर्फ मणि जी)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)

लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह, राना, श्री (आगरा)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कश्याल, श्री (कानपुर)
विश्वनाथ, श्री (देवरिया)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नरायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शम्भू नाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमनलता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीकिशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, श्री (मुरादाबाद)

नोट—पंचायतीराज एवं ग्राम्य विकास राज्य मंत्री श्री राम सजीवन सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 12 मार्च, 1984

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गेहूं बीजों के सम्बन्ध में जनपदों से प्राप्त शिकायतें

**1—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष रबी अभियान में प्रदेश के अनेक जनपदों से शासन को शिकायतें मिली हैं कि प्रमाणित एवं शोधित गेहूं, चने आदि के बीज बोने पर अंकुरण केवल 40 प्रतिशत हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

कृषि राज्य मंत्री (श्रीमती बेनी बाई)—

केवल गेहूं बीजों के सम्बन्ध में 24 जनपदों से शिकायतें प्राप्त हुई थीं। शिकायतें प्राप्त होते ही तुरन्त प्रश्नगत बीजों का वितरण रोक दिया गया था तथा निम्न स्तरीय गेहूं बीज की संयुक्त जांच कराने एवं खराब बीज वापस लेने हेतु सम्बन्धित आपूर्तिकर्त्ता संस्थाओं को निर्देश दिया गया है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि इसमें करोड़ों रुपये का गोलमाल किया गया है और इसे देशद्रोह की संज्ञा दी जाय, तो अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि 57 जिलों में 24 जिलों की शिकायत बहुत काफी हो जाती है। इतने बड़े प्रदेश में और इतनी बड़ी संख्या में बहुत से लोग पिछड़े के सूचना दिये होंगे। तो वह कौन-कौन से 24 जिले हैं, जहां से शिकायतें आई हैं ?

श्रीमती बेनी बाई—

मान्यवर, 24 जिले ये हैं—(1) इलाहाबाद, (2) फतेहपुर, (3) फर्रुखाबाद, (4) इटावा, (5) झांसी, (6) ललितपुर, (7) जालौन, (8) हमीरपुर, (9) बांदा, (10) लखनऊ, (11) उन्नाव, (12) सीतापुर, (13) हरदोई, (14) पीलीभीत, (15) सहारनपुर, (16) मुजफ्फरनगर, (17) गाजियाबाद, (18) बुलन्दशहर, (19) देवरिया, (20) आजमगढ़, (21) गोरखपुर, (22) मिर्जापुर, (23) गाजीपुर, (24) बलिया। मान्यवर, ये शिकायतें जो 24 जिलों से आई हैं, सिर्फ गेहूं की शिकायतें आई हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है वह एकदम अपूर्ण है और सच्चाई पर पर्दा डालने वाला है। मान्यवर, यह जानबूझकर बंगलिंग की गई है और यह बंगलिंग करोड़ों रुपये की है। तराई बीज निगम के पास 60 हजार कुंटल प्रमाणित और 20 हजार टुथफुल बीज था, जिसको इन्होंने खरीदा नहीं और आपने कह दिया कि इस बीज को दूसरे स्टेट को नहीं बेच सकते। उन्होंने रोक लिया उनका बीज खरीदा नहीं गया। 40 हजार कुन्तल बीज सड़ रहा है उससे शासन का कितने करोड़ का नुकसान हुआ उसका अन्दाज लगायें। उन फर्मों से बीज खरीदा गया जो प्रमाणिक नहीं थीं। दिल्ली की फर्में हैं उनके पास खेती नहीं है। जो बीज आता है उसके बोरों पर टैगिंग होती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में तराई बीज निगम से बीज न खरीद कर ऐसी फर्मों से खरीदा गया जिनकी प्रमाणिकता संदिग्ध है।

श्रीमती बेनी बाई—

ऐसी कोई संस्था नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मंत्री जी सदन में गलतबयानी करके सदन को गुमराह कर रही हैं। शासन ने दिल्ली की नेशनल एग्रो फर्म को 30 हजार कुन्तल का आर्डर यदि

था बाद में उसको निरस्त कर दिया गया और पुनः यहां से डिप्टी डायरेक्टर दिल्ली गये और उन्होंने 10 हजार कुन्तल का आदेश दिया और दूसरा सेन्ट्रल फार्म, गिरजापुरी से 9 हजार कुन्तल खरीदा गया। 20 हजार कुन्तल बीज सड़ रहा है। इसमें औषधियां मिली हुई हैं इसको खाने के काम में नहीं लाया जा सकता है। बुआई का परिणाम हमारे सामने है। मंत्री जी ने गलतबयानी की है और सदन को गुमराह किया है इसकी मैं नोटिस देता हूं। क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि नेशनल फर्म को 20 हजार का आर्डर दिया गया था जिसको निरस्त करके 10 हजार कुन्तल का आर्डर स्पेशल मैसेंजर से दिया गया और सेन्ट्रल फर्म, गिरजापुरी से 9 हजार कुन्तल बीज खरीदा गया जो पूर्णतया दोष-पूर्ण है ?

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)--

जो प्रश्न किया गया था वह यह था कि क्या संदिग्ध फर्मों से बीज खरीदा गया। मंत्री जी ने उत्तर दिया किसी संदिग्ध फर्म से नहीं खरीदा गया। नेशनल ऐग्रो फर्म से खरीदा गया था। प्रश्न यह किया गया था कि कुछ खराब बीज जो वितरित हुआ किसानों में उसके लिये सरकार क्या कर रही है ? उसका उत्तर दिया गया कि जिन फर्मों के सीड खराब थे उसको वितरित नहीं किया गया। नेशनल एग्रो की करीब 359.20 कुन्तल की शिकायत है इससे अधिक की शिकायत नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय में, मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि प्रदेश में 3 ही संस्थायें हैं खासतौर से जो सीड बनाती हैं और आपको देती हैं। एक है नेशनल सीड कारपोरेशन, दूसरा है यू0 पी0 तराई बीज निगम और तीसरा आपका विभाग। यह उत्तर प्रदेश की तीनों प्रमाणिक संस्थायें हैं। क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश तराई बीज निगम का सबसे ज्यादा बीज खराब था मैंने अपने भाषण में कहा था वहां के एम0 डी0 को वहां से हटाइये और निलम्बित कीजिये। दूसरा जो विभागीय डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ ऐक्शन लेंगे ?

श्री यशपाल सिंह--

टी0 डी0 सी0 का सबसे अधिक मात्रा में खराब पाया गया। लगभग 3,303 कुन्टल उनका खराब पाया गया दूसरा इससे भी अधिक जो हमारा एफ0 एस0 सी0 आई0 है उसका भी लगभग 4 हजार कुछ कुन्टल सीड खराब पाया गया। मान्यवर, इसके बारे में पूरी गम्भीरता से विचार किया जा रहा है। टी0 डी0 सी0 जो संस्था है उसके बीज प्रमाणीकरण की बात है और इसमें चाहे हमारे एम0डी0 हों चाहे कोई भी अधिकारी हों अगर किसी स्थान पर कोई दोषी पाया गया तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा टी0 डी0 सी0 उसमें आपको उत्तर प्रदेश तराई बीज निगम जो है उसमें मालिक हैं आप। आपके विभाग के अधिकारी उसमें बैठे हुए हैं। उन अधिकारियों के वहां बैठे रहने के बावजूद सही जांच हो पाएगी ? यह सम्भव नहीं है। मान्यवर, प्रमाणीकरण की बात कही गई उसमें जो एम0 डी0 और एडीशनल डाइरेक्टर आपके हैं जो आपके तराई बीज निगम के अधिकारी हैं उनको सस्पेंड करके तब जांच करवायें। क्योंकि सबसे बड़ा घोटाला कृषि विभाग में हुआ है।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या टी0 डी0 सी0 के डाइरेक्टर को और

उत्तर प्रदेश तराई निगम के अधिकारियों को सस्पेंड करके जांच की कार्यवाही करायेंगे ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, मैंने डी0 डी0 सी0 के बारे में कहा और कृषि विभाग के बारे में भी साफ कर दिया ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सीड कारपोरेशन का बीज खराब पाया गया। दूसरी बात को आपने तत्काल स्वीकार किया कि कृषि विभाग है उसके द्वारा खराब पाया गया तो आप अपने डाइरेक्टर को जिसने इस प्रदेश के साथ धोखा किया और टी0 डी0 सी0 के डाइरेक्टर को सस्पेंड करके इन्क्वायरी करायेंगे ?

श्री यशपाल सिंह--

नेता विरोधी दल नाराज कुछ ज्यादा मालूम पड़ते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह किसी की नियत पर शंका नहीं कर सकते हैं ।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, जो मैंने प्रश्न का उत्तर दिया था स्टेट फार्मर्स कारपोरेशन आफ इन्डिया के बारे में जरूर स्वीकार किया था जो 3,303 कुन्टल सीड खराब निकलने की सूचना दी है, के तराई बीज निगम की है एस0 एफ0 सी0 आई0 कृषि फर्मों के बीज की एक भी जगह से शिकायत नहीं आई । जो हमारा स्टेट फार्मर्स कारपोरेशन आफ इन्डिया है उसको मैंने स्वीकार किया वह हमारे क्षेत्र से बाहर है जो सम्मानित नेता विरोधी दल ने शिकायत की है उसमें जांच से यह सिद्ध हो जाएगा कि किसमें किस अधिकारी का दोष है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी ।

श्री अध्यक्ष--

इसको मैं प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सुपुर्द करता हूं ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इसमें आप नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा करा लें ।

श्री अध्यक्ष--

आप लिखकर दें ।

डा0 किरीट जोशी समिति की रिपोर्ट तथा सिफारिशें

**2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में भविष्य में दी जाने वाली नई शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार द्वारा गठित डा0 किरीट जोशी समिति की रिपोर्ट शासन को कब प्राप्त हुई ? उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा उनको लागू करने के बारे में शासन ने क्या निर्णय लिया है ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम सिंह)--

डा0 किरीट जोशी समिति की रिपोर्ट शासन को फरवरी, 1983 में प्राप्त हुई थी । समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :--

1--छात्रों तथा शिक्षकों को अध्ययन तथा अध्यापन की पद्धति में परिवर्तन करने की समुचित स्वतंत्रता उपलब्ध कराना ।

2--छात्रों को विषयों के चयन में यथेष्ट स्वतंत्रता उपलब्ध कराना ।

3--परीक्षाओं का पढ़ाई के कार्यक्रम में इस प्रकार पिरोया जाना कि छात्र के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ उसका मूल्यांकन होता रहे ।

4—छात्रों को अनिवार्य रूप से भारतीय संस्कृति की उपलब्धियों, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष, स्वतंत्रता, समानता एवं मातृत्व तथा मानव मात्र की एकता के आदर्श, विज्ञान, दर्शन धर्म, अध्यात्म, कला, पर्यावरण तथा सामाजिक विकास के विषय पढ़ाये जायें।

5—नई शिक्षा प्रणाली को लागू करने के संदर्भ में न्यू एजूकेशन आर्गनाइजेशन की स्थापना।

6—नई शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत परीक्षाओं की व्यवस्था के लिये बोर्ड आफ न्यू एजुकेशन का गठन।

शासन ने समिति की सिफारिशों को सिद्धान्तः स्वीकार कर लिया है तथा इस विषय पर सेमिनार के आयोजन और शिक्षकों के प्रशिक्षण को स्वीकृति दी जा चुकी है। अगले वर्ष नई शिक्षा प्रणाली कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों में लागू करने पर विचार किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन नये विषयों को पढ़ाने की व्यवस्था करने का सुझाव कमेटी ने दिया है, उनका समावेश पाठ्यक्रम में किस प्रकार का और किस स्वरूप का किया जायेगा? साथ ही क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे इसमें अंत में लिखा है कि कुछ विद्यालयों में नयी व्यवस्था लागू करना विचाराधीन है, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने अब तक तय कर लिया है कि कौन-कौन से विद्यालयों में यह नयी व्यवस्था लागू होगी?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, जहां तक पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है, वह बहुत विस्तृत है। वैसे हम यह चाहते हैं कि पाठ्यक्रम इस तरह का हो, जिसमें राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता, विश्वशांति, स्वतंत्रता, समानता और मातृ भावना का हम लोगों की तरह से बच्चों में समावेश हो और उनका सर्वांगीण विकास संभव हो। जहां तक विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, अवध विश्वविद्यालय और पंतनगर विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम को चलाने के लिये राजी हो गये हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह जो प्रश्न के अंत में दिया गया है कि इसमें सेमीनार आयोजित किया गया है और शिक्षकों के प्रशिक्षण की स्वीकृति दी जा चुकी है, तो मैं जानना चाहूंगा कि स्वीकृति देने के बाद कोई सेमीनार या प्रशिक्षण का आयोजन हुआ? यदि हां तो किस स्तर के लोगों ने उसमें भाग लिया और यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया तो वह क्या है?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, 11 और 12 फरवरी, 1982 को सेमीनार लखनऊ में हुई थी और उसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने भाग लिया था। उसमें गत वर्ष लाख रुपये व्यय करने का प्राविधान किया गया था। अगले वर्ष अर्थात् 1984-85 में हम इस योजना पर 10 लाख रुपये खर्च करने का बजट में प्राविधान कर रहे हैं।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से अपने उत्तर में कहा है कि छात्रों को विषयों के चयन में यथेष्ट स्वतंत्रता उपलब्ध कराना, तो मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कितने विद्यालयों में सभी प्रकार के विषय वहां पर नहीं हैं और विश्वविद्यालयों से निरंतर मांग होती है कि ये विषय खोले जायें? जब विषय हैं ही नहीं तो छात्रों को विषयों का चयन करने की क्या स्वतंत्रता मिलेगी। मान्यवर, ऐसी स्थिति में क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषय खोलने की मांग आ रही है, उनमें वे विषय खोलने के बारे में स्वीकृति प्रदान करेंगे?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, प्रदेश के हित में जो भी होगा, निर्णय लिया जायगा और किया जायगा । क्यों नहीं किया जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मंत्री जी, जो यह रिपोर्ट आयी है, उसके खंड 6 को देखें कि नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत परीक्षाओं की व्यवस्था के लिये बोर्ड आफ एजूकेशन का गठन, तो इसका क्या तात्पर्य है । क्या इसके लिये अलग से परीक्षाएं होंगी । अभी तक विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में परीक्षाएं होती हैं, इसके लिये क्या अलग से बोर्ड का गठन किया जायगा ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत परीक्षाएं लेने के लिये क्या स्वरूप हो और किस प्रकार परीक्षाएं ली जायें, इसके लिये नयी शिक्षा प्रणाली में इस प्रकार की परीक्षाएं नहीं होंगी, एक नवीन प्रणाली एडाप्ट की जा रही है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद गोन्डा द्वारा निकाली गई धनराशि

1*--श्री रियासत हुसैन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर 1983 की अवधि में शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद गोन्डा द्वारा लगभग डेढ़ करोड़ रुपया नगद निकाला गया ? यदि हां, तो नकद भुगतान किए जाने हेतु बड़ी रकम किन परिस्थितियों में निकाली गयी ? क्या इस संबंध में भूतपूर्व विधायक (श्री त्रिवेणी सहाय) द्वारा भारतीय दन्ड विधान की धारा 409, 406 के अन्तर्गत मुकदमा किये जाने हेतु कोई नोटिस शासन को दिसम्बर, 1983 में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या उन्हें अनुमति प्रदान की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा एवं सांस्कृतिक कार्य राज्य मंत्री (श्रीमती सुनीता चौहान)--

जी हां ।

त्योहार होने तथा जनपदीय शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के अनुरोध पर मंडलीय उप शिक्षा निदेशक की स्वीकृति उपरान्त वित्तीय परामर्शदाता की सहमति से नकद भुगतान हेतु चेक निर्गत किये गये थे । शासन को श्री त्रिवेनी सहाय का पत्र जिस पर तिथि 17-1-1983 अंकित है (जो कदाचित 17-1-1984 को तिथि की जगह लिख गई है) प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने शासन से अनुरोध किया है कि यदि बिना सरकारी आदेश के इतनी बड़ी रकम निकाल कर नकद वितरित करना नाजायज हो तो उपयुक्त जिला बेसिक शिक्षाधिकारी के खिलाफ 406 का मुकदमा भी कायम करने का निदेश दिया जाय । इस पत्र के आधार पर श्री त्रिवेणी सहाय को स्वयं मुकदमा कायम करने की कोई अनुमति देने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उन्होंने ऐसी अनुमति नहीं मांगी थी ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी (शिक्षा एवं सांस्कृतिक राज्य मंत्री) आपने अपने उत्तर में "जो कदाचित" शब्द को पढ़ना छोड़ दिया है । भविष्य में इस बात का ध्यान रखें कि उत्तर की प्रति साफ-साफ हो ताकि उसे पढ़ने में न तो आपको कोई कठिनाई हो और न मुझे ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, वह डेढ़ करोड़ रुपये बैंक से बगैर किसी एप्रोप्रिएट एथारिटी की

परमिशन से निकाल दिए गए। उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि कुछ त्यौहार आदि उस बीच में थे तथा और भी बहुत कुछ बातें बता दी, जिसकी वजह से यह धनराशि निकाली गयी। इस सम्बन्ध में डी0 आई0 ओ0 एस0 के यहां से कोई पत्र भेजा गया होगा कि उन्हें इतने रुपये की जरूरत इन-इन कारणों की वजह से इस समय है। तो क्या माननीय मंत्री जी उस पत्र को इस सदन के पटल पर रखेंगी ?

श्रीमती सुनीता चौहान--

मान्यवर, इसमें जो दिया गया था वह यह था कि माननीय श्री सहाय जी की बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ शिकायत थी। त्यौहारों के कारण जल्दी भुगतान के लिए यह कदम उठाया गया है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य का कहना है कि इस सम्बन्ध में जो पत्र आपको लिखा गया। डी0आई0ओ0एस0 या डिवीजनल डाइरेक्टर द्वारा कि इन-इन कारणों से हमें भुगतान हेतु परमीशन दी जाय उसे क्या आप सदन के पटल पर रखेंगी ?

श्रीमती सुनीता चौहान--

मान्यवर, पत्र तो मेरे पास नहीं है। लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ यह शिकायत हुई थी इसलिए उनसे यह सब वितरण नहीं कराया गया। जो वितरण किया गया है वह पूर्व अनुमति के ही किया गया है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, इसमें दो चीजों का उल्लेख किया गया है एक तो फाइनेंशियल एथारिटी को परमीशन दूसरा डिप्टी डाइरेक्टर के आदेश पर यह डेढ़ करोड़ रुपए निकाला गया कुछ त्योहारों की वजह से तनख्वाह के वितरण के लिए यह सब हुआ तो कुदरती तौर से उनका कोई पत्र होगा, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी कि हमें डेढ़ करोड़ रुपये की आवश्यकता है। तो क्या माननीय मंत्री जी उसे सदन के पटल पर रखेंगे। इससे पता तो चल जायेगा कि उन्होंने जो मांग की थी वह जायज थी कि नहीं। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तो अपने स्तर से उसे कम ही नहीं कर लिया ?

श्रीमती सुनीता चौहान--

मान्यवर, इस समय वह पत्र उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आप उस पत्र की प्रतिलिपि माननीय सदस्य को भेज दें।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं आपसे क्या अनुपूरक प्रश्न करूं, जब पत्र ही मौजूद नहीं है? मान्यवर, इसमें देखें, डेढ़ करोड़ रुपये का घोटाला है। एक भूतपूर्व माननीय विधायक ने इसकी परमीशन मांगी है, उनके खिलाफ मुकदमा करने की, तो उसमें भी टालमटोल किया जा रहा है। मान्यवर, मैं तो चाहूंगा कि इसे आप प्रश्न समिति के सुपुर्द कर दीजिए, ताकि सब बातें सामने आ सकें। बिना पत्र के हम लोग कोई प्रश्न करने की पोजीशन में नहीं हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, यह जो जिन त्योहारों की चर्चा की गई है, वह पूरे प्रदेश में रहे हैं, तो उस गोंडा जिले में कौन सी विशेष परिस्थिति आ गयी ? और क्या शिक्षा विभाग के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि डेढ़ करोड़ रुपये की नकद कैश करने की इजाजत बेसिक शिक्षा अधिकारी को दी जाय ? मान्यवर, इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है। तो, क्या इस जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को, प्रागदर्शन में जो इनके आरोप हैं, भ्रष्टाचार के उन्हें निलम्बित करके इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने का आश्वासन देंगी माननीय मंत्री जी ?

श्रीमती सुनीता चौहान--

मान्यवर, इसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी को अधिकार नहीं दिया गया था यह पैसा देने के लिये इसकी पूर्व अनुमति हुई और बाद में यह सारे पैसे का वितरण हुआ था ।

श्री अध्यक्ष--

चूंकि इसमें अभी तक कोई स्पष्ट चीज नहीं निकल पा रही है, इसलिए मैं इसे आज स्थगित करता हूं । यह प्रश्न आगे फिर आयेगा ।

प्रान्तीयकृत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत जे0 टी0 सी0 वेतनक्रम के अध्यापकों द्वारा नये वेतनमान की मांग

*2--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीयकृत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत जे0 टी0 सी0 वेतनक्रम के अध्यापकों को सन् 1979 से लागू नया वेतनमान अभी तक नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? कब तक इस संबंध में अन्तिम निर्णय हो जायेगा ?

श्री राम सिंह--

जी हां । पदनाम में कुछ भ्रम उत्पन्न हो जाने के कारण पुनरीक्षित वेतनमान नहीं मिल पा रहा है । इस सम्बन्ध में शासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्राइवेट हाई स्कूल और इंटर कालेज ज्यादातर पर्वतीय अंचलों के हैं, इनका प्रान्तीयकरण हुआ है । माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है--उसमें उन्होंने कहा है कि पदनाम में कुछ भ्रम उत्पन्न हो जाने के कारण पुनरीक्षित वेतनमान नहीं मिल पा रहा है । मान्यवर, 1979 से वेतनमान लागू हुआ और इतना बड़ा खर्चा वेतन आयोग पर इसकी बाबत सरकार ने वहन किया । मान्यवर, यह भी नहीं है कि यह जे0 टी0 सी0 वेतनक्रम के अध्यापक पर्वतीय अंचल में हों, यह सारे प्रदेश में हैं । तो क्या यह जो पदनाम में भ्रम हो गया, इस पर आप कुछ विचार करेंगे कि पदनाम का भ्रम कैसे दूर हो ? दूसरी बात यह है कि जो वेतन आयोग ने जो अपनी अपनी रिपोर्ट दी, उसके अनुसार आप तत्काल इन जे0 टी0 सी0 वेतनक्रम के अध्यापकों का वेतन भुगतान करेंगे ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, ऐसा है कि जिस समय यह अशासकीय विद्यालय शासकीय बनाये जाते हैं, जे0 टी0 सी0 अध्यापकों को प्रचलित प्रथा के अनुसार सी0 टी0 पद के प्रति समायोजित करते हुए जे0 टी0 सी0 वेतनमान है ।

मान्यवर, यह जो 1979 में वेतन-आयोग ने रिपोर्ट दी, उसके अनुसार यह वेतनक्रम 365-555 पुनरीक्षित हुआ । मान्यवर, जो यह तालिका छपी थी, उसमें रामपुर गलती से छप गया और संख्या 1014 छपी । इसकी गल्ती जो हुई, इसलिए अभी तक वेतनमान नहीं दिया गया । वेतन आयोग से सम्बन्धित जो हमारा अनुभाग है, उससे इसकी बाबत दिनांक 14 दिसम्बर, 1983 को सूचनाएं मांगी गयी हैं । इस पर तेजी से कार्यवाही चालू की गयी है और शीघ्र से शीघ्र इस पर कार्यवाही कर देंगे ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि एक बात तो यह मान रहे हैं कि पदनाम में भ्रम हो गया था यह भी मान रहे हैं कि वेतन आयोग ने जो रिपोर्ट दी है, उसके अनुसार रामपुर हो गया । अब मैं यह कहता हूं कि जो यह सारे प्रदेश के अन्दर लागू

हुआ है सी0 टी0 का वेतनमान, तो क्या पर्वतीय अंचलों के अध्यापकों को उसी ग्रेड में तत्काल भुगतान करेंगे ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, मैंने तो बताया कि नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उनको जो ग्रेड मिलना चाहिये, वह मिलेगा।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मान्यवर, कह रहे हैं कि नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। नियम कब बनाये गये आपके ? इस बात के आपके नियम हैं और सारे प्रदेश में लागू हैं और वहां के लिए आप कहते हैं कि नियमानुसार कार्यवाही होगी। या तो आप यह कह दीजिए कि नियम नहीं हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

बैठिये, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री पंचानन राय--

प्रदेश में इन्टर प्रशिक्षित श्रेणी के अध्यापकों के लिए कई वेतनमान लागू कर दिये हैं। इनके लिए 450-720 रु0 का वेतनमान विश्वनाथ प्रताप सिंह जी लागू करके चले गये। यह वेतनमान पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सब जगह लागू है। एक तरफ आप पर्वतीय क्षेत्र के उत्थान की बात करते हैं और दूसरी ओर यह स्थिति है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इनके विभाग के अधिकारियों की जो लालफीताशाही है, इन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इंटर प्रशिक्षित अध्यापकों का वेतनमान 450-720 रु0 होगा, क्या ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि यथाशीघ्र इनके नये वेतनमान निर्धारित कर दिये जायं ?

श्री राम सिंह--

मैंने तो कहा कि यथाशीघ्र कार्यवाही की जायगी और इनको निश्चित रूप से वही वेतनमान, जिसके ये अधिकारी होंगे दिया जायगा।

लघु सिंचाई विभाग में घटिया किस्म के पाइप के क्रय के विरुद्ध जांच

*3--श्री पंचानन राय--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लघु सिंचाई विभाग में वर्ष 1982-83 में 60 लाख रुपए कीमत की 6" के0 सी0 पाइप घटिया किस्म की खरीदी गई, जिनके सम्बन्ध में बोरिंग टेक्नीशियन एसोशियेशन तथा अन्य विभागीय संगठनों द्वारा शिकायतें शासन को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं ? इनके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

पंचायतीराज एवं ग्राम्य विकास राज्य मन्त्री (श्री राम सजीवन सिंह)--

जी हां।

प्रमुख शिकायत मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा वर्ष 1982-83 में 6 1/2 करोड़ रुपये की केसिंग पाईप के क्रय के विषय में है जिसके सम्बन्ध में यह आरोप लगाया गया है कि भारी कमीशन लेकर घटिया किस्म की पाइप क्रय की गई है। आरोपों की जांच करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री पंचानन राय--

प्रश्न में है 60 लाख रु0 कीमत का के0 सी0 पाइप, इन्होंने अपने उत्तर में दिया है 6 1/2 करोड़ रुपए का केसिंग पाइप। मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा इन्होंने अपने उत्तर में बताया है कि--"आरोपों की जांच कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है" तो यह किन बात की जांच करायेंगे ? क्या इन्होंने अभी तक किसी टैक्नीकल एक्सपर्ट से जांच करायी ? पहले तो यह निर्धारित करना है कि अगर घटिया है तो जांच करायेंगे। अगर पाइप की

जांच नहीं करायेंगे तो किस बात की जांच करायेंगे क्या इन्होंने कोई जांच करायी और जांच के बाद पाइप घटिया किस्म का पाया गया ?

श्री राम सजीवन सिंह--

माननीय सदस्य ने जो 60 लाख की शिकायत की है, तो उन्होंने तो प्रश्न किया है, लेकिन जो हमको शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है, वह 6 1/2 करोड़ का हुआ है। इसी लिये जो माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या शिकायती पत्र मिले हैं, उसका हमने उत्तर दिया है कि 6 1/2 करोड़ के गबन के शिकायती पत्र मिले हैं।

(श्री पंचानन राय के खड़े होने पर व्यवधान।)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए, मैंने आपको आज्ञा नहीं दी है। अभी माननीय मन्त्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री राम सजीवन सिंह--

जो पाइप खरीदे गये हैं, वे 240 रु0 प्रति मीटर के हिसाब से थे, इनमें जोड़ है, पहले प्राविधान था कि बिना जोड़ के खरीदे जाय, जिनकी कीमत 750 रु0 प्रति मीटर थी। जहां से शिकायत आयी है, यह जानकारी नहीं करायी गयी थी कि यह पाइप भी चलाये जा सकते हैं, इसलिये यह शिकायत देने का अवसर आया। इसकी छानबीन करवा रहे हैं और इसके बाद स्पष्ट तौर से कुछ कार्यवाही करने में सक्षम होंगे।

श्री पंचानन राय--

अभी तक इसी बात की जांच नहीं करा सके कि पाइप घटिया है या नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि जब पाइप खरीदे गये इतने ज्यादा पैसों के, साढ़े छः करोड़ के, उसके पहले कोई टेन्डर वगैरह लिये गये थे या सेम्पिल रखवाया था या नहीं ? दूसरी बात आरोपों की जांच के बारे में कहा है कि कार्यवाही की जा रही है, तो क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम सजीवन सिंह--

जहां तक जानकारी कर सके हैं, यह 19 लाख के पाइप खरीदने के निदेश थे, साढ़े छः करोड़ तो शिकायती पत्र में है, जिसको मैंने उत्तर में स्वीकार किया है कि शिकायत आयी है। केवल 19 लाख के लगभग पाइप खरीदने के आदेश हमारे विभाग से दिये गये हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जो शिकायतें इस सम्बन्ध में आपके पास आयी हैं कि माल सब-स्टैन्डर्ड का नहीं है, तो इस पर जांच किस अधिकारी द्वारा कराई जा रही है। पिछले विधान सभा सत्र में मैंने खुद अपने भाषण के दौरान कहा था कि लघु सिंचाई में जो पाईप खरीदे गये हैं, वह बहुत ही खराब स्टैन्डर्ड के हैं तो अब माननीय मंत्री जी कृपया यह बताने का कष्ट करें कि जांच किस अधिकारी से कराई जा रही है, क्या किसी डायरेक्टर द्वारा इस मामले की जांच करायी जा रही है, ताकि जांच बिल्कुल ठप हो जाए।

श्री राम सजीवन सिंह--

अभी जांचकर्ता की नियुक्ति नहीं की गयी है।

(हंसी)

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैंने अपने सवाल में पूछा था और उत्तर कुछ आया, मैंने सवाल किया था कि क्या टेन्डर किया गया ?

श्री अध्यक्ष--

वर्ष 1982-83 का मामला है और आप स्वयं फरमा रहे हैं कि इतने-इतने

लाख रु0 का मामला है और अभी तक जांच के लिए किसी को नियुक्ति नहीं की आपने ?

श्री राम सजीवन सिंह--

मान्यवर, जांच के लिए माननीय मंत्री जी ने आदेश दे दिये हैं कि किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस मामले की जांच करायी जाय ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि पिछले बजट सत्र का यह मामला है और यह सवाल मैंने पिछले साल अल्पसूचित में किया था जो स्थगित हो गया था और जब इस साल फिर अल्पसूचित में दिया तो उत्तर तारांकित प्रश्न के रूप में आया । मैं अब यह जानना चाहता हूं कि क्या पाईप खरीदे जाने सम्बन्धी कोई टेन्डर आमंत्रित किया गया था और इस पाईप के खरीदे जाने की क्वालिटी भी निर्धारित थी अथवा नहीं, यदि थी, तो क्या उसी क्वालिटी का माल आया है ?

श्री राम सजीवन सिंह--

इन पाइप्स की किस्म निर्धारित थी, लेकिन जब मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर आदि मन्डलों से यह जानकारी मिली कि पाइप जिस किस्म के खरीदे जाने थे, वह किस्म नहीं है । तो इसकी जांच के लिए माननीय मंत्री ने आदेश दे दिए ।

श्री पंचानन राय--

तो मान्यवर, यह स्पष्ट हो गया कि जो क्वालिटी निर्धारित थी, पाइप उस क्वालिटी के नहीं खरीदे, और इन पाइप की खरीद हेड आफ दि डिपार्टमेंट यानी मुख्य अभियन्ता द्वारा हुई है और जांच भी उन्हीं के अधीन अधिकारियों के द्वारा होगी, जो निष्पक्ष नहीं होगी, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह उस अभियन्ता को तत्काल वहां से हटाकर किसी उच्चस्तरीय जांच की व्यवस्था शीघ्र करायेंगे ?

श्री राम सजीवन सिंह--

इस मामले में पूर्णतया छानबीन कराकर दोषी अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, यह प्रश्न स्थगित करवा दीजिए क्योंकि उत्तर बहुत गोल-मोल दिये जा रहे हैं और यह मामला बहुत गम्भीर है ।

श्री अध्यक्ष --

मैं इस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के सुपुर्द करता हूं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उत्तर प्रदेश के सीनियर बेसिक स्कूलों के शिक्षकों द्वारा दिया गया मांग-पत्र

*1--राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में उ0 प्र0 के सीनियर बेसिक स्कूलों के शिक्षकों द्वारा जिला मुख्यालयों पर 30-12-83 को प्रदर्शन करके जो मांग-पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला विद्यालय निरीक्षकों को दिया गया उसमें मुख्य मांगें क्या हैं तथा मांगों पर सरकारी दृष्टिकोण क्या है ?

श्रीमती सुनीता चौहान--

इस सम्बन्ध में अब तक 49 जनपदों से सूचना प्राप्त हुई है । इनमें 37 जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार वहां न प्रदर्शन किया गया और न मांग-पत्र दिया गया । 12 जनपदों से प्राप्त सूचनानुसार वहां संघ के मांग-पत्र प्राप्त

हुए हैं जिनमें मुख्य-मुख्य मांगें निम्नवत् हैं--

1--कक्षा 8 की परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त की जाय तथा एकरूपता लाई जाय।

2--कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा का तुरन्त राष्ट्रीयकरण किया जाय।

3--पूर्व माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों से संलग्न प्राइमरी विभाग के शिक्षकों को वेतन वितरण अधिनियम में शामिल किया जाय।

4--जू0 हा0 स्कूल से हाई स्कूल हो जाने पर वहां के सक्षम प्रधानाध्यापक को प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नति का प्राविधान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में किया जाय।

5--जू0 हा0 स्कूल के प्रधानाध्यापक को एल0 टी0 वेतनक्रम दिया जाये।

6--प्रति वर्ष 300 जू0 हा0 स्कूलों को अनुदान सूची पर लाया जाय।

7--सहायता प्राप्त जू0 हा0 स्कूल के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों पर भी अनिवार्य जीवन बीमा योजना, मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति अनुतोषिक योजना अविलम्ब लागू की जाय।

8--लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन योजना, नकदीकरण की योजना लागू की जाय इनके चयन वेतनमान भी घोषित किये जायें।

9--असहायक जू0 हा0 स्कूल के त्रिभाषा अध्यापक को जुलाई, 1979 से नया वेतनमान दिया जाय।

10--उ0 मा0 विद्यालयों की भांति जू0 हा0 स्कूलों में भी साधिकार नियंत्रक की व्यवस्था की जाय तथा 60 दिन निलम्बन अवधि के उपरान्त सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक कर दी जाये।

11--अप्रशिक्षित शिक्षकों का नया वेतनमान तुरन्त घोषित किया जाय।

12--सहायता प्राप्त जू0 हा0 स्कूलों के उच्चीकृत होने पर शिक्षक कर्मचारियों का वेतन भुगतान न रोका जाय।

मांग संख्या 1, 2, 4, 5 तथा 6 स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं है। मांग संख्या 3, 7, 8, 9 व 12 शासन के विचाराधीन हैं। मांग संख्या 8 में जहां तक चयन वेतनमान घोषित करने का सम्बन्ध है व मांग संख्या 10 का सम्बन्ध है इन पर विचार किया जायेगा। मांग संख्या 11 को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है इनके नियत वेतन के पुनरीक्षण का प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान मांग संख्या 12 की ओर आकृष्ट करते हुए यह जानना चाहता हूं कि यह बात बिल्कुल सही है कि सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के उच्चीकृत हो जाने पर शिक्षकों की भी प्रोन्नति हो जाती है परन्तु उसके बाद कई वर्ष तक वे अनुदान सूची पर नहीं आते हैं इससे बड़ी कठिनाई होती है। इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए मांग संख्या 12 जो कि शासन के विचाराधीन है उसे मान्यता देने के साथ ही साथ अनुदान देने की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती सुनीता चौहान--

मान्यवर, यह मामला शासयके विचाराधीन है और इसको न्याय विभाग में भेजा

गया है, वहां से आने पर ही इस पर कोई कार्यवाही हो सकती है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह मामला न्याय विभाग को सन्दर्भित करने के क्या कारण हैं, क्या इसकी कोई समय सीमा निर्धारित की है कि कब तक न्याय विभाग से यह मामला तय हो जायेगा ?

श्रीमती सुनीता चौहान--

नियमानुसार यदि कोई मामला आवश्यक होता है तो न्याय विभाग को सन्दर्भित किया जाता है उसकी राय लेने के लिए, जो शिक्षकों के हित में होगा वही कार्य किया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह ठीक नहीं है । मेरा प्रश्न साफ है, तो यह शिक्षकों का मामला शिक्षा विभाग को तय करना है, न्याय विभाग को नहीं । हां, यदि यह कहा जाता कि वित्त विभाग में भेजा गया है तो बात समझ में आती कि इसमें वित्तीय मामला अन्तर्ग्रस्त है इसलिए इसे वित्त विभाग भेजा गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन सा शिक्षकों का हित शासन के सामने है कि जिसके कारण यह मामला न्याय विभाग को सन्दर्भित किया गया ?

श्रीमती सुनीता चौहान--

मान्यवर, जब कोई दिक्कत पड़ती है तो न्याय विभाग से राय लेनी ही पड़ती है ।

श्री ऊदल--

इसमें उनकी एक मांग है कि मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के उच्चीकरण होने पर शिक्षक कर्मचारियों का वेतन का भुगतान न रोका जाय । जूनियर हाई स्कूलों में कम से कम 300 स्कूलों को अनुदान सूची पर आप ले आयेंगे 1970 से पहले से लेकर अब तक कितने मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल हैं जो कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन हैं और उनको आप द्वारा अनुदान सूची पर न लिए जाने के क्या कारण हैं ? क्या शासन ने इस सम्बन्ध में कोई फैसला कर लिया है या नहीं ।

श्रीमती सुनीता चौहान--

मान्यवर, शासन की राय है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कूलों को अनुदान की सूची में ले आयें परन्तु इसके धन की समस्या है । जब धन की समस्या हल हो जायेगी तो ज्यादा से ज्यादा स्कूलों को हम अनुदान की सूची में ले आयेंगे परन्तु अभी इसके लिए निश्चित समय बता देना सम्भव नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि शासन ने इसी सदन में आश्वासन दिया है कि 200 विद्यालय प्रति वर्ष अनुदान सूची में लिए जायेंगे, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप इस मांग के बारे में...

(श्री फखरे आलम द्वारा शिष्टाचार के नियमों का पालन न करने पर)

श्री अध्यक्ष ---

आप कहां घूम रहे हैं, फखरे आलम साहब पीछे जायें तब फिर अपने स्थान पर आयें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं जानना चाहूंगा कि शासन के अपने पूर्व आश्वासन को ध्यान में रखते हुये जो सदन में दिया गया है कि 200 विद्यालय अनुदान सूची में लिए जायेंगे तो इस वित्तीय वर्ष में कितने विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया जा सकेगा ।

श्रीमती सुनीता चौहान--

धनाभाव के कारण सम्भव न हो कि 200 लिए जायेंगे या 300 लि

जायेंगे या 100 लिए जायेंगे। लेकिन सरकार ने जो आश्वासन दिया है उसको पूरा किया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा प्रश्न दूसरा है और उत्तर दूसरा दिया गया है। मैंने साफ सवाल किया है कि वित्तीय वर्ष में कितने विद्यालयों को अनुदान सूची में ले लिया जायेगा। अब तो वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है तो माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि कितने विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया जायेगा ?

श्रीमती सुनीता चौहान--

अभी प्रश्न विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या चीज विचाराधीन है, इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी दे दें ?

श्री अध्यक्ष--

अगर आपको जानकारी नहीं है तो समय मांग लेना चाहिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इसको स्थगित कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष--

यह बतायें कि क्या विचाराधीन है ?

श्रीमती सुनीता चौहान--

अभी यह निश्चय नहीं हुआ है कि वर्ष में कितने स्कूलों को अनुदान सूची में लिया जायेगा।

उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद मंडल श्री हरीश चन्द्र तिवारी के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की शिकायत

*2--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप-शिक्षा निदेशक, फजाबाद मंडल (श्री हरीश चन्द्र तिवारी) के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की शिकायत श्री अवधेश कुमार मेहरोत्रा, संवाददाता, अमृत प्रभात तथा यू० पी० एजूकेशनल मिनिस्टीरियल अफीसर्स एशोसियेशन के पदाधिकारियों द्वारा वर्ष 1983 में तथा प्रश्नकर्ता के तार दिनांक 20 जून, 1983 द्वारा शासन में की गयी थी ? यदि हां, तो आरोप क्या थे तथा क्या उनकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो कौन-कौन से आरोप प्रमाणित पाये गये और दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह--

जी हां।

मुख्य आरोपों की सूची संलग्न है। प्रारम्भिक जांच के आधार पर तामीली हेतु आरोप-पत्र दिनांक 6 मार्च, 1984 को शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को भेजा गया है। जांच आख्या प्राप्त होने पर दोषी पाये जाने की दशा में उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही क जायेगी।

जहां तक माननीय सदस्य के तार में उल्लिखित बिना अनुमति तथा बिना अवकाश के काठमांडू (नैपाल) जाने का आरोप है, इसके सम्बन्ध में उन्हें दिनांक 11 जुलाई, 1983 को पहले ही आरोप-पत्र दिया जा चुका है। जांच आख्या प्राप्त हो गयी है जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 153 पर।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

अध्यक्ष जी, यह सवाल 83 में भी उठा था और जो चीज सामने आयी है, उसको देखते हुए दो आरोप बनते हैं। एक तो वह काठमांडू बिना अनुमति के चले गये और जिस जगह रह रहे हैं वह सरकारी आवास है। उसका किराया और बिजली का बिल सरकार से वसूल करते रहे, शासन ने जवाब

दिया है कि किराया और बिजली का बिल जमा कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और दूसरी बात जो आरोप-पत्र दिया गया है उसमें क्या-क्या आरोप हैं और जांच की आख्या किस अधिकारी द्वारा की गयी है ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, वस्तुस्थिति यह है कि वह बिना आज्ञा प्राप्त किये काठमांडू चले गये। शासन के संयुक्त सचिव श्री आर० एन० सक्सेना ने वहां जाकर उसकी जांच की और उसके बाद उन्हें निलम्बित किया गया और शिक्षा निदेशक ने उसकी जांच की। उन्होंने उसकी आख्या प्रस्तुत कर दी है। शासन उस पर विचार कर रहा है। जहां तक आरोपों का सम्बन्ध है वह दूसरी बात है। उसमें बहुत से आरोप हैं, एक नहीं है।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, मैंने पूछा था कि जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या-क्या आरोप उस जांच में सिद्ध हुए हैं। दूसरे, क्या यह सही है कि उनको इलाहाबाद में किसी पद पर नियुक्त किया गया है और कार्य कर रहे हैं जब कि उनके खिलाफ इतने गम्भीर आरोप हैं। यदि हां, तो किसके आदेश से उनको वहां पर नियुक्त किया गया है ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, मैंने बताया कि वे उप-शिक्षा निदेशक (बेसिक) के पद पर कार्य कर रहे हैं। उनको निलम्बित किया गया था और उनके ऊपर यह चार्ज था कि वे बिना आज्ञा के काठमांडू चले गये थे। माननीय सदस्य ने जो तर दिया था उसमें एक ही आरोप लगाया गया था। उसके बाद दूसरे आरोप कुछ लोगों के द्वारा भेजे गये। उनकी जांच पड़ताल भी हो रही है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, वे एक जांच के तहत निलम्बित हुए। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि वे दूसरी जगह पर नियुक्त कर दिये गये हैं। क्या जिन आरोपों पर जांच हुई और निलम्बित किया गया, उन आरोपों से उनको मुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कौन से विशेष कारणों से उनको पुनर्नियुक्ति दी गयी और किसके आदेश से दी गयी, यह माननीय मंत्री जी बता दें ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, मैंने बताया कि एक आरोप यह था कि वे बिना आज्ञा से काठमांडू चले गये थे, उस पर उनको निलम्बित किया गया था। दूसरे जो आरोप हैं उन पर जांच चल रही है, इसलिये निलम्बित करने का प्रश्न नहीं आता।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के सुपुर्द करता हूं।

[सोमवार, 12 मार्च, 1984 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

हैदरगढ़ (बाराबंकी) में बालिका राजकीय हाई स्कूल खोलने की कथित स्वीकृति

*1--श्री श्याम लाल बाजपेयी--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि 1981 में हैदरगढ़ (बाराबंकी) में बालिका राजकीय हाई स्कूल खोलने की स्वीकृति हुई थी ? क्या यह सत्य है कि हैदरगढ़ में खुलने वाला विद्यालय कहीं अन्यत्र खोल दिया गया ? यदि हां, तो हैदरगढ़ मे बालिका हाई स्कूल न खोलने के क्या कारण थे ? क्या शासन वर्तमान सत्र में पूर्व स्वीकृति के आधार पर हैदरगढ़ में बालिका हाई

स्कूल खोलने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह--

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

क्योंकि हैदरगढ़ में बालिका राजकीय हाई स्कूल खोलने की कोई पूर्व स्वीकृति नहीं है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बड़ी विनम्रता से यह कहना चाहता हूं कि मेरी सूचना को सत्य मान करके वे स्वीकार कर लें कि सन् 1981 में हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी में एक बालिका हाई स्कूल खोलने के लिए राजकीय स्वीकृति दी गयी थी । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद से एक अध्ययन दल भी हैदरगढ़ गया था । उसने जगह का निरीक्षण भी किया था और उसने घोषणा की थी कि आगामी सत्र से वहां पर बालिकाओं के लिए हाई स्कूल खोला जायेगा ।

सन् 1981 में चुनाव बुन्देलखंड में हुआ और उस स्कूल को वहां पर स्थानांतरित कर दिया गया । उसके बारे में मैं, बराबर दौड़ रहा हूं । इसलिए मैं मंत्री जी से बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र हैदरगढ़ जो कि एक ओर सुल्तानपुर से लगा हुआ है और एक ओर रायबरेली जहां विकास की गंगा बह रही है और वहां का आदमी दाने-दाने के लिए तरस रहा है, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि मेरी बात को सत्य मानकर जो उनको उनके अधिकारियों ने कहा, वही वे बोल रहे हैं, क्या हैदरगढ़ में वहां की बालिकाओं के भविष्य के लिए एक हाई स्कूल खोलने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, यदि शासन ने इस प्रकार का कोई निर्णय लिया है जो मेरी जानकारी में नहीं है, तो निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि अगर शासन को कोई जानकारी होती तो वे लिखित उत्तर हमको देते । इनके दफ्तर में तो वे फाइलें साफ हो गयी हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से यह निवेदन करूंगा कि अब तो आप मान जायें, आप हम सफर रहे हैं, आज हो गये तो क्या हुआ उस जनपद की बालिकाओं के भविष्य के लिए हैदरगढ़ में जो कि एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उनके लिए एक हाई स्कूल इस आगामी सत्र से खोलने के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ? मेरी व्यक्तिगत कोई बात नहीं है यह जनहित की बात है ।

श्री राम सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य, इस प्रकार का अनुग्रह कर रहे हैं तो निश्चितरूप से सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा ।

अयोध्या में "तीर्थ निवास" निर्मित करने हेतु राजघाट में भूमि का अधिग्रहण

*2--श्री निर्मल खत्री--

(अनुपस्थित)

क्या पर्यटन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या नगर में शासन द्वारा स्वीकृत "तीर्थ यात्री निवास" निर्मित करने हेतु राजघाट में भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है ? यदि हां,

तो निर्माण कार्य प्रारम्भ न करने का क्या कारण है ?

पर्यटन राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)--

अयोध्या में 100 शैय्या के पर्यटक आवास गृह के निर्माण हेतु राजघाट (अयोध्या) में 5.40 एकड़ नजूल का चयन किया गया था जो भूमि पर्यटन विभाग को स्थानान्तरित कर दी गयी।

निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थल का निरीक्षण राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों द्वारा किया गया, जिन्होंने प्रस्तावित स्थल घाघरा नदी द्वारा कटान के कारण अनुपयुक्त पाया। अतः इस परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान पर्यटक आवास-गृह के स्थल पर ही जहां आधुनिक स्वागत केन्द्र का निर्माण प्रस्तावित है, पर्यटक आवास-गृह का निर्माण किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

माननीय निर्मल खत्री प्रश्न दे जाते हैं और हमेशा ही गायब रहते हैं।

*3--श्री मित्रसेन--

[दिनांक 5-3-84 को तारांकित प्रश्न संख्या 10 द्वारा उत्तरित।]

आर्य कन्या इन्टर कालेज, फैजाबाद तथा राज करण वैदिक इन्टर कालेज, फैजाबाद के प्रबन्धक द्वारा संस्था की सम्पत्ति का दुरुपयोग किये जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*4--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्य कन्या इन्टर कालेज, फैजाबाद तथा राज करण वैदिक इन्टर कालेज, फैजाबाद के प्रबन्धकों द्वारा संस्था की सम्पत्ति का दुरुपयोग किये जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 26 जनवरी, 1983 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किस अधिकारी से कराई गयी है, उनके क्या परिणाम निकले हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम सिंह--

जी हां। पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद द्वारा की गयी। राजकरण वैदिक इन्टर कालेज, फैजाबाद के सम्बन्ध में शिकायत निराधार रही, लेकिन आर्य कन्या इन्टर कालेज, फैजाबाद के सम्बन्ध में हरिजन छात्रावास बिना शिक्षा निदेशक की अनुमति से बेचने की बात सही पायी गयी है। इसके सम्बन्ध में शिक्षा अधिनियम की धारा 16 घ के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु विचार किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

यह 16-घ क्या होता है माननीय मंत्री जी ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, 16-घ नियंत्रक के सम्बन्ध में है मैनेजमेन्ट को एबोलिश करके नियंत्रक की कार्यवाही होती है।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, प्रश्न दो विद्यालयों के बारे में था और इसी सदन में कई बार आपकी पीठ से निर्णय हुआ है कि विधायकों की कोई शिकायत हो तो जांच के समय उनसे भी पूछ लिया जाय। तो शिकायत मैंने खुद की थी लेकिन मुझसे आज तक कोई पूछताछ नहीं की गयी। दूसरा उन्होंने स्वीकार किया कि हरिजनों का छात्रावास बेच दिया गया और सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। तो मैं इन दो बातों की सूचना चाहता हूं पहले में तो आपका संरक्षण चाहता हूं कि आपका निर्देश है कि विधायक की शिकायत हो तो उसको अवसर दिया

जाना चाहिये जो मुझे नहीं दिया गया। दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थाओं की आस्थियों के स्थानान्तरण विधेयक, 1974 है जिसमें इस प्रकार का प्राविधान है कि बिना शिक्षा निदेशक की स्वीकृति के स्कूल की सम्पत्ति स्थानान्तरित नहीं की जायेगी। तो मेरे प्रश्न के उत्तर में स्वीकार कर लिया है कि बिना शिक्षा निदेशक की स्वीकृति के हरिजन छात्रावास बेच दिया गया, जिसके अनुसार इस कार्यवाही के लिए एक वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों दिया जायेगा। तो जब अधिनियम बना हुआ है तो उसके अनुसार कार्यवाही न करने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही करायेंगे ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, ऐसा था 30 हजार रुपये की ग्रांट हरिजन कल्याण विभाग से वहां पर हरिजन छात्रावास बनाने हेतु प्रदान की गयी थी उसमें से केवल मात्र 24 हजार रुपये की ग्रान्ट मिली बाकी उन्होंने अपने फंड से बनाया उसमें 33,617 का टोटल इक्सपेंडीचर आया और मैनेजर ने 82,576 रु० में उसे बेच दिया था, इसका निरीक्षण कराया गया दोष केवल यह है। लेकिन चूंकि पैसा विद्यालय के खाते में जमा किया गया उसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि नहीं की गयी। उस मैनेजर को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। यदि उस पैसे का दुरुपयोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में करते तब मान्यवर, मैं समझता हूं कि दूसरी बात थी लेकिन उसने विद्यालय के खाते में पूरा पैसा जमा किया। वैसे जैसा आप चाहते हैं वैसा किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

मैं यह समझता हूं जब निर्णय हो चुका है, आदेश भी दे दिये गये हैं और आप लोगों से कई बार कहा गया है कि जब विधायक शिकायत करें तो उसकी जांच करने से पहले विधायक से मालूम कर लें। तो क्या विधायक से मालूम किया या नहीं किया इसका उत्तर पहले बता दें ?

श्री राम सिंह--

यह नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं। पहले विधायक से पूछा जाय और तब इसको तय किया जायेगा।

श्री राजकुमार राय--

मान्यवर, आपके निर्देश हैं तो पहले माननीय विधायक से पूछे बिना जांच रिपोर्ट को पूरी न माना जाये।

जूनियर हाई स्कूल के नान :

इंटर	प्रशिक्षित	सहायक
अध्यापकों के स्वीकृत	वेतनमान	

*5--श्री राम आसरे वर्मा (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राइमरी पाठशालाओं के प्रधानाचार्य पद से पदोन्नति होकर जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापकों के वेतनमान, इन्टर नान-इन्टर के आधार पर भिन्न-भिन्न रख जाने का सिद्धान्त निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो समान पद एवं कार्य के परिप्रेक्ष्य में इसका औचित्य क्या है ?

शिक्षा एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

जी नहीं।

शासनादेश संख्या 7366क/15-5-83, दिनांक 18 जनवरी, 1984 द्वारा जूनियर हाई स्कूल के नान-इन्टर प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों के लिये वही वेतनमान 1-7-79 से स्वीकृत कर दिये गये हैं जो कि इन्टर प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों के लिये निर्धारित है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उनकी नियुक्तियां 1-8-1972 के पूर्व की गयी हों।

गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति डा0 रावत के विरुद्ध कतिपय आरोपों की जांच

*6--श्री मोहन सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति डा0 रावत के विरुद्ध कतिपय आरोपों की जांच गढ़वाल मंडल के आयुक्त कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनमें से कितने बिन्दुओं पर अभी तक रपट आ चुकी है ? क्या यह सही है कि जनवरी, 1983 के प्रथम हफ्ते में ही विश्वविद्यालय के कुलपति डा0 रावत और कुल सचिव श्री रामसूरत ने एक दूसरे के विरुद्ध मारपीट की रपट पुलिस थाने में दर्ज करायी, जिसके कारण कुल सचिव को वहां से स्थानान्तरित कर दिया गया, लेकिन कुलपति के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री राम सिंह--

आयुक्त, गढ़वाल मंडल ने जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर दी है ।

यह सही है कि जनवरी, 1983 के प्रथम हफ्ते में डा0 रावत, कुलपति, गढ़वाल विश्वविद्यालय ने तथा श्री रामसूरत, कुल सचिव ने एक दूसरे के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी ।

कुल सचिव का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किया गया था । कुलपति के विरुद्ध मंडलायुक्त की जांच रिपोर्ट के कुछ बिन्दुओं पर पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह गंभीर बात है कि एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव आपस में मारपीट करें और थाने में रिपोर्ट दर्ज करायें और इस घटना के एक वर्ष बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार उन दोनों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न कर सकी, तो इससे बड़ा अक्षमता का दृष्टांत नहीं हो सकता है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि कुलपति, गढ़वाल विश्वविद्यालय के विरुद्ध जो मंडलायुक्त ने जांच रिपोर्ट दिया, जिसको इनको मिले 10 महीने हो गये हैं, वह रिपोर्ट क्या है और उस पर शासन ने क्या कार्यवाही किया है ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, डा0 रावत के विरुद्ध विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों में 52 आरोप लगाये गये थे जिनकी विधिवत जांच आयुक्त ने किया ।

श्री अध्यक्ष--

पहले आरोपों को सारांश में बतायें।

श्री राम सिंह--

अध्यक्ष महोदय, कुछ आरोपों में लिखा गया है कि सिद्ध हुये हैं और कुछ में लिखा गया है कि सिद्ध नहीं हुए हैं । प्राइमा-फेसाई कुछ आरोपों में बना है, यह रिपोर्ट दिया है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं साफ-साफ जानना चाहता हूं कि जो 52 सूत्री आरोप हैं, वह पुस्तिका की शक्ल में सदस्यों को वितरित हुई हैं, हमने शासन को दिया, शासन ने जांच कराया । आरोप थे कि धन लेकर कुछ लोगों को तदर्थ नियुक्त किया । शासन से जो विश्वविद्यालय का फंड था उसका अपवंचन किया । इस तरह के गंभीर आरोप उनके विरुद्ध थे । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या तदर्थ रूप से अयोग्य व्यक्तियों को जो नियुक्त किया और जो तदर्थ व्यक्ति पहले से काम कर रहे थे और नियमित सेवा में हो गये थे उनको विश्वविद्यालय से निष्कासित करने और अनुदानों का अपवंचन किया यह सारे आरोप प्राग्दर्शन में सिद्ध हो गये हैं । यदि हां, तो कुलपति के विरुद्ध, प्रशासनिक कारणों से कुल सचिव को हटा दिया और कुलपति जिसको कुछ महीने जाने के रह गये हैं उनके विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

इसलिये 52 बिन्दु नहीं बल्कि 3 बिन्दु जो गंभीर हैं, जो प्रारदर्शन में सिद्ध हैं उनके सम्बन्ध में बतायें ।

श्री राम सिंह--

मान्यवर, जांच अभी तो चल रही है और बार-बार लिखा जा रहा है जैसे 8-11-83 को, 7-12-83 को और 26-12-83 को लिखा गया है ।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं मंत्री जी के विशेषाधिकार हनन की सूचना देता हूं क्योंकि इन्होंने अपने उत्तर में लिखा है कि आयुक्त ने जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर दी है और कह रहे हैं कि जांच हो रही है, इसलिए यह दोनों परस्पर विरोधी तथ्य हैं और मंत्री जी जान-बूझकर तथ्यों को छिपा रहे हैं । यह पूरे गढ़वाल में महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, वहां की हालत ढाई वर्षों में शोचनीय हो गयी है, इसलिये नियम 49 में मैं चर्चा की मांग करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है इसे आप लिखकर दे दीजिए ।

(श्री जसवन्त सिंह बिष्ट का अगला मूल प्रश्न सं0 8 लेने पर ।)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

गढ़वाल विश्वविद्यालय के बारे में मुझे पूरी जानकारी है, मैं वहीं का रहने वाला हूं । आपने मुझे अवसर नहीं दिया । मोहन सिंह जी उसके बारे में नहीं जानते हैं....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, मालूम पड़ता है कि आपको अपने प्रश्न के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है, तभी इस तरह बोले जा रहे हैं ।

इन्टर कालेजों एवं महाविद्यालयों में छात्र यूनियनों का कथित गठन

*7--श्री गोपीनाथ वर्मा--

(अनुपस्थित)

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में इन्टर कालेजों एवं महाविद्यालयों के छात्र यूनियनों के चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में सरकारी स्तर पर विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

इन्टर कालेजों में छात्र यूनियनों का गठन नहीं किया जाता है । महाविद्यालयों में छात्र यूनियनों के चुनाव कराने से शासन सम्बन्धित नहीं है ।

लखनऊ में बेगम हजरत महल पार्क में ग्राम प्रधानों का सम्मेलन आयोजित करने का उद्देश्य

*8--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि 23 अप्रैल, 1983 को लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में ग्राम प्रधानों का सम्मेलन आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था । इस सम्मेलन में किन-किन मदों पर क्रमशः कितना खर्च हुआ, कुल खर्च की गयी धनराशि कितनी थी ? इसे किस कोष से व्यय किया गया ?

श्री राम सजीवन सिंह--

सम्मेलन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम में ग्राम प्रधानों का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करना था ।

इस सम्मेलन में निम्नलिखित मदों पर कुल 2,66,000·00 रु0 की

धनराशि राजकीय कोष से शासन की स्वीकृति पर व्यय की गई है :--

	रु0
1--पन्डाल की व्यवस्था (शामियाना, कुर्सी, लाउडस्पीकर, पेय-जल आदि का प्रबन्ध)	1,06,241·00
2--प्रचार, प्रसार, विज्ञापन प्रगति विवरण की छपाई आदि	1,32,458·00
3--पी0 ओ0 एल0 पर व्यय	4,224·00
4--आकस्मिक व्यय	23,077·00
	2,66,000·00

(ता0 प्र0 सं0 12 पुकारे जाने पर)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिलाया, वह बहुत महत्वपूर्ण छूट गया ।

श्री अध्यक्ष--

भविष्य में आप ऐसा नहीं करेंगे, पहले आप यह कहें ?

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

भविष्य में मैं अब ऐसा नहीं करूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है अब प्रश्न सं0 8 लिये लेते हैं ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्मेलन का उद्घाटन माननीय राजीव गांधी से कराने का क्या औचित्य था क्योंकि वे न तो इस प्रदेश के कोई मन्त्री थे और न हीं केन्द्र के ही मन्त्री थे ? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इस सम्मेलन में प्रधानों और मन्त्रियों के बीच हाथापायी हुई थी ? एक प्रश्न तीसरा यह कि उस सम्मेलन में क्या प्रस्ताव पारित किये गये ?

श्री रामसजीवन सिंह--

माननीय राजीव गांधी इस प्रदेश के एम0 पी0 हैं, उनका मार्ग दर्शन आवश्यक था, इसलिये उनसे उद्घाटन कराया गया । कोई हाथापायी जैसी घटना नहीं हुई ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

इसमें जो आकस्मिक व्यय दिखाया गया है वह किन-किन मदों पर हुआ है ? दूसरे यह कि इसमें उत्तर में जो पी0 एल0 ओ0 पर व्यय दिखाया है, यह पी0 ओ0 एल0 क्या है ?

श्री राम सजीवन सिंह--

पी0 ओ0 एल0 का मतलब है पेट्रोल तेल आदि ।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

यह आकस्मिक व्यय किस-किस चीज पर हुआ है ।

श्री राम सजीवन सिंह--

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पानी की व्यवस्था आदि पर ।

(शोर-व्यवधान)

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, पानी पर खर्च तो उत्तर में मद सं0--1 के अन्तर्गत जो व्यय है उसमें दिखाया गया है ।

(व्यवधान)

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस

सम्बन्ध में शासनादेश जिलाधिकारियों को भेजा गया था, जिसमें उनको हिदायत दी गयी थी कि वह प्रधानों को लखनऊ में भिजवाने की व्यवस्था करें ।

श्री राम सजीवन सिंह--

मान्यवर, यह सम्मेलन जब आयोजित किया गया तो इसका प्रचार किया गया था और प्रधान लोग आये थे ।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष--

जो प्रश्न किया गया है उसका उत्तर यदि दे सकते हैं तो दें नहीं तो सूचना मांगें । भीखा लाल जी, आप दोबारा प्रश्न कर दें ।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, मैंने पूछा था कि क्या शासनादेश जिलाधिकारियों को भेजा गया है इस सम्मेलन में प्रधानों को भिजवाने की व्यवस्था करवाने के लिये वह शासनादेश क्या है पढ़ दें ?

श्री राम सजीवन सिंह--

मान्यवर, मैंने कहा कि सम्मेलन के आयोजन का प्रचार किया गया था और एक कार्यक्रम तय किया गया था उसके अन्दर सम्मेलन किया गया था ।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, शासनादेश गया कि नहीं गया ? यदि गया है तो उसको पढ़कर सुना दें ।

श्री राम सजीवन सिंह--

मान्यवर, इसकी जानकारी करने की आवश्यकता है ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

जब मैं प्रश्न को स्वीकार कर रहा हूं तो सूचना आपको मंगा लेनी चाहिये, अगर उत्तर नहीं है । 3, 3 बार प्रश्न हुआ । आप इधर-उधर घुमा रहे हैं । भविष्य में ध्यान रखें ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, क्या यह सही है कि इस अधिवेशन में माननीय मुख्य मन्त्री और माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री दोनों मौजूद थे । यदि हां, तो शिष्टाचार के आधार पर माननीय मुख्य मन्त्री या ग्राम्य विकास मन्त्री जी से उद्घाटन न कराकर श्री राजीव गांधी जो केवल इस प्रदेश के एक सांसद हैं, उनसे उदघाटन कराने का क्या कारण है ?

डा० बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, यह कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, जवाब दिलवाइये ।

(शोर)

श्री राम सजीवन सिंह--

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे और राजीव गांधी जैसा मैंने कहा कि वह हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे सांसद हैं इसलिये उनके द्वारा उद्घाटन कराया गया ।

श्री रियासत हुसैन--

मुख्य मन्त्री या ग्राम्य विकास मन्त्री भी वहां मौजूद थे उनसे कराना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, पहले आज्ञा लें ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि शिष्टाचार या प्रोटोकाल एक चीज है । राष्ट्र का पैसा इस पर खर्च हुआ है ।

हमारे मुख्य मन्त्री, ग्राम्य विकास मन्त्री और अन्य मन्त्रीगण इस अधिवेशन में मौजूद थे, तो इन लोगों की उपेक्षा की गयी और केवल एक एम0 पी0 से इसका उद्घाटन कराये जाने का क्या कारण है ?

डा0 बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, यह कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री राज कुमार राय--

उद्घाटन जय प्रकाश नारायण से क्यों कराते थे ?

उद्योग एवं सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, शायद माननीय सदस्य को यह मालूम नहीं है कि उसमें माननीय मुख्य मन्त्री ने एड्रेस किया, केन्द्रीय मन्त्री नारायण दत्त तिवारी ने एड्रेस किया और मन्त्रियों ने भी एड्रेस किया । तो केवल राजीव गांधी ने ही नहीं किया । यह अधिवेशन सरकारी अधिवेशन था ।

(शोर)

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी थे, ग्राम्य विकास मन्त्री जी थे, हमारे वीर बहादुर सिंह जी मौजूद थे, केन्द्रीय मन्त्री मौजूद थे । इसमें सरकारी धन का खर्च हुआ । तो फिर इसका उद्घाटन राजीव गांधी से क्यों कराया गया, नारायण दत्त तिवारी से क्यों नहीं कराया गया ?

श्री अध्यक्ष--

अगर आप लोग उत्तर सही नहीं समझते हैं । तो नियम 49 में चर्चा के लिए आप दे सकते हैं ।

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये)

(घोर व्यवधान)

पहले आप लोग बैठिये । आप लोग बैठ जाइये न ।

*9--श्री मलिक मो0 कमाल युसुफ--

(अनुपस्थित)--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 3 सितम्बर, 1982 को परियोजना अधिकारी कृषि बस्ती के विरुद्ध 32 आरोपों का 7 विधायकों से हस्ताक्षरित शिकायती-पत्र मुख्य मन्त्री एवं कृषि मन्त्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो आरोपों की जांच कराया गया ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री राम सजीवन सिंह--

जी हां ।

जांच चल रही है ।

जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

*10--श्री प्रियदर्शी जेतली--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

श्रीमती चन्द्रमुखी मिश्रा, सहायक अध्यापिका, नारायण आर्य कन्या पाठशाला इन्टर कालेज, फर्रुखाबाद की मृत्यु तथा देय धनराशि, अनिवार्य जीवन बीमा तथा पेंशन का भुगतान

*11--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती चन्द्रमुखी मिश्रा, सहायक अध्यापिका, नारायण आर्य कन्या पाठशाला इन्टर कालेज, फर्रुखाबाद जिसने जून, 1981 में अवकाश ग्रहण किया था, का स्वर्गवास दिनांक 29 अक्तूबर, 1983 को धन के अभाव में

ठीक से इलाज न करा पाने के कारण हो गया ? यदि हां, तो अवकाश प्राप्ति के इतने समय उपरान्त भी देय धनराशि भविष्य निधि, अनिवार्य जीवन बीमा तथा पेंशन न दिये जाने का क्या कारण था तथा इस देरी के लिये दोषी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह--

धन के अभाव के कारण नहीं अपितु पूर्व से बीमार होने के कारण प्रश्नगत अध्यापिका की मृत्यु 29 अक्तूबर, 1983 को हो गई। जी0 पी0 एफ0 का भुगतान 835 रु0 का चेक श्रीमती मिश्रा, के खाते में जमा कर दिया गया है। अवशेष पी0 एफ0 के भुगतान के पत्रजात विद्यालय द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। सामूहिक जीवन बीमा के पत्रजात भारतीय जीवन बीमा निगम कानपुर को भेजे जा चुके हैं।

पेंशन पत्रजात विद्यालय से अब प्राप्त हुये हैं, नियमानुसार स्वीकृति होने पर भुगतान किया जायेगा। विलम्ब के लिए मूलतः अध्यापिका ही उत्तर दायी हैं। उन्होंने विद्यालय से अनुरोध किया था कि उनका वेतन निर्धारण हो जाने के बाद ही उनके पेन्शन पत्रजात प्रेषित किये जांय। पेन्शन निर्धारण के बाद बुलाने पर भी वे आयीं नहीं तथा लिखित सूचना लेने से इनकार कर दिया। विद्यालय द्वारा रजिष्ट्री से पत्र भेजने पर वे आयी और तब 15-2-1983 को उन्होंने पेन्शन प्रपत्र पर हस्ताक्षर किये। अतः किसी कर्मचारी विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

श्रीमन्, यह अत्यन्त मानवीय प्रकरण है। मन्त्री जी ने कहा यह धनाभाव के कारण नहीं अपितु पूर्व से बीमार होने के कारण प्रश्नगत अध्यापिका की मृत्यु 29-10-83 को हो गई। इससे स्पष्ट है कि किस तरह से इनके अधिकारी अध्यापिका के दुखद प्रकरण पर लीपापोती करके उत्तर दे रहे हैं। यही तो मेरा आरोप है कि धन न होने के कारण वह अपनी बीमारी का इलाज नहीं करा सकी और अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गयी क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस अध्यापिका के पति भी गम्भीर रूप से बीमार थे, उनकी बीमारी में इलाज न होने के कारण मृत्यु हो गयी और तीन दिन बाद उसी स्थिति में स्वयं इन अध्यापिका की भी मृत्यु हो गयी पर शासन के अधिकारी दोषी कर्मचारियों को बचाने के लिए गोलमोल उत्तर दे रहे हैं। तो क्या मंत्री जी इस पूरे गम्भीर प्रकरण की जांच किसी उच्चाधिकारी से कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह--

हम जांच करा लेंगे, जिससे आप कहें उससे करा लेंगे। डायरेक्टर से कहें तो उससे करा लेंगे। इस मामले में आर0 आई0 जी0 एस0 मौके पर गई थीं और उन्होंने सारे प्रकरण को देखा है। जिससे आप कहेंगे उसी से हम जांच करा लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे यहां से इस मामले में कोई शिथिलता न रहे।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

आर0 आई0 जी0 एस0 वहां गयी तो वहां के अधिकारियों और उनके ही तथ्य मान लिये गये, लेकिन अवशेष पी0 एफ0 के भुगतान और सामूहिक जीवन बीमा के पत्राजात क्यों नहीं भेज गये ? क्यों इतने विलम्ब से भेजे गये, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई ?

श्री राम सिंह--

जैसा मैंने पहले बताया उन्होंने पत्राजात पर हस्ताक्षर नहीं किये थे और 21-1-83 को जब मंडलीय

विद्यालय निरीक्षिका स्वयं वहां पर गयीं तो उन्होंने उनसे हस्ताक्षर कराये और तब जाकर मामला आगे बढ़ा ।

किसान इंटर कालेज, बभनान, जिला बस्ती को जिला गोन्डा में स्थानान्तरण की जानकारी

*12--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसान इन्टर कालेज, बभनान का भवन ग्राम करमपुर तहसील उतरौला, जिला गोंडा में स्थित है ? क्या यह सही है कि उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर के संस्तुति के आधार पर किसान इन्टर कालेज, बभनान, जिला बस्ती को जिला गोन्डा में स्थानान्तरित किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री विनय कुमार पान्डेय, उप शिक्षा निदेशक (उर्दू) की योग्यता तथा पद पर रखने का औचित्य

*13--श्री रियासत हुसैन--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि डिप्टी डायरेक्टर उर्दू भाषा की योग्यता क्या है और वह इस पद पर कब से नियुक्त हैं ? क्या यह सही है कि वह उर्दू भाषा बिल्कुल ही नहीं जानते हैं ? यदि हां, तो उनको इस पद पर रखने का क्या औचित्य है ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्री विनय कुमार पान्डेय, उप शिक्षा निदेशक (उर्दू) की योग्यता एम० ए०, इतिहास है । श्री पान्डेय उक्त पद पर दिनांक 7-7-1981 (अपराह्न) से कार्यरत हैं ।

जी हां ।

उप शिक्षा निदेशक (उर्दू) का पद प्रशासनिक पद है । इस पद पर कार्यरत अधिकारी को प्रशासन सम्बन्धी कार्य करना होता है । उन्हें शिक्षण अथवा प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य नहीं करना पड़ता है । फिर भी शासन का यह प्रयास रहता है कि ऐसे पद की शैक्षिक योग्यता रखने वाला व्यक्ति ही तैनात किया जाय ।

कुमारी कटोरी देवी, सहायक अध्यापिका, निवासी मथुरा द्वारा विधान भवन के समक्ष धरना तथा मांगें

*डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमारी कटोरी देवी, सहायक अध्यापिका, निवासी मथुरा ने अपनी कठिनाइयों के सम्बन्ध में विधान भवन के समक्ष दिनांक 8-9-83 से धरना देने की कार्यवाही की है ? यदि हां, तो उनकी मांगे क्या है ? क्या सरकार को इसकी भी सूचना है कि यदि उनकी मांगे पूरी न हुई तो उन्होंने आत्मदाह के लिए भी नोटिस दी है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सहायक अध्यापिका के जीवन यापन हेतु कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जिलाधिकारी, लखनऊ से प्राप्त सूचनानुसार कुमारी कटोरी देवी ने दिनांक 5-9-1983 को दोपहर विधान सभा के समक्ष हाजलशफा के पूर्वी गेट पर धरना आरम्भ किया था । उनकी मांग उनके तथाकथित अभद्र व्यवहार करने वाले थानाध्यक्ष कोतवाली मथुरा को निलम्बित किये जाने और उनके

नोट--तारांकित प्रश्न संख्य 11 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

(कुमारी कटोरी देवी के विरुद्ध तथा-कथित झूठा मुकदमा पंजीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में न्यायिक जांच कराये जाने की थी। आत्मदाह के सम्बन्ध में कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुई। अतएव किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

बी0 टी0सी0 प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता

*15--श्री बदन सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडिएट कर दी गई है? यदि हां, तो बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण देने वाले अध्यापकों को प्रवक्ता वेतनमान क्यों नहीं दिया जा रहा है?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के शिक्षण हेतु दिया जाता है। अतः इससे संबंधित अध्यापकों को प्रवक्ता वेतनक्रम देने का प्रश्न नहीं उठता।

जनता इण्टर कालेज, एटा (जालौन) में भ्रष्टाचार की शिकायत

*16--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर, 1983 के उत्तरार्द्ध और अक्तूबर, 1983 माह में श्री हर गोविन्द दयाल निरंजन ने कोई शिकायती-पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को तथा प्रश्नकर्ता द्वारा माह नवम्बर, 1983 के पूर्वार्द्ध में जिला-धिकारी, जालौन को पत्र भेजकर जनता इण्टर कालेज, एटा (जालौन) में भ्रष्टाचार की शिकायत की थी? यदि हां, तो जांच कराई गई, यदि हां, तो उसके परिणाम क्या निकले और अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जांच की जा रही है। आडिट भी किया जा रहा है।

जांच आख्या तथा आडिट आख्या प्राप्त हो जाने पर कार्यवाही की जायेगी।

आर0 एस0 एम0 डिग्री कालेज, धामपुर, जनपद बिजनौर के कृषि फार्म का आडिट

*17--श्री श्याम सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 एस0 एम0 डिग्री कालेज, धामपुर, जनपद बिजनौर के कृषि फार्म का कभी आडिट हुआ है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, आडिट हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हिमांशु शेखर, अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, मिर्जापुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की शिकायतें

*18--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें विधायिका श्रीमती गौरी देवी का दिनांक 4 अप्रैल, 1983 का कोई शिकायती-पत्र श्री हिमांशु शेखर, अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, मिर्जापुर के विरुद्ध गंभीर आरोपों के संदर्भ में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)---

जी हां।

श्रीमती गौरी देवी के शिकायती-पत्र में श्री हिमांशु शेखर, अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, मिर्जापुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितता बरतने की प्रमुख शिकायतें थीं। अरोपों की जांच उप विकास आयुक्त, वाराणसी से कराई जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

राधेहरि राजकीय इन्टर कालेज, टनकपुर, जिला नैनीताल का प्रान्तीयकरण तथा शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवायें

*19--श्री भीखा लाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राधेहरि राजकीय इन्टर कालेज, टनकपुर, जिला नैनीताल का प्रान्तीयकरण सितम्बर, 1977 में कर लिया गया था, लेकिन शिक्षकों और कर्मचारियों का प्रान्तीयकरण नहीं किया गया और उनकी सेवायें नई कर दी गयीं? यदि हां, तो क्यों? क्या यह भी सही है कि कालेज के अध्यापकों को उनकी पुरानी सेवाओं से संबंधित भविष्य निधि का भी पैसा वापस नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी---

राधेहरि राजकीय इन्टर कालेज, टनकपुर, जिला नैनीताल का प्रान्तीयकरण राजाज्ञा संख्या 6027/4/44/28/2/76, दिनांक 8-9-77 के द्वारा किया गया तथा शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति उपरोक्त राजाज्ञा में दी गई शर्तों के अनुसार एवं उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के बाद की गई थी। पुरानी सेवाओं से संबंधित भविष्य निधि की राशि पुरानी सेवाओं का लाभ देने हेतु भविष्य निधि व प्रबन्धकीय अंशदान राजकीय कोष में जमा होना है, जिसकी अनुमति दी जा चुकी है।

केन्द्र व्यवस्थापक, किसान इन्टर कालेज, सिकटा चिताही, तहसील डुमरियागंज, बस्ती को हाई स्कूल की परीक्षा में छात्रों को सम्मिलित न करने का निर्देश

*20--श्री माता प्रसाद पांडेय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता आदर्श कालेज, गौरा बाजार, जनपद बस्ती के कक्षा 10 के कुछ छात्रों के वर्ष 1983 में आयोजित हाई स्कूल के परीक्षा फार्म को माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद ने एक तार संख्या-म/1940 सी0 ए0 146/इलाहाबाद-15 राज्य, 80 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया था तथा केन्द्र व्यवस्थापन, किसान कालेज, सिकटा चिताही, तहसील डुमरियागंज, जनपद बस्ती को हाई स्कूल की परीक्षा में उक्त छात्रों को सम्मिलित न करने का निर्देश दिया था? यदि हां, तो परीक्षा फार्म अस्वीकृत करने का क्या कारण है और क्या छात्रों को उक्त आदेश के बावजूद भी परीक्षा में सम्मिलित किया गया और उनके परीक्षाफल भी घोषित हुए? यदि हां, तो इसका आधार क्या है तथा क्या दोषी अधिकारियों को दंडित करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्नगत विद्यालयों के छात्रों के आवेदन पत्र चार किश्तों में प्राप्त हुये थे। जिनमें से अन्तिम तीन किश्तों में प्राप्त कुल 15 आवेदन पत्र विलम्ब से आये थे और जिनके साथ परीक्षा/प्राप्तांक शुल्क के कोष पत्र संलग्न नहीं थे, परिषद् द्वारा नियमानुसार अस्वीकृत कर दिये गये। सम्बन्धित अभ्यर्थियों को न तो अनुक्रमांक आवंटित किये गये और न ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। परीक्षा में सम्मिलित न किये जाने के निर्देश केवल एक मामले में

देने पड़े जिसमें छात्र को अनुक्रमांक का आवंटन किया जा चुका था। परीक्षा में सम्मिलित किये जाने हेतु परिषद् द्वारा दी गई सम्यक् अनुमति के अभाव में केन्द्र व्यवस्थापक, किसान इन्टर कालेज, सिकटा चिताही, बस्ती द्वारा नियमों की अवहेलना कर परीक्षा में सम्मिलित किये गये इन छात्रों के परीक्षाफल न तो घोषित किये गये और न ही इनके घोषित किये जाने का कोई प्रश्न ही उठता है।

अतारांकित प्रश्न

विकास खंड, खैराबाद के कार्यालय भवन का विद्युतीकरण करने, बाउंडरी वाल बनवाने तथा पेयजल व्यवस्था हेतु स्वीकृति

1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ग्राम विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले के विकास खंड, खैराबाद के कार्यालय भवन का विद्युतीकरण करने, बाउंडरी वाल बनवाने तथा पेयजल व्यवस्था हेतु धन स्वीकृति का प्राक्कलन आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम विकास, उत्तर प्रदेश को मार्च, 81 के दूसरे पखवारे में मिला (पत्र संख्या 5965/बजट/1980-81 दिनांक 25-3-1981) यदि हां, तो उसकी स्वीकृति कब प्रदान की गयी ? यदि नहीं प्रदान की गयी, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां।

सीतापुर जिले के विकास खंड, खैराबाद के कार्यालय भवन का विद्युतीकरण, चहारदिवारी का निर्माण एवं पेयजल व्यवस्था हेतु आवश्यक धनराशि अभी तक स्वीकृत नहीं की जा सकी है, इसका कारण यह है कि आयुक्त, कृषि उत्पादन, उत्तर प्रदेश ने अपने परिपत्र सं0-बी0-67/बजट (सा), दिनांक 30-8-1980 में समस्त विकास खंडों के भवनों के सम्बन्ध में प्रस्ताव दिनांक 10-1-1980 तक मांगे थे जिला विकास अधिकारी, सीतापुर का प्रस्ताव, दिनांक 31-3-1981 को आयुक्त कार्यालय में प्राप्त हुआ। अन्य सम्बन्धित जिलों से अपेक्षित प्रस्ताव वर्ष 1981-82 व 1982-83 में आयुक्त कार्यालय में प्राप्त हुआ। शासन को संहत प्राप्त हुए प्रस्तावों को उन्होंने दो किश्तों के रूप में दिनांक 22-10-1983 एवं 12-12-1983 को भेजा।

वर्ष 1984-85 में नई मांगों के माध्यम से प्रदेश के 111 विकास खंडों में विद्युतीकरण हेतु धन का प्राविधान किया जाना प्रस्तावित है, इसमें खैराबाद विकास खंड भी सम्मिलित है। बाउंड्री वाल के निर्माण हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध होने पर ही धन का आवंटन किया जाना सम्भव होगा। पेयजल की व्यवस्था हेतु अपेक्षित धनराशि की पूर्ति वर्ष 1983-84 में विकास खंडों के लिए अनुरक्षण मद के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से किये जाने हेतु जिला विकास अधिकारी, सीतापुर को निर्दिष्ट कर दिया गया है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, हरदोई में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के बारे में ज्ञापन

2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई जनपद के बी0 एस0 ए0 कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के बारे में कोई प्रतिवेदन श्री सुन्दर सिंह, स्थानान्तरित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई की ओर से महामहिम राज्यपाल को अप्रैल, 1983 के प्रथम पखवारे में मिला ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां। मुख्य शिकायतें जिला बेसिक अधिकारी कार्यालय, हरदोई के श्री भगवन्त सिंह लिपिक, श्री साबिर अली सिद्दीकी, स्टेनो, तथा श्री मुनेश्वर सिंह, प्रधानाध्यापक, राजकीय आदर्श विद्यालय, हरदोई एवं श्री प्रेमकुमार पान्डेय व श्री शिव कुमार परिषदीय अध्यापकों, आदि द्वारा की जा रही कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में है। शिकायतों की जांच मन्डलीय उप शिक्षा निदेशक द्वारा करायी जा रही है।

जनपद सीतापुर के विकास खंडों में ग्राम प्रधानों को दिया गया चार्ज

3--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले में 30 जून, 1983 तक ऐसे ग्राम प्रधान ब्लाक अनुसार कितने थे, जिन्हें ग्राम समाज का चार्ज नहीं मिल पाया ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जनपद सीतापुर में दिनांक 30 जून, 1983 तक विकास खंड, पिसावां-14 महोली-14, मिश्रिख-3 गोंदलामाऊ-13, मछरेहटा-8 तथा घोली-1 (कुल 53) ग्राम प्रधानों को ग्राम समाज का चार्ज नहीं मिल पाया था। जिन्हें अब पूर्ण चार्ज दिला दिया गया है।

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, आजमगढ़ द्वारा कतिपय प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों का निर्माण कार्य

4--श्री अबुल कलाम--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, आजमगढ़ द्वारा प्राइमरी पाठशाला अस्थाई चौबे पट्टी, ब्लाक अहरौला, बीबीगंज, अशरफपुर ब्लाक फूलपुर, मिडपुर, व अम्बारी ब्लाक पवई तथा जूनियर हाई स्कूल अमरथू ब्लाक फूलपुर, खजुरी व गजंधर पट्टी ब्लाक अहरौला का भवन निर्माण कार्य कराया जा रहा है ? यदि हां, तो कब कार्य प्रारम्भ हुआ है और कब तक पूरे होने की संभावना है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा प्राइमरी स्कूल अस्थाई चौबे पट्टी, अशरफपुर ब्लाक अहरौला बीबीगंज ब्लाक फूलपुर, मिडपुर ब्लाक पवई तथा जूनियर हाई स्कूल अमरेथू ब्लाक फूलपुर, खजुरी व गजन्धर पट्टी ब्लाक अहरौला का कार्य कराया जा रहा है।

प्राइमरी पाठशाला अम्बारी ब्लाक फूलपुर व जूनियर हाई स्कूल गजन्धर पट्टी के निर्माण का नजरी नक्शा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से अभी तक प्राप्त नहीं है। अतः इन भवनों का निर्माण अभी आरम्भ नहीं हुआ है।

उपयुक्त भवनों के कार्य आरम्भ एवं पूरे होने की तिथि अधोलिखित प्रकार है।

नाम पाठशाला	कार्य आरम्भ होने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
1--प्राइमरी पाठशाला अस्थाई चौबे पट्टी	1-12-1980	30-6-1984
2--अशरफपुर	14-9-1981	30-6-1984
3--बीबीगंज	20-1-1981	तदेव
4--मिडपुर	20-1-1984	तदेव
जूनियर हाई स्कूल--		
1--अमरेथू	28-12-1979	तदेव
2--खजुरी	28-10-1983	30-4-1984

5--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[दिनांक 28-2-1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या 145 द्वारा उत्तरित]।

हाई स्कूल व इन्टर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को प्रमाण-पत्रों का वितरण

6--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद से हाई स्कूल व इन्टर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को क्रमशः, किन-किन वर्षों तक के प्रमाण-पत्र वितरित किये जा चुके हैं ? शेष वर्षों के प्रमाण-पत्र वितरित करने में हो रहे विलम्ब को कम करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? उपरोक्त प्रमाण-पत्रों व अंकपत्रों को हिन्दी भाषा में पूर्ण रूपेण लिखने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

वर्ष 1977 तक के तथा वर्ष 1981 व वर्ष 1982 की परीक्षाओं के प्रमाण-पत्र के प्रश्नगत प्रमाण-पत्र संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से विद्यालयों को वितरित किये जा चुके हैं। वर्ष 1978 के हाई स्कूल व इन्टरमीडिएट की परीक्षाओं के कतिपय मंडलों के प्रमाण-पत्र भेजे जा चुके हैं और अवशिष्ट मंडलों के प्रमाण-पत्रों की कार्यवाही प्रगति में है। वर्ष 1979 व 1980 की हाई स्कूल परीक्षा के 30 जनपदों के प्रमाण-पत्र भेजे जा चुके हैं और अवशिष्ट 27 जनपदों के प्रमाण-पत्र राजकीय मुद्रणालय से सादे प्रमाण-पत्रों के छपकर प्राप्त होने पर यथाशीघ्र भेज दिये जायेंगे। वर्ष 1979 व 1980 की इन्टर परीक्षा के प्रमाण-पत्र भी इसी प्रकार राजकीय मुद्रणालय से सादे मुद्रित प्रपत्रों के प्राप्त होने पर यथाशीघ्र भेज दिए जायेंगे। राजकीय मुद्रणालय से अवशिष्ट सादे प्रमाण-पत्र प्रपत्रों को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने की दशा में बराबर कार्यवाही की जा रही है। यंत्रोकृत प्रमाण-पत्रों का पूर्णतया हिन्दी भाषा में लेखन अभी संभव नहीं हो पा रहा है।

जनपद पिथौरागढ़ में नये विकास खंड के सृजन का कथित विचार

7--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में कितने नये विकास खंड बनाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका मापदंड क्या रखा गया है ? सरकार कब तक उपरोक्त स्थल में विकास खंड खोलेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जनपद पिथौरागढ़ में नये विकास खंड के सृजन का विचार नहीं है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

8--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[दिनांक 22-2-1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या 127 द्वारा उत्तरित]

राज्य विश्वविद्यालयों की सेवाओं हेतु चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के चयन हेतु आयोग का गठन

9--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सभी प्रादेशिक विश्वविद्यालय की सेवाओं हेतु चतुर्थ व तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के चयन करने के लिये एक उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय कर्मचारी चयन आयोग बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों की सेवाओं हेतु चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के

कर्मचारियों के चयन के लिए आयोग गठित किये जाने का शासन का सम्प्रति विचार नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्याम सिंह रावत के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा धनराशि

10–श्री जसवन्त सिंह––

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्याम सिंह रावत पुत्र श्री सोमसिंह रावत, सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक (कृषि विभाग) भूमि संरक्षण इकाई, नैनीताल के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि (जी0 पी0 एफ0) एकाउन्ट नं0 ए0 जी0 यू0 19097 की धनराशि, इनके राजकीय सेवाओं से त्याग–पत्र की स्वीकृति वर्ष 1980 से अभी तक उन्हें वापस नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह––

श्री श्याम सिंह रावत के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाता सं0–ए0 जी0 यू0–19097 में जमा धनराशि रु0 2265–00 आहरित कर स्टेट बैंक आफ इन्डिया नैनीताल से बैंक ड्राफ्ट सं0–टी0 टी0 ए0–21–370290 दि0 18–8–82 बनवाकर भूमि संरक्षण अधिकारी नैनीताल के पत्र संख्या–भू0 सं0 अ0/ बैंक ड्राफ्ट/1125 दि0 21–8–82 द्वारा श्री रावत के बताए गए घर के पते पर (अर्थात पोस्ट आफिस नैनीताल, तल्लीताल) रसीद सं0 000435 दि0 21–8–82 द्वारा पंजीकृत डाक से भेज दिया गया है ।

मन्डी समितियों में लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को सचिव का प्रशिक्षण

11–श्री जसवन्त सिंह विष्ट––

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मन्डी समितियों में लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को भी सचिव का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह––

राज्य कृषि उत्पादन मन्डी परिषद की वर्तमान नीति के अनुसार मन्डी समिति के लिपिक वर्ग के कर्मचारी सचिव पद पर प्रोन्नति के पात्र नहीं हैं । अतः इन्हें सचिव का प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का प्रतीक चिन्ह हिन्दी में करने हेतु विचार

12–श्री जसवन्त सिंह विष्ट––

क्या पर्यटन मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का चिह्न, प्रचार चित्र साहित्य अंग्रेजी में ही प्रसारित किया जाता है ? यदि हां, तो भारतवर्ष की अन्य भाषाओं में चित्र साहित्य प्रसारित करने के साथ अपना चिह्न हिन्दी में करने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा––

उत्तर प्रदेश पर्यटन का प्रतीक चिन्ह अंग्रेजी में बना है परन्तु इसे हिन्दी तथा दूसरी भाषाओं में पर्यटन प्रचार के लिए भी उपयोग किया जा रहा है । यद्यपि यह चयनित चिन्ह प्रचलित हो गया है । भविष्य में जनभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए यदि आवश्यक प्रतीत हुआ तो उसकी सम्भावनाओं पर विचार किया जायगा ।

पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित साहित्य मात्र अंग्रेजी भाषा में ही नहीं वरन् हिन्दी में भी पुस्तिकायें साहित्य प्रकाशित कर वितरित की जाती हैं ।

पर्यटन विभाग के पवित्र उद्देश्य एवं समन्वित विकास के लिए गुण दोष के आधार पर जो भी आवश्यक होगा । प्रभावकारी कार्यवाही प्रत्येक समय की जायगी ।

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान में लेखकों की कृतियों के अनुबन्ध की दर तथा निर्धारण की तिथियां

13—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान में दिनांक 2 नवम्बर, 1983 तक कितने लेखकों की कृतियों का अनुबंध किस दर से होना बाकी था ? इस हेतु नियत दर कब निर्धारित किये गए थे ? क्या सरकार उपरोक्त कृतियों को अनुबन्ध के लिए नए दर तय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान में दि0 2 नवम्बर, 1983 तक कुल 23 लेखकों की कृतियों के अनुबन्ध बाकी थे । उनकी दरें तथा निर्धारण की तिथियां निम्नवत हैं :—

दर	तिथि
(1) 19.12 रु0 प्रति 300 शब्द	वर्ष 1970
(2) 4.10 रु0 प्रति पृष्ठ तथा 10 प्रतिशत रायल्टी	वर्ष 1956

दरों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में हिन्दी संस्थान को कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

14—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

श्री राम करन सिंह, कृषि सेवा वर्ग—2 देवरिया बीज भंडार का कार्यकाल, मार्गगत क्षतियां, गबन दुर्विनियोग, अनियमितताओं की जांच

15—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ —

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामकरन सिंह, कृषि सेवा वर्ग—2 देवरिया बीज भण्डार पर कब से कब तक कार्यरत रहे हैं, उनके कार्यावधि में कितने रुपये की मार्गगत क्षतियां प्रदर्शित की गई हैं ? उसमें से कितनी क्षतियों का समायोजन प्राप्त हो चुका है तथा कितना अभी भी अवशेष है ? उसके लिए कौन—कौन लोग उत्तरदायी हैं ?

श्री यशपाल सिंह —

श्री रामकरन सिंह, कृषि सेवा वर्ग—2 देवरिया बीज भंडार पर अक्तूबर, 1968 से जून, 1971 तक कार्यरत रहे । उनके कार्य अवधि में 3,83,670.16 रुपये की मार्गगत क्षतियां हुई । इसमें से 23,568.60 रुपए की क्षतियों का समायोजन किया जा चुका है तथा 3,60,101.56 रुपये अभी अवशेष हैं । उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर कोई अधिकारी/कर्मचारी इसके लिए उत्तरदायी नहीं पाया गया है ।

16—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या उपरोक्त प्रभारी के कार्यावधि के लेखों का सम्प्रेक्षण हो चुका है ? यदि हां, तो उसमें कितने रुपये के गबन, दुर्विनियोग तथा वित्तीय अनियमितताओं की सूचना दी गयी है ? उक्त हेतु क्या सम्बन्धित प्रभारी को आरोपित किया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक आरोपित किया जायेगा ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां। सम्प्रेक्षण के फलस्वरूप कृषि बीज भंडार देवरिया सदर पर 73,775.22 रुपये तथा बफर गोदाम सलेमपुर, देवरिया पर 1,00,408.13रु0 के गबन/दुर्विनियोग/अनियमिततायें सूचित की गयी है। इस सम्बन्ध में श्री राम करन सिंह को निलम्बित कर आरोपित किया गया तथा कार्यवाही पूर्ण कर श्री सिंह को कुछ दन्डों के साथ सेवा में पुनः स्थापित कर दिया गया है।

17—श्री प्रियदर्शी जेतली—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

18—श्री प्रियदर्शी जेतली—

[दिनांक 28 फरवरी, 1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या—147 द्वारा उत्तरित।]

19—20—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[दिनांक 7 मार्च, 1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या—140-141 द्वारा उत्तरित।]

रानीखेत तहसील, जनपद अल्मोड़ा में प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों की मरम्मत

21—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत तहसील में सन् 1980 से 1983 तक कितने प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों की मरम्मत हुई है तथा अन्य कितने मरम्मत किये जाने हैं? क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में यह कार्य करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

रानीखेत तहसील, जनपद अल्मोड़ा में सन् 1980 से 1983 तक 106 प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों की मरम्मत की गई है तथा 21 प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों की मरम्मत की जानी है।

यह धन तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

राजकीय कन्या हाई स्कूल, रेहटी, जौनपुर के भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही

22—श्री प्रभू नारायण सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या—19 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सम्बन्धित विद्यालय के भवन का मानचित्र एवं उसकी अनुमानित लागत का ब्यौरा विभाग ने तैयार करा लिया है? यदि हां, तो उस पर कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। किन्तु अभी आगणन सक्षम अधिकारी द्वारा गठित नहीं है।

यह निश्चित रूप से बताना सम्भव नहीं है कि कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा क्योंकि यह अय-व्ययक में धन की उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही के पूर्ण होने पर निर्भर करता है।

मंडी समिति, जौनपुर की निधि से मुफ्तीगंज से गौराबाद शाहपुर मार्ग का निर्माण

23—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के अन्तर्गत पड़ने वाले मुफ्तीगंज से गौराबाद शाहपुर मार्ग का निर्माण मंडी समिति निधि से कराया जा रहा था? क्या यह सत्य है कि उक्त मार्ग का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ कर जनपद के दूसरे मार्ग पर कार्य प्रारम्भ करा दिया गया? यदि हां, तो

किसके आदेश से ऐसा किया गया ? क्या सरकार दोषी कर्मचारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही कर उक्त निर्माणाधीन मार्ग को पूर्ण करायेगी ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां ।

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत पड़ने वाले मुफ्तीगंज से गौराबाद शाहपुर मार्ग पर मन्डी समिति जौनपुर की निधि से ग्राम दखान से ग्राम कुरेथू तक 7-525 कि0मी0 का निर्माण श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित था ।

उक्त मार्ग पर मिट्टी का कार्य एवं पुलिया निर्माण का कार्य पूरा कराया गया पर धन आबंटन के अभाव में खड़ंजा निर्माण का कार्य केवल 4.840 कि0मी0 पर हो पाया ।

यह सही है कि अन्य मंडी समिति क्षेत्र में खड़ंजा कार्य के लिए जो शासकीय अनुदान स्वीकृत हुआ या एन0 आर0 ई0 पी0 के अन्तर्गत जो अनुदान जिला ग्राम विकास अभिकरण को अन्य सड़कों पर खड़ंजा निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत किया गया उससे प्रश्नगत मार्ग से भिन्न मार्गों पर कार्य कराया गया । प्रश्नगत मार्ग के लिए कोई और धन स्वीकृत नहीं था अतः इसके लिए कोई दोषी नहीं है और वर्ष 1983-84 में मन्डी समितियों द्वारा सम्पर्क मार्ग पर खड़ंजा बिछाने की योजना भी समाप्त हो गयी थी ।

माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण और अध्ययन अवकाश की सुविधा दिये जाने का निर्देश

24--श्री प्रभू नारायण सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के दूसरे सोमवार के निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 27 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि क्या सरकार सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं अध्ययन अवकाश की सुविधा शिक्षकों को पूर्ववत् दिलाएगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

बाढ़ या अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त जौनपुर के माध्यमिक विद्यालयों को स्वीकृत आर्थिक सहायता

25--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 186 के उत्तर के सम्बन्ध में बतलाने की कृपा करेंगे कि किसकी लापरवाही के कारण इन विद्यालयों के आवेदन-पत्र शिक्षा निदेशक के कार्यालय में विलम्ब से प्राप्त हुए । क्या यह भी सत्य है कि वर्ष 1982-83 में भी इस जनपद के उन सभी माध्यमिक विद्यालयों को आर्थिक सहायता नहीं स्वीकृत की गई, जिनकी बाढ़ या अतिवृष्टि से क्षति हुई थी ? इस सम्बन्ध में जनपद जौनपुर के किन-किन विद्यालयों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और क्या किसी को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई ? यदि हां, तो उसका मापदन्ड क्या था ?

श्री अम्मार रिजवी--

विलम्ब का दायित्व जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर के कार्यालय के लिपिकों पर है ।

जी नहीं वर्ष 1982-83 में बाढ़ या अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त जौनपुर के 12 माध्यमिक विद्यालयों (1) इ0का0 खपरहा (2) इ0 का0 पतहना (3) इ0 का0 शाहपुर (4) इ0 का0 बदलापुर (5) इ0 का0 महरेवपुरेव (6) इ0 का0 घनश्यामपुर (7) इ0 का0 तेजीबाजार (8) इ0 का0

जमालापुर (9) सरस्वती बालमठ उ0 मा0 वि0 जौनपुर (10) उ0 मा0 वि0 बीरभानपुर (11) इ0 का0 सिरसी (12) उ0 मा0 वि0 मीठेपार के आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे, इन विद्यालयों को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई थी।

विद्यालय के आवेदन-पत्र पर वास्तविक क्षति एवं उसकी अवश्यकता का परीक्षण करते हुए शिक्षा निदेशक की संस्तुति एवं उपलब्ध धनराशि को ध्यान में रखकर स्वीकृति दी गई।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के वाराणसी कार्यालय हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति

26--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् वाराणसी का कार्यालय एक किराए के भवन में चलता है? क्या यह भी सत्य है कि परिषद् के इस कार्यालय में पर्याप्त स्थान न होने से अधिकारियों, कर्मचारियों तथा जनता को घोर असुविधा होती है? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र वाराणसी में परिषद् का अपना भवन बनवायेगी?

श्री अम्मार रिजवी--

हां। माध्यमिक शिक्षा परिषद् वाराणसी का कार्यालय एक किराये के भवन में चलता है। उस भवन में स्थान कम होने के कारण उसके समीपस्थ एक अतिरिक्त भवन कार्यालय हेतु किराये पर ले लिया गया है, जससे स्थान संबंधी कमी से होने वाली असुविधा में आंशिक समाधान हो गया है।

परिषद् के वाराणसी कार्यालय के लये एक भवन का निर्माण करने के संबंध में शासन स्तर से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

काशी विद्यापीठ, वाराणसी में संध्याकालीन स्नातकीय कक्षाओं में शिक्षकों को देय वेतन

27--श्री प्रभुनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि काशी विद्यापीठ वाराणसी में संध्याकालीन स्नातकीय कक्षायें प्रारम्भ करने की स्वीकृति शासन ने दिनांक 19 अप्रैल, 1978 से प्रदान कर दी है? यदि हां, तो क्या स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी गई थी कि योजना पूर्णतया स्वावलम्बी होगी? क्या यह भी सत्य है कि इन कक्षाओं के अध्यापन के लिये नियुक्त 22 शिक्षकों में अधिकांश पी-एच0 डी0 हैं और आज तक पूर्ण और नियमित वेतन नहीं पा रहे हैं? क्या सरकार इन संध्याकालीन स्नातकीय कक्षाओं को स्थायी मान्यता प्रदान कर इन कक्षाओं को पढ़ाने के लिये नियुक्त शिक्षकों की सेवायें नियमित कर स्थायी करेगी?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

जी हां।

सम्प्रति कार्यरत 47 शिक्षकों में से 39 पी-एच0 डी0 हैं, जिन्हें पूर्ण एवं नियमित वेतन नहीं दिया जा रहा है।

यह विषय शासन के विचाराधीन है।

28--श्री प्रभु नारायण सिंह--

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।)

जनपद जौनपुर, विकास क्षेत्र जलालपुर के प्राथमिक शिक्षकों के वेतन से राष्ट्रीय बचत-पत्र खरीदने हेतु काटी गयी धनराशि के भुगतान की मांग

29--श्री प्रभु नारायण सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के चौथे सोमवार के निर्धारित प्रश्नकर्ता के

अतारांकित प्रश्न संख्या 140 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि क्या उक्त कटौती का भुगतान सम्बन्धित अध्यापकों को कर दिया गया ? प्रश्नगत अनियमितता के लिए दोषी कौन था और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

30---31---श्री प्रभू नारायण सिंह---

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।)

विकास खंड जलालपुर, मुफ्तीगंज एवं धर्मापुर में लगाये गये नलकूप

32---श्री प्रभूनारायण सिंह---

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के सातवें सोमवार के प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 134 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त विकास खंडों में लगे इन नलकूपों के ग्राम एवं प्रत्येक की नवीनतम स्थिति से अवगत करायेंगे ? इन नलकूपों के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त वाराणसी की जांच रिपोर्ट क्या है और उक्त जांच के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव---

इस जनपद के विकास खंड जलालपुर मुफ्तीगंज एवं धर्मापुर में गांव सभा नलकूप निम्न संख्या में लगाये गये हैं।

1---जलालपुर	13
2---मुफ्तीगंज	4
3---धर्मापुर	18

इन नलकूपों में से वर्तमान समय के नवीनतम स्थिति के अनुसार प्रत्येक विकास खंड में केवल एक-एक नलकूप कार्यरत है । सब नलकूप बोरिंग असफल होने तथा मैकेनिकल खराबी के कारण बन्द है जिला स्तर पर गठित जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार इन्हें नलकूपों की स्थिति निम्न प्रकार है---

1---विकास खण्ड जलालपुर---

गांव सभा नलकूप बाकराबाद, भूपतपट्टी एवं इजरी की मोटरें चोरी चली गयी हैं ।

गांव सभा नलकूप सरकोनी, बहादुरपुर, ठसौली, प्रधानपुर, बीबनमऊ, दरवेशपुर, महिमापुर एवं मई खराब होकर बन्द हैं ।

गांव सभा नलकूप लालपुर को तहसीलदार केराकत द्वारा बिना स्वीकृत के नीलाम कर दिया गया है । गांव सभा नलकूप कदरहा चल रहा है ।

2---विकास खण्ड मुफ्तीगंज---

गांव सभा नलकूप गद्दोपुर चालू है, नलकूप हनुअ डीह प्रधान की लापरवाही के कारण खराब हो गया । वसूली की कार्यवाही चल रही है, नलकूप बीरमपुर दो बार में चोरी चला गया तथा नलकूप देवकली नीलाम हो गया ।

3---विकास खण्ड धर्मापुर---

गांव सभा नलकूप हौज चालू है ।

गांव सभा नलकूप कबीरउद्दीनपुर, उत्तर पवना, धर्मापुर, मोहिउद्दीनपुर, बमैला एवं धनेजा नीलाम हो चुके हैं ।

गांव सभा नलकूप देवचन्द्र पुर जल निगम को हस्तान्तरित कर दिया गया है ।

गांव सभा नलकूप घटोलिया एवं चारेसंड की मोटरें चोरी चली गयी हैं ।

गांव सभा नलकूप जगदीशपुर, सुल्तानपुर एवं बिशेसरपुर खराब होकर बन्द है ।

गांव सभा नलकूप बजरेपुर कनेक्शन न मिलने के कारण चला ही नहीं एवं लखनपुर नलकूप नहीं लग सका ।

इन सभी नलकूपों की कार्य क्षमता को देखते हुए आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा नीलामी हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। शासन ने उपरोक्त नलकूपों को नीलाम करने के आदेश भेज दिया है।

जनपद जौनपुर के ग्राम सभा धानापुर में स्वीकृत मुसहर बस्ती का निर्माण

33--श्री प्रभूनारायण सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 8वें सोमवार के प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 137 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि क्या उक्त मुसहर बस्ती का निर्माण कराके लाभार्थियों को रहने के लिए दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां। जनपद जौनपुर के विकास खंड मुफ्तीगंज के ग्राम सभा धानापुर स्वीकृत मुसहर बस्ती का निर्माण माह जून 1983 में पूर्ण हो गया था जिसे लाभार्थियों को दे दिया गया है। उक्त बस्ती के आवासों में लाभार्थी तब से ही निवास कर रहे हैं।

जनपद जौनपुर, विकास क्षेत्र जलालपुर, ग्राम पुरेवा के प्रधान को पूर्ण चार्ज न दिए जाने के सम्बन्ध में पत्र

34--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 7 जनवरी, 1983 को जनपद जौनपुर विकास क्षेत्र जलालपुर के ग्राम पुरेवा के प्रधान को पूर्ण चार्ज न दिए जाने से सम्बन्धित पत्र जिलाधिकारी जौनपुर को प्रेषित किया था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर, विकास खंड मुफ्तीगंज के अन्तर्गत पसेवा बांध के निर्माण की कथित योजना

35--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज के अन्तर्गत स्थित पसेवा बांध के निर्माण का कोई योजना बनाकर धन भी अग्रिम कर दिया गया था ? यदि हां तो उक्त बांध के अब तक निर्मित न कराए जाने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं।

जनपद जौनपुर के विकास खंड मुफ्तीगंज के अन्तर्गत पसेवा गांव में बांध के निर्माण की कोई योजना नहीं बनी है और न ही इसके लिए कोई धनराशि अग्रिम के रूप में दी गयी है।

सी० टी० वेतनक्रम में नियुक्त व्यायाम शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता रखते हुए भी पदोन्नति का प्राविधान

36--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि सी० टी० वेतनक्रम में नियुक्त व्यायाम शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता रखते हुए भी उच्च वेतनक्रम में पदोन्नति का प्राविधान नहीं है ? क्या सरकार अन्य शिक्षकों की भांति इन्हें भी पदोन्नति का अवसर प्रदान करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं, प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर के कार्यालय का जीर्ण-शीर्ण भवन

37--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि सरकारी भवन के अभाव में जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर का कार्यालय एक कम स्थान वाले किराए के मकान में चलता है ? क्या यह सत्य है कि जौनपुर नगर में ही शिक्षा विभाग का अपना भवन है, जहां विभाग के समस्त कार्यालय चलाए जा सकते हैं ? यदि हां, तो उक्त भवन में जनपद में स्थित शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालय कब तक स्थानान्तरित कर दिए जायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां। जौनपुर नगर में शिक्षा विभाग के राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय भवन के जीर्ण-शीर्ण होने के कारण फिलहाल वहां विभाग के समस्त कार्यालय नहीं चलाये जा सकते हैं। प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कोई अवधि बताना सम्भव नहीं है।

बी0 डी0 ओ0, शाहाबाद, जनपद रामपुर के विरुद्ध दिये गये पत्र पर कार्यवाही

38--श्री रियासत हुसैन--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती पत्र बी0 डी0 ओ0, शाहाबाद, जनपद रामपुर के विरुद्ध जिलाधिकारी, मुरादाबाद को दिनांक 28-5-83 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां।

खण्ड विकास अधिकारी पर जिलाधिकारी द्वारा 30-5-83 तक मुख्यालय से बाहर जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट का शैक्षिक प्रमाण-पत्र न भेजे जाने कारण

39--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1978 से सन् 1982 तक के हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट के शैक्षिक प्रमाण पत्र किन कारणों से माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने दिनांक 30 अक्तूबर, 1983 तक परीक्षार्थियों को नहीं भेजे हैं और कौन इसके लिये उत्तरदायी है तथा निश्चित रूप से कब तक ये प्रमाण पत्र भेज दिये जायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

राजकीय मुद्रणालय द्वारा सादे प्रमाण पत्रों के समय से उपबन्ध न कराये जा सकने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। वर्ष 1978 की परीक्षा के सादे प्रमाण पत्रों की आपूर्ति अब अधिकांशतः हो गयी है, जबकि वर्ष 1979 व 1980 की परीक्षा के सादे प्रमाण पत्र अभी तक मुद्रणालय से उपलब्ध नहीं हो पाये हैं। सादे प्रमाण पत्रों की उपलब्धता में शीघ्रता कराने का हर सम्भव प्रयास किया गया और अब भी किया जा रहा है। वर्ष 1978 की परीक्षा के प्रमाण पत्रों के जून 1984 के अन्त तक भेज दिये जाने हेतु प्रयास प्रगति में है। वर्ष 1981 वर्ष 1982 की परीक्षाओं के यंत्रीकृत प्रणाली द्वारा मुद्रित प्रमाण-पत्र सम्बन्धित विद्यालयों को समय से ही भेजे जा चुके हैं।

राज्य के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में एम0 पी0 एड0 की शिक्षा की व्यवस्था तथा प्रवक्ताओं की शैक्षिक योग्यता

40--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के किस विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में एम0 पी0

एड0 की शिक्षा की व्यवस्था है और यदि इसकी समुचित व्यवस्था नहीं है तो फिर महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शारीरिक निदेशकों एवं शारीरिक प्रवक्ताओं की शैक्षिक योग्यता एम0 पी0 एड0 क्यों रखी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

राज्य के किसी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में एम0 पी0 एड0 की शिक्षा की व्यवस्था सम्प्रति नहीं है। लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयुक्त कालेज, लखनऊ क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ को एम0 पी0 एड0 कक्षाओं के संचालन हेतु क्लियरेन्स प्रदान की गयी है। विश्वविद्यालय/कुलपति से सम्बद्धता मिलने पर ही कक्षायें संचालित किया जाना सम्भव हो सकेगा।

राज्य के शिक्षा विभाग में सम्प्रति लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से सहयुक्त महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के प्राध्यापक के पद के लिये निम्नांकित न्यूनतम अर्हतायें निर्धारित की गयी हैं --

(क) मास्टर आफ फिलासफी की उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि के स्तर से अधिक की कोई मान्यता प्राप्त उपाधि या प्रकाशित रचना जिससे अभ्यर्थी की स्वतन्त्र रूप से अनुसंधान कार्य करने की क्षमता प्रदर्शित होती हो; और

(ख) शारीरिक शिक्षा में प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि सहित अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख।

महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के अध्यापक के पद के लिए उपरोक्त अर्हतायें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निदेशानुसार रखी गयी हैं।

उद्यान विभाग (पर्वतीय) में आई0 आर0 ई0 पास कर्मचारियों को लेखाकार के पदों पर न करने का औचित्य

41--श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उद्यान विभाग (पर्वतीय) में कितने कर्मचारी आई0 आर0 ई0 पास हैं एवं उनमें से कितनों को लेखाकार पदों पर नियुक्त किया गया है ? यदि सभी को नियुक्त नहीं किया गया है, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

केवल दो कर्मचारी आई0 आर0 ई0 पास हैं किन्तु अर्ह न होने के कारण लेखाकार के पद पर किसी को भी नहीं किया गया है।

जनपद आजमगढ़ में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वेतन का भुगतान

42--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में अप्रैल, 1982 से अक्तूबर, 1983 तक प्रत्येक माह में अलग-अलग कौन से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनके शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन का भुगतान आगामी माह की 20 तारीख के बाद किया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

आजमगढ़, वाराणसी, लखनऊ तथा अलीगढ़ जनपदों में जूनियर हाई स्कूल परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं पर व्यय

43--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983 को जूनियर

हाई स्कूल परीक्षा में सादी उत्तर पुस्तिकाओं के क्रय में आजमगढ़, वाराणसी, लखनऊ तथा अलीगढ़ जनपदों में प्रति छात्र अलग-अलग क्या व्यय हुआ ?

श्री अम्मार रिजवी--

लखनऊ जनपद में प्रति छात्र दो रुपया 82 पैसा और वाराणसी जनपद में प्रति छात्र तीन रुपया 28 पैसा व्यय हुआ ।

शेष जनपदों से सूचना प्राप्त की जा रही है ।

श्री शिव पूजन यादव, ग्राम प्रधान आराजी नववारार करखिया, जनपद आजमगढ़ का ग्राम पंचायत सेवक के विरुद्ध शिकायती पत्र

44--श्री पंचानन राय--

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिवपूजन यादव, ग्राम प्रधान आराजी नववारार करखिया, विकास खण्ड हरैया, जनपद आजमगढ़ का उक्त गांव के ग्राम पंचायत सेवक के विरुद्ध शिकायत-पत्र दिनांक 18-8-83 प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 27-8-83 के साथ जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां। शिकायती-पत्र की जांच क्षेत्रीय खण्ड विकास अधिकारी हरैया, जनपद, आजमगढ़ से करायी गई थी। जांच में शिकायतें निराधार पायी गई। सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी का स्थानान्तरण दूसरी न्याय पंचायत में कर दिया गया है।

राजकीय विद्यालयों को मान्यता प्रदान किये जाने का आधार

45--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा इन्टर कालेजों को मान्यता माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदान की जाती है ? यदि नहीं, तो इन्टरमीडिएट ऐक्ट के किन प्रविधानों के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों को मान्यता प्रदान की जाती है ? यदि ऐसा नहीं होता तो सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों के बीच इस भेदभाव पूर्ण नीति का क्या औचित्य है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, व्यवस्था यही है।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरैया विकास खण्ड में सहनूपुर बनियापार कल्यानपुर संपर्क मार्ग के निर्माण से संबंधित पत्र

46--श्री पंचानन राय--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित हरैया विकास खण्ड में सहनूपुर-बनियापार-कल्यानपुर संपर्क मार्ग से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-4-83 जिला विकास अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण आजमगढ़ की गवर्निंग बाडी की बैठक दिनांक 1 जून, 1983 में लिए गए निर्णय के अनुसार हरैया विकास खण्ड राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के कार्यों के लिए जिला परिषद् को आवंटित किया गया जिसके फलस्वरूप संदर्भित पत्र का उल्लिखित कार्य अधिशासी अभियन्ता,

जिला परिषद् को वरीयता क्रम में धन की उपलब्धता के आधार पर निर्माण कराने हेतु दिया जा चुका है। अभी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है।

प्राइमरी पाठशाला, हरसिंहपुर विकास खंड अजमतगढ़, जनपद आजमगढ़ में अध्यापिका की व्यवस्था

47--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कन्या प्रा0 पाठशाला, हरसिंहपुर विकास खंड अजमतगढ़, जनपद आजमगढ़ में एक ही अध्यापिका होने से पठन-पाठन में हानि से सम्बन्धित प्रश्न-कर्ता का पत्र दिनांक 17-4-1983 बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

एक और अध्यापिका की व्यवस्था कर दी गयी है। इस प्रकार उक्त विद्यालय में इस समय दो अध्यापिकायें कार्यरत हैं।

मन्डी समिति, नौगढ़ के अन्तर्गत कस्बा उस्का बाजार उपमन्डी से वर्षवार आमदनी का विवरण

48--श्री मथुरा प्रसाद पान्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के मंडी समिति नौगढ़ के अन्तर्गत कस्बा उस्का बाजार से सन् 1980 से अब तक वर्षवार कितनी-कितनी आमदनी हुई और कस्बा उस्का बाजार मंडी समिति द्वारा कौन-कौन से काम कराए गए और उस पर कितना व्यय हुआ ?

श्री यशपाल सिंह--

मन्डी समिति, नौगढ़ के अन्तर्गत कस्बा उस्का बाजार उपमन्डी से सन् 1980 से अब तक वर्षवार आमदनी का विवरण निम्नवत् है :--

वर्ष	आमदनी रु0
1980-81	1,82,128.26
1981-82	1,74,092.69
1982-83	1,52,649.00

मंडी समिति द्वारा उस्का बाजार उपमंडी स्थल में कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। कस्बा उस्का बाजार में सन् 1980 से अब तक सुख-सुविधा मद के अन्तर्गत व्यय का विवरण निम्नवत् है :--

वर्ष	आमदनी रु0
1980-81	3,989.00
1981-82	3,437.50
1982-83	3,124.50

कृषि विपणन निदेशालय नामक नये निदेशालय की स्थापना

49--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 15 जुलाई 1976 के शासनादेशों में कृषि विपणन नामक निदेशालय स्थापित करने के आदेश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो 6 वर्षों के पश्चात् कृषि विपणन निदेशालय का गठन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री यशपाल सिंह--

दिनांक 14 जुलाई, 1976 के शासनादेश द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 1976 से कृषि विपणन निदेशालय नामक एक नये निदेशालय की स्थापना की गयी है। इसी शासनादेश द्वारा निदेशालय का गठन किया जा चुका है।

श्री तेजपाल सिंह, सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक, बिंदकी, जनपद फतेहपुर की सेवा पुस्तिका तथा सम्पूर्ण देय धन के भुगतान की मांग

50—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री तेजपाल सिंह, सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक, बिंदकी, जनपद फतेहपुर की सेवा पुस्तिका को भूमि संरक्षण अधिकारी, उरई द्वारा अपने पत्र संख्या 8632 एम0 2 वर्ग 3/78-79, दिनांक 18 जनवरी, 1979 के द्वारा अतिरिक्त कृषि निदेशक, भू0 सं0 लखनऊ की स्वीकृति के पश्चात् महालेखाकार इलाहाबाद को भेजने हेतु भेजा था ? यदि हां, तो क्या आज तक सेवा पुस्तिका वापस नहीं आई है, जिस कारण उक्त कर्मचारी को वेतन आदि न मिल पाने के कारण भुखमरी स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, यदि हां, तो क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सम्पूर्ण देय धन का भुगतान शीघ्र करने के आदेश देगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां । श्री तेजपाल सिंह की सेवा पुस्तिका अभी तक महालेखाकार से प्राप्त नहीं हुई है । श्री सिंह नये वेतनमान में अपना वेतन प्राप्त कर रहे हैं । महालेखाकार से प्री आडिट के बिल तथा सेवा पुस्तिका वापस प्राप्त होने पर श्री सिंह को सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा ।

ग्राम सभा कुतुआपुर, हरदोई में सम्पर्क मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में पत्र

51—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा कुतुवापुर, हरदोई के प्रधान एवं पंच मंडल से हस्ताक्षरित पत्र दिनांक क्रमशः 12-7-1982, 28-7-1982, 24-9-1982, 5-10-1982, 6-11-1982, 13-11-1982, 28-1-1983 तथा 9-3-1983 को अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास) हरदोई को ग्राम सभा में सम्पर्क मार्गों के निर्माण एवं अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो अब तक उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

ग्राम सभा कुतुआपुर, हरदोई के प्रधान के प्रार्थना पत्र दिनांक 24-9-1982, 25-9-1982, 28-1-1983 प्राप्त हुए हैं । इन पत्रों में ग्राम सभा कुतुआपुर तहसील बिलग्राम तक जाने की समस्या दर्शायी गयी है । इस सम्पर्क मार्ग निर्माण के लिए सर्वेक्षण कराया जा चुका है । जिला ग्राम विकास अभिकरण, प्रबन्धक निकाय की आगामी बैठक में इस कार्य को कराये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा ।

राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवासों में बिजली व पानी की सुविधा

52—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवासों में बिजली व पानी की सुविधा नहीं उपलब्ध की गयी है ? क्या सरकार उक्त कर्मचारियों के आवासों में बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

यह सुविधा पूर्व से ही उपलब्ध है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला परिषदों की भूमिका के निर्धारण हेतु स्वीकृत धनराशि

53--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकेन्द्रित योजना के अन्तर्गत जिला परिषदों की भूमिका का निर्धारण कैसे किया गया है ? क्या यह सही है कि जिला परिषद हरदोई द्वारा लगभग 56 लाख रुपये की मांग उक्त योजना के अधीन ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत की गयी है ? यदि हां, तो अब तक स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मैदानी क्षेत्र में जिला परिषदों की योजनाओं का अभी जिला सेक्टर में सम्मिलित नहीं किया गया है। जिला परिषद्, हरदोई द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 56 लाख रु0 की नहीं बल्कि 61,08,700 रु0 की मांग की गयी थी, जिसके विरुद्ध डी0 आर0 डी0 ए0 के माध्यम से धन की उपलब्धता के अनुसार वर्ष 1983-84 में 9,63,400 रु0 की धन की स्वीकृति की गयी है।

श्री जम्मन लाल शर्मा, उप निदेशक, खेलकूद द्वारा लखनऊ एवं मेरठ छात्रावास के छात्रों को प्रतियोगिता में दी गयी धनराशि

54--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय द्वारा संचालित हाकी छात्रावास, लखनऊ के छात्र श्री आर0 ए0 रिजवी एवं श्री अनिल कुमार शर्मा को खेलकूद उप निदेशक श्री जम्मन लाल शर्मा द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर, 1982 से दिनांक 21 दिसम्बर, 1982 तक मेरठ में आयोजित मोदी गोल्ड कप टूर्नामेन्ट में एवं मेरठ हाकी छात्रावास के छात्र श्री इनायत अली, श्री पी0 एस0 भंडारी, ए0 डी0 सरदार अली को 28 दिसम्बर, 1982 से 10 जनवरी, 1983 तक दिल्ली में आयोजित नेहरू हाकी प्रतियोगिता में एक निजी कम्पनी की टीम मोदी एकादश की ओर से खिलवाया गया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त छात्रों द्वारा पेशेवर खिलाड़ी के रूप में मोदी एकादश का प्रतिनिधित्व करने हेतु शासन से स्वीकृति प्राप्त की गयी थी तथा उक्त प्रतियोगिता के आयोजकों द्वारा कितनी धनराशि प्रत्येक खिलाड़ी एवं निदेशालय को अलग-अलग प्राप्त हुई ?

वन एवं खेलकूद राज्य मंत्री (श्री संजय सिंह)--

यह सत्य नहीं है कि श्री जमन लाल शर्मा, उपनिदेशक, खेलकूद द्वारा लखनऊ एवं मेरठ छात्रावास के छात्रों को मोदी गोल्ड कप टूर्नामेन्ट तथा नेहरू हाकी प्रतियोगिता में एक निजी कम्पनी की टीम मोदी एकादश की ओर से खिलवाया गया। छात्रों को नौकरी की सुविधा तथा खेल में निखार का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रश्नगत प्रतियोगिता में सम्बन्धित क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी द्वारा छात्रों को भेजा गया था। शासन की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी। मेसर्स मोदी रबर देश की प्रतिष्ठित कम्पनी है और खिलाड़ियों को अपने यहां नौकरी पर रखती है इसलिए इंगित छात्रों को वहां ट्रायल्स के रूप में खेलने के लिए भेजा गया था। इन छात्रों को केवल आने-जाने का मार्ग व्यय तथा भोजन व्यय की धनराशि ही प्राप्त हुई। खेलकूद निदेशालय का किसी प्रकार की धनराशि प्राप्त होने का प्रश्न नहीं उठता।

55—श्री राम आसरे वर्मा—

[दिनांक 5 मार्च, 1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या 110 द्वारा उत्तरित ।]

जनपद हरदोई के हामिद अली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गबन तथा इन्टर की अनधिकृत कक्षाएं चलाने तथा अवैध धन वसूल किए जाने की जांच

56—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिसम्बर, 1981 में जनपद हरदोई के हामिद अली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिहानी की जांच लेखाधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की गयी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि गबन का आरोप सिद्ध होने पर उक्त अधिकारियों द्वारा कैश बाक्स सील्ड किया गया था ? क्या जांच रिपोर्ट शासन को प्रेषित की गयी ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

इस विद्यालय की जांच आन्तरिक सम्प्रेक्षण इकाई द्वारा करायी गयी ।

जांच की अवधि में प्रधानाचार्य के अवकाश पर होने के कारण कैश बाक्स सील किया गया था ।

जांच रिपोर्ट अभी शासन को प्रेषित नहीं की गयी । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

57—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में वर्ष 1982-83 में इन्टर की अनधिकृत कक्षाएं चलाए जाने एवं अवैध धन वसूल किए जाने के सिलसिले में श्री प्रकाश चन्द्र बाजपेयी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र सितम्बर, अक्तूबर, 1982 में उपनिदेशक शिक्षा, लखनऊ मण्डल लखनऊ को दिया गया ? यदि हां, तो उस पर कार्यवाही क्या हुई ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कृषि प्रसार डिप्लोमाधारियों को कृषि विभाग ग्रुप 3 में नियुक्ति हेतु प्राथमिकता

58—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि प्रसार डिप्लोमाधारियों को वर्ष 1980 तक कृषि विभाग में ग्रुप 3 में नियुक्ति हेतु प्राथमिकता दी जाती रही है ? यदि हां, तो 1980 के बाद उक्त पदों पर बी० एस-सी० (कृषि) अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति किये जाने का औचित्य क्या है ? क्या डिप्लोमाधारियों की नियुक्ति हेतु शासन किन उपायों पर विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां । वर्ष 1980 के बाद बी० एस-सी० (कृषि) के अभ्यर्थियों की ही नहीं बल्कि उक्त पदों पर कृषि प्रसार डिप्लोमाधारकों की भी नियुक्ति की गयी है । भविष्य में भी डिप्लोमाधारकों की नियुक्ति करने के निर्देश शासन द्वारा जारी किये जा चुके हैं ।

जिला पंचायत राज अधिकारी, हरदोई द्वारा जिला परिषद् हरदोई के नाम जारी किये गये चेक

59—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में जिला पंचायत राज अधिकारी, हरदोई द्वारा जिला परिषद्, हरदोई के अभियन्ता के नाम कितनी धनराशि के चेक जारी किए गए हैं और अभियन्ता द्वारा कितनी धनराशि जिला निधि खा

में जमा करायी गयी है ? यदि धनराशि को जिला निधि खाते में जमा नहीं कराया गया है तो गबन के इस कृत्य पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में जिला पंचायत राज अधिकारी, हरदोई द्वारा जिला परिषद्, हरदोई के अभियन्ता के नाम क्रमशः 67,068.74 रु० व 2,31,772.10 रु० की धनराशि के चेक जारी किये गये थे। अभियन्ता द्वारा यह धनराशि जिला निधि खाते में जमा नहीं करायी गयी है। इस मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

जनपद मुरादाबाद के फूलवती कन्या इंटर कालेज की प्राइमरी विभाग की अध्यापिकाओं के वेतन का निर्धारण

60--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुरादाबाद से फूलवती कन्या इंटर कालेज, (प्राइमरी विभाग) की अध्यापिकाओं के वेतन वितरण अधिनियम, 1972 के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने श्री राम प्रकाश दीक्षित, जिला मन्त्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, मुरादाबाद के प्रार्थना-पत्र पर दिनांक 12 सितम्बर, 1982 को कोई आदेश किये हैं ? यदि हां, तो आदेश क्या हैं और उनका क्रियान्वयन कहां तक किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्नगत पत्र उपलब्ध नहीं हो पाया, अतः कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कुछ बताना सम्भव नहीं है। इस इंटर कालेज के साथ प्राइमरी कक्षाएं सम्बद्ध न होने के कारण प्राइमरी कक्षाओं की अध्यापिकाओं के वेतन वितरण हेतु प्राइमरी सेक्शन को वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत नहीं लिया जा सका।

इंटरमीडिएट परीक्षा के व्यक्तिगत परीक्षार्थी श्री बची राम का परीक्षाफल घोषित न किये जाने का कारण

61--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1982 में जनपद हरदोई के भगवान बुद्ध इंटर कालेज, सण्डीला परीक्षा केन्द्र से इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल व्यक्तिगत अभ्यर्थी श्री बची राम अनुक्रमांक 453561 का परीक्षाफल घोषित न किये जाने के क्या कारण हैं और परीक्षाफल कब तक घोषित कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्नगत परीक्षार्थी के साहित्यिक हिन्दी तृतीय के अंक उपलब्ध न होने के कारण परीक्षाफल अपूर्ण था। उसे पूर्ण करके सूचना सम्बन्धित पंजीकरण केन्द्र को दिनांक 29 सितम्बर, 1983 को भेजी जा चुकी है।

बेसिक शिक्षा परिषद् के सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री लाल बहादुर सिंह तथा श्री रामपाल सिंह को पेंशन पर देय राहत सुविधा के सम्बन्ध में पत्र

62--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन पर राहत की सुविधा से बेसिक शिक्षा परिषद्, हरदोई के 1973 में सेवानिवृत्त प्रधान लिपिक, श्री लाल बहादुर सिंह एवं 1977 में सेवानिवृत्त श्री रामपाल सिंह को वंचित रखा जा रहा है ? क्या यह सही है कि उक्त दोनों सेवा निवृत्त कर्मचारियों द्वारा 30 सितम्बर, 1982, 6 नवम्बर, 1982, 11 अप्रैल, 1983 तथा 21 जुलाई, 1983 में बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद को देय राहत सुविधा के

भुगतान के सिलसिले में प्रार्थना-पत्र भी दिये गये हैं ? यदि हां, तो उन पर कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला पंचायत राज अधिकारी के विभागीय पदोन्नतियों से भरे गये पद तथा श्री क्षेत्रपाल सिंह की उक्त पद पर प्रोन्नति न किये जाने का औचित्य

63--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982 और 1983 में जिला पंचायत राज अधिकारी के कितने पद विभागीय पदोन्नतियों से भरे गये हैं तथा पदोन्नत अधिकारियों के नाम क्या हैं ? क्या यह सही है कि उक्त पदोन्नतियां ज्येष्ठ अभ्यर्थियों को छोड़कर कनिष्ठ अधिकारियों को ही की गयी हैं ? यदि नहीं, तो हरदोई जनपद के ब्लाक मल्लावां के खंड विकास अधिकारी, श्री क्षेत्रपाल सिंह जो अब कछौना में तैनात हैं, को पदोन्नत न किये जाने के क्या कारण हैं और उसके लिये कौन उत्तरदायी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

वर्ष 1982 में 16 पद तथा 1983 में 12 पद जिला पंचायत राज अधिकारी के विभागीय पदोन्नतियों से भरे गये हैं । पदोन्नत अधिकारियों के नाम वर्षवार संलग्न† हैं । विभागीय पदोन्नतियां ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर की गयी हैं । ज्येष्ठ अभ्यर्थियों को छोड़कर किसी भी कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति उक्त पद पर नहीं की गयी है । जनपद हरदोई के विकास खंड मल्लावां के तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री क्षेत्रपाल सिंह की जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर प्रोन्नति वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 में उनकी चरित्र पंजिका में अंकित प्रतिकूल प्रविष्टि के कारण नहीं की गयी है । श्री सिंह को प्रोन्नत न करने हेतु कोई भी अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है । अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

†छापे नहीं गये ।

सीनियर बेसिक विद्यालय, बिजनौर, जिला लखनऊ के अध्यापक श्री सैयद सादिक हुसैन को पेंशन का भुगतान

64--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि सीनियर बेसिक विद्यालय, बिजनौर, जिला लखनऊ के अध्यापक श्री सैयद सादिक हुसैन, सितम्बर, 1971 में सेवा निवृत्त हुए थे ? क्या यह सही है कि अक्तूबर, 1976 तक पेंशन देने के उपरान्त अचानक मृत घोषित कर दिया गया ? उप-विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ को अपने जीवित रहने के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उनको मार्च, 1980 से फरवरी, 1983 तक की पेंशन का भुगतान तो कर दिया गया लेकिन नवम्बर, 1976 से फरवरी, 1980 तक की पेंशन का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त के लिये कौन अधिकारी दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? कब तक अवशेष पेंशन का भुगतान उनको कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्री सादिक हुसैन, सहायक अध्यापक, सीनियर बेसिक विद्यालय, बिजनौर, जनपद लखनऊ, दिनांक 27 सितम्बर, 1970 को सेवा निवृत्त हुये थे उन्हें 28 सितम्बर, 1970 से पेंशन स्वीकृत करने के उपरान्त नियमित रूप से पेंशन का भुगतान किया जाता रहा । श्री सादिक हुसैन एक लम्बे अन्तराल तक अपनी पेंशन प्राप्त करने हेतु भौतिक

सत्यापन कराने के उपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये। अतः पेंशन का भुगतान नहीं दिया गया। जब वे भौतिक सत्यापन के पश्चात् पुनः उपस्थित हुए तो उन्हें मार्च, 1980 से नियमित पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। श्री सादिक हुसैन को नियमानुसार देय अवशेष पेंशन की धनराशि का भी भुगतान किया जा चुका है।

इसके लिये कोई दोषी नहीं है अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

भूमि संरक्षण विभाग (कृषि) में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये ग्राम सेवकों का विलीनीकरण

65—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1963 में जो 100 ग्राम सेवक प्रतिनियुक्ति पर भूमि संरक्षण विभाग (कृषि) में भेजे गये थे क्या उनका विलीनीकरण कृषि विभाग में हो गया है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्या विलीनीकरण का प्रकरण शासन के विचाराधीन है?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं।

विलीनीकरण का प्रकरण विचाराधीन है।

पेयजल हरिजन कूपों के रख-रखाव हेतु व्यवस्था

66—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ब्लाकों के माध्यम से बनाये जाने वाले पेयजल हरिजन कूपों के रख-रखाव हेतु कोई व्यवस्था की गयी है? यदि नहीं, तो क्या इस पर विचार करेंगे?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज ऐक्ट, 1947 के अध्याय 4 की धारा 15 के अनुसार कूपों के निर्माण कार्य के पूर्ण हो जाने के पश्चात् उनका रख-रखाव, ग्राम पंचायतों द्वारा नियमानुसार किया जाता है।

स्वर्गीय श्री देव नारायण त्रिपाठी के पुत्र श्री दिलीप कुमार त्रिपाठी को शिक्षा विभाग में समायोजित किये जाने पर विचार

67—श्री श्याम लाल वाजपेयी—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री देव नारायण त्रिपाठी, सहायक अध्यापक, जूनियर बेसिक विद्यालय, लाही, ब्लाक त्रिवेदीगंज, जिला बाराबंकी की मृत्यु सेवाकाल में 23 जनवरी, 1982 को हो गयी थी? यदि हां, तो क्या शासन शासनादेश के तहत स्वर्गीय त्रिपाठी के इंटर पास पुत्र श्री दिलीप कुमार त्रिपाठी को बाराबंकी शिक्षा विभाग में समायोजित करने पर विचार कर रहा है? यदि हां, तो कब तक समायोजित कर दिया जायेगा? क्या प्रश्नकर्ता का सम्बन्धित विषय पर दिनांक 7 नवम्बर, 1983 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

बेसिक शिक्षा परिषद्, बाराबंकी में कोई पद रिक्त नहीं है। अतः श्री दिलीप कुमार त्रिपाठी को अभी नियुक्त किया जाना संभव नहीं है।

जी हां।

मामले में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु शिक्षा निदेशक को निर्देश दे दिये गये हैं।

जनपद मिर्जापुर के चोल्ह–गोपीगंज मार्ग पर अवैध कब्जा हटाने हेतु कथित आदेश

68—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के चोल्ह–गोपीगंज मार्ग 9–9 कि0 मी0 पर अवैध कब्जा हटाने हेतु शासन से दिनांक 28 मार्च, 1983 के कोई आदेश जिलाधिकारी, मिर्जापुर को जारी किया गया ? यदि हां, तो क्या उस आदेश का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महात्मा सर्वेश पूर्व माध्यमिक विद्यालय, मालपुर सैनी, सुल्तानपुर के प्रबन्धक श्री सत्य नारायण मिश्र का त्याग–पत्र

69—श्री मित्रसेन—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि महात्मा सर्वेश पूर्व माध्यमिक विद्यालय, मालपुर सैनी, सुल्तानपुर एक मान्यताप्राप्त विद्यालय है जिसके प्रबन्धक श्री सत्य नारायण मिश्र हैं, जो हलियापुर, सुल्तानपुर इंटर कालेज के प्रधानाचार्य हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि नियमानुसार किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय का प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, अध्यापक दूसरे मान्यताप्राप्त विद्यालय की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी नहीं हो सकते हैं ? यदि हां, तो इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

श्री सत्य नारायण मिश्र दिनांक 19 जून, 1983 तक प्रबन्धक थे । अब नहीं हैं ।

जी हां ।

श्री सत्य नारायण मिश्र ने प्रबन्धक पद से त्याग–पत्र दे दिया है जो दिनांक 20 जून, 1983 से प्रभावी हो चुका है । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा सेमरा, विकास खंड हरिगटनगंज, जनपद फैजाबाद में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित व्यक्ति

70—श्री मित्रसेन—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1980–81 में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के ग्राम सभा सेमरा, विकास खंड हरिगटनगंज, जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत किन–किन व्यक्तियों को उक्त योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया ? क्या यह भी सही है कि कुछ ऐसे व्यक्तियों को उक्त योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है जो इसके पात्र नहीं थे ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ग्राम सभा सेमरा, विकास खंड हरिगटनगंज, जनपद फैजाबाद में वित्तीय वर्ष 1980–81 में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को लाभान्वित नहीं किया गया । अतः अपात्र लाभार्थियों के लाभान्वित किये जाने के मामले पर जांच करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के बेसिक शिक्षकों को सी0 डी0 एस0 के पुराने खातों की राशि का भुगतान

71—श्री मित्रसेन तथा भोखालाल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चन्त (सी0 डी0 एस0)

पुराने खाते का भुगतान आजमगढ़ जनपद के बेसिक शिक्षकों को किया गया है ? यदि हां, तो शेष धनराशि कैसे पड़ी है तथा उनका भुगतान किन कारणों से नहीं किया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी--

आजमगढ़ जनपद से अन्य जनपदों को स्थानान्तरित तथा मृतक शिक्षकों को छोड़कर शेष समस्त अध्यापकों को सी0 डी0 एस0 के पुराने खाते की धनराशि का भुगतान किया गया है।

जनपद आजमगढ़ से बाहर अन्य जनपदों को स्थानान्तरित एवं मृतक कर्मचारियों की धनराशि का भुगतान न हो पाने के कारण धनराशि शेष है। शेष धनराशि का भुगतान कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

विकास खन्ड मवई, जिला बाराबंकी में कार्यरत बोरिंग मैकेनिकों का वेतन निर्धारण

72--श्री मित्रसेन--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री जी को ज्ञात है कि विकास खंड मवई, जिला बाराबंकी में कार्यरत बोरिंग मेकेनिकों का वेतन निर्धारण नये वेतनमान में अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है, तथा इनका वेतन निर्धारण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

विकास खंड, मवई, जनपद, बाराबंकी में कार्यरत बोरिंग मेकेनिकों का वेतन नये वेतनमान में निर्धारित कर दिया गया है।

ग्राम लीलाखेड़ा, जनपद लखनऊ में जूनियर हाई स्कूल स्तर का विद्यालय चालू करने तथा भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र

73--श्री मित्रसेन--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम लीलाखेड़ा थाना व डाकखाना काकोरी, जनपद लखनऊ के ग्रामवासियों का एक प्रार्थना-पत्र ग्राम में जूनियर हाई स्कूल स्तर का विद्यालय चालू करने तथा उसका भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धनीराम सिंह नेगी, एम0 एल0 सी0 व श्री मान्धाता सिंह, एम0 एल0 सी0 के पत्रों सहित उन्हें दिनांक 5-4-83 व 14-4-83 को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

श्री धनीराम सिंह नेगी, एम0 एल0 सी0 का उक्त पत्र व श्री मान्धाता सिंह एम0 एल0 सी0 के पत्र के साथ प्राप्त ग्रामवासियों का पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया। माननीय विधायकों को उनके पत्रों का उत्तर भी दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

आचार्य नरेन्द्र देव प्रौद्योगिक एवं कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद का लेखा परीक्षण तथा आडिट आपत्तियां

74--श्री मित्रसेन--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आचार्य नरेन्द्र देव प्रौद्योगिक एवं कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद का वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 का लेखा परीक्षण किया गया है ? यदि हां, तो लेखा परीक्षकों द्वारा कितनी अन्तरिम एवं कितनी स्पेशल आडिट आपत्तियां उठाई गई हैं तथा इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार ठहराये गये हैं एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती बेनी बाई--

जी हां।

वर्ष 1980-81 में 1226 अन्तरिम आपत्तियां तथा वर्ष 1981-82 में 933

अन्तरिम आपत्तियां उठाई गईं। स्पेशल आपत्तियां एक भी नहीं थीं उपर्युक्त आपत्तियों में कुछ का निस्तारण हो गया। किन्तु अभी तक कोई ऐसा बिन्दु नहीं मिला, जिसमें कोई कर्मचारी दोषी हो।

75--श्री कुंवर सिंह नेगी--

[दिनांक 7-3-1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या 175 द्वारा उत्तरित]

76--श्री कुंवर सिंह नेगी--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

जनपद चमोली में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में अधिशासी अभियन्ता के पद-सृजन का कथित प्रस्ताव

77--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में अधिशासी अभियन्ता के पद-सृजन करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक वहां पर अधिशासी अभियन्ता का पद सृजित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद चमोली में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा कतिपय जूनियर हाई स्कूलों के भवनों का निर्माण

78-- श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा जूनियर हाई पाखी (गरुड़ गंगा) विकास क्षेत्र जोशीमठ, जू0 हा0 पीपल कोटी, विकास क्षेत्र दशोली, जू0 हा0 बाजवगढ़, विकास क्षेत्र घाट, जू0 हा0 सीतापुर विकास क्षेत्र ऊखीमठ, जू0 हा0 स्कूल सरमोला, विकास क्षेत्र पोखरी के भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है? यदि हां, तो इन पर कार्य कब से कराया जा रहा है, कितना धन व्यय हो चुका है और 15 जुलाई, 1983 तक कार्य की क्या प्रगति है? क्या कार्य निर्धारित अवधि तक पूर्ण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है और कब तक कार्य पूर्ण हो जायेगा?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां।

जनपद चमोली में जू0 हा0 पाखी (गरुड़ गंगा) विकास क्षेत्र जोशीमठ का कार्य अप्रैल, 1980 में प्रारम्भ कराया गया था। इस पर अब तक 0.50 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। जू0 हा0 पीपल कोटी, विकास खन्ड दशोली का कार्य जनवरी, 1981 में प्रारम्भ किया गया था। इस कार्य पर 0.20 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। जू0 हा0 बाजवगढ़, विकास क्षेत्र घाट का कार्य मई, 1980 में प्रारम्भ किया था। इस भवन पर 2.30 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं।

जूनियर हाई स्कूल सीतापुर, विकास क्षेत्र ऊखीमठ तथा जू0 हा0 सरमोला विकास क्षेत्र पोखरी के भवन कार्य प्रारम्भ नहीं कराये गये।

15 जुलाई, 1983 तक जूनियर हाई स्कूल पाखी (गरुड़ गंगा), विकास क्षेत्र जोशीमठ का कार्य छत स्तर, जूनियर हाई स्कूल बाजवगढ़, विकास खन्ड घाट का कार्य दरवाजे स्तर तथा जूनियर हाई स्कूल पीपल कोटी विकास क्षेत्र दशोली का कार्य प्रारम्भिक स्तरीय प्रगति में थे और जूनियर हाई स्कूल सरसोला विकास क्षेत्र पोखरी एवं जूनियर हाई स्कूल सीतापुर विकास क्षेत्र

ऊखीमठ के कार्य धन भाव के कारण प्रारम्भ नहीं कराये जा सके हैं ।

प्रगतिशील जूनियर हाई स्कूल पाखी (गरुड़ गंगा), विकास क्षेत्र जोशीमठ, जू0 हा0, बाजवगढ़ विकास खन्ड घाट के कार्य बीच में बाधाग्रस्त हो जाने के कारण समय से पूर्ण नहीं कराये जा सके । जूनियर हाई स्कूल, पीपल कोटी विकास खंड दशोली अभी भी बाधाग्रस्त है । जूनियर हाई स्कूल, पाखी (गरुड़ गंगा) तथा जूनियर हाई स्कूल, बाजवगढ़ जून, 1984 तक एवं जूनियर हाई स्कूल पीपल कोटी का कार्य दिसम्बर, 1984 तक पूर्ण हो सकेगा ।

शिक्षा विभाग में सेवारत भूतपूर्व सैनिकों की पदोन्नतियों में आरक्षण का प्राविधान

79—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में सेवारत भूतपूर्व सैनिकों को प्रोन्नतियों में आरक्षण का प्राविधान है ? यदि हां, तो कितना प्रतिशत है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

राज्याधीन सेवाओं/पदों में भूतपूर्व सैनिकों का पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दुर्गेश्वर विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल, बांगरमऊ, जिला उन्नाव में संस्कृत अध्यापक को स्वीकृत वेतन की धनराशि दिये जाने की मांग

80—श्री भोखालाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दुर्गेश्वर विद्या मंदिर जनियर हाई स्कूल, बांगरमऊ, जिला उन्नाव में शासन द्वारा अनुमोदित संस्कृत अध्यापक को स्वीकृत वेतन की पूर्ण धनराशि नहीं दी जा रही है ? दिये हां, तो विद्यालय के प्रबन्धक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार प्राइवेट विद्यालयों के ऐसे अध्यापकों के वेतन की क्षतिपूर्ति प्रबन्धकों को न करके बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बैंक के माध्यम से सीधे अध्यापकों को देने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वेटरीनरी कालेज, मथुरा का चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के स्थानान्तरण एवं आय-व्यय के आंकड़ों का मिलान

81—श्री सरदार सिंह—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वेटरीनरी कालेज, मथुरा के जुलाई, 1975 से चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर को स्थानान्तरित करने के उपरान्त अब तक के समस्त आय-व्यय के आंकड़ों का मिलान क्या बैंक के खातों से किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि लोकल फन्ड एकाउन्ट के आडिटरों ने भारी घोटाले की आशंका व्यक्त की है ?

श्री यशपाल सिंह—

अभी नहीं ।

चूंकि यह कार्य जुलाई, 1975 से एक लम्बी अवधि का है । अतः समय लग रहा है । फिर भी कार्य प्रगति पर है ।

जी नहीं । उनकी आपत्ति बैंक समाधान विवरण तैयार न करने विषयक है ।

मथुरा जनपद में गोकुल स्थित रसखान की समाधि के जीर्णोद्धार का कार्य

82—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मथुरा जनपद में गोकुल स्थित रसखान की समाधि के जीर्णोद्धार करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस समाधि का कब तक जीर्णोद्धार हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन इस समाधि व गोकुल, महावन व बल्देव को पर्यटन केन्द्रों की सूची में रखने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी हां । मथुरा जनपद में गोकुल स्थित रसखान की समाधि का जीर्णोद्धार का कार्य कराया जा रहा है । सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लघु सिंचाई विभाग को इन कार्यों के लिये धनराशियां उपलब्ध कराई जा चुकी हैं । समस्त कार्यों का संपादन निकट भविष्य में होने की सम्भावना है ।

रसखान की समाधि, गोकुल महावन व बल्देव को पर्यटन केन्द्रों की सूची में रक्खा गया है जिनका प्रचार पर्यटन साहित्य के माध्यम से किया जा रहा है ।

श्री शिव चरन लाल, श्री हरी सिंह एवं राजन लाल, प्रधान के शिकायती-पत्रों के सम्बन्ध में खंड विकास अधिकारी, बल्देव (मथुरा) द्वारा दी गयी रिपोर्ट

83—सरदार सिंह—

क्या ग्राम विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विकास अधिकारी मथुरा ने दिनांक 8-4-82 को अपने, पत्रांक 93/13-वी0 सी0/विकास द्वारा श्री शिवचरन लाल, प्रधान, श्री हरी सिंह, प्रधान एवं राजनलाल, प्रधान के शिकायती प्रार्थना-पत्रों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश खण्ड विकास अधिकारी, बल्देव, मथुरा को दिए थे ? यदि हां, तो उक्त खंड विकास अधिकारी ने उन शिकायती-पत्रों पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां । खन्ड विकास अधिकारी ने उक्त प्रार्थना-पत्रों के विषय में निम्नलिखित रिपोर्ट जिला अधिकारी, मथुरा को दी :—

(1) श्री शिवचरन लाल, प्रधान, ततरौता ने अपने प्रार्थना-पत्र में मांग की कि ग्राम मडौरा से ततरौता तक सड़क बना दी जाय । इसकी लम्बाई 4 किलोमीटर है । कच्ची सड़क की लागत 40,000 रु0 तथा खरंजा लगवाई, 3,00,000 रु0 अनुमानित व्यय लागत है । बजट के अभाव में यह सड़क नहीं बन सकी ।

(2) श्री हरी सिंह, प्रधान, शाहपुर ने बल्देव-हबीबपुर रोड से 1 कि0 मी0 ग्राम तक सड़क की मांग की थी, किन्तु बजट के अभाव में यह सड़क भी स्वीकृत नहीं हो सकी ।

(3) श्री राजन लाल, प्रधान, हसनपुर ने तीन मांगें प्रस्तुत की थी—(1) मरौटा से हसनपुर गोदाम तक 1 1/2 कि0 मी0 सड़क का निर्माण किया जाय । इस सड़क को खंड विकास अधिकारी, बल्देव ने एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत योजना बनाकर जिला पंचायत राज अधिकारी, मथुरा को भेजा । जिला पंचायत राज अधिकारी ने सूचित किया कि यदि ग्राम सभा लागत का 50% स्वयं वहन करे तो अनुदान दिया जा सकता है । इसकी सूचना अभी जिला पंचायत राज अधिकारी को नहीं मिल सकी ।

(2) पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत बनने वाले ट्यूबवेल में बोरिंग एवं कोठरी तैयार हो चुकी है अतएव मोटर दिया जाय । मोटर अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

(3) ग्राम हसनपुर के मजरा सैलमाबाद में एक पेयजल कूप की मांग की गई थी । एन0 आर0 ई0 पी0 योजना सामान्य पेयजल कूपों का बजट प्राविधान न होने से इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

ग्राम सैदपुर, जिला मथुरा की प्राइमरी पाठशाला के भवन की मरम्मत के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

84—श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 3 फरवरी, 1983 को ग्राम सैदपुर विकास खंड बल्देव, जिला मथुरा की प्रा0 पाठशाला के भवन के मरम्मत के सम्बन्ध में व शिक्षकों की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

उक्त पत्र की प्रतिलिपि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई थी ।

किन्तु प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत विकास खंड में सैदपुर गांव में कोई परिषदीय प्राइमरी पाठशाला नहीं है । अतएव, कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा अबैरनी, जिला मथुरा के प्रा0 स्कूलों के भवनों की मरम्मत के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

85—श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा अबैरनी, ब्लाक बल्देव, जिला मथुरा के प्रा0 स्कूलों के भवनों की मरम्मत के सम्बन्ध में 4 फरवरी, 83 को प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ कोई शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस शिकायती पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । प्रश्नगत पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा को भेज दिया गया था । प्रश्नगत मामलों में कार्यवाही की सूचना प्राप्त की जा रही है ।

ग्राम बसैला, जिला मथुरा की बेसिक प्रा0 पा0 की इमारत का निर्माण व मरम्मत तथा अध्यापकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

86—श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बसेला, विकास खन्ड राया, जिला मथुरा की बेसिक प्रा0 पा0 की इमारत का निर्माण व मरम्मत कराने के सम्बन्ध में तथा अध्यापकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र दिनांक 3-2-1983 प्रश्नकर्ता द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र की प्रतिलिपि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी थी। प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 1983-84 में भवन मरम्मत हेतु स्वीकृत अनुदान से प्रभावित विद्यालयों की सूची में प्रश्नगत विद्यालय का नाम सम्मिलित कर लिया गया है। अध्यापकों की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में विद्यालय उप निरीक्षक से जांच कराने पर ज्ञात हुआ है कि अध्यापक विद्यालय में उपस्थित रहते हैं। जहां तक स्थानान्तरण का प्रश्न है वार्षिक प्रबन्ध में विचार किया जा सकेगा।

ग्राम मुडेरा, जिला मथुरा में जूनियर हाई स्कूल खोलने के सम्बन्ध में पत्र

87—श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मुडेरा, विकास खन्ड राया, जिला मथुरा में एक जूनियर हाई स्कूल खोलने के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान मुडेरा का प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ दिनांक 1-2-1983 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो प्रार्थना पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

यह पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राइमरी पाठशाला बन्दी, जिला मथुरा की इमारत के निर्माण एवं मरम्मत के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

88—श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशाला बन्दी, जिला मथुरा की इमारत के निर्माण एवं मरम्मत के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ ग्राम प्रधान बन्दी का शिकायती पत्र दिनांक 16-2-1983 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो शिकायती पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

उक्त पत्र की प्रतिलिपि संलग्नकों सहित बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित कर दी गयी।

प्राथमिक पाठशाला सेलखेड़ा, जिला मथुरा की मरम्मत के सम्बन्ध में पत्र

89—श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बृजेन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम सभा सेलखेड़ा, पो० परलौनी, जिला मथुरा का प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ प्राथमिक पाठशाला सेलखेड़ा की मरम्मत के सम्बन्ध में दिनांक 16-2-1983 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

शिक्षा निदेशक से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ, अतएव उस पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

सहायक निदेशक, क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला, आगरा की अनियमितताओं एवं घोटाले के सम्बन्ध में पत्र

90—श्री सरदार सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 20 जून, 83 के आस-पास कोई

शिकायती पत्र सहायक निदेशक, क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला, आगरा की अनियमितताओं एवं घोटालों के सम्बन्ध में वहां के स्टाफ द्वारा रजिस्टर्ड डाक से उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसमें मुख्य-मुख्य आरोप क्या थे, उनकी जांच किस अधिकारी द्वारा की गई तथा किस-किस स्टाफ के सदस्य से जांच अधिकारी ने सम्पर्क किया तथा कौन-कौन तथ्य सही पाये गये ? दोषी अधिकारी के खिलाफ शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां ।

सूची संलग्न है ।

उप कृषि निदेशक, आगरा/संयुक्त निदेशक, आगरा ।

1--श्री ब्रजकीर्ति यादव, अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2 ।

2--श्री शिव नारायण शर्मा, कनिष्ठ लिपिक ।

3--श्री जस बहादुर थापा, प्रयोगशाला परिचर एवं

4--श्री पोखपाल, प्रयोगशाला चौकीदार ।

1--सहायक निदेशक, भूमि परीक्षण प्रयोगशाला, आगरा द्वारा जी० सं० यू० टी० टी० 1032 द्वारा भन्डारों के भौतिक सत्यापन करने हेतु आगरा से बाहर ले जाया गया ।

2--दैनिक श्रमिक को सरकारी वाहन से ले जाना ।

3--वित्तीय वर्ष 1982-83 में दैनिक श्रमिकों को रखना जिस पर 6546.50 रु० व्यय किया जाना ।

जांच रिपोर्ट निदेशक को प्राप्त हो गयी है यथा नियम कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 154 पर ।)

जनपद मथुरा के ब्लाक सहपऊ में जिला परिषद् का स्थगित चुनाव

91--श्री सरदार सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के ब्लाक सहपऊ में दिनांक 17-7-83 को, सदस्य, जिला परिषद् के चुनाव में चुनाव स्थगित हुआ था ? यदि हां, तो घटना का विस्तृत विवरण क्या है ? क्या शासन द्वारा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

दिनांक 17-7-83 को ब्लाक सहपऊ में जिला परिषद् के सदस्य का निर्वाचन स्थगित हुआ था । ब्लाक सहपऊ में एक मतदाता ने अपने मतपत्र पर उर्दू भाषा का प्रयोग कर मत दिया परन्तु कुछ समय बाद उसकी जानकारी में यह आया है कि उर्दू भाषा प्रयोग करने के कारण उसका मत पत्र अस्वीकृत हो जायेगा, तो उसने सहायक निर्वाचन अधिकारी से पुनः मत पत्र मांगा और मत पत्र लेकर फिर मत दे दिया । तत्पश्चात सायं 3-30 बजे श्री कुंवर जावेद अली, विधायक अपना मत डालने आये चूंकि उस समय 74 मत में से 74 मत पत्र डाले जा चुके थे अतः कुछ लोगों ने आपत्ति की कि 74 मतदाता थे और 74 मत पड़ चुके हैं यदि आगे मत पड़ेगा तो मतपत्रों की संख्या बक्से में 75 हो जायेगी । परन्तु परगनाधिकारी ने समस्या को हल करके श्री कुंवर जावेद अली विधायक को मत-पत्र दिलवा दिया और उन्होंने मत दे दिया । इसी बात पर कुछ लोगों ने

मत पेटियों को उठाने की कोशिश की। इस छीना झपटी में बक्सा खुल जाने के कारण मत-पत्र भी बाहर निकल गये। तुरन्त ही पुलिस की मदद से बक्से को कब्जे में लिया गया तथा सम्बन्धित अभिलेखों सहित सील कर दिया गया। सहायक निर्वाचन अधिकारी ने इस घटना की रिपोर्ट थानाध्यक्ष सहपऊ को भी दर्ज कर दी। इन परिस्थितियों में निर्वाचन को निरस्त कराना पड़ा और पुनः निर्वाचन कराया गया। अपर जिलाधिकारी द्वारा इस विषय में जांच की जा रही है और जांच के उपरान्त यदि यह पाया गया कि किसी अधिकारी का दोष है तो उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।

जिला विकास अधिकारी, मथुरा श्री श्रीनारायण शर्मा की खाद्यान्न योजना के खाद्य घोटाले की जांच

92--श्री सरदार सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विकास अधिकारी, मथुरा श्री श्रीनारायण शर्मा की खाद्यान्न योजना के खाद्य के घोटाले की जांच अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कर रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त जांच की प्रगति रिपोर्ट क्या है तथा जांच कब तक पूरी हो जायेगी ? क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी द्वारा किये गये घोटाले की जांच वर्तमान जांच अधिकारी से पूर्व अपर जिलाधिकारी प्रोजेक्ट कर रहे थे ? यदि हां, तो जांच अधिकारी बदलने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां।

जांच अधिकारी द्वारा जांच पूर्ण कर रिपोर्ट मन्डलायुक्त तथा शासन को प्रस्तुत कर दी गयी है।

जी हां।

अपर जिलाधिकारी, प्रोजेक्ट की व्यस्तता के कारण जिलाधिकारी ने 13-1-83 को जांच अधिकारी को बदलने के आदेश दिये।

जिला अधिकारी, मथुरा की अध्यक्षता में महकवि रसखान की समाधि के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में हुई बैठक तथा लिये गये निर्णय

93--श्री सरदार सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 8 मार्च, 1983 को जिला अधिकारी, मथुरा की अध्यक्षता में महाकवि रसखान की समाधि के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में कोई बैठक सम्पन्न हुई थी ? यदि हां, तो बैठक में क्या निर्णय लिये गये थे तथा उन पर आज तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जी हां। जिलाधिकारी मथुरा की अध्यक्षता में दिनांक 8 मार्च, 1983 को एक बैठक हुई थी जिसमें निम्न निर्णय लिया गया :--

1--परगना अधिकारी, सादाबाद इस सम्पूर्ण क्षेत्र के स्वामित्व को रेवेन्यू रिकार्ड से देखकर ही नापतौल कराये जाने में अधिशासी अभियन्ता, (अस्थाई खन्ड) सा० नि० वि०, मथुरा की सहायता करेंगे।

2--मूल समाधि की वास्तु कला को ध्यान में रखते हुए इसका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए जिसके लिए आवश्यक प्राविधिक परामर्श पुरातत्व विद् सार्वजनिक निर्माण विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

3--समाधि के जीर्णोद्धार कार्य एवं स्थल का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाय।

निर्णयानुसार विभिन्न विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

अयोध्या में, तुलसी शोध संस्थान की स्थापना का निर्णय

94—श्री निर्मल खत्री—

क्या सांस्कृतिक कार्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि अयोध्या में तुलसी शोध संस्थान की स्थापना के सन्दर्भ में शासन द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है ? यदि हाँ, तो उसके लिये कितनी राशि का आवंटन किया गया है ? यह योजना कब तक पूर्णता को प्राप्त करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

अयोध्या में तुलसी शोध संस्थान की स्थापना के लिए शासन द्वारा निर्णय लिया गया है । संस्थान की स्थापना के लिए चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में 10,000 रु0 की धनराशि का आवंटन किया गया है । योजना के शीघ्र ही पूर्ण होने की आशा है ।

"लखनऊ महोत्सव" की भाँति "अवध महोत्सव" कराने पर कथित विचार

95—श्री निर्मल खत्री—

क्या पर्यटन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ में प्रति वर्ष आयोजित होने वाले "लखनऊ महोत्सव" की भाँति अवध की प्रथम राजधानी फैजाबाद में "अवध महोत्सव" कराने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी नहीं ।

सीमित साधनों के कारण संभव नहीं है ।

जनपद मथुरा में कतिपय मार्गों पर खड़न्जा बिछाने का कार्य

96—श्री सरदार सिंह—

क्या ग्राम विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष सचिव ग्राम विकास विभाग के दिनांक 4 अप्रैल, 1983 के प्रश्नकर्ता को सम्बोधित पत्र में जो मथुरा जनपद के बल्देव मरोड़ा मार्ग सरूआ जंगली से सोनई मार्ग व अवरनी के रास्तों में खड़न्जा बिछवाये जाने व ग्राम नूरपुर के निकट महावन से बल्देव जाने वाली सड़क को जिला परिषद् से लेकर सा0 नि0 वि0 को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में था, उसके सन्दर्भ में अब तक शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मथुरा जनपद के बलदेवा मरौड़ा मार्ग, सरूवा जंगली से सोनई मार्ग व अवरनी के रास्तों में खड़न्जा बिछवाने का प्रस्ताव अभिकरण के विचाराधीन है। ग्राम नूरपुर के निकट महावन से बलदेव जाने वाली सड़क जिला परिषद् की नहीं है । अतः इस मार्ग को सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

बेरोजगार बी0 टी0 सी0 ट्रेण्ड व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचना, आयु सीमा में छूट

97—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अन्दर कितने अध्यापक बी0 टी0 सी0 ट्रेण्ड जुलाई, 1983 तक बेकार हैं तथा जो अध्यापक बी0 टी0 सी0 ट्रेण्ड हैं और बेकार हैं क्या उनको तुरन्त अध्यापन कार्य में लगाया जायेगा ? क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेगी कि ट्रेण्ड अध्यापकों को जब तक उनको नौकरी नहीं मिलती उनकी उम्र को बाधक नहीं माना जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

उत्तर प्रदेश में जुलाई, 1983 तक बेकार बी0 टी0 सी0 ट्रेण्ड व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

बी0 टी0 सी0 ट्रेन्ड बेकार व्यक्तियों को अध्यापन कार्य पर लगाया जाना रिक्तियों-संसाधनों की उपलब्धता तथा आवश्यकता पर निर्भर करता है। ट्रेन्ड अध्यापकों के लिये आयु सीमा में 45 वर्ष तक की आयु तक छूट की व्यवस्था नियमों में विद्यमान है।

जनपद सीतापुर तथा लखीमपुर में ट्रेन्ड मास्टर तथा बी0टी0सी0 उत्तीर्ण अध्यापिका श्रीमती उर्मिला देवी चौरसिया को निर्धारित शैक्षिक योग्यता पूर्ण करने का निर्देश

98—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद सीतापुर और लखीमपुर में कितने ऐसे ट्रेन्ड मास्टर हैं जिनकी उम्र 31 अक्तूबर, 1983 तक 40 वर्ष से ज्यादा हो गयी है? क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि 1973 की बी0 टी0 सी0 उत्तीर्ण अध्यापिका श्रीमती उर्मिला देवी चौरसिया अभी तक बेकार हैं? यदि हां, तो इनको कब तक ड्यूटी पर लगाया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद सीतापुर तथा लखीमपुर में क्रमशः दो-दो ऐसे ट्रेन्ड मास्टर होने की सूचना है जिनकी उम्र 31 अक्तूबर, 1983 तक 40 वर्ष से ज्यादा हो गयी है। जनपद लखीमपुर में बी0 टी0 सी0 उत्तीर्ण अध्यापिका श्रीमती उर्मिला देवी चौरसिया अभी तक बेकार हैं क्योंकि वे केवल जूनियर हाई स्कूल उत्तीर्ण हैं जबकि नियमानुसार इस निमित्त हाई स्कूल उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खीरी द्वारा उन्हें निर्धारित शैक्षिक योग्यता पूर्ण करने के लिये कहा गया है।

99—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[दिनांक 5 मार्च, 1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या 79-80 द्वारा उत्तरित।]

हिन्दू कन्या इंटर कालेज, शामली, जनपद मुजफ्फरनगर में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में पत्र

100—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हिन्दू कन्या इंटर कालेज, शामली, जनपद मुजफ्फरनगर में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में विद्यालय के प्रधानाचार्या व मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, मेरठ से हाल में ही शासन को आख्या प्राप्त हुई है? यदि हां, तो प्राप्त आख्यायें क्या हैं तथा अनियमितताओं को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

प्रधानाचार्या के पत्र तथा मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, मेरठ से प्राप्त आख्या में उल्लिखित अनियमितताओं की सूची संलग्न है। जांच में पायी गयी अनियमितताओं के कारण प्रबन्ध समिति को माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1 की धारा 16 'घ' की उपधारा (2) तथा (3) के अन्तर्गत निर्देश एवं नोटिस क्रमशः दिनांक 18 मार्च, 1983 एवं 1 जुलाई, 1983 को दी गयी है।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 155 पर।)

इलाहाबाद स्थित अग्रसेन इण्टर कालेज में अध्यापकों को देय चयन वेतनमान

101—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद स्थित अग्रसेन इण्टर कालेज में वेतनक्रम में 30 वर्ष तथा स्नातक वेतनक्रम में 25 वर्ष से भी अधिक काल से सेवा करते रहने के बाद भी अभी तक चयन वेतनमान

नहीं दिये गये ? यदि हां, तो ऐसे अध्यापक कौन-कौन हैं तथा चयन वेतनमान न देने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

1--श्री राम गोपाल संड, प्रवक्ता वेतनक्रम में ।

2--श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, स्नातक वेतनक्रम में ।

1--श्री राम गोपाल संड, प्रवक्ता के सम्बन्ध में संस्था के प्रबन्धक ने अपनी संस्तुति प्रेषित नहीं की है । साथ ही इनके चयन वेतनक्रम का मामला माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन है, जिस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

2--श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, स0प्र0 एल0टी0 को प्रबन्धक की प्रतिकूल प्रविष्टि एवं असंतोषजनक सेवा के कारण प्रबन्धक ने इन्हें चयन वेतनमान प्रदान करने के सम्बन्ध में असंस्तुति की है, जिसके फलस्वरूप इनको चयन वेतनमान का लाभ नहीं मिला है ।

जनपद उन्नाव के सेवा निवृत्त अध्यापक श्री लखपति राय को पेंशन न दिये जाने का कारण

102--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव के ग्राम भटुकरी, पो0 अटवा बैंक, निवासी श्री लखपति राय, जो वर्ष 1980 में अध्यापक पद से सेवा मुक्त हुए थे, को राजाज्ञा जुलाई, 1979 द्वितीय प्रक्रिया के अनुसार (मूल वेतन 450 तथा समय-बद्ध वेतनमान मिलाकर कुल 510 रु0 पर) पेंशन न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा में बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) के पद पर स्व0 श्रीमती लज्जा रानी निगम के अवशेष वेतन एवं पी0एफ0 का भुगतान

103--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि क्या जनपद बांदा की स्व0 श्रीमती लज्जा रानी श्रीवास्तव, बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) के अवशेष वेतन, पी0 एफ0 ग्रेच्युटी व 16-8-78 से उनके निधन की तिथि के अवकाश का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद बांदा में बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) के पद पर स्व0 श्रीमती लज्जा रानी निगम कार्यरत थीं न कि स्व0 श्रीमती लज्जा रानी श्रीवास्तव । स्व0 श्रीमती निगम के देयों की स्थिति निम्नवत् है :--

(क) अवशेष वेतन के संबंध में शिक्षा निदेशक को तत्काल भुगतान की कार्यवाही करने के आदेश दे दिए गए हैं ।

(ख) पी0 एफ0 का भुगतान किया जा चुका है ।

(ग) नियमों को शिथिल करते हुए दिनांक 16-8-78 से निधन की तिथि तक का अवकाश स्वीकृत किया जा चुका है और अब अवकाश वेतन के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

चूंकि उक्त अवकाश अब स्वीकृत किया जा चुका है अतः अवकाश अवधि की नियमानुसार गणना करके स्व0 श्रीमती निगम के परिवार को देय ग्रेच्युटी के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

104--श्री कुंवर सिंह नेगी--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

जनपद आजमगढ़ के अजमतगढ़ तथा हरैया विकास खंड में प्रौढ़ शिक्षा परियोजना चलाये जाने से संबंधित पत्र

105--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ तथा हरैया विकास खंड में प्रौढ़ शिक्षा परियोजना चलाये जाने से संबंधित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 25-1-83 तथा उसके सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार, संयुक्त सचिव के पत्र दिनांक 19-4-83 के अनुपालन में आगे क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

आजमगढ़ जनपद में प्रारम्भ से ही केन्द्रीय सहायता से 300 केन्द्रों की एक परियोजना लालगंज एवं तरवां विकास खंडों में चलायी जा रही है ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता योजना को वर्ष 1983-84 से जिला योजना के अन्तर्गत ले लिया गया है जिसके परिणाम स्वरूप अब इसके लिये प्राविधान जिला समिति के द्वारा किया जाना है । वर्ष 1983-84 में विकास खंड अजमतगढ़ तथा हरैया में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने हेतु जिला समिति द्वारा कोई परिव्यय निर्धारित न करने के फलस्वरूप इन विकास खंडों में कार्यक्रम संचालित नहीं किया गया । यदि वर्ष 1984-85 में जिला समिति द्वारा इन विकास खंडों में योजना चलाये जाने के लिये समुचित परिव्यय उपलब्ध करा दिया जाता है सभी उक्त विकास खंडों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम संचालित करना संभव होगा ।

शिक्षा निदेशालय हेतु बजट का प्राविधान

106--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि शिक्षा निदेशालय दूसरा वर्ष 1983-84 के लिए 1,82,00,00,000 (एक अरब बयासी करोड़) के बजट प्राविधान के लिए लिखा गया था पर शासन स्तर पर 1983-84 के लिए 1,24,00,00,000 (एक अरब चौबीस करोड़) रुपये का ही बजट का प्राविधान किया गया ? वर्ष 1983-84 हेतु किन कारणों से बजट कम कर दिया गया ?

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय सदस्य का प्रश्न अपूर्ण तथा अस्पष्ट है, क्योंकि उनके द्वारा उस मद या उन मदों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके बजट प्राविधान की बात की गई है । अतः वांछित बिन्दु का उत्तर देना सम्भव नहीं है ।

107--श्री जगदीश सिंह--

[5वें गुरुवार में आतारांकित प्रश्न संख्या 142 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

आर0 एस0 एम0 डिग्री कालेज, धामपुर, जनपद बिजनौर के कृषि फार्म की बैलेन्ससीट तथा लाभ हानि का ब्यौरा

108--श्री श्याम सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 एस0 एम0 डिग्री कालेज, धामपुर, जनपद बिजनौर के कृषि फार्म की कमी बैलेन्ससीट तथा लाभ-हानि का ब्यौरा बनाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

इस सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है ।

मोहल्ला कटरा से नई बाजार तक जिला परिषद्, बाराबंकी द्वारा मुख्य सड़क पर स्वीकृत खड़न्जे का कार्य

109—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद, बाराबंकी के कस्बा दरियाबाद में वर्ष 1978-79 में मोहल्ला कटरा से नई बाजार (पूर्वी फाटक) तक जिला परिषद्, बाराबंकी द्वारा मुख्य सड़क पर खड़न्जा लगना स्वीकृत हुआ था और मोहल्ला खिन्नी तले तक अधूरा काम करवाकर छोड़ दिया गया था जो कि अब तक नहीं पूरा कराया गया ? इस सम्बन्ध में स्थानीय नागरिकों में दिनांक 13 जुलाई, 1983 को एक पंजीकृत शिकायती प्रार्थना-पत्र मुख्य मन्त्री को भेजा था ? यदि हां, तो संदर्भित सड़क पर अधूरा खड़ंजा पूरा न होने के क्या कारण हैं ? उक्त पत्र में कौन-कौन तथ्य हैं तथा उन पर कब तक कार्यवाही करा दी जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। प्रश्नगत मार्ग पर कार्य पूरा न होने के कारण यह हैं कि उस समय सीधा तमड़ा ईंटा उपलब्ध नहीं हो पाया तथा सम्बन्धित ठेकेदार का मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया था, जिस पर ठेका रद्द करना पड़ा। स्थानीय नागरिकों के पत्र में अधूरा कार्य छूट जाने से जल भराव होने, यातायात में असुविधा होने एवं आस-पास पानी फैलने की शिकायत के साथ यह मांग की गई थी कि अधूरा कार्य पूर्ण कराया जाय। धन अभाव के कारण अब तक जिला परिषद् द्वारा अवशेष कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका है। शासन द्वारा जिला परिषद् को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे आगामी वित्तीय वर्ष में इस कार्य को पूरा कराने की व्यवस्था करें।

संजय स्मारक माध्यमिक विद्यालय, गढ़ुरही बाजार, फैजाबाद को जूनियर कक्षाओं को चलाने की मान्यता तथा अध्यापक एवं चपरासी की नियुक्ति

110—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय स्मारक माध्यमिक विद्यालय, गढ़ुरही बाजार, फैजाबाद को सत्र 1980-81 अथवा 1981-82 में जूनियर कक्षाओं को चलाने की मान्यता प्रदान की गई है ? जूनियर स्तर तक अध्यापन हेतु कितने अध्यापकों एवं चपरासियों की नियमित नियुक्ति की गई है ? क्या अध्यापकों एवं चपरासियों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा कर लिया गया है ? यदि हां, तो अनुसूचित जाति के अध्यापकों एवं चपरासियों के नाम क्या हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री गोपी मोहन श्रीवास्तव, वरिष्ठ प्रबन्धक शारदा सहायक कमान्ड, परियोजना के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच

111—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गोपी मोहन श्रीवास्तव, वरिष्ठ प्रबन्धक, शारदा सहायक कमान्ड, परियोजना के विरुद्ध कई विधायकों द्वारा भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाते हुये दिनांक 6-7-83 को उन्हें पत्र दिया गया था, जिस पर श्री श्रीवास्तव को उनके मूल विभाग सचिवालय प्रशासन में प्रत्यावर्तित करने एवं आरोपों की जांच सतर्कता विभाग द्वारा करने हेतु आदेश हुये थे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, दिनांक 1-10-1983 के पूर्वाह्न से श्री गोपी मोहन श्रीवास्तव को सचिवालय सेवा में वापस कर दिया गया है।

अभी प्रारम्भिक जांच चल रही है।

एंग्लो ओरियन्टल मुस्लिम हायर सेकेन्डरी स्कूल, वाराणसी का अल्पसंख्यक विद्यालय माने जाने हेतु प्रार्थना पत्र

112—श्री रियासत हुसैन—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि एंग्लो ओरियन्टल मुस्लिम हायर सेकेन्डरी स्कूल, लालपुर, वाराणसी के मैनेजर कम सेक्रेटरी, डा0 अकबाल अहमद सन् 1981 से निरन्तर प्रार्थना कर रहे हैं कि इस संस्था को आर्टिकल्स 30 (1) के अन्तर्गत माइनार्टी इन्स्टीट्यूशन मान लिया जाय ? यदि हां, तो अब तक उनकी प्रार्थना स्वीकृत न होने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। प्रश्नगत संस्था अल्पसंख्यक विद्यालय माने जाने हेतु उपयुक्त नहीं पायी गयी।

113-114—श्री भीखालाल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्री चन्द्रपाल को हाई स्कूल परीक्षाफल दिलाने हेतु कार्यवाही

115—श्री भीखालाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चन्द्रपाल को वर्ष 1977 का हाई स्कूल परीक्षाफल अभी तक न दिये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 30-3-1983 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो परीक्षाफल दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी और इसके लिये दोषी व्यक्ति को क्या सजा दी गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सुभाष इन्टर कालेज, उन्नाव के अध्यापकों द्वारा योजित की गयी याचिका का उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा निर्णय

116—श्री भीखालाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुभाष इन्टर कालेज, उन्नाव के अध्यापकों की याचिका नं0 4483, वर्ष 1981 जिसको मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने दिनांक 6-10-1982 को निर्णीत किया, का पालन उक्त कालेज में किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं, अध्यापकों द्वारा योजित की गयी रिट याचिका संख्या 4483/1983 के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-10-198 सशर्त था जिसके कारण उसका अनुपालन सम्भव नहीं किया जा सका।

तदुपरान्त अनुवर्ती आदेशों के अनुपालन में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दो लाख रुपये की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट अतिरिक्त रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ के पक्ष में बनवाकर 2 फरवरी, 1984 को माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

महात्मा गांधी इंटर कालेज, सफीपुर, जिला उन्नाव के प्रवक्ता, श्री गोपाल नारायण मिश्र को पेंशन न देने का कारण

117—श्री भीखालाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महात्मा गांधी इन्टर कालेज

सफीपुर, जिला उन्नाव के प्रवक्ता, श्री गोपाल नारायण मिश्र को वर्ष 1979 में अवकाश प्राप्त कर लेने के बाद आज तक पेंशन न देने और उनके वर्ष 1968 से 30 जून, 1979 तक के बकाया वेतन के भुगतान न करने का क्या कारण है और उक्त भुगतान व पेंशन कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्री गोपाल नारायण मिश्र द्वारा वर्ष 1979 में अवकाश ग्रहण करने के उपरान्त आज तक पेंशन सम्बन्धी पत्रजात भरकर प्रस्तुत न किये जाने के कारण ही पेंशन नहीं स्वीकृत किया जा सका है ।

जहां तक बकाया वेतन भुगतान का प्रश्न है 1968 से 31 मार्च, 1971 तक का बकाया वेतन का भुगतान वेतन वितरण अधिनियम, 1971 लागू होने के पूर्व का होने का कारण संस्था द्वारा किया जाना है, जिसके लिये संस्था को निर्देश दिये जा चुके हैं । शेष अवधि के बकाया वेतन के भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

118--श्री भीखालाल--

[दिनांक 20-2-1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या 64 द्वारा उत्तरित]

महन्थ लाल दास इन्टर कालेज, देवगांव, जनपद फैजाबाद में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत श्री खाकीसरन सिंह के विरुद्ध हरिजन हत्याकांड का दर्ज मुकदमा

119--श्री भीखालाल--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 13-2-1981 को ग्राम पालपुर, थाना कुमारगंज, जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत हुए हरिजन हत्याकांड के मुकदमें में आजीवन कारावास की सजा प्राप्त खाकीसरन सिंह, महन्थ लाल दास इन्टर कालेज, देवगांव, जनपद फैजाबाद में चतुर्थ श्रेणी के पद पर अभी भी कार्यरत है ? यदि हां, तो उनको निलम्बित न करने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार सम्बन्धित कर्मचारी ने सत्र न्यायाधीश के आजीवन कारावास के दंड के फैसले के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर कर रखी है और प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण प्रधानाचार्य द्वारा निलम्बन की कार्यवाही नहीं की गयी है ।

शासन द्वारा जिला अधिकारियों अथवा पंचायत राज अधिकारियों को भेजा गया पत्र

120--श्री भीखालाल--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा अर्ध-शासकीय पत्र संख्या पी0 ए0/4732/83, दिनांक 14-1-83 जिला अधिकारियों अथवा जिला पंचायत राज अधिकारियों को भेजा गया है ? यदि हां, तो पत्र का आशय क्या है और क्या उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में अध्यापकों की नियुक्ति में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनियमिततायें

121--श्री भीखालाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विष्णु कुमार शुक्ल, उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक

संघ, उन्नाव का प्रार्थना-पत्र दिनांक 17 जनवरी, 1983 उनको प्राप्त हुआ है, जिसमें यह शिकायत की गई है कि कठिनाई निवारण अध्यादेश के अन्तर्गत उन्नाव जनपद में अध्यापकों की नियुक्ति में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनियमिततायें की गई हैं ? यदि हां, तो अनियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

अध्यापकों की नियुक्ति में पाई गई त्रुटियों का समाधान जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कर दिया गया । ओ0 पी0 जे0 डी0 इंटर कालेज, शुक्लागंज, उन्नाव के सी0 टी0 वेतनक्रम में हुई एक नियुक्ति के सम्बन्ध में अभ्यर्थी द्वारा की गई अपील अभी शिक्षा निदेशक के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में नव निर्वाचित प्रधानों को चार्ज दिलाए जाने के सम्बन्ध में पत्र

122--श्री भीखालाल--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद के नव निर्वाचित प्रधानों को पंचायत के कागजात का पूरा चार्ज लेखपालों अथवा ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है और इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 28-2-83 जिलाधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रधानों को पूरा चार्ज दिलाने की क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं ।

बल्कि प्रश्नकर्ता का नव निर्वाचित प्रधानों को चार्ज दिलाए जाने के सम्बन्ध में 28-1-83 का पत्र जिलाधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुआ है । जनपद की कुल 1,308 गांव सभाओं में से 1,304 नव निर्वाचित प्रधानों को चार्ज दिला दिया गया है । और शेष 4 ग्राम प्रधानों को जिला अधिकारी द्वारा चार्ज दिलाने हेतु आवश्यक निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए जा चुके हैं ।

प्रदेश के परिषद् के विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर रोक

123--श्री भीखालाल--

प्रथम सत्र 1983 के 6वें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 141 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री इस विषय पर विचार करेंगे कि जिन जिलों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी फालतू हैं, वहां भर्ती न की जाय और जिन जिलों में स्थान रिक्त हैं, उन जिलों में भर्ती की आज्ञा दी जाय ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, इस पर विचार किया जा सकता है ।

श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव को कन्या जूनियर हाई स्कूल, बेहटा कलां में प्रधान अध्यापिका के पद का चार्ज दिलाने तथा बकाया वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में पत्र

124--श्री भीखालाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव को कन्या जूनियर हाई स्कूल, बेहटा कलां में प्रधान अध्यापिका के पद का चार्ज दिलाने के सम्बन्ध में तथा उनके पिछले तीन साल के बकाया वेतन के सम्बन्ध में सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा

परिषद्, इलाहाबाद का अर्ध0 शा0 पत्र संख्या दं0 शि0 प0/8255/57/एक-1/82-83, दिनांक 10 जून, 1982 जो जिला विद्यालय निरीक्षक, रायबरेली को सम्बोधित है और जिला विद्यालय निरीक्षक, रायबरेली का पत्र संख्या शि0 प0/2100-1/82-83, दिनांक 22-7-83 को अतिरिक्त बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला), रायबरेली को सम्बोधित है का परिपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके परिपालन न करने का कौन दोषी है ।

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

125--श्री भीखालाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव, प्रधान अध्यापिका, कन्या जूनियर हाई स्कूल, बेहटा कलां, जिला रायबरेली के पिछले तीन साल के वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में डा0 जेड0 ए0 अहमद, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 23 जुलाई, 1983 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वेतन का भुगतान करा दिया गया है अथवा नहीं और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शिवली महाविद्यालय, आजमगढ़ को अल्पसंख्यक विद्यालय घोषित किए जाने के सम्बन्ध में जानकारी

126--श्री भीखालाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवली महाविद्यालय, आजमगढ़ राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक विद्यालय घोषित किया गया है ? यदि हां, तो कब ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

प्राइमरी पाठशाला लच्छापुर, विकास क्षेत्र भदोही की भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही तथा पट्टे पर दी गयी भूमि के अमलदरामद की कार्यवाही

127--श्री भीखालाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रभारी प्रति उपविद्यालय निरीक्षक, ज्ञानपुर, वाराणसी ने परगनाधिकारी, ज्ञानपुर, जिला वाराणसी को अपने पत्रांक 652, दिनांक 6 अप्रैल, 1983 द्वारा सूचित किया कि प्राइमरी पाठशाला लच्छापुर, विकास क्षेत्र भदोही की भूमि पर कुछ लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं ? यदि हां, तो अवैध कब्जा हटाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

तहसीलदार, ज्ञानपुर के न्यायालय में अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध तथा 115-सी/122-बी के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है ।

128--श्री भीखालाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उमाकान्त मिश्र, संसद सदस्य, मिर्जापुर ने दो पत्र दिनांक 6-5-83 तथा 11-6-83 को परगना अधिकारी, ज्ञानपुर, जिला वाराणसी को लिखकर यह आग्रह किया कि प्रा0 पाठशाला लच्छापुर, विकास क्षेत्र भदोही, जिला वाराणसी को पट्टे पर दी गयी भूमि का अमलदरामद पाठशाला के नाम कर दिया जाय ? यदि हां, तो अब तक अमलदरामद हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

अमलदरामद की कार्यवाही तहसील-दार, ज्ञानपुर के न्यायालय में विचाराधीन है ।

राजकीय इन्टर कालेजों में बी0 टी0 सी0 अध्यापकों का नया वेतनमान

129--श्री भोखालाल तथा श्री थम्मन सिंह गहलौत--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेजों में जूनियर कक्षाओं को पढ़ाने वाले इन्टर बी0 टी0 सी0 अध्यापकों का नया वेतनमान वेतन आयोग अथवा शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो वह वेतनमान क्या है और उसे अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है और वह किस तिथि से प्रभावी समझा जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

जनता आदर्श कालेज, गौरा बाजार, जनपद बस्ती में नामांकित छात्र व स्थायी पता

130--श्री मोहन सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 के शिक्षा सत्र में जनता आदर्श कालेज, गौरा बाजार, जनपद बस्ती के कक्षा 10 में कुल कितने छात्र नामांकित हैं तथा उनका नाम व स्थायी पता क्या है ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि इस समय माह नवम्बर तक कुल कितने कक्षा 10 के नामित छात्रों के परीक्षा फार्म वर्ष 1983-84 की परीक्षा के लिए प्रधानाचार्य ने अग्रसारित किया है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नवाबगंज से सेरसा सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

131--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या ग्राम विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के विकास खन्ड नवाबगंज के अन्तर्गत नवाबगंज से सेरसा सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में कई ग्राम प्रधानों के हस्ताक्षर युक्त शिकायती-पत्र को श्री मोहन सिंह, सदस्य, विधान सभा ने अपने पत्र के साथ दिनांक 1-1-1983 को मन्त्री जी के पास जांच कराने हेतु भेजा, उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने की ? पूरी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं ।

विकास खण्ड नवाबगंज के अन्तर्गत नवाबगंज--सेरसा मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में किसी ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर युक्त कथित शिकायती-पत्र दिनांक 1-1-1983 का नहीं प्राप्त हुआ है, बल्कि माननीय विधायक श्री मोहन सिंह का 1-7-1983 का पत्र प्राप्त हुआ था । जिसे आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, उन्नाव को भेजा जा चुका है । जिलाधिकारी से आख्या प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

राजकीय आदर्श विद्यालयों एवं जूनियर हाईस्कूलों की भांति राजकीय इन्टर कालेजों के इण्टर बी0 टी0 सी0 अध्यापकों को पुनरीक्षित वेतनमान की मांग

132--श्री थम्मन सिंह गहलौत--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्टर बी0 टी0 सी0

अध्यापकों के वेतनमान 200-320 रु0 को राजकीय आदर्श विद्यालयों एवं जनियर हाई स्कूलों की भांति राजकीय इन्टर कालेजों में भी दिसम्बर, 1977 से 210-330 में पुनरीक्षित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

133--श्री धम्मन सिंह गहलौत--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जिला परिषद्, बिजनौर के सेवानिवृत श्री अबरार हुसैन तथा इकरार अहमद को पेंशन, वेतन एरियर, तथा अन्य देयों का भुगतान

134--श्री धम्मन सिंह गहलौत--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, बिजनौर के पश लेखक (पौड मोहर्रिर) श्री अबरार हुसैन जो दिनांक 15-5-1980 को तथा श्री इकरार अहमद जो दिनांक 31-1-1981 को सेवा निवृत्त हुए उनके वेतन का एरियर, छुट्टियों का वेतन, ग्रेच्युटी का धन व पेन्शन का किस तिथि को भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

श्री अबरार हुसैन की छुट्टियों का वेतन अवशेष वेतन 27-5-1983 तक भुगतान किया जा चुका है । इनकी पेंशन एवं आनुतोषिक धनराशि का सत्यापन कराने हेतु पेंशन का प्रकरण परीक्षक स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को उनके द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण सहित दिनांक 31-1-84 को भेज दिया गया है जिसके सत्यापन एवं पुष्टि होने पर ही इन्हें यह भुगतान करना सम्भव होगा । श्री इकरार अहमद के पेंशन आनुतोषिक धनराशि तथा छुट्टियों का वेतन अवशेष वेतन क्रमशः 31-1-1984 तथा 27-5-1983 को भुगतान कर दिया गया है ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय संस्कृत पाठ्क्रम समिति में कार्यवाही की अनियमितताओं की शिकायत की जांच

135--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र सं0 2998/82, दिनांक 21 अक्तूबर, 1982 जो प्रहलाद द्विवेदी, प्रवर प्रवक्ता, संस्कृत जनता महाविद्यालय, रानीपुर, जिला आजमगढ़ द्वारा लिखा गया है तथा जिसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय संस्कृत पाठ्क्रम समिति मे कार्यवाही की अनियमितताओं की शिकायत भी की गयी है जिसके पाने की स्वीकृति आपके पत्र संख्या 687/एम/82, दिनांक 2-11-1982 द्वारा दी गयी है, में आपने बताया कि जांच के आदेश दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो इस पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी तथा जांच के क्या परिणाम प्रकाश में आये ?

श्री अम्मार रिजवी--

मामले में वस्तुस्थिति की जानकारी की गयी । आरोप निराधार पाये गये ।

विकास खन्ड दहगवां के खन्ड विकास अधिकारी, श्री रवि कुमार का निलम्बन तथा विभागीय कार्यवाही

136--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं के जिला पंचायत

राज अधिकारी ने 28-9-1982 को विकास खंड दहगवां के खन्ड विकास अधिकारी (श्री रवि कुमार) की धारा 161, 465, 467 आई0 पी0 सी0 व 5 (11)/भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा पंचायत राज अधिनियम की धारा 12 पी0 डी0 के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखाई है ? क्या जिलाधिकारी, बदायूं ने उसके निलम्बन की संस्तुति भी की है ? यदि, हां, तो शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

जी हां । सम्बन्धित अधिकारी को निलम्बित किया जा चुका है तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सराय ममरेज, इलाहाबाद के अध्यापकों को नवीन वेतनमान

137--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सराय ममरेज, इलाहाबाद के सी0 टी0 वेतनक्रम के सभी अध्यापकों को नवीन वेतनमान दे दिया गया है तथा अवशेष (नवीन वेतनमान लागू होने के कारण) का भी भुगतान हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब से ?

श्री अम्मार रिजवी--

नवीन वेतनमान सभी को दे दिया गया है परन्तु अवशेषों का भुगतान नहीं किया जा सका है ।

क्योंकि अवशेष देयक प्रबन्धक द्वारा जि0 वि0 नि0, इलाहाबाद को काफी विलम्ब से 7-3-1984 को उपलब्ध कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माध्यमिक शिक्षा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के साथ अन्याय किये जाने के विषय में कार्यवाही

138--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 10, 196, दिनांक 12 अप्रैल, 1983, जिसके पाने की स्वीकृति आपके कार्यालय के पत्र संख्या 973/एम/83, दिनांक 27-4-1983 द्वारा दी गयी है, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के साथ अन्याय किये जाने के विषय में है, पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

संदर्भगत पत्र में उल्लिखित प्रकरण पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग नियमावली, 1983 के नियम 4 (1) में किसी संस्था में प्रधान के पद से भिन्न किसी पद की स्थिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य के आरक्षण हेतु आवश्यक प्राविधान उपलब्ध हैं । प्रधानाचार्य का पद प्रत्येक संस्था, जो अपने में एक अलग इकाई होती है, में एक ही होता है । आरक्षण की व्यवस्था पदों की संख्या एक से अधिक होने पर ही लागू होती है ।

बिड़ला विद्या मंदिर इन्टर कालेज, हरगांव, जिला सीतापुर में अध्यापकों का रिटायरमेन्ट पेंशन का भुगतान

139--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बिड़ला विद्या मंदिर इन्टर कालेज, हरगांव, जिला सीतापुर में जून, 1981 में किन-किन अध्यापकों का रिटायरमेन्ट

हुआ ? उन्हें अब तक पेंशन देना पेंशन कब तक मिलना कारण है और प्रारम्भ करने के क्या प्रारम्भ हो जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

केवल एक अध्यापक श्री यमुना दत्त पान्डेय का रिटायरमेन्ट हुआ, जिन्हें दिनांक 16-8-1983 से पेंशन का भुगतान प्रारम्भ किया जा चुका है । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्याम लाल गुप्त, भूतपूर्व सहायक अध्यापक, ए0 एम0 इन्टर कालेज, मवाना, मेरठ का अवशेष वेतन पेंशन का भुगतान न किये जाने की शिकायत

140--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 10086/83, दिनांक 24 मार्च, 1983 जिसमें श्याम लाल गुप्त, भतपूर्व सहायक अध्यापक ए0 एम0 इन्टर कालेज, मवाना, मेरठ का अवशेष वेतन, पेंशन का भुगतान अभी तक न किये जाने की शिकायत की गयी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा अभी तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पूरनपुर, जिला पीलीभीत में कृषि उत्पादन मंडी समिति के भवन एवं यार्ड के निर्माण हेतु स्थान का चयन

141--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या कृषि मन्त्री बतायेंगे कि पूरनपुर, जिला पीलीभीत में कृषि उत्पादन मंडी समिति के भवन एवं यार्ड के निर्माण हेतु स्थान कायम हो चुका है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य अब तक प्रारम्भ न किये जाने का क्या कारण है ? भूमि चयनित न होने का क्या कारण है तथा चयन प्रक्रिया कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री यशपाल सिंह--

मामला शासन के विचाराधीन है ।

स्वर्गीय श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, पुरैना, जनपद रामपुर की भविष्य निधि की धन-राशि का भुगतान

142--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यापक कैलाश चन्द्र शर्मा प्र0 अ0 ज0 ने0 स्कूल पुरैना, जिला रामपुर की मृत्यु सेवा में रहते हुए दिनांक 10 अगस्त, 1981 को हुई थी ? क्या उनकी पत्नी को उनके जी0 पी0 एफ0, ग्रेच्यूटी तथा परिवारिक पेंशन का भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उनकी पत्नी को विभाग ने नौकरी भी दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

स्वर्गीय श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, पुरैना, जनपद रामपुर के भविष्य निधि की धनराशि रुपया 2,840.64 का भुगतान दिनांक 22 जुलाई, 1983 को उनकी पत्नी श्रीमती पूरन देवी शर्मा को किया जा चुका है । परिवारिक पेंशन भी उन्हें स्वीकृत की जा चुकी है । ग्रेच्यूटी के भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही जिला स्तर पर की जा रही है । जनपद रामपुर में कोई पद रिक्त न होने के कारण स्व0 अध्यापक की पत्नी को नियुक्ति नहीं दी जा सकी है ।

स्वर्गीय श्री बृज कुमार सिंह, लिपिक के आश्रित को सेवा में लिये जाने का प्राविधान

143--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उप-विद्यालय निरीक्षक, सीतापुर के कार्यालय में सेवारत रहते 26 मार्च, 1981 को दिवंगत हो गये लिपिक श्री बृज कुमार सिंह के आश्रित को सेवा में ले लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक ले लिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

सेवा में न लेने का कारण उनके आश्रित पुत्र एवं पुत्री का अल्प वयस्क होना है तथा उनकी पत्नी जो वयस्क हैं वह सेवा नहीं करना चाहती हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय में व्याप्त अनियमितायें एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

144--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय में व्याप्त अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र श्री ओ0 पी0 शर्मा, अध्यक्ष, लखनऊ वि0 वि0 कर्मचारी संघ द्वारा हस्ताक्षरित सितम्बर, 1982 के अन्तिम सप्ताह में मिला था ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ परन्तु वह अपनिहित (मिसप्लेस) हो गया । श्री शर्मा से उक्त पत्र की प्रतिलिपि मांगी गयी है, जिसके प्राप्त होते ही आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

बी0 डी0 ओ0 ब्लाक गोदलामऊ, जिला सीतापुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितता सम्बन्धी-पत्र

145--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बी0 डी0 ओ0 ब्लाक गोदलामऊ, जिला सीतापुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितता किये जाने सम्बन्धी कोई शिकायती-पत्र श्री रामेश्वर दयाल मिश्र, भूतपूर्व ब्लाक प्रमुख, गोदलामऊ, जिला सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित जिलाधिकारी, सीतापुर को 18 फरवरी, 1983 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन मिला ? यदि हां, तो क्या सरकार शिकायती-पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखेगी तथा बतायेगी कि मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा इस बारे में बी0 डी0 ओ0, गोदलामऊ के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित शिकायतें निम्नलिखित हैं--

(1) रात्रि निवास फर्जी दिखाकर धन प्राप्त करना ।

(2) निर्बल वर्ग आवास योजना में धांधली और भ्रष्टाचार ।

(3) गोबर गैस संयंत्रों एवं पेयजल कूपों हेतु सीमेन्ट परमिट वितरण में अनियमितता ।

(4) वर्ष 1981-82 में बाढ़ राहत के लिये विकास खंड को प्राप्त 35,000 रु0 के वितरण में नकली भुगतान रसीदें बनवाकर धन हड़प लिया जाना ।

(5) क्षेत्रीय जनता व सहकर्मियों को आतंकित करना एवं अराजक तत्वों को आश्रय देना ।

(6) खाद्यान्न वितरण योजना में सी0 आई0 डी0 जांच के कारण धन का वितरण मजदूरों को न किया जाना एव उक्त धन को अपने आदमियों को मिलाकर हड़प लिया जाना ।

चूंकि जांच कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं हुई है अतः शिकायती-पत्र को प्रति सदन के पटल पर रखना व्यवहारिक नहीं होगा ।

146—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 60 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के डिप्लोमा धारकों को अवर अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति

147—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में सन् 1980 में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के डिप्लोमा धारकों को अवर अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति की गयी थी, किन्तु 1981 में साक्षात्कार लेने के बाद नियुक्ति नहीं की गयी जबकि विज्ञापन में सिविल इंजी0 अथवा समकक्ष योग्यता मांगी गयी थी और पब्लिक हेल्थ इंजी0 डिप्लोमा सिविल के समकक्ष है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में वर्ष 1980 में किसी पब्लिक हेल्थ इंजी0 के डिप्लोमा धारक को अवर अभियन्ता/सहायक विकास अधिकारी (ग्रा0अ0से0) के पद पर नियुक्त नहीं किया गया था ।

वर्ष 1981 में सहायक विकास (ग्रा0अ0से0) के पदों पर तदर्थ नियुक्ति हेतु विज्ञापन में 3 वर्षीय सिविल अभियन्त्रण में डिप्लोमा धारकों के प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये थे ।

यह सत्य है कि कुछ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के डिप्लोमा धारकों का भी साक्षात्कार किया गया था, परन्तु पद हेतु उनकी निर्धारित अर्हता न होने के कारण नियुक्ति नहीं की गई ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों, प्रधानाध्यापक एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों को देय 'बी' श्रेणी नगर भत्ता

148—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर नगर की आबादी वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार एक लाख से अधिक होने के बाद भी इस नगर में कार्यरत राजकीय तथा अराजकीय माध्यमिक एवं उ0 मा0 विद्यालयों के अध्यापकों, प्रधानाध्यापक एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों को 'बी' श्रेणी का नगर भत्ता न दिये जाने का क्या कारण है तथा भत्ता कब से अनुमन्य हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रदेश में नगर भत्ते के नाम से कोई भत्ता नहीं दिया जा रहा है । "नगर प्रतिकर भत्ते" के नाम से एक भत्ता केवल कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, लखनऊ, मेरठ तथा बरेली नगरों में ही दिया जा रहा है । अन्य कई नगरों, जिनकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है, में यह भत्ता इस समय भी नहीं दिया जा रहा है ।

जिला बेसिक शिक्षक संघर्ष समिति, ललितपुर द्वारा प्रेषित मांग पत्र

149—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र

दिनांक 10 नवम्बर, 1982 प्राप्त हुआ है, जिसमें जिला बेसिक शिक्षक संघर्ष समिति, ललितपुर द्वारा मांग-पत्र प्रस्तुत किया गया है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

150--श्री मुईद अहमद--

[दिनांक 7-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 173 द्वारा उत्तरित ।]

प्रदेश के अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु बीमा योजना

151--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्रदेश के अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिये बीमा योजना कब से लागू की गई है ? उसका पूर्ण ब्योरा क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिये बीमा योजना अभी लागू नहीं है । केवल सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सामूहिक जीवन बीमा योजना लागू किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

जनपद बांदा के अशासकीय अस्थायी एवं स्थायी मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं को क्षतिपूर्ति अनुदान

152--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद बांदा के अशासकीय अस्थायी एवं स्थायी मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 6 के छात्रों को एवं कक्षा 7-8 की छात्राओं को विगत कई वर्षों से क्षतिपूर्ति अनुदान नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो पूर्ण ब्योरा एवं कारण क्या है ? क्षतिपूर्ति अनुदान कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के अप्रशिक्षित अध्यापकों हेतु निर्धारित वेतनमान तथा मांगों की पूर्ति हेतु ज्ञापन

153--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्रदेश के अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिये कोई ग्रेड निर्धारित नहीं है ? यदि हां, तो ग्रेड निर्धारण के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । अप्रशिक्षित अध्यापकों को कोई वेतनमान देने का प्रश्न नहीं उठता । उन्हें नियत वेतन दिया जाता है ।

154--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि प्रदेश के अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों ने दिनांक 10-11-83 को 12 सूत्रीय मांगों को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन किया है ? यदि हां, तो 12 सूत्रीय मांगे क्या हैं ? इन मांगों की पूर्ति हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

दिनांक 10-11-83 के प्रदर्शन के सम्बन्ध में 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन शासन को प्राप्त हुआ है, जिसमें निम्नलिखित मांगें हैं :--

1--कक्षा 8 की परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त की जाय ।

2--कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा का तुरन्त राष्ट्रीयकरण किया जाय ।

3--पूर्व माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों से संलग्न प्राइमरी विभाग के शिक्षकों को वेतन वितरण अधिनियम में शामिल किया जाय ।

4--जू0 हा0 स्कूल से हाई स्कूल हो जाने पर वहां के सक्षम प्रधानाध्यापक को प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नति का प्राविधान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में किया जाय ।

5--जू0 हा0 स्कूल के प्रधानाध्यापक को एल0 टी0 वेतनक्रम दिया जाय ।

6--प्रतिवर्ष 300 जू0 हा0 स्कूलों को अनुदान सूची पर लाया जाय ।

7--सहायता प्राप्त जू0 हा0 स्कूल के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों पर भी अनिवार्य जीवन बीमा योजना, मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति अनुतोषिक योजना अविलम्ब लागू की जाय ।

8--लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की परिवारिक पेंशन योजना, नकदीकरण की योजना लागू की जाये, इनके चयन वेतनमान भी घोषित किये जाय ।

9--असहायिक जू0 हा0 स्कूल के त्रिभाषा अध्यापक को जुलाई, 1979 से नया वेतन मान दिया जाये ।

10--उ0 मा0 विद्यालयों की भांति जू0 हा0 स्कूलों में भी साधिकार नियंत्रक की व्यवस्था की जाय तथा 60 दिन निलम्बन अवधि के उपरान्त सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक कर दी जाय ।

11--अप्रशिक्षित शिक्षकों का नया वेततमान तुरन्त घोषित किया जाय ।

12--सहायता प्राप्त जू0 हा0 स्कूलों के उच्चीकृत होने पर शिक्षक कर्मचारियों का वेतन भुगतान न रोका जाय ।

मांग संख्या 1, 2, 4, 5 तथा 6 स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं है । मांग संख्या 3, 7, 8, 9 व 12 शासन के विचाराधीन हैं । मांग संख्या 8 में जहां तक चयन वेतनमान घोषित करने का सम्बन्ध है व मांग संख्या 10 का सम्बन्ध है, इन पर विचार किया जावेगा मांग संख्या 11 को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है । इनके नियत वेतन के पुनरीक्षण का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

अवकाश ग्रहण करने वाले माध्यमिक शिक्षकों को राजकीय कर्मचारियों के समान पेंशन की सुविधा

155--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि वर्ष 1974 से पूर्व अवकाश ग्रहण करने वाले माध्यमिक शिक्षकों को राजकीय कर्मचारियों के समान पेंशन की सुविधा नहीं दी जाती ? यदि हां, तो क्या सरकार इन अवकाश प्राप्त शिक्षकों को भी अन्य कर्मचारियों के समान पेंशन की सुविधा उपलब्ध करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

जी नहीं ।

इन अध्यापकों को तत्समय लागू नियमों के अनुसार पेंशन दी जा रही है ।

गैर सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को पूर्ण एवं नियमित वेतन दिए जाने का आदेश

156--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि गैर सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक

विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को पूर्ण एवं नियमित वेतन नहीं मिलता है ? यदि हां, तो क्या सरकार विद्यालयों को मान्यता के साथ ही अनुदान सूची पर लाकर वेतन वितरण का दायित्व लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

इन शिक्षकों को पूर्ण एवं नियमित वेतन दिये जाने के आदेश हैं।

जी नहीं,

मान्यता की शर्तों को पूर्ण करने पर इच्छुक विद्यालयों को मान्यता देने की शासन की नीति है। जहां तक अनुदान का प्रश्न है, वह वित्तीय संसाधनों के अनुसार सीमित संख्या में ही विद्यालयों को दिया जा सकता है।

जनपद गोरखपुर के कतिपय गांवों में राजकीय बालिका हाई स्कूल खोलने पर विचार

157--श्रीमती गौरी देवी--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया गोरखपुर जनपद के पिपरौली, गजपुर, भौगपार जैसे महत्वपूर्ण 8000 से अधिक आबादी वाले गांवों में जमीन उपलब्ध होने पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राजकीय बालिका हाई स्कूल खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

इसके लिए समय निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

गोरखपुर जनपद के विकास खंड पिपरौली, कौड़ीराम एवं खोराबार में मार्गों का निर्माण

158--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद के विकास खंड पिपरौली, कौडीराम एवं खोराबार में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कुल कितने कि0मी0 लम्बे मार्ग निर्मित कराये गये और उनकी स्थिति क्या है ? क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा खाद्यान्न योजना में बनी सड़कों का खड़ंजा इस वर्ष कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जनपद गोरखपुर के विकास खंड पिपरौली, कौडीराम एवं खोराबार में खाद्य श्रम योजना के अन्तर्गत पंचायत राज विभाग द्वारा क्रमशः 8·898 कि0 मी0, 8·5 कि0 मी0 तथा 51·408 कि0 मी0 कच्चे सम्पर्क मार्गों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विकास खंड खोराबार में योजनान्तर्गत 6·50 कि0 मी0 खड़ंजा स्तर तक मार्ग का निर्माण किया गया है।

निर्मित मार्गों की स्थिति निम्न प्रकार है--

(1) कौडीराम--स्थिति ठीक है।

(2) पिपरौली--अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। पुनः मरम्मत हेतु मिट्टी के कार्य की आवश्यकता है।

(3) खोराबार--21 मार्ग पूर्ण हैं तथा 5 मार्ग अपूर्ण हैं।

(4) सार्वजनिक निर्माण विभाग--स्थिति ठीक है।

2--ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा इस वर्ष विकास खंड खोराबार में बनसप्ती रामगज मार्ग पर 0·400 कि0 मी0 सड़क तथा 4 पुलियों का निर्माण कार्य कराया जाना है। शेष सम्पर्क मार्गों को खड़ंजा कराना है।

159--श्रीमती गौरी देवी--

[5वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 43 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

शिक्षा अनुभाग--2 के शासनादेश संख्या 3669 में पदों की अर्हता एवं वेतनमान

159--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 3669/15-2-27(11, 82-शिक्षा-2, दिनांक 28 जुलाई, 1982 के संलग्नक में क्रम सं0 एक से तेंतीस तक के पदों की क्या अर्हता एवं किस सम्वर्ग में उन पदों के क्या-क्या वेतनमान रखे गये हैं ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्रम सं0 एक से तेंतीस के पदों में से किन-किन पदों की लोक सेवा आयोग से भर्ती की जाती है और किन-किन पदों का विभागीय प्रोन्नति द्वारा किस सम्वर्ग से भरी जाती है ?

160--श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्वाधीनता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को छात्र-वृत्ति की दरों में वृद्धि की मांग

161--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को जो स्कालरशिप उनके शिक्षा हेतु दी जाती हैं, वह बहुत कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान महंगाई को देखते हुए उसे बढ़ाने का विचार करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

स्वाधीनता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को कक्षा 6 से शोध स्तर तक विभिन्न दरों से छात्रवृत्ति दी जा रही है । उनकी छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि की मांग शासन के विचाराधीन है ।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को वृत्तिकायें तथा शैक्षिक सुविधायें प्रदान करने सम्बन्धी योजना

162--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को स्कालरशिप या अनुदान दोनों में से एक ही प्राप्त करने का विधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वैधानिक आपत्ति को समाप्त कर देने की कृपा करेगी ? जिससे उन विद्यार्थियों को अनुदान या स्कालरशिप दोनों में से एक ही को प्राप्त करने की अब तक सुविधा थी ?

श्री अम्मार रिजवी--

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनकी संतानों, आश्रितों को वृत्तिकायें तथा शैक्षिक सुविधायें प्रदान करने सम्बन्धी योजना के नियम 21 में एक अभ्यर्थी या आवेदक को एक समय में एक ही प्रकार की सहायता का उपयोग कर सकने का प्राविधान है । जिन परीक्षार्थियों ने पिछले वार्षिक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों उन्हें वृत्ति तथा जो सामान्यतया उत्तीर्ण हों उन्हें पुस्तकीय सहायता देय होगी । शासन इस नियम में कोई परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं है ।

163--श्रीमती कमला साहनी--

[दिनांक 20-2-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 96 द्वारा उत्तरित ।]

सेवा निवृत डा0 प्रेम नारायण शर्मा की सामान्य भविष्य निधि एवं ग्रच्यटी के अवशेष का भुगतान

164--श्री धरमपाल--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा0 प्रेम नारायण शर्मा को

कि जिला परिषद्, मैनपुरी की जसराना डिस्पसरी में वर्ष 1967 में मेडिकल आफिसर के पद से सेवा निवृत्त हुए थे, के शेष वेतन, अवकाश का वेतन आदि के लगभग रु0 4,000·00 के अवशेष भुगतान, सेवा निवृत्ति के 16 वर्ष के पश्चात् भी न होने के क्या कारण हैं ? उक्त अवशेषों का भुगतान डा0 शर्मा को कब तक कर दिया जायेगा ? क्या मंत्री जी यह भी कृपया बतायेंगे कि उक्त डा0 शर्मा के सामान्य भविष्य निधि एवं ग्रेच्युटी के अवशेष भुगतान किस प्रयोजन से रोके गये हैं तथा कब तक भुगतान किये जायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

डा0 शर्मा के अवशेष देयों के लिए एक देयक रु0 1,352·50 का जिला परिषद्, को प्राप्त हुआ था जिसके विरुद्ध रु0 490, वर्ष 66-67 में ही जिला स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय को भुगतान हेतु भेज दिया गया तथा शेष रु0 862·50 दिनांक 5-3-84 को डा0 शर्मा को चेक द्वारा भेज दिया गया है। इनके सामान्य भविष्य निधि में से रु0 9,500 का भुगतान 11-11-70 को किया जा चुका है तथा शेष के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। डा0 शर्मा को सेवा निवृत्ति के समय तक ग्रेच्युटी अनुमन्य नहीं थी। डा0 शर्मा के समस्त अवशेष देय धनराशि का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र करने के आदेश सम्बन्धित अधिकारी को भेज दिए गए हैं।

शिक्षा विभाग में पर्वतीय संवर्ग के अन्तर्गत एल0 टी0 तथा एस0 एस0 ई0 एस0 वेतनमानों में तदर्थ नियुक्तियां

165--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में पर्वतीय संवर्ग के अन्तर्गत वर्ष 1982 में एल0 टी0 तथा एस0 एस0 ई0 एस0 वेतनमानों में कितनी तदर्थ नियुक्तियां की गयी ? इनमें से पर्वतीय क्षेत्र के कितने अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी गयी ? इस प्रकार नियुक्त कितने अध्यापकों ने कार्यभार ग्रहण किया ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम सेनपुरवा (बाराबंकी) के कुलाबा नं0 48 पर कच्ची नालियों को पक्का करने की मांग

166--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सेनपुरवा मजरे जसमण्डा, जनपद बाराबंकी के आस-पास के सभी कुलाबों की पक्की नाली बन गयी है ? यदि हां, तो गदिया रजवाहा (नहर) पर कुलाबा (गूल) नं0 48 की पक्की नाली क्यों नहीं बनायी गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ग्राम सेनपुरवा मजरे जसमंडा, जनपद--बाराबंकी में गदिया रजवाहा के कुलाबा नं0 49, 50, 51 व 52 पर पक्की नालियों का निर्माण कराया गया है तथा कुलाबा नं0 44, 45, 46, 47, व 48 पर कच्ची नालियां निर्मित कराई गई हैं। कुलाबा नं0 48 पर निर्मित कच्ची नाली को तकनीकी दृष्टिकोण से पक्का कराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि नाली की तली भूमि तल से नीचे है।

श्रीमती कमला देवी (द्वितीय), सहायक अध्यापिका, जू0 बे0 विद्यालय, सफेदाबाद, बाराबंकी का स्वीकृत चिकित्सा अवकाश तथा वेतन का आहरण

167--श्री कुबेर भंडारी तथा
श्री हरिवंश सहाय--

प्रथम सत्र 1982 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 195 के

उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वेतन समायोजित करने का आदेश किस अधिकारी द्वारा दिया गया ? क्या अगले माह में वेतन समायोजित कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सम्बन्धित अध्यापिका माह सितम्बर, 1980 में अवकाश पर रही ? यदि हां, तो वेतन क्यों आहरित किया गया तथा आहरित होने के बाद समायोजित करने के आदेश सहित भुगतान क्यों नहीं कराया गया ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर में स्थित स्वावलम्बी इन्टर कालेज, विशुनपुरा में जे0 टी0 सी0 वेतनक्रम में शिक्षकों की नियुक्ति

168--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में स्थित स्वावलम्बी इन्टर कालेज, विशुनपुरा में जुलाई, 1963 में जी0 टी0 सी0 वेतन-क्रम में कौन-कौन से सहायक शिक्षक नियुक्त हुए और पांच साल की शिक्षण अवधि पूरा करने के बाद की तिथि से सुमोटी पद्धति में वर्ष 1974 से वर्ष 1979 के बीच पदोन्नति दे दी गयी ? इस श्रेणी में आने वाले किन-किन शिक्षकों ने पांच साल पूरा होने के बाद जे0 टी0 सी0 वेतन-क्रम में किये गये कार्य पर सी0 टी0 वेतन-क्रम की धनराशि की मांग प्रबन्धक अंशदान कोष से देने हेतु स्थानीय अधिकारियों व शासन से माह जनवरी, 1982 से माह अक्तूबर, 1982 के अन्दर कितनी बार सूचना देकर मांग किया है ? इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी और नहीं की, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्र0 पा0, लारपुर, जनपद फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में पत्र

169--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रा0 पा0 लारपुर, जनपद फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 4-10-1982 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मामले की जांच किस अधिकारी द्वारा किस तिथि को की गयी तथा जांच के दौरान शिकायतकर्ता से भी लिखित या मौखिक बयान लिया गया ? यदि हां, तो सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

माध्यमिक विद्यालयों द्वारा अनिवार्य जमा किस्त को स्टाफ में वितरित न किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

170--श्री धर्मबीर सिंह त्यागी--

क्या शिक्षा मंत्री बतलायेंगे कि ऐसे माध्यमिक विद्यालय कितने हैं जिन्होंने भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर के यहां से एक भी अनिवार्य जमा किस्त वापस लेकर 31-12-81 तक स्टाफ को वितरित नहीं की है ? सरकार ने ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश की प्राथमिक पाठशालाओं में अध्यापक/अध्यापिकाएं तथा आरक्षण कोटा

171--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं

में 3 मार्च, 1982 को कुल कितने अध्यापक तथा अध्यापिकाएं अलग-अलग थीं तथा उनमें से कितने अनुसूचित जाति के, कितने जनजाति के, कितने पिछड़े वर्ग के तथा कितने अल्प संख्यक वर्ग के थे ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है जिसके प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा क्योंकि प्रश्न में वांछित सूचना सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की पाठशालाओं से सम्बन्धित है।

प्राइमरी कन्या पाठशाला, अमोला में मुख्यालय बाबू द्वारा सस्पेन्स एकाउन्ट से धन निकालने के बारे में पत्र

172—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लालती देवी, सहायक अध्यापिका, प्राइमरी कन्या पाठशाला, अमोला शिक्षा क्षेत्र बसखारी, ब्लाक रामनगर, जिला फैजाबाद ने दिनांक 8-10-1980 को उप जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद दिनांक 10-1-1983 को मंत्री जी को मुख्यालय बाबू द्वारा सस्पेन्स एकाउन्ट से धन निकलने के बारे में प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो इस भ्रष्टाचार के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में इन्टरमीडिएट विद्यालयों में सैन्य विज्ञान विषय के अध्यापक तथा देय वेतनमान

173—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इन्टरमीडिएट विद्यालयों में सैन्य विज्ञान विषय के ऐसे कितने अध्यापक हैं जो प्रवक्ता वेतनक्रम पा रहे हैं तथा वह केवल बी० ए० अथवा बी० एस०-सी० सैन्य विज्ञान सहित तथा एन० सी० सी० कमीशन्ड अधिकारी हैं तथा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि नहीं रखते हैं ? क्या अध्यापक राजाज्ञा संख्या 8239/पन्द्रह 7-76-2(1)-1975, दिनांक 9-12-76 द्वारा सैन्य विज्ञान, अध्यापकों की शैक्षिक योग्यताओं में किये गये संशोधनों के आधार पर सैन्य विज्ञान प्रवक्ता वेतनमान (रु० 400-750) पाने के अधिकारी हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

बस्ती जिले में माध्यमिक विद्यालयों का बकाया शिक्षा शुल्क

174—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में माध्यमिक विद्यालय कितने हैं और उन विद्यालयों में से कक्षा 6 का शिक्षा शुल्क गत कितने वर्षों से किन-किन विद्यालय को नहीं भुगतान हुआ ? किस-किस विद्यालय का कितना-कितना धन बकाया है ? इसे भुगतान करने के लिए सरकार सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में उर्दू टीचर्स के रिक्त पद

175—श्री फखरे आलम—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में उर्दू टीचर्स के कितने स्थान थे और उनमें से कितने स्थानों पर नियुक्ति हुई

तथा कितने स्थान रिक्त हैं ? यदि स्थान रिक्त हैं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद जौनपुर के माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को अनुमन्य सुविधायें

176—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध कितने प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं और उनमें कुल कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? क्या सरकार इन शिक्षकों को भी वही सुविधाएं प्रदान करेगी जो इनके समकक्ष अन्य प्राथमिक शिक्षकों को उपलब्ध हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

ऐसे 15 विद्यालय और 66 अध्यापक हैं ।

बालक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी कक्षाओं के अध्यापकों को वित्तीय कारणों से अनुदान सूची पर लेते हुए सहायता प्राप्त संस्थाओं के शिक्षकों को अनुमन्य सुविधायें देना सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

बेसिक शिक्षा विभाग, वाराणसी में श्रीमती विमला श्रीवास्तव द्वारा फर्जी ट्रांसफर आदेश गाजीपुर का बनाकर कार्य-भार ग्रहण किया जाना

177—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक प्राइमरी पाठशाला, मढ़वा गोसाईपुर शिक्षा क्षेत्र बेसिक शिक्षा विभाग, वाराणसी में श्रीमती विमला श्रीवास्तव फर्जी ट्रांसफर आदेश गाजीपुर का बनाकर तारीख 30 जुलाई, 1980 से कार्यभार ग्रहण किया था ? क्या यह सही है कि पद स्थापन आदेश श्रीमती कालिन्दी पांडेय, बेसिक शिक्षा अधिकारी महिला, वाराणसी के आदेश से था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि बेसिक प्राइमरी पाठशाला, मढ़वा, ब्लाक हरहुआ, जिला वाराणसी के प्रधान अध्यापक अमरनाथ लाल ने 20 जुलाई, 1982 को एक रिपोर्ट प्रति उप-विद्यालय निरीक्षक, हरहुआ, वाराणसी को लिखित दिया है कि उक्त आदेश को उन्होंने श्रीमती कालिन्दी पांडेय को दिखाया तो उन्होंने कहा कि मेरा हस्ताक्षर है उसको कार्यभार ग्रहण करा दीजिए ? क्या लाग-बुक पर भी अभी आदेश संख्या अंकित है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या विद्यालय, बिलसी, जनपद बदायूं में अध्यापिकाओं एवं अन्य कर्मचारियों को सी0 डी0 एस0 का भुगतान न किय जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

178—179—श्री गोपी नाथ वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 22 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फंड कमिश्नर, कानपुर से धनराशि प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या प्राप्त धनराशि को प्रश्न से सम्बन्धित समस्त अध्यापिकाओं एवं कर्मचारियों को जुलाई, 1974 से 1977 तक सी0 डी0 एस0 का भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो अब तक बकाया भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ?

क्या यह भी सही है कि उक्त मामले से सम्बन्धित अधिकारी द्वा

मामले को टाला जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषी पाये जाने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर के ब्लाक मिठौरा व सिसवा में प्राइमरी पाठशालाओं के शिक्षकों का निलम्बन

180—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक मिठौरा व सिसवा के कौन-कौन प्राइमरी पाठशालाओं के शिक्षक दिनांक 6 अगस्त, 1982 से निलम्बित हैं और किस कारण ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

एस0 के0 पी0 इंटर कालेज, आजमगढ़ में कतिपय शिक्षकों के अनियमित भुगतान की शिकायत की जांच

181—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 5 नवम्बर, 1981 तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है तथा 15 अप्रैल, 1983 तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

आजमगढ़ जनपद के शिक्षकों द्वारा दिया गया धरना तथा शिकायतों का निस्तारण

182—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के आठवें सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 197 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि संलग्न 12 शिकायतों के सन्दर्भ में अलग-अलग क्या निर्णय लिए गए तथा शेष आठ प्रकरणों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मिर्जापुर में प्राइमरी पाठशालाओं को अन्यत्र गांव में स्थानान्तरण करने पर विचार

183—श्री राम चरण सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1982-83 में 118 प्राइमरी पाठशाला बालक एवं बालिकाओं के ऐसे भी हैं जो एक ही गांव में चल रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार उन प्राइमरी पाठशालाओं को एक वहां छोड़कर दूसरे को अन्यत्र गांव में, जहां पाठशाला नहीं है स्थानान्तरण करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बस्ती के जोगिया गांव में स्थित जूनियर हाई स्कूल को अन्य गांव में स्थानान्तरित किये जाने की मांग

184—श्रीमती कमला साहनी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के विकास खंड जोगिया के जोगिया गांव में स्थित जूनियर हाई स्कूल कितने वर्षों से निष्क्रिय है और सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है ? क्या सरकार उक्त विद्यालय को विकास खंड के किसी अन्य गांव में स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्वर्गीय महेश बहादुर की पत्नी श्रीमती कृष्णा कुमारी को अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान द्वारा सहायता

185--श्री राम आसरे वर्मा--

विधान सभा के दिनांक 2-3-82 (छठा मंगलवार) के अतारांकित प्रश्न संख्या 179 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्व0 महेश बहादुर की पत्नी श्रीमती कृष्णा कुमारी को जो सहायता प्रदान की गई थी, वह अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान द्वारा दी गई थी, न कि शासन द्वारा ? क्या सरकार अब उक्त श्रीमती कृष्णा कुमारी (स्व0 महेश बहादुर) के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर विचार किया जा सकेगा ।

सुकदेव किसान विद्या मन्दिर, मुबांपुर (रानीपुर), फैजाबाद के सम्बन्ध में तहसीलदार की जांच रिपोर्ट तथा प्रबन्धक व व्यवस्थापक द्वारा फर्जी प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में पत्र

186--श्री बलबीर सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या सम्बन्धित तहसीलदार की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ? यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब का क्या कारण है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट का सम्पूर्ण विवरण क्या है तथा उसके आधार पर अब क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

इस सम्बन्ध में स्थिति की जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद से प्राप्त की जा रही है ।

187--श्री बलबीर सिंह--

उक्त सन्दर्भ में क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या तत्कालीन भूमि प्रबन्धक समिति, मौजा मेवापुर मुताल्लक देवगांव के उप प्रधान श्री महादेव एवं अन्य सदस्यों का कोई प्रार्थना-पत्र उनके जाली हस्ताक्षर बना कर प्रबन्धक तथा व्यवस्थापक द्वारा फर्जी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री को माह सितम्बर 1983 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित मुख्य मुद्दा क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

यह पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । अतः शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों का क्षेत्र समिति का सदस्य रहने का औचित्य

188--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के कितने अध्यापक क्षेत्र समितियों के सदस्य हैं ? अध्यापकों का उक्त क्षेत्र समिति का सदस्य रहने का क्या औचित्य है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम प्रधानों के सम्मेलन का उद्घाटन सांसद, श्री राजीव गांधी से कराये जाने पर आपत्ति

[समय 12 बजकर 25 मिनट]

श्री भीखा लाल--

अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था और बड़ा मौलिक सवाल माननीय रियासत हुसैन ने किया कि सरकारी पैसों पर प्रधानों का सम्मेलन बुलाया और हमारे माननीय मंत्रीगण मौजूद थे, उनसे कोई उद्घाटन नहीं कराया । यदि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप बुलाते, राजीव गांधी आपके राष्ट्रीय नेता हैं और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे उद्घाटन कराते तो हमें कोई एतराज नहीं है । लेकिन यह शिष्टाचार के नाते जब यह सरकारी पैसे से सम्मेलन कराया गया था, जब केन्द्रीय मंत्री और राज्य के मंत्री मौजूद थे, तो उनसे उद्घाटन न कराकर, यह सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है और सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया है, यह संतोष-जनक नहीं है । पार्टी की छवि बढ़ाने में सरकारी धन का प्रयोग अशोभनीय है । मान्यवर, यह जो उत्तर दिया गया है, इसके विरोध में मैं अपने दल के साथ 5 मिनट के लिए सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री भीखा लाल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मैं भी बहिष्कार कर रहा हूं ।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट भी सदन त्याग कर चले गये ।)

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, जैसा माननीय वीर बहादुर सिंह ने कहा कि वह सरकारी फंक्शन था । उन्होंने यह भी बताया कि केन्द्र के मंत्री वहां मौजूद थे और इस शासन के और भी मंत्री मौजूद थे । ग्राम्य विकास मंत्री स्वयं भी मौजूद थे, उनको छोड़कर एक केवल एम० पी० से उद्घाटन कराया गया, जिसमें आपके इस पूरे शासन की बेइज्जती, तौहीन हुई थी । माननीय राजीव गांधी, आपके पीर होंगे, पीर मुरशिद होंगे पीर मुजावर होंगे, खुदा, सब कुछ होंगे । लेकिन पूरे प्रदेश की जनता के लिए, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, न हमारे लिए पीर हैं, और न खुदा हैं, हमारे लिए वे कुछ नहीं हैं । हम कुछ भी उनको नहीं समझते । अब जब पूरे प्रदेश का उसमें पैसा खर्च हुआ है, इसको माननीय वीर बहादुर सिंह बहुत लाइटली ले रहे हैं और माननीय संसदीय कार्य मन्त्री के बीच में कोई शिष्टाचार है नहीं । माननीय नारायण दत्त तिवारी जी भी वहां पर मौजूद थे । मैं इस बात की घोर आपत्ति करता हूं कि प्रदेश के पैसे का दुरुपयोग केवल राजीव गांधी की शख्सियत को उठाने के लिए और प्रदेश के लोगों की निगाह से गिराने के लिए यह जो सम्मेलन हुआ है, जनता पार्टी इसके विरोध में सदन का त्याग करती है ।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

*श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, माननीय जसवन्त सिंह विष्ट ने बड़ा ही मौलिक प्रश्न उठाया था, वह कार्यवाही में भी आ गया । उसी प्रश्न के क्रम में माननीय भीखालाल और माननीय रियासत हुसैन ने बड़े तर्कपूर्ण प्रश्न किये थे । प्रश्न शिष्टाचार और प्रोटोकल से सम्बन्धित था । यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सही है कि जब तक राज्य मन्त्री जवाब दे रहे थे, नये होने के कारण वह अपने को जवाब देने में सक्षम नहीं पा रहे थे, और मैंने भी नये होने के कारण कुछ नहीं कहा। लेकिन कैबिनेट स्तर के मन्त्री महोदय वीर बहादुर सिंह ने जब जवाब दिया, तो उन्होंने भी इन बिन्दुओं पर प्रकाश नहीं डाला, न शिष्टाचार के बारे में और न प्रोटोकाल के बारे में कोई बात कही। हमारे बजट से जो पैसा गया हो, उसका उद्घाटन किसी बाहरी व्यक्ति से कराया जाय, जो आपकी पार्टी से सम्बन्धित हो। उस पर शासन की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया, केवल हठवादिता और बहुमत के कारण। शासन की इस व्यवस्था पर मैं क्षोभ व्यक्त करता हूं और अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राजेन्द्र सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री मोहन सिंह--

यह प्रदेश के मन्त्री नहीं हैं। यह राजीव गांधी के निजी नौकर हैं।

*श्री कुंवर सिंह नेगी--

जैसा जवाब दिया गया। यह सरकार प्रदेश के धन का दुरुपयोग राजीव गांधी की छबि उभारने में कर रही है। इस मन्त्रिमन्डल की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। सिंचाई मन्त्री राजीव गांधी की कार खुद चला रहे थे।

श्री अध्यक्ष--

भाषण क्यों कर रहे हैं?

श्री कुंवर सिंह नेगी--

इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा खत्म कर दी और प्रदेश की प्रतिष्ठा खत्म कर दी। यह प्रदेश की तौहीन है। अभी तक राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पशु हुआ करते थे अब राष्ट्रीय नेता हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री कुंवर सिंह नेगी भी सदन त्याग कर चले गये।)

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, अफसोस यह है कि नेता विरोधी दल और रियासत साहब यहां से चले गये। मैं उनसे पूछता की प्रोटोकाल की किस किताब में, किस वसूल में प्रदेश की या केन्द्र सरकार को, यह लिखा है कि उद्घाटन इस प्रकार होगा? उद्घाटन के बारे में कहां रूल बना है? मैं अपनी जानकारी के लिये उसे जानना चाहता हूं। प्रदेश के ग्राम प्रधानों का सम्मेलन हुआ और अगर एक एम0 पी0 जो जन-प्रतिनिधि हैं, ने उसका उद्घाटन किया है तो वह प्रजातान्त्रिक है और प्रजातांत्रिक मूल्यों के हिसाब से हुआ है। मैं चुनौती देता हूं कि प्रोटोकाल की किसी किताब में यहां से गोआ तक और अंडमाननिकोबार से मिजोरम तक उद्घाटन के लिये कोई वसूल नहीं लिखा है। यह नहीं लिखा है कि मुख्य मन्त्री या मन्त्री होंगे तो एम0 पी0 उद्घाटन नहीं कर सकता है। बहुत से ऐसे मौके आये हैं, जैसे किसी फैक्ट्री का उद्घाटन किसी मजदूर से कराया गया, किसी मन्त्री से नहीं कराया गया। किसी कारखाने या वर्कशाप का उद्घाटन वहां के कर्मचारी से कराया गया, जब कि वहां पर मुख्य मन्त्री मौजूद रहे हों। यह आरोप लगाना चाहते हैं। राजीव गांधी ने जो ग्राम प्रधानों के सम्मेलन का उद्घाटन किया वह प्रजातांत्रिक हिसाब से था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसी तरह से यह नियमों और वसूलों के खिलाफ...

(घोर व्यवधान)

(इस बीच विरोधी पक्ष के सदस्य सदन में वापस आ गये ।)

श्री रियासत हुसैन--

मुझे खेद है कि संसदीय कार्य मन्त्री उन्हीं की वकालत कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

यह किस नियम के तहत बहस हो रही है ?

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री जसवन्त सिंह विष्ट और श्री विद्यासागर नौटियाल सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग वापस जायं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जब तक यह कार्यवाही से नहीं निकाला जायेगा, वापस नहीं जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें । आप क्या कह रहे हैं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, हम कह रहे हैं इसको कार्यवाही से निकाला जाए ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, इसको कार्यवाही से निकाला जाए ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

प्रोटोकाल पर चर्चा कराइए ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, जब तक यह कार्यवाही से नहीं निकाला जाएगा हम नहीं बैठेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय जसवन्त सिंह विष्ट, आप अपने स्थान पर बैठें । एक शब्द भी नहीं लिखा जाएगा । आप अपने स्थान पर बैठें ।

(व्यवधान)

(श्री लल्लू सिंह चौहान के प्रयास से श्री विद्यासागर नौटियाल अपने स्थान पर वापस चले गये)

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा एवं श्री जसवन्त सिंह विष्ट सदन के फ्लोर पर बैठ गये और कुछ कहने लगे ।)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा सदन छोड़ें । माननीय संसदीय कार्य मन्त्री, मैं श्री ओझा को इंगित करता हूं ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री जनार्दन प्रसाद ओझा को सदन से निलम्बित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष--

जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है इसमें जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हों वह हां कहें...

(इसी बीच विपक्षी दल के बहुत से सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये। कुछ सदस्यों ने "राजीव गांधी मुर्दाबाद" के नारे लगाये एवं जर्नल राइटर की मेज पर रखी फाइलों को श्री अध्यक्ष की तरफ फेंका। कुछ सदस्यों द्वारा रिपोर्ट्स की कापियां फाड़ी गयीं तथा रिपोर्टर की मेज पर रखे स्पीकर को तोड़ दिया गया।)

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय 12 बजकर 33 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित की गयी। 12 बजकर 48 मिनट पर मार्शल ने श्री अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही 15 मिनट और स्थगित किये जाने की सूचना सदन को दी। 1 बजकर 3 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के सदन से निलम्बन प्रस्ताव की वापसी का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय श्री जनार्दन प्रसाद ओझा जी का जो निलम्बन प्रस्ताव है, उसे वापस लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय श्री जनार्दन प्रसाद ओझा जी का जो निलम्बन का प्रस्ताव है, उसे वापस किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

बुन्देलखंड क्षेत्रों में नहरी पानी न पहुंचने से फसलों के सूखने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत मुझे 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इसमें से मैंने सर्वश्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, यदुनाथ सिंह, रामस्वरूप वर्मा, दुर्गाप्रसाद मिश्र, राजेन्द्र कुमार गुप्त, अकबाल हुसैन और श्री फिरंगी प्रसाद विशारद जी की सूचनाओं को स्वीकार किया है। माननीय श्री ऊदल जी की सूचना 200 शब्द से अधिक है, फिर भी वे पुनः लिखकर मुझे दे दें तो मैं उसे कल ले लूंगा। माननीय श्री हरिवंश सहाय जी की सूचना दिनांक 5-3-1984 को श्री नन्द किशोर सिंह द्वारा सदन के संज्ञान में लाई जा चुकी है। माननीय श्री श्याम नारायन तिवारी जी की सूचना नियम 56 में भी प्राप्त हुई है। इस प्रकार इन 4 सूचनाओं को मैंने अस्वीकार किया है।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

आपकी अनुमति से अति लोकमहत्व की अविलम्बनीय सूचना सदन के संज्ञान में देना चाहता हूं :—

रबी की फसल की अन्तिम सिंचाई के लिये झांसी जनपद तथा बुन्देलखंड के सभी जनपदों में चालू नहरों से पानी प्राप्त न होने से खड़ी फसल सूख रही है। सिंचाई विभाग के द्वारा सन् 1984 में नहरों की सफाई न होने से सिंचाई के हेतु खेतों में पानी पहुंच पाना मुश्किल हो गया है किसानों में हाय-तोबा मचा है, अशान्ति का वातावरण व्याप्त हो गया है। यदि तुरन्त पानी

*वक्ता ने भाषण का नवीक्षण नहीं किया।

की व्यवस्था न की गयी तो गेहूं की अन्तिम बुवाई की फसल सूख जायगी और किसान मोहताज की स्थिति में खड़ा हो जायेगा ।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं :--

1--बुन्देलखंड क्षेत्र की उपेक्षा की वृत्ति को त्याग कर तुरन्त दो दिन के अन्दर अपने सभी प्रयत्नों से सिंचाई हेतु पानी दें ।

2--किसानों को समय पर सिंचाई के लिए पानी न मिलने के तथ्यों की जांच कराके उस पर अविलम्ब कार्यवाही की जाय । श्रीमन् वहां फसल सूख गई है ।

इसलिए आप मन्त्री जी को निर्देशित करें कि वहां नहरें चालू करायें ।

नरायनपुर (मिर्जापुर) के बैरियर के कर्मचारियों के अवांछनीय कार्यों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री यदुनाथ सिंह--

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना आवश्यक है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में नरायनपुर, मिर्जापुर पाषाण बैरियर, मन्डी समिति की बैरियर एवं फारेस्ट बैरियर पर बैठे कर्मचारी अवांछनीय तत्वों को पाल रहे हैं, उनको शराब पिलाकर रात को ट्रकों को रोककर अधिकृत शुल्कों के अतिरिक्त दो सौ रुपये तक वसूलते हैं और आये दिन ट्रक ड्राइवरों की पिटाई करते रहते हैं । परिणामस्वरूप दिनांक 3 मार्च, 1984 को सैकड़ों ट्रकों ने चक्का जाम कर दिया है और वहां के चेक पोस्टों को स्वयं उन्हीं कर्मचारियों द्वारा क्षेत्र के दो सम्भ्रांत लोगों को फर्जी मुकदमें में फंसाया जा रहा है । जिससे तनाव पैदा हो गया है । इसका थाना अदालत मिर्जापुर है ।

अतः शासन तत्काल ध्यान दे, जिससे जनता को न्याय मिल सके ।

बाबू राम चमार पुत्र मन्ना लाल, निवासी नटपुरवा (कानपुर देहात) की हत्या तथा पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं निम्नांकित तथ्य सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं--

मन्ना लाल आत्मज रघुवर, ग्राम--नटपुरवा मौजा तिगई, जिला कानपुर देहात के लड़के बाबूराम चमार का अपहरण मुल्जिमानों ने कर लिया । जिसकी नामजद रपट 19-11-83 को थाना-रूरा, जिला कानपुर देहात में उक्त मन्नालाल ने की। 22-11-83 को लाश मिल गई, जिसका मुंह एवं हाथ अभियुक्तगणों के अंगौछे से बंधे पाये गये, जिससे अभियुक्तगणों की शिनाख्त हो गई और मामला 302 ता0 हि0 में तब्दील कर दिया गया तब से अब तक नामजद मुल्जिमान नहीं पकड़े गये । क्योंकि स्थानीय पुलिस प्रभावशाली अभियुक्तगणों से मिली हुई है । श्री मन्ना लाल ने अपनी दरख्वास्तें एस0 पी0 के पास भी भेजी । परन्तु अब तक मुल्जिमान नहीं पकड़े गये । गवाहान ने अपने शपथ-पत्र दाखिल कर दिए फिर भी पुलिस मौन है । अब अभियुक्तों ने गवाहान व मुद्दई को जान से मारने की धमकी दी है । जिससे इलाके में आतंक व क्षोभ का वातावरण पैदा हो गया है ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं माननीय मुख्य मंत्री से मांग करता हूं कि मुल्जिमान को अविलम्ब जेल भेजा जाय और मामले की पैरवी निष्पक्ष पुलिस अधिकारी के हाथ में दी जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद देवरिया के ग्रामों में नहरी पानी न पहुंचने से फसलों के सूखने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

महोदय, आपकी अनुज्ञा से मैं माननीय सदन के संज्ञान में अपनी सुनिश्चित जानकारी को लाना चाहता हूं कि जनपद देवरिया के खजुरिया बांच के बलिपवां और कोइलसवा माइनर में पिछले कुछ दिनों से नहर विभाग ने पानी नहीं दिया है। जिस कारण कड़ी धूप एवं तेज हवा से फसलें बड़ी तेजी से सूख रही हैं। किसानों की गाढ़ी कमाई एवं भविष्य खेतों में खड़ा लूट रहा है। अधिशासी अभियन्ता 17 मार्च, के पूर्व किसी प्रकार पानी देने को राजी नहीं हैं। सैकड़ों गांवों के किसानों में हाहाकार मचा हुआ है।

अस्तु अपनी सुनिश्चित जानकारी देकर सरकार से तत्काल प्रभाव के साथ पानी देने के आदेश करने का आग्रह करता हूं। जिससे किसानों की फसलें बचाई जा सकें।

मान्यवर, एक मिनट और लेना चाहूंगा। मान्यवर, लगभग 200 गांव ऐसे हैं, जहां के किसानों की फसलें, पानी के अभाव में सूख रही हैं। मान्यवर गेहूं की फसल भी इसमें है। मान्यवर, अगर तत्काल पानी की व्यवस्था की बाबत आदेश नहीं दिए गए, तो फसलों को किसी भी तरह से बचाया नहीं जा सकता है। माननीय मन्त्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि तत्काल कोई ऐसी व्यवस्था करा दें, जिससे वहां पर पर्याप्त रूप से पानी की व्यवस्था हो सके।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, यही समस्या बुन्देलखंड झांसी में भी है। वहां स्थिति इतनी विकराल है कि यदि 4 दिन के भीतर पानी वहां पर्याप्त रूप से सुलभ नहीं हुआ, तो वहां की फसलें नष्ट हो जायेंगी। वहां स्थिति अत्यन्त गम्भीर है, इसलिए झांसी की स्थिति को भी दिखवा लीजिए।

उद्योग एवं सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, इसकी बाबत बिल्कुल हिदायत है कि जितना पानी वहां पर है, उसके हिसाब से पूरी व्यवस्था वहां की जाय। इस तरह से यह मेरी समझ में बात नहीं आती है। लेकिन फिर भी मैं इसकी जानकारी करा लूंगा।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, इसकी बाबत आदेश दे दें। जानकारी क्या लेंगे ?

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इस समय जो रबी की फसल है, वह अपनी अंतिम स्थिति में है। लेकिन, पानी की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं है। मान्यवर, इसके दो कारण हैं। एक तो सिंचाई विभाग इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इनके अधिकांश नलकूप और नहर इस समय बन्द हैं। दूसरी बात विद्युत् आपूर्ति की बाबत है, विद्युत् आपूर्ति बिल्कुल गांवों में न्यूनतम है। इसलिए मान्यवर, आप इस पर इन्हें निर्देशित कर दें। यह जरूर नियम 301 के अन्तर्गत आ गया, लेकिन यह विषय काम रोको का है, निर्देशित करें कि गांव में कम से कम 20 घंटे विद्युत् की आपूर्ति होगी और इनका कोई भी नलकूप इस महीने में बन्द नहीं रहेगा और नहरों में 24 घंटे पानी की व्यवस्था रहेगी।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, अभी तक की जो व्यवस्था है, यह आदेश पहले ही दे दिये गये हैं कि जो नलकूप हैं, उनकी समय-समय पर मरम्मत आदि कराके, उन्हें ठीक से चलाया जाय। मान्यवर, यह सूचना आई है कि ज्यादा नलकूप खराब नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है और जो माननीय सदस्य ने बिजली के अभाव और उसकी उपलब्धता की बात कही, तो उसमें यह किया गया है कि जितना मैक्सिमम वह सप्लाई दे सकते हैं, वह लोगों को दे करके सिंचाई की व्यवस्था करा दें। जहां तक नहरों की बात है, उसकी बाबत स्थिति यह है कि नहरों की बाबत कोई शिकायत नहीं आई है। लेकिन हो सकता है कि कहीं ऐसी स्थिति हो और पानी की कमी हो गई हो, उसके लिए, जैसा कि माननीय सदस्य झांसी ने कहा है, जहां दिक्कत होगी, उसे दूर करने के लिए कार्यवाही की जाएगी और जो हमारे नलकूप हैं, उन पर किसी प्रकार की चिन्ता नहीं पैदा होती है। यह पहले ही निर्देशित किया गया है कि पानी की पूरी व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह विषय नियम 56 में भी है। मैं इस पर आप लोगों को मौका दूंगा।

थाना बारादरी स्थित मोहल्ला हाजियापुर (बरेली) में हुये अग्निकान्ड से क्षति तथा सहायता की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

महोदय, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में यह लक्ष्य लाना चाहता हूं कि 7 मार्च, 1984 को बरेली जिले के थाना बारादरी स्थित मोहल्ला हाजियापुर में एक भीषण अग्निकान्ड हो गया। इस हरिजन बस्ती की सभी 34 झोपड़ियां भस्म हो गईं। 2 मवेशी जल कर मर गये। अनुमानित क्षति 2 1/2 लाख रुपया है।

चिन्ताजनक बात यह है कि अभी तक शासन की ओर से न तो कोई राहत कार्य किया गया और न कोई सहायता ही दी गयी। परिणामस्वरूप सभी परिवार शीत की यह रातें खुले आकाश के नीचे काट रहे हैं।

मान्यवर, झोपड़ियां बनवाने एवं उचित आर्थिक सहायता देकर उन्हें पुनर्वासित करने की मांग पर बल देता हूं।

बसंतपुर निवासी हरिजन गोमती को थानाध्यक्ष द्वारा उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबाल हुसैन—

महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ग्राम बसन्तपुर के हरिजन गोमती पुत्र चिनगू का थानाध्यक्ष की शह पर वहां के जगमोहन आदि ने दिनांक 24 अगस्त, 1983 को एक एकड़ गन्ना काट कर 5,000 रु0 का नुकसान किया, फिर इन्हीं हरिजनों का पानी थानाध्यक्ष ने कुएं से रुकवा दिया। तीसरी घटना गोमती के पिता को यादव ने मारा जिसमें 1,000 रु0 थानाध्यक्ष ने हरिजन से घूस लिया। चौथी घटना दिनांक 3 दिसम्बर, 1983 को हरिजन गोमती की बैलगाड़ी यादवों ने छीन लिया, इन सब घटनाओं की रिपोर्ट थानाध्यक्ष ने नहीं लिखी न गिरफ्तारी की। उल्टे दिनांक 8 फरवरी, 1984 को गोमती व उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध फर्जी 457 आई0 पी0 सी0 का मुकदमा लिखा जिसमें वादी ने मुकदमा झूठा होने को बयान हल्फी न्यायालय पर लगा दी है।

थानाध्यक्ष के उत्पीड़न से गोमती हरिजन देश छोड़कर नेपाल राज्य को भाग जाने को तैयार है। जो पूरे देश के लिये एक कलंक होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः मैं मांग करता हूं कि गोमती हरिजन की रक्षा तथा सुरक्षा की व्यवस्था की जाय तथा थानाध्यक्ष के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाय ।

पुलिस चौकी बरही (गोरखपुर) की पुलिस द्वारा लोकदल कार्यकर्ताओं को बन्द करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस माननीय सदन व मुख्य मन्त्री जी का ध्यान एक अति अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर खींचना चाहता हूं ।

19 फरवरी, 1984 को लोक दल गोरखपुर द्वारा आयोजित एक जन सभा थाना भंगहा, पुलिस चौकी बरही, गोरखपुर की पुलिस के विरुद्ध हुई थी । पुलिस के द्वारा आम जनता को प्रताड़ित करने, फर्जी मुकदमें में फंसाने एवं बलात्कार करने आदि जैसे गम्भीर मामलों की चर्चा हुई थी। इसमें राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के लोक दल के नेता सम्मिलित रहे हैं ।

इस सभा से परेशान चौकी बरही की पुलिस ने दिनांक 5 व 6 मार्च, 1984 में अनेक लोक दल में विश्वास करने वालों को फर्जी ढंग से शराब बनाने के अपराध में ग्राम बरही के दर्जनों लोगों को जल भेज दिया है । इससे जनता में काफी आक्रोश व भय व्याप्त हो गया है । मुख्य मन्त्री जी से शीघ्र जांच व कार्यवाही करने व दोषी पुलिस को हटाने की मांग करता हूं ।

(श्री ऊदल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

माननीय ऊदल जी, आप बैठें । आप अपनी सूचना को कल दीजियेगा ।

श्री राम स्वरूप वर्मा---

व्यवस्था का प्रश्न है, प्रश्नों के बारे में ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है, अब हम आगे बढ़ गये हैं । आप कल बता दीजियेगा ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री श्याम नारायण तिवारी---

एक व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें ।

नियम 56 में मुझको 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं ।

पहली सूचना श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की शासन के फैसले के बावजूद समन्वय समिति द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यरत तदर्थ कर्मचारियों का नियमितीकरण न किये जाने के सम्बन्ध में है ।

दूसरी सूचना श्री कुंवर सिंह नेगी की प्रदेश में बेरोजगार शिक्षितों को ऋण देने की योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं धांधली के सम्बन्ध में है ।

तीसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त व श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र की भी इसी विषय पर है ।

चौथी सूचना श्री सरदार सिंह की, प्रदेश भर में ईंट निर्माताओं को असामाजिक तत्वों व ठेकेदारों द्वारा आतंकित किये जाने के सम्बन्ध में है ।

पांचवीं सूचना श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की, करीब 9 करोड़ रुपये मूल्य के रेपसीड आयल तथा पाम आयल को 15 करोड़ रुपये में काले बाजार में बेचने से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में है ।

छठीं सूचना श्री यदुनाथ सिंह, श्री राम सागर, श्री राम करन सिंह व श्री राम धनी की, श्री कमला यादव, कार

चालक, लोकदल को पुलिस सब-इंसपेक्टर, थाना कैंट (सदर), लखनऊ द्वारा पकड़ कर थाने में लेजकर पीटने तथा उसके पैसे छीन लेने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री हरिवंश सहाय, श्री नन्द किशोर सिंह व श्री रुद्र प्रताप सिंह की, देवरिया जनपद के कचहरी में पुलिस द्वारा वकीलों पर लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में है।

यही सूचना आठवीं सूचना के रूप में श्री मोहन सिंह तथा नवीं सूचना के रूप में श्री नन्द किशोर सिंह, श्री कुबेर भंडारी, श्री रुद्र प्रताप सिंह व श्री हरिवंश सहाय द्वारा दी गयी है।

दसवीं सूचना श्री किरन पाल सिंह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पानी के अभाव में रबी की फसलों के सूखने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री श्याम नारायन तिवारी द्वारा प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई, बेकारी, भ्रष्टाचार एवं जुल्म के लिए विघटन एवं प्रतिक्रिया वादी ताकतों की जिम्मेदारी होने के सम्बन्ध में है।

*श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, शिक्षित बेरोजगार योजना 15 अक्तूबर, 1983 को केन्द्र सरकार द्वारा घोषित की गयी और 1 अक्तूबर, 1983 को हमारे प्रदेश ने सभी जिला केन्द्रों को निर्देश दिये कि इस योजना को सारे प्रदेश में लागू किया जाय। इस योजना का बहुत जोरों से शासन द्वारा प्रचार किया गया और जो गरीब बेरोजगार नवयुवक थे, जो रोजी-रोटी के लिये कई वर्षों से भटक रहे थे, उनमें इस योजना से एक नयी आशा की किरण जागी थी, परन्तु इस योजना से शिक्षित बेरोजगारों में बहुत ही निराशा और असन्तोष पैदा हो गया है क्योंकि इस योजना का क्रियान्वयन सारे प्रदेश में कहीं भी नहीं हो पा रहा है और इसमें घोर भ्रष्टाचार और अनियमितता व्याप्त हो गयी है, जिससे कि लोगों को फायदा नहीं हो रहा है।

इसके लिये प्रत्येक जिले में जिला उद्योग केन्द्र के सामान्य प्रबन्धक की अध्यक्षता में बैंक और जिला सेवा-नियोजन अधिकारी उसके सदस्य हैं, एक समिति बनी हुई है जो कि इन अभ्यर्थियों का चयन करते हैं। इसमें कक्षा 10, हाई स्कूल पास और उससे अधिक योग्यता वाले और 35 वर्ष से कम आयु वाले इसके लिये प्रार्थना-पत्र देते हैं, आज तक यह हो रहा है कि इस श्रेणी से बाहर के जो अभ्यर्थी हैं, काफी धनी हैं, वे ही इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। बैंकों के और इन अधिकारियों के आपसी ताल-मेल न होने से बैंक ऋण नहीं दे रहे हैं। गरीब अभ्यर्थी और हरिजनों को इससे लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे सारे बेरोजगार नवयुवकों में बहुत ही असन्तोष व्याप्त हो गया है और निराशा व्याप्त हो गयी है, वे दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं।

यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है। मेरा अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर अवश्य ही चर्चा करायें जिससे सही पिक्चर सामने आये और सही स्थिति का ज्ञान हो और इसके सुधार के लिये इस सदन में चर्चा हो ताकि इस अच्छी योजना के सही क्रियान्वयन हेतु सही हल निकल पाये। मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरी भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष --

यह कैसे हो सकता है अब ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इसमें एक महत्वपूर्ण तर्क छूट गया है, उसी को मैं बतलाना चाहता हूं, मेरी भी आप सुन लें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन यह तो पद्धति पड़ जायेगी ?

[समय 1 बजकर 25 मिनट]

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, कोई बात छूट जाती है उस सन्दर्भ में तो उसे सदन में सुना जाता रहा है । मान्यवर, मैं केवल दो बातें ही कहूंगा । मान्यवर, यह अविलम्बनीयता क्यों है ? सरकार ने 37 हजार बेरोजगारों के लिये 31 मार्च तक की घोषणा की थी । जिला उद्योग कार्यालय से नाम चले गये हैं बैंकों के पास परन्तु बैंक संस्थागत निदेशालय के अधीन काम कर रहे हैं । एक ओर तो शासन की ओर से यह विज्ञापित किया गया कि किसी भी बेरोजगार नवयुवक से जमानत नहीं ली जायेगी परन्तु जब वह बैंक के पास जाता है तो वो जमानत मांगते हैं । इससे जो उद्देश्य है कि हमारा निर्बल वर्ग, कमजोर वर्ग या बेरोजगार हरिजनों को उद्योग के लिये पैसा मिलेगा, वह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है ।

आप स्वयं इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि बेरोजगार जमानत का हैसियतदार नहीं होता है, हैसियत के लोग ही जमानत दे सकते हैं । 25 हजार मिलने की आकांक्षा से कोई उद्योग लगवाया और आप उसका उद्देश्य ही बदल दें कि आपको केवल 10, 11 या 12 हजार ही दिया जायेगा । दूसरे बिजली की भी समस्या है, बिजली विभाग की ओर से आदेश जारी किये गये हैं कि एक भी नया कनेक्शन न दिया जाय । इसके लिये तत्काल शासन ने यदि कोई हल न निकाला तो यह योजना घाटे में पड़ जायेगी । मान्यवर, यह निर्बल वर्ग का, कमजोर हरिजनों का मामला है, इसलिये इस पर विचार किये जाने की मैं मांग करता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*उद्योग एवं सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, जैसा कि अभी स्वतः रोजगार योजना के बारे में कहा गया है, यह योजना 15 अगस्त, 1983 को घोषित की गयी थी । उसके बाद हमारे प्रदेश में जो टारगेट था, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जैसा कि माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कहा कि यह 37 हजार का किया गया है । इस सम्बन्ध में हमने सारे बैंकर्स की और विभागीय अधिकारियों की मीटिंग्स बुलाई और इस पर विचार किया गया और बैंक के प्रतिनिधि ने कहा कि हम हर हाल में लक्ष्य को पूरा करेंगे ।

मान्यवर, यह जो अभी गारन्टी की बात कही गयी है, तो यह गारन्टी बिलकुल नहीं ली जायेगी । अगर कहीं ऐसी बात सामने आयी है जैसा कि अभी राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कहा है तो वे उसकी शिकायत मुझे दें, मैं उसकी जांच करा लूंगा । कहीं भी सिक्योरिटी देने या गारन्टी देने की बात नहीं है । जो भी उद्योग लगायेगा, उसे पैसा दिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मंत्री जी, मंत्री होने के साथ ही साथ विधायक भी हैं । अपने निर्वाचन क्षेत्र की सूचना तो उनको होगी ही । क्या आपके निर्वाचन क्षेत्र में बिना किसी गारन्टी के दिये हुए किसी को पैसा मिल रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र गया हूं, वहां कोई गारन्टी नहीं ली जा रही है । जैसा अभी कहा गया कि यह योजना अधर में लटकी रह जायेगी तो इसमें कहीं उद्देश्य में कमी नहीं है और न

यह योजना अधर में पड़ी रहेगी। इनकी मांग बहुत है और आज लाखों आदमी इस योजना से फायदा उठाना चाह रहे हैं परन्तु यह सही है कि हम अपने लक्ष्य को, 37 हजार की पूर्ति करना चाहते हैं और इस योजना से काफी लोगों को फायदा हो रहा है, जो सबसे ज्यादा गरीब हैं उनको इसमें प्राथमिकता दी जायेगी। हरिजन महिला, अल्पसंख्यक तथा टेक्निकल लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जायेगी। यदि माननीय सदस्य ने जैसा कहा है, उनको कोई शिकायत होगी तो उसकी जांच करा ली जायेगी, वैसे गारन्टी कहीं नहीं ली जा रही है।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा जैसा कि उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में बगैर किसी परेशानी के ऋण मिल रहा है, लेकिन मेरी निश्चित जानकारी मान्यवर, है कि मेरे क्षेत्र में ऐसा नहीं हो रहा है।

(शोर)

और बहुत से बैंक्स ऐसे हैं, जिसमें सिर्फ 5, 6 या 7 लोगों को ऋण मिला है और इस तरह से सिर्फ 50 फीसदी लोगों को मिल पाया है।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मेरी बात का जवाब तो माननीय मंत्री जी से दिलवा दीजिए, मान्यवर, मेरे यहां ऐसा नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ने सुन तो लिया है, मैं इसका बाद में निर्णय दूंगा।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, वह तो सही है, लेकिन मेरी बात क जवाब तो दिलवा दीजिए, मेरे यहां यह स्थिति नहीं है जो मंत्री जी बता रहे हैं मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय सदस्य यदि इसकी जानकारी करा देंगे, तो मैं जांच कराकर दिखवा लूंगा और यदि किसी ने भी इस ओर लापरवाही की होगी तो उसको भी दिखवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष--

इन लोगों का कहना है कि यही स्थिति पूरे प्रदेश में है, उसके लिये आप क्या कर रहे हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ऐसा नहीं है।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैं अविलम्बनीय एवं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि 14-15 करोड़ रु0 का रेप्सीड आयल और पाम आयल की बंगलिंग का मामला है, माननीय कैबिनेट मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। मान्यवर, इसमें हुआ यह कि श्री मौर्य द्वारा 8 करोड़ रु0 के पाम आयल और रेपसीड आयल कागज पर साधन सहकारी समितियों को दिया और हकीकत यह है कि इस तेल को काले बाजार में ले जा कर बेच दिये और किसी भी सहकारी समिति को नहीं दिया गया है जबकि शासन की यह नीति है कि यह उपभोक्ता को मिले और उपभोक्ता के जरिये से जरूरतमंद लोगों को मिल जाए, इसीलिये कार्ड बनवाये गये। इसलिए मेरी निश्चित जानकारी है कि इस सम्बन्ध में जो स्थिति गोरखपुर की है, वही स्थिति पूरे प्रदेश की है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अरबों रु0 का तेल इस तरह से चुनाव चंदे के नाम पर काले बाजार में बेचकर इकट्ठा किया जा रहा है और सहकारी सचिव द्वारा यह तमाम सचिवों को बाध्य किया जा रहा है बुलवाकर कि अपने रिकार्ड्स में यह इंट्री करो कि इतना-इतना तेल दिया गया और जितने भी कार्ड हैं, उन्हें गांव से मंगाकर बैंक डेट में चढ़ा दो और अगर इस तरह नहीं किया गया तो इन सहकारी समितियों द्वारा कभी भी कोई सुविधा किसी को नहीं दी जायेगी और अगर यह बात भी स्वीकार नहीं की गयी तो किसी न किसी बहाने जेल में डलवा दिया जायेगा।

इसलिए मान्यवर, इस मामले में मेरी निश्चित जानकारी है, उसको सही मानते हुए कि इस अरबों रु0 के घपले में यहां पर बैठे। माननीय मंत्री जी का भी हाथ है, इसलिए मेरी मांग है कि सचिव, श्री मौर्या का निलम्बन करके इस मामले में पूरी जांच गोरखपुर से शुरू करें।

मान्यवर, अभी एनुअल जनरल मीटिंग हुई। प्रशासन जो ए0 डी0 एम0 (डी) हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तथा कोआपरेटिव विभाग के उच्च अधिकारी वहां पर मौजूद थे, जब यह मामला उठा तो वह भाग गया। ए0 डी0 एम0 (डी0) और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उसको पकड़वाने की कोशिश की लेकिन वह भाग गया, पकड़ में नहीं आया। मैं चाहता हूं कि सहकारिता मंत्री जी बैठे हुए हैं, वह इस मामले पर अपना वक्तव्य दें और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करें, अभी अखबार में मैंने पढ़ा है कि उन्नाव में भी इसी तरह की चीज है और सारे प्रदेश में इसी तरह की अनियमिततायें व्याप्त हैं और बन्गलिंग्स हो रही हैं। यह मामला अरबों में चला गया है। मैं कहना चाहता हूं कि सारे मामले की जांच इस सदन की एक समिति बना कर करा दें और सहकारिता मंत्री जी आश्वासन दें कि उस भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी और उसको निलम्बित किया जायेगा। इस मामले की पूरी जांच की जाये। गोरखपुर में जगह-जगह यह चर्चा है कि इस मामले में सहकारिता मंत्री जी का हाथ है और दूसरे लोगों का हाथ है।

*सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री बच्चा पाठक)—

माननीय सदस्य ने जो बात कही है और जो चीज रेपसीड और पाम आयल की कही है, वह बिलकुल गलत है। जहां तक रेपसीड और पाम आयल के वितरण का प्रश्न है वह जिला पूर्ति कार्यालय के माध्यम से होता है, परमिट देकर किया जाता है, ओझा जी ने जो गोरखपुर की बात कही है वह बिल्कुल गलत है, अगर वह तथ्य देंगे तो उसकी जांच करा ली जायेगी। मान्यवर, गोरखपुर में जो समितियां हैं, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि गोरखपुर में जो समितियां चल रही हैं वह किसके माध्यम से चल रही हैं और उन पर किन लोगों का वर्चस्व है, वह स्वयं बता दें। वह खुद समिति पर अधिकार बनाकर ऐसा बिजनेस कर रहे हैं। यह बिलकुल गलत है, जो माननीय सदस्य ने कहा है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो यह गलतबयानी है। मैं माननीय मंत्री जी से निश्चित जानकारी चाहता हूं। मैं सदन में कहना चाहता हूं कि वह अगर मेरी जानकारी को गलत कर दें या हो जाये तो मैं इस सदन से त्याग-पत्र देने के लिए तैयार हूं और अगर हमारी जानकारी सही हो तो मंत्री जी इस्तीफा दें। मैं कहता हूं कि परमिट चाहे जो विभाग देता हो लेकिन वितरण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सहकारिता विभाग करता है। वहां का जो ए0 आर0 है वह माननीय मंत्री जी के गांव का है, इसीलिए वहां पर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। माननीय मंत्री जी अपनी प्रतिष्ठा बचावें, गोरखपुर में हर जगह पर चर्चा है कि इसमें माननीय मंत्री जी का हाथ है। मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि वह उसको वहां से हटाकर सारे मामले की जांच करें।

श्री बच्चा पाठक--

जो व्यक्ति इस सदन में मौजूद नहीं है उसका सदन में नाम लेना उचित नहीं है। मैं माननीय सदस्य को बतला देना चाहता हूं कि मामले की जांच हो जाये और अगर मेरी बात सही हो तो वह इस्तीफा दें वरना मैं इस्तीफा दे दूंगा।

(शोर एवं व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

वहां पर रेपसीड और पाम आयल पकड़ा गया है, इसीलिए मैं कहता हूं।

(व्यवधान)

*श्री हरिवंश सहाय--

माननीय अध्यक्ष जी, पिछली 8 मार्च, को देवरिया जिले की कचहरी में वकीलों को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। उस दिन कचहरी के मुख्य गेट पर वहां के पुलिस कप्तान रविशंकर त्रिपाठी आदि पुलिस के लोग खड़े थे और इस तरह से उन्होंने वकीलों की वहां पर तलाशी ली जिस तरह से कि डाकुओं की तलाशी ली जाती है। उसके बाद जज के चेम्बर की भी तलाशी ली गई। वकीलों को इतना मारा-पीटा गया और उनके हाथ तोड़ दिये गये। उनमें बालेश्वर पांडेय वकील का हाथ रविशंकर त्रिपाठी ने तोड़ दिया और उनको भद्दी-भद्दी गाली दी और जब वे भाग कर जज के कमरे में गये तो वहां से भी उनको खींच कर मारा-पीटा गया। दूसरे दिन भी जब वकील लोग कचहरी में गये तो उस दिन भी उनको मारा गया। इससे पूरे देवरिया जनपद में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। वकील लोग न्यायालयों में नहीं जा रहे हैं। काम बन्द किये हुये हैं। उनके अन्दर डर पैदा हो गया है और डर से सही बात कहने के लिये तैयार नहीं हैं। डिस्ट्रिक्ट जज ने एस0 पी0 को इसके बारे में भी लिखा कि कचहरी के कैंपस से पुलिस हटाई जाय। किन्तु कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। लोग अस्पताल में भरती हैं। डर के मारे भागे हुये हैं, न्यायालय में कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिये माननीय अध्यक्ष जी, इस पर आप चर्चा करा दें....

(व्यवधान)

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात कहूंगा।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी को जवाब देना है।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जैसा कि अभी माननीय सदस्य श्री हरिवंश सहाय जी ने कहा, उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, सवाल इस बात का पैदा होता है कि एक तरफ तो यहां पर ला-एन्ड-आर्डर को मेन्टेन करने के लिये दुहाई दी जाती है और दूसरी और तथाकथित 2/3 वकील वहां पर ऐसे हैं जो गुंडों को प्रश्रय देते हैं, औरतों के भेष में कोर्ट में जाते हैं और कार्य में बाधा डालते हैं। एक तरफ यह कहा जाता है कि देवरिया जिला जल रहा है और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। जब दूसरी ओर पुलिस प्रशासन इस तरह की कार्यवाही करता है तो इस तरह के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सवाल उठाए जाते हैं। मान्यवर, इस तरह से तो एक साधारण आदमी का जीना मुश्किल हो जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी पुलिस ने कार्यवाही की है, वह उचित है। इसके लिये चाहे वह कोई सदस्य हो या कोई वकील हो, अगर वह गलत काम करता है तो उसको अवश्य दंडित किया जाना चाहिए।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा कार्य-स्थगन का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपका नाम पुकारा था, आप खड़े नहीं हुए।

*श्री मोहन सिंह --

मान्यवर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न था। मान्यवर, हमारे जिले में दिक्कत यह है कि जो माफिया गैंग की लड़ाई की जाती है वह अब हमारे देवरिया जिले में भी शुरू हो गई है। दो-ढाई महीने में वहां पर एक दर्जन हत्यायें हो गयी हैं। 3 तारीख को वहां के ब्लाक प्रमुख के साथ एक ही गांव के चार-पांच आदमी जा रहे थे। इसी बीच उनके ऊपर 6 एस0 एल0 आर0 से एक साथ गोलियां चलायी गयीं। जिससे उनमें से तीन नौजवानों की मौके पर हत्या हो गयी। चार आदमी जो बुरी तरह से घायल हुए थे, वे अस्पताल में भरती हैं।

मान्यवर, एस0 एल0 आर0 आटोमेटिक वेपन होता है जो कि केवल सेना के पास ही होता है, ऐसे हथियार वहां पर कैसे आ गये? उनके लाइसेन्स की चेकिंग होनी चाहिए। इस तरह से हथियार देवरिया जिले में नागालैंड, मिजोराम और त्रिपुरा मणिपुर से हजारों की तादाद में वहां पर आ गये हैं। ऐसा लगता है कि इस तरह से वहां पर सैकड़ों लोग काल कवलित हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में यदि तत्काल कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो हमारा जिला भयंकर सिविल वार की स्थिति के कगार में खड़ा हो गया है और उस स्थिति में पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दिया है जैसा मिश्रा जी ने कहा। एक तरफ बदमाशों को ठीक करने की बात है तो दूसरी तरफ निर्दोष लोगों को सुरक्षा भी प्रदान करनी है। पुलिस ने इसी बहाने कार्यवाही करनी शुरू की है, जो सचमुच में असामाजिक तत्व है, घटना होने के बाद पुलिस जिनके पीछे पड़ती है वे तो पकड़ में आते नहीं हैं, पकड़ में आते हैं दूसरे लोग। अधिवक्ताओं और उनके सहयोगियों का तो यह काम है कि किसी को निर्दोष और किसी को सदोष कहेंगे लेकिन पुलिस घुसकर अधिवक्ताओं को मारना पीटना शुरू कर दे तो उसको लेकर वहां पर कचहरी बन्द है और वे हड़ताल पर हैं। पुलिस सही व्यक्तियों को मारे या गलत व्यक्तियों को मारे उसमें हम नहीं कहेंगे। वैसे तो गलत व्यक्तियों को भी मारना ठीक नहीं है, लेकिन अधिवक्ताओं को मारने लगे तो हमको एतराज होगा। अगर पुलिस इस प्रकार की कार्यवाही करेगी तो मेरे जैसे लोगों को इसमें एतराज होगा। हमारी मांग है कि देवरिया जिले के सारे असलहों की जांच हो और उसे बदमाश जिला घोषित करें और वहां विशेष पुलिस दस्ते की व्यवस्था की जाय। यदि हमारे जिले को अपराधियों से नहीं रोका गया तो वह गोरखपुर से भी आगे बढ़ जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

(कई सदस्यों के खड़े होने पर) सभी लोग बैठें सब को कैसे आज्ञा दे दूंगा?

श्री भोला लाल--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि आप अपना निर्णय देने से पहले और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने से पहले

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरी व्यवस्था पर निर्णय दे दें। कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाना हमारा, विरोधी पक्ष का अधिकार है और आम तौर से हम उसे लाते हैं और शासक पार्टी की तरफ से उसका विरोध होता है, संसदीय कार्य मंत्री जी उसका विरोध करते हैं लेकिन आज उधर से भी लोग काम रोको प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको इसे स्वीकार करना चाहिये इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

जब मैं निर्णय दूंगा उस पर विचार करूंगा तब जो कुछ आप कह रहे हैं उस वक्त ध्यान दिया जायेगा।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, यह असलहों के बारे में इससे पहले भी शिकायतें आयी थीं और आपको याद होगा तब कारबाइन्स के लाइसेन्स पर रोक लगी। जो माननीय मोहन सिंह जी ने बात कही वह सही है कि दूसरे प्रदेशों से उन हथियारों को लोग हमारे प्रदेश में ले आते हैं। चूंकि एक सेंट्रल ऐक्ट है जिनके अनुसार लाइसेन्स वैलिड फार इंडियन यूनियन लिखा होता है उसके तहत लोग ले आते हैं। तो इस पर केन्द्र से बात की जायेगी कि जिन हथियारों पर हमारे यहां पाबंदी है और जिसको दूसरे प्रदेशों से ला रहे हैं उनको उत्तर प्रदेश में लाने पर रोक लगे। इस पर हम केन्द्र से बात करेंगे।

दूसरा बिन्दु माननीय मोहन सिंह जी ने उठाया जो देवरिया में शांति व्यवस्था के बारे में है और माननीय मिश्रा जी ने भी उस पर बात कही। तो मैं समझता हूं कि वहां के असलहों की जांच होनी चाहिये और जो स्थिति हो गयी है उसकी जांच आवश्यक है। इस सिलसिले में भी वहां के पुलिस अधिकारियों को आदेश दिये जायेंगे कि उचित कार्यवाही करें।

जहां तक कार्यस्थगन प्रस्ताव आया है जो माननीय मोहन सिंह जी ने लया है वह किसी तरह से कार्यस्थगन का नहीं बनता। यह प्रशासनिक बात है उसमें जो भी उचित होगा किया जायेगा उन्होंने उसके लिए ध्यान आकर्षित किया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मोहन सिंह और माननीय मिश्रा जी ने जो बात कही इसके बीच का एक ही रास्ता है कि आप एक वक्तव्य दिला दें ताकि कही बातें सामने आ जायें और शासन के सामने भी सही तथ्य आ जायेंगे हमें भी इससे मदद मिलेगी।

श्री श्याम नारायण तिवारी--

मान्यवर, एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष--

किसके बारे में ?

*श्री श्याम नारायण तिवारी-

मान्यवर, इसी से सम्बन्धित मेरा भी प्रस्ताव है। मैं चाहता हूं कि एक मिनट में मैं अपनी बात को भी इसी में जोड़कर कह दूं।

श्री अध्यक्ष--

आपका इसमें नाम नहीं है।

श्री श्याम नारायण तिवारी--

मान्यवर, आपकी इजाजत से मेरा निवेदन यह है कि देवरिया और गोरखपुर जिले में ही नहीं बल्कि पूरे देश और प्रदेश में अराजकता की स्थिति व्याप्त है और सिविल वार की स्थिति है। बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता, तोड़-फोड़ और जुल्म हो रहे हैं।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इसके लिये जिम्मेदारी प्रतिक्रियावादी ताकतें, साम्प्रदायिक ताकतें देश में अराजकता की स्थिति पैदा कर रही हैं जिससे आज हमारी एकता और आजादी को भयंकर खतरा पैदा हो गया है, इससे लड़ने के लिये आज प्रदेश से लखनऊ में आल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में देश बचाओ आंदोलन में हजारों-लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिये इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर मैं चाहता हूं कि आप इस पर चर्चा करायें और सारे काम बन्द कर दें। मान्यवर, यह हमारे पास पोस्टर हैं जिसको आप देख लें।

(पोस्टर को दिखाया गया)

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठ जायं।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, तिवारी जी ने जो नोटिस आपको दिया है जिसमें बढ़ती हुई महंगाई सबसे पहली लाइन में दिया है। यह विषय आज एजेन्डे के आइटम नं0 12 पर है, मान्यवर, आप देखें तो यह भी मूल्यों के बढ़ने के सम्बन्ध में है जिस पर आज चर्चा होने वाली है। इसलिये मैं समझता हूं कि जब आज ही इस पर चर्चा हो रही है कार्यस्थगन प्रस्ताव नहीं बनता है और तिवारी जी चर्चा के समय अपनी बात कह देंगे।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, मैं आज ऐसे विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो इस सत्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में रबी की फसल जो तैयार पर है वह बिजली आपूर्ति के अभाव में सूखती जा रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में दौरा करके मैंने देखा है कि जो फसल 40 प्रतिशत अब तक नष्ट हो गई थी वह 100 फीसदी नष्ट हो जाएगी, यदि सरकार ने बिजली आपूर्ति की ओर ध्यान न दिया। इस वर्ष रबी की फसल के लिए पहले तो अत्यधिक पाला पड़ा और दूसरे पश्चिम से तेज हवाओं ने समय से पहले फसल को सुखाना शुरू कर दिया। इसलिए इस तरफ ध्यान दिया जाये और जो बिजली आपूर्ति 3-4 घंटे हो रही है उसको 20 घंटे की जाये। यह विषय कांग्रेस के सदस्यों के लिए तो अटपटा लग रहा होगा लेकिन यह महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मांग है कि फसल आगे न सूख कर नष्ट हो इसलिए विद्युत आपूर्ति प्रति दिन कम से कम 1 महीने के लिए 20 घंटे की जाये और किसानों को बरबाद होने से बचाया जाये और इस पर चर्चा करायी जाये।

*श्री राजेन्द्र सिंह--

अध्यक्ष महोदय, नियम 301 में यह प्रश्न लाया गया था तो आपने कहा था कि यह प्रश्न श्री किरन पाल सिंह नियम 56 में उठा रहे हैं, इसलिए उस समय मौका दिया जायेगा। मान्यवर, सिंचाई मंत्री ने घुमा कर बात कही थी। मान्यवर, मैं समझता हूं कि फसल पकने पर है और कृषि का अर्थ व्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान रहता है। तो इसको देखते हुए जो आंकड़े आपने रखे हैं, उसमें अगर सिंचाई व्यवस्था नहीं होगी तो कृषि का योगदान बहुत खराब हो जाएगा।

सिंचाई के तीन माध्यम हैं--नहरें, सरकारी ट्यूबवेल्स और प्राइवेट ट्यूबवेल्स। अभी आपने कहा था कि जितनी देर बिजली मिलेगी, उतना हम करेंगे। आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है कि आप इस बात को देखें कि आपके नलकूपों को कितने घंटे बिजली मिलती है। आप इससे आकलन करें कि बिजली की सप्लाई प्राइवेट ट्यूबवेलों को बहुत कम होती रही है। इस पर आप गम्भीरता से चर्चा करायें, आज शाम तक या कल शाम तक यह हो जानी चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उर्जा राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

मान्यवर, विद्युत् आपूर्ति के बारे में जो चिन्ता सदन में व्यक्त की गई है, हम उससे अपने को सम्बद्ध करते हैं और किसानों के हित की सम्पूर्ण सुरक्षा करना, शासन का कर्तव्य है। वर्तमान समय में जो विद्युत् आपूर्ति व्यवस्था है वह आपसे निवेदन कर दूं श्रीमन्, 8 घंटे रात्रि में और 6 घंटे दिन में हैं....

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, इससे बड़ा अन्याय और असत्य कुछ नहीं हो सकता है। आप भी मान्यवर, गांव से आते हैं, आप स्वयं बुलन्दशहर के बारे में अपने आदमियों से पता लगवा लें कि माननीय मंत्री जी के कथन में कितनी सच्चाई है। वास्तविकता यह है कि बात इसके कथन से बिल्कुल विपरीत है। सदन का कोई भी माननीय सदस्य यहां कह दे कि उसके निजी नलकूप पर 8 घंटे और 6 घंटे बिजली आ रही है? यदि ऐसा कोई कह दे तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी आप यह देखकर बता रहे हैं कि 8 घंटे और 6 घंटे बिजली दे रहे हैं?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

रिकार्ड देखकर और विभाग की सूचना के आधार पर मैं यह कह रहा हूं, लेकिन निवेदन यह है कि जहां कहीं से कोई शिकायत आई है....

श्री रियासत हुसैन—

यह रिकार्ड देख कर कह रहे हैं और मैं अपने ट्यूबवेल को देखकर कह रहा हूं, केवल तीन घंटे बिजली मुश्किल से मिल पा रही है।

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जो माननीय सदस्यों ने यहां सूचना दी है, इस सम्बन्ध में आदेश दिए गए हैं। पश्चिमी जिलों से जो शिकायत आई है, उसके सम्बन्ध में जोनल इन्जीनियर्स को आदेश दिये गये हैं कि वह मौके पर स्वयं जाएं और जो व्यवस्था निर्धारित है उसको वह सुनिश्चित करें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

निर्णय तो मैं करूंगा आप लोग बैठें।

(व्यवधान)

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जोनल इंजीनियर को यह आदेश दिए गए हैं....

श्री अध्यक्ष—

आदेशों से काम नहीं बनेगा?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

यह व्यवस्था की जा रही है कि जो शिकायत है विद्युत् आपूर्ति के बारे में....

(व्यवधान)

*श्री बलवीर सिंह (रामपुर)—

मान्यवर, मेरा एक विशेषाधिकार का प्रश्न है। मैं यह बात उठाना चाहता हूं मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है कि इतने-इतने घंटे बिजली दी जा रही है, वह ठीक नहीं है, केवल 5 या 6 घंटे दी जा रही है, उसमें भी 20 बार हिपिलिंग हो रही है। मंत्री जी सो रहे हैं या जाग रहे हैं? यह आप उनसे पूछ तो लीजिए। यह कैसे वक्तव्य दे रहे हैं, इन्होंने कुछ पढ़ा भी है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया, जो व्यवस्था निर्धारित है, जहां पर उसकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निर्धारित आपूर्ति नहीं हो रही है, उसको देखने के लिए जोनल इंजीनियर भेजे गए हैं कि आखिर क्या कारण है कि वहां पर निर्धारित आपूर्ति नहीं हो रही है। उसकी सूचना आ जाने के बाद पूरा परीक्षण किया जाएगा और पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो निर्धारित घंटे हैं, उनमें आपूर्ति की जाए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत जो मुझे सूचनायें प्राप्त हुई हैं....

(व्यवधान)

आप मुझे कहने तो दीजिए, शोर क्यों मचा रहे हैं।

श्री कुंवर सिंह नेगी की सूचना को मैंने शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए भेज दिया है, मंत्री जी, आप इसे देखेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की सूचना को विशेष रूप से जांच करने के लिए भेजा है। जांच के बाद माननीय सदस्य को और मुझे दोनों को सूचित करना होगा।

श्री हरिवंश सहाय की सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है।

श्री किरन पाल सिंह की सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है और 15 तारीख को माननीय सिंचाई मंत्री जी वक्तव्य देंगे तथा वे विशेष रूप से देखेंगे। माननीय ऊर्जा मंत्री जी भी इसे देखेंगे।

श्री श्याम नारायण तिवारी की सूचना को भी मैंने शासन के पास जांच के लिए भेज दिया है।

कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में सभी सूचनाओं को मैंने अस्वीकृत किया है।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, आपने माननीय किरन पाल सिंह जी की सूचना को 15 तारीख के लिए वक्तव्य के लिए जो स्वीकार किया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे यहां सदन में यह घोषणा कर दें कि शासन की घोषणा के अनुसार अगर विद्युत् सप्लाई नहीं होगी तो वहां के इंजीनियर को सस्पेन्ड कर दिया जायेगा। अगर यह घोषणा कर दें मंत्री जी, तो सब ठीक हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

आपको मंत्री जी, कुछ कहना है इस बारे में ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

हम स्वागत करेंगे इसका कि माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में जायें और देखें और अगर बिजली की सप्लाई समय से नहीं हो रही है, या कम हो रही है, तो उसकी सूचना हमें दें, जहां कहीं आपूर्ति नहीं हो रही होगी, उसे पूरा कराने की पूरी चेष्टा की जायेगी।

(व्यवधान)

1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा), अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), तथा अनुदान संख्या 21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

मान्यवर, म आपकी आज्ञा....

श्री यदुनाथ सिंह--

मेरा एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव था...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने निर्णय दे दिया है, आप कृपया बैठें ।

*श्री लोकपति--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 86,14,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 54,30,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 37,31,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा अन्य पांच निकायों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, आप कृपया बैठें, मुझे एक सूचना देनी है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा अन्य 5 निकायों के निर्वाचन के सम्बन्ध में दिनांक 7 मार्च, 1984 को सदन में दी गयी सूचना के अनुक्रम में निम्न-लिखित कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है--

(1) नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय ··· मंगलवार, 13-3-84 को अपराह्न 4 बजे तक ।

(2) नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय··· बुधवार, 14-3-84 को अपराह्न 2 बजे (सचिव, विधान सभा के कक्ष में) ।

(3) नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय···मंगलवार, 20-3-84 को 4 बजे अपराह्न तक ।

(4) निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान ··· शनिवार, 31-3-84 को 10.30 बजे पूर्वाह्न से 4.30 बजे अपराह्न तक, विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, अब तक जो नामांकन हो चुके हैं वह कायम हैं या नहीं, उनका क्या होगा ।

श्री अध्यक्ष--

नया देना चाहिये । जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है तो नया देना चाहिये

1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-19-चिकित्सा - विभाग (चिकित्सा), अनुदान संख्या-20-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) तथा अनुदान संख्या-21-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (क्रमागत)

श्री लोकपति—

श्रीमन्, स्वास्थ्य विभाग के परिव्यय को उसकी उपलब्धियों को आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन में रखते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। सन् 1980-81 से 1984-85 तक के वर्ष स्वास्थ्य विभाग के लिये चुनौतियां के वर्ष रहे हैं। 1980-81 में हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वी अचल में विशेष तौर से आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती तथा कुछ पश्चिमी जिलों में जैसे मुरादाबाद में मस्तिष्क ज्वर और जांडिस रोगों का प्रकोप हुआ। इसको दृष्टि में रखते हुए हमने यह प्रयास किया कि उत्तर

(इस समय 2 बजकर 2 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुये)

प्रदेश के वह जिले और विशेष तौर से पश्चिम में मेरठ डिवीजन के जिले, हमारे आगरा डिवीजन के जिले रुहेलखंड डिवीजन के जिले, गोरखपुर डिवीजन के जिले और झांसी डिवीजन के जिले जो बारबार संक्रामक रोगों से ग्रसित होते रहते हैं उनमें उनकी आक्रमण की शक्ति को कम किया गया है।

मुझे हर्ष है यह कहते हुए कि स्वास्थ्य विभाग के लोगों, उसके कर्मचारियों ने इसमें सफलता प्राप्त की, इस वर्ष शाहजहांपुर जिले में, बदायूं जिले में और पीलीभीत जिले में, एटा जिले में इनका घनत्व बढ़ा और यह भी हमारी अनुभवहीनता का परिणाम था। अब इस वर्ष हमने यह प्रयत्न किया है कि वह जनपद जहां पर सिंचाई की सुविधाओं की वजह से क्षेत्र जल प्लावित रहा है और वह क्षेत्र जहां पर वर्षा से जल प्लावन हो जाता है और पानी अधिक दिनों तक जमा रहता है उनमें विशेष प्रयास किया जाय और उनको भी निरोग रखने के लिये कदम उठाये जायं। यह हमने निर्णय लिया है और पहली मई, 1984 से कार्य प्रारम्भ किया है। अब मैं स्वास्थ्य विभाग की बात आपसे करता हूं तो श्रीमन्, इसमें 4 प्रमुख अंग हैं। वर्तमान, आधुनिक चिकित्सा प्रणाली जो है उसके अन्तर्गत उसके चिकित्सालय, उसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालय, हमारे उप केन्द्र, हमारे पोस्ट मार्टम सेंटर्स, हमारे ग्राम रक्षक जो नीचे की इकाई होता है। स्वास्थ्य विभाग, जैसा कि सदन अवगत है, उत्तर प्रदेश में प्रति दिन साढ़े 12 हजार जन-संख्या बढ़ती है।

उत्तर प्रदेश को स्वस्थ रखने के लिये यह आवश्यक है कि हम ग्राम क्षेत्र से और ऊपर जो रेफरिंग सेन्टर्स हैं, आपकी कृपा से लखनऊ में बड़े भारी रेफरिंग सेन्टर का निर्माण हो रहा है, एक कड़ी बन जाय और कोई घटना ग्राम में हो तो उसकी सूचना हमें मिले। इसे दृष्टि में रखते हुए पूर्ववर्ती सरकार ने ग्राम रक्षकों की नियुक्तियां कीं। इसमें बहुत सी शिकायतें हैं, जो कि यह सत्य है कि उसके नियुक्ति करने के अधिकारी ग्राम प्रधान थे। उसमें कुछ शिकायत आई कि पी0 एच0 सी0 के डाक्टर लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसको रोका गया और उस कड़ी को मजबूत करने के लिए इस सदन की अनुज्ञा से 1983-84 में यह प्रयास किया गया कि प्रदेश के 86 हजार गांव सभाओं में एक स्वास्थ्य समिति का निर्माण किया जाय, ग्रामीण स्वास्थ्य समिति का, जिसके अन्तर्गत जो ग्राम रक्षक हैं, यह भी उसमें निर्णय किया गया कि हर एक हजार की आबादी पर एक ग्राम रक्षक रखा जाय। अगर किसी ग्राम सभा की 1 हजार से अधिक आबादी है, तो

उसमें एक महिला भी ग्राम रक्षक रखी जाय ।

उत्तर प्रदेश शासन ने, जो हम आपको उपलब्धियां बतायेंगे, यह निर्णय लिया कि 1985 से 1990 के अन्तराल में उत्तर प्रदेश से हम पोलियो की समाप्ति कर दें । इसके लिए हमने अपने यहां से इसका सर्वेक्षण शुरू कराया और कार्यक्रम जारी है और हमको यह शिकायत मिलती है, यह सही हो सकती है कि कुछ ग्राम रक्षक गलत काम करते हों, यह भी सही हो सकता है कि वह अपने गले में देखने वाला स्टेथिस्कोप लगाते हों । कोई अपने को सरकारी मान्यता प्राप्त डाक्टर कहते हों, वह गलत है । अगर यह कोई कर रहा हो, तो हमारे जो ग्राम प्रधान हैं, वह उस ग्राम रक्षक को उस कार्य से मुक्त कर दे । शासन को कोई अधिकार नहीं है । प्रजातांत्रिक प्रणाली के तरीके से ग्राम प्रधान उसको हटा देगा । इस प्रजातांत्रिक प्रणाली से हमको सफलता मिली ।

उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में बाढ़ आने के बाद या सूखा पड़ने के बाद संक्रामक रोगों से विमुक्ति पाने के लिए हमारे ग्राम कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा है । उत्तर प्रदेश में 56 जिले हैं । हमारे चिकित्सालय जो जिला स्तर के हैं, वे चिकित्सालय 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं । अधिकांश चिकित्सालयों का निर्माण उत्तर प्रदेश में जब हुआ, तो आमतौर से 30 से 50 शैय्या तक के चिकित्सालय बनाये गये और 100 वर्षों में कोई जनपद ऐसा नहीं है, जिसकी जन-संख्या 25 लाख से कम हो, कुछ जनपद हमारे हैं, जिनकी संख्या 40 लाख से ऊपर है । 8 जनपद हमारे यहां ऐसे हैं जिनकी जन-संख्या 10-15 लाख के बीच में है । 10 लाख से नीचे 10-15 लाख के बीच के उत्तर प्रदेश के 8 जनपद हैं, 7 हमारे पर्वतीय क्षेत्र के हैं और एक ललितपुर । जिला चिकित्सालयों के लिए एक नीति निर्धारित करनी थी । छठीं पंचवर्षीय योजना का यह अन्तिम वर्ष चल रहा है । यह जो बजट पेश किये हैं 1984-85 का यह 1984-85 का छठीं पंचवर्षीय योजना का है । 7वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च, 1985 के बाद से प्रारम्भ होगी । तो यह स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए कि जनपदों के लिए किस प्रकार की चिकित्सा सुविधा हम जनपदों को दें । तो यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश के ये आठ जनपद जो हैं, इनमें 200 शैय्याओं के चिकित्सालय का निर्माण किया जाय और छठी पंचवर्षीय योजना में दो पर्वतीय जनपदों में यह कार्य कराया गया है, एक अल्मोड़ा में और दूसरा गढ़वाल जनपद के श्रीनगर में ।

मैदानी क्षेत्रों में यह निर्णय किया गया, ललितपुर के अलावा दो सौ शैय्याओं का बनेगा । जो अन्य जनपद हैं उनमें तीन सौ शैय्याओं के नये चिकित्सालयों का निर्माण किया जायेगा । जो चिकित्सालय नये बने हैं और तीन सौ से कम शैय्यायें हैं जैसे देवरिया का, उनमें तीन सौ का अतिरिक्त कार्य कराया जायेगा । इस दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में इस समय छठी पंचवर्षीय योजना में 5 चिकित्सालयों का निर्माण चल रहा है । पीलीभीत, फतेहपुर, बिजनौर का चल रहा है एक कोई और चल रहा है । पांच इस वर्ष और टेकअप किये जा रहे हैं । इन पांच चिकित्सालयों में 4 को तीन सौ शैय्याओं का और एक दो सौ का ललितपुर में बनाना है । इटावा, हमीरपुर, मिर्जापुर ।

श्री मुख्तार अनीस--

वह तो आपका क्षेत्र है ।

श्री लोकपति--

वह तो है । लेकिन पुर दोनों में लगा है । सीतापुर में और मिर्जापुर में भी । श्रीमन्, हमारे उच्च चिकित्सालयों में नई आधुनिक सुविधा

उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। उत्तर प्रदेश के 36 चिकित्सालयों में नेत्र चिकित्सा की सुविधा प्रदान की गयी है। पर्वतीय क्षेत्र के 4 चिकित्सालयों में यह सुविधा दी गयी है। प्रयास यह है कि इस साल मैदानी क्षेत्रों में 10 और पर्वतीय क्षेत्रों में 3 चिकित्सालयों में नेत्र चिकित्सा की सुविधा प्रदान करा दें। छठी पंचवर्षीय योजना काल समाप्त होते-होते 56 में से 46 जनपदों में नेत्र चिकित्सा की सुविधा रहे।

वर्तमान युग में पता नहीं किन्हीं कारणों से वायुमंडल के दूषित होने के कारण, अधिक जनसंख्या के दबाव के कारण हृदय रोगी बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 17 चिकित्सालयों में कोरोनरी यूनिट स्थापित किया गया है। इस वर्ष हमारा प्रयास यह था कि छठी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के हर मुख्यालय पर कोरोनरी यूनिट स्थापित करा दें, लेकिन वह हम कर नहीं पा रहे हैं। इस वर्ष 7 और जनपदों में हृदय रोग चिकित्सा कक्ष की स्थापना करेंगे।

दांत की भी आज शिकायत आ रही है। इस सदन में हमने विगत वर्ष इस बात की सूचना दी थी और मुझे प्रसन्नता है कि सदन में मुझे उसका सहयोग मिला। आज जो हमारी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में उस जनसंख्या के दांत साफ करने के लिये साधन उपलब्ध नहीं हैं। अगर दातून का प्रयोग करना चाहें तो एक लाख पेड़ की आवश्यकता होगी जो सम्भव नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

प्रति दिन।

श्री मुख्तार अनीस--

जिसको संजय सिंह कटने नहीं देंगे।

श्री लोकपति--

पेड़ कट जाने के कारण ही सीतापुर में जलप्लावन हो रहा है।

श्री मोहन सिंह--

सीतापुर में सीपेज है।

श्री लोकपति--

स्वास्थ्य मन्त्री के नाते मुख्तार अनीस ने सूचना दी थी कि एक प्रकार के कीड़े आदमी और पशुओं के पेट को फोड़ कर निकल रहा है। इसी कटान का परिणाम यह है। अगर हिमालय के ऊपर पेड़ का कटान रुका होता तो अतिवृष्टि के कारण जो जलप्लावन होता है वह स्थिति न आती तो श्रीमन्, जब संजय गांधी का नाम लिया जाता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जब उधर के लोग सजय का नाम लेते हैं चाहे संजय गांधी का नाम लें चाहे संजय मंच का नाम लें। तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि दांत का रोग हमारे प्रदेश में फैल रहा है। हर किसी को पाउडर पेस्ट नहीं मिल सकता है। घर का चूल्हा होगा तो लकड़ी की कमी होगी। जो गोबर गैस प्लान का प्रयोग नहीं कर सकते हैं वह घर में चूल्हे जलाते हैं। वह बेहया का प्रयोग करते हैं और वह बेहया दांतों के लिए बहुत हानिकारक है। वह दांतों में एक इस प्रकार का रोग पैदा करता है कि इससे दांतों में कुरकुरी पैदा होने लगती है अतः उससे दांत साफ करने से रोग पैदा होता है। लेकिन उसका भी प्रयोग देश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश और हमारा भारत जो है उसके बावजूद भी ईश्वर की कृपा है कि हम स्वस्थ हैं। तो श्रीमन्, उसकी भी राख का प्रयोग होता है। जब हम लोग छोटे थे, तो मैंने सुना था कि विलायत में बहुत जल्दी दांत गिर जाते हैं। फिर ऐसा प्रयास हुआ कि पी0 एच0 सी0 के लिए दांत रोग न हो इसकी व्यवस्था नहीं करते हैं

तो अब जो पी0 एच0 सी0 बन रही है उनमें दांतों का स्थायी प्रयास करेंगे ।

दृष्टिकोण हमारा यह है कि 80 फीसदी धन का व्यय हम नगरों में करते हैं जबकि 80 प्रतिशत जनसंख्या हमारी देहातों में रहती है 1980 में इस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया गया वर्तमान शासन ने और 80 फीसदी धन का परिव्यय देहात की तरफ को मोड़ा । उत्तर प्रदेश में 200 उच्च चिकित्सालयों का निर्माण छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत था लेकिन मुझे इस बात की सूचना देते हुए गर्व होगा कि इस वर्ष 112 उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर हमारा निर्माण कार्य चल रहा है और इन उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का कार्य पूरा हो जायेगा और यह अपने कार्य की प्रक्रिया शुरू कर देंगे । इसी तरह से तहसील हेड क्वार्टर है । तहसील हेड क्वार्टर पर पी0 एच0 सी0 नहीं रहती वहां कोई नहीं जा सकता वहां चार शैय्या कर दी ।

जब प्रदेश में सेन्ट्रल काउन्सिल की एक मीटिंग हुई तो वहां यह हुआ कि मर्शरुम टाउन एरिया नोटीफाइड एरिया वहां चिकित्सा की जरूरत है तो·····

(समय 2 बजकर 25 मिनट)

यह तय हुआ कि तहसील हेडक्वार्टर पर, जहां पर कोई चिकित्सा की सुविधा नहीं है, वहां पर भी संयुक्त चिकित्सालयों की 30 से 50 शैय्याओं वाले की स्थापना की जाय । हमारे प्रदेश में 16-17 चिकित्सालय तहसील लेबल पर स्थापित किये गये थे, वहां पर सुपरिटेंडेंट नियुक्त हो चुके थे ।

आपके मुरादाबाद जिले में चन्दौसी में वह तहसील स्तरीय चिकित्सालय है । वहां सुपरिन्टेन्डेन्ट पद पर नियुक्ति है, डाक्टरों की नियुक्ति है, उनको दवाएं, जो चिकित्सकीय औषधालयों की दवाएं हैं साढ़े चार हजार रुपये की, अब 6 हजार हो गयी हैं, दी जाती हैं । शाहगंज, जौनपुर में भी ऐसा है । इस तरह के 17 चिकित्सालय हैं । इस साल यह निर्णय लिया गया कि उसमें से 5 चिकित्सालयों को तहसील स्तर के चिकित्सालय के रूप में लेकर, वहां की दवाइयों की सुविधा, जो 30 शैय्या वाले चिकित्सालयों को दी जाती है, या डाक्टरों की नियुक्ति 30 शैय्याओं वाले चिकित्सालयों में की जाती है, उसी तरह की जाती है ।

मैं यह संस्तुति करूंगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में शासन का विचार है तहसील स्तर पर एक्स-रे, खून, पैथालोजी आदि की सुविधायें प्रदान की जायं और तहसील स्तर पर उन स्थानों पर जहां चिकित्सालय नहीं हैं, वहां चिकित्सालयों की स्थापना की जाय । चौथा आता है प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उत्तर प्रदेश में तीन सौ कुछ थे, जिनके अपने भवन नहीं थे । छठी पंचवर्षीय योजना में 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भवन निर्माण की व्यवस्था कर रहे हैं । भवन निर्मित हो रहे हैं, हर जनपद में, तब भी 150 रह जायंगे, जो कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में लिये जायंगे । सातवीं योजना में पूरे होंगे ।

तीसरी चीज सारे प्रदेश में 50 हजार की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, और पर्वतीय क्षेत्रों में 20 हजार की आबादी पर । हमारे यहां जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, वह अधिकांश एक लाख से सवा लाख की आबादी के बीच हैं । हम जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निर्णय ले रहे हैं, वह है कि हर उन विकास खन्डों में जहां की जनसंख्या 1 लाख 25 हजार के ऊपर है, वहां एक अतिरिक्त सब्सिडियरी हेल्थ सेन्टर अथवा एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करें । अब सब्सिडियरी हेल्थ सेन्टर के बारे में बताना चाहता हूं । अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सब्सिडियरी हेल्थ सेन्टर के प्रारूप में कोई अन्तर नहीं है । सब्सिडियरी हेल्थ सेन्टर की स्थापना करने

का प्रयास इसलिये कर रहे हैं कि उसके साथ कुछ बिल्डिंगें मिल जाती हैं, औषधालय निर्माण कर सकते हैं ।

हमने यह निर्णय लिया कि 31 मार्च, 1985 को, जो यह बजट आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में साढ़े पन्द्रह हजार, पन्द्रह हजार आठ सौ उप केन्द्र स्थापित हो जायं, ग्रामीण क्षेत्रों में, जो यह अब नये औषधालय स्थापित करे, जो सब्सिडियरी हेल्थ सेन्टर स्थापित करें, क्योंकि यह सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं । प्रयास यह है कि नये औषधालयों की स्थापना उन स्वास्थ्य उप केन्द्रों के साथ हो ताकि वहां महिला और पुरुष दोनों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो । सब्सिडियरी हेल्थ सेन्टर ऐसे एक अप ग्रेडेड स्वास्थ्य केन्द्र के साथ हो जहां प्रशिक्षित दाइयां रहती हैं । यह भी श्रीमन्, शासन के विचाराधीन हैं । यह जो फर्जी डाक्टर घूमते हैं । कानून में यह व्यवस्था है कि इन नकली डाक्टरों को प्राजीक्यूट किया जाय । अगर आप लिखित रूप में दें कि श्री वी० के० मिश्रा फर्जी डाक्टर हैं, तो आपकी लिखित रिपोर्ट पर मैं उस पर कार्यवाही करूंगा, इस प्रकार सुनने से नहीं करूंगा ।

मैं इस सदन के माध्यम से इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के लोगों को यह जानकारी हो कि फलां व्यक्ति फर्जी डाक्टर है, या फर्जी दवाइयां बेच रहा है या फिर फलां व्यक्ति फर्जी सुइयां लगा रहा है, यदि उनको उस व्यक्ति से डर लगता हो एफ० आई० आर० उसके खिलाफ लिखाने में, हो सकता वह आदमी उस क्षेत्र का या उस गांव का जबरदस्त आदमी हो, तो वह उसकी शिकायत मुझे दें, तब मैं उस पर कार्यवाही करूंगा । परन्तु यह तब मामला लिखित रूप में होना चाहिए । अन्यथा, फर्जी जानते हुए भी हम उस पर कार्यवाही नहीं कर पायेंगे ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, एक बार मैंने माननीय मोहन सिंह जी को इन्जेक्शन लगाया था, और इन्हें दर्द हुआ था ।

श्री लोकपति--

मैं नहीं जानता की आपने कौन सा इन्जेक्शन लगाया था । मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध कर रहा था कि अगर उनके संज्ञान में ऐसा कोई व्यक्ति है, जो फर्जी डाक्टरी कर रहा हो, तो उसकी शिकायत वह मेरे से कर सकते हैं लिखित रूप में, हम उसे प्रोसीक्यूट करेंगे । हर जगह हर स्वास्थ्य केन्द्र के साथ औषधालय खोलना सम्भव नहीं है । हमारे प्रदेश में 8,000 न्याय पंचायतें हैं इन 8,000 न्याय पंचायतों में 8,000 औषधालय खोलना सम्भव नहीं है । हम उप-केन्द्रों पर ट्रेंड फारमेसिस्ट को भेजेंगे. ताकि वहां पर साधारण रूप से उस क्षेत्र के लोगों को दवाइयां देने की व्यवस्था वह कर सके और नकली डाक्टर वहां पर लोगों को हानि नहीं पहुंचा सके । यह मामला शासन के विचाराधीन है ।

मान्यवर, अब उससे नीचे आता है ग्राम । कोशिश यह है कि आज औसतन प्रत्येक न्याय पंचायत की जन-संख्या 10 हजार से 15 हजार के बीच है और सन् 2,000 तक चिकित्सा सुविधायें पहुंचाना हमारा लक्ष्य है, परन्तु इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दिन में कार्यक्रम नहीं बनाया जा सकता है, प्रत्येक न्याय पंचायत में इस तरह के 3 केन्द्र होंगे, एक केन्द्र पर डाक्टर रहेंगे और दो केन्द्रों पर फार्मेसिस्ट रहेंगे । इस प्रकार हम ग्राम स्तर से जिला स्तर तक चिकित्सा सुविधायें दे सकेंगे ।

सन् 1980 से मैं इस सदन में यह आश्वासन देता आ रहा हूं कि मैं आपको डाक्टर-महिला व पुरुष दोनों दूंगा और देता आ रहा हूं । आप

तो जानते ही हैं कि बच्चे को बाहर निकलने में 9 महीने लगते हैं। तो वह एक पढ़ा-लिखा इन्सान है, उसे 2 वर्ष लगेंगे। श्रीमन्, मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है कि लोक सेवा आयोग ने 1,800 पुरुष चिकित्सक, इसमें 386 पर्वतीय क्षेत्र के लिए और पन्द्रह सौ कुछ मैदानी क्षेत्र के लिए, 600 महिला चिकित्सक का चयन करके इसे उत्तर प्रदेश शासन को भेज दिया है। 600 महिला चिकित्सकों के नियुक्ति आदेश जारी हो गये हैं और 386 चिकित्सक, जो पर्वतीय क्षेत्र के लिए चयनित किए गये थे, उनके लिए भी नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 386 में से 200 चिकित्सकों ने वहां पर कार्यभार ग्रहण भी कर लिया है। 186 चिकित्सक जो शेष रह गये हैं, वे दोनों संवर्गों में चयनित किए गये थे। मैंने इस सम्बन्ध में सचिव, स्वास्थ्य विभाग से बात कर ली है और उनको निर्देशित किया है कि इन 186 को पर्वतीय क्षेत्र में भेजा जाय। उनको इस जनरल संवर्ग में न लिया जाय और कल श्रीमन्, लोक सेवा आयोग ने साढ़े आठ सौ डाक्टरों के चयन निकालने की सोची है। श्रीमन्, उसमें से चार सौ कुछ पर्वतीय क्षेत्र के हैं। डाक्टरों के चयन की वह भी प्रक्रिया 2-3 महीने के अन्दर होकर, वह भी चयन हो जायेगा। क्योंकि उनसे यह अनुरोध किया गया है, लोक सेवा आयोग से यह अनुरोध किया गया है कि आप हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति शीघ्र करें। वह इसी क्रम में यह आया।

उत्तर प्रदेश में आज चिकित्सा सुविधा, इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतने बड़े चिकित्सालय और जिन लोगों की नियुक्ति यह हो रही है तो उसका लाभ लोगों को मिले। इस तरह से इसको पूरा करने के लिये आपकी चिकित्सा शिक्षा की भी आवश्यकता है। उसके भी तीन अंग हैं--आधुनिक चिकित्सा शिक्षा, भारतीय चिकित्सा शिक्षा, होम्यो0 चिकित्सा शिक्षा, इसकी बाबत आधुनिक शिक्षा के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश में 804 डाक्टर प्रतिवर्ष एम0बी0बी0एस0 करके निकलते हैं। तुरन्त डाक्टरों की नियुक्तियां नहीं निकलती हैं, तो हर डाक्टर एम0 बी0 बी0 एस0 करने के बाद वह पोस्ट ग्रेजुएशन के चक्कर में रहता है, उसको 700-800 रुपया मिलता है। यह होता है कि अगर एक उसने कर लिया, तो दूसरा कर ले। इसमें भी कुछ सुधार हुआ।

उत्तर प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग छः सौ चिकित्सकों की आवश्यकता होती है, कुछ लोग रिटायर होते हैं और कुछ नये आपके चिकित्सा संस्थाओं के औषधालय खोलते हैं। तो 804 में अगर 600 हैं, तो लगभग 80 प्रतिशत लोगों का सेवा का अवसर है। तो, यह निर्णय किया, शासन ने 1981-82 में और उसका हम पालन कर रहे हैं कि हर वर्ष जो हमारी आवश्यकताएं हैं, 600 चिकित्सकों की या 550 चिकित्सकों की, जितनी भी आवश्यकता है, वह लोक सेवा आयोग को यह अभियाचन भेज दिया जाय, ताकि वहां से समय के अनुसार, समय पर लोगों का चयन होता रहे और उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा जानने वाले जो लोग हैं, उनको बेरोजगारी की समस्या से न जूझना पड़े। यह 804 में 400 लोगों के लिये है। आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसमें भी हमने सीमा निर्धारित की है। दो तरह के उम्मीदवार माने जाते हैं। उनको हमने एक को तो इंटरनल में माना है और एक को एक्सटरनल में माना है।

श्री मुख्तार अनीस--

बहुत लम्बा हो गया है आपका भाषण।

श्री लोकपति--

11 करोड़ 88 लाख लोगों से सम्बन्धित है यह विषय। आप थक गये हों, तो खाना खा आइये, रखा हुआ है।

एक सदस्य--

बहुत समय आपने ही लिया ।

श्री लोकपति--

अभी तो आधा घंटा ही हुआ है लगभग । अभी तो हमें आयुर्वेदिक पर बोलना है, होम्योपैथिक पर बोलना है ।

श्री मुख्तार अनीस--

लगता है, राजनारायण जी के शिष्य हैं ।

श्री लोकपति--

मैं उनका शिष्य हूं ।

तो, श्रीमन्, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हमने संतुलन किया । आज उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें 400 व्यक्ति लिये गये । धन उत्तर प्रदेश सेवा पी0 एच0 एम0 एस0 सेवा के अंतर्गत जो लोग हैं, उनको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिये दिया जायेगा । जितनी चीजों की आवश्यकता हमारे प्रदेश को है, इसके अलावा एक बात और है, दो तरह की सेवायें हैं, एक टेक्निकल और दूसरी नान-टेक्निकल । टेक्निकल में एम0 डी0, हड्डी जोड़-तोड़, सर्जरी--इसमें अधिकांश लोग जाना चाहते हैं और जो नान-टेक्निकल सर्विसेज हैं--उसमें लोग कम जाना चाहते हैं ।

यह लक्ष्य हमने निर्धारित किया है कि हमारी स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत और जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेंगे उसमें जितने सेवा के अंग हैं, चिकित्सालय में, हर एक में पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा के लोग जायं । ऐसी चिकित्सा की व्यवस्था की है क्योंकि एक पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा कराने पर दो वर्ष में एक व्यक्ति के ऊपर उत्तर प्रदेश के नागरिकों का एक लाख के ऊपर व्यय होता है । उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सही लाभ मिले, इसलिये यह व्यवस्था की गयी है ।

अब हम आते हैं संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट की ओर । जो सेवा अभी तक विदेशों में उपलब्ध होती थी, वह अब यहां उपलब्ध है ।

एक सदस्य--

वहां पर क्या भूत का इलाज कर रहे हैं ?

श्री लोकपति--

हम तो पंडित हैं, भूत का इलाज कर देंगे, प्रेत का इलाज कर देंगे और आपका भी इलाज कर देंगे ।

(हंसी)

1984 के नवम्बर, दिसम्बर तक संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट में दो विषयों में उच्चतर चिकित्सा और शिक्षा तथा छठीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक और सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ तक हम 6 विभागों में उच्चतर शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था कर देंगे । छठीं पंचवर्षीय योजना और उसके अन्त तक हम 15 और विषयों में चिकित्सा सुविधा और चिकित्सा शिक्षा दे देंगे । संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट, आल इंडिया इन्स्टीट्यूट की तरह साधारण चिकित्सालय न बन जाय, इस दृष्टि से संजय गांधी इन्स्टीट्यूट के अन्दर 30 शय्या के एक अतिरिक्त चिकित्सालय का निर्माण हो रहा है । जो वी0 आई0 पी0 वहां पर जाना चाहते हैं, वे जा सकते हैं । चाहे उनके पैर में कांटा चुभ जाय या उनका हाइड्रोसील का आपरेशन हो, वे चिकित्सा के लिये वहां जा सकते हैं ।

वह भी उसमें दाखिल हो सकते हैं और इससे लोगों को एक मानसिक तसल्ली हो जायेगी कि मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट गया ।

एक सदस्य--

पागलखाने की क्या व्यवस्था है ?

कई सदस्य--

इसकी व्यवस्था मुख्तार अनीस को दे दी जाय ।

श्री लोकपति--

माननीय सदस्य जितना भी चाहें, बोलें बीच में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, सिर्फ मौका हमें कम मिलेगा । सरकारी आंकड़ों से ज्यादा जानकारी हमें माननीय सदस्यों द्वारा ही प्राप्त होती है, जिस पर शासन अपना निर्णय लेता है ।

श्रीमन्, आयुर्वेदिक के बारे में जैसा कि सबको विदित है कि उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक शिक्षा सरकारी होंगे या है, जिससे कोई भी व्यक्ति यह शिक्षा हासिल कर सकता है, इस सम्बन्ध में एक बात सामने आई कि इसमें फर्जी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, यह शिकायत श्री राम कृष्ण उपाध्याय जो स्वयं इसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने की । तो श्रीमान जी, यह शिकायत उन्होंने किससे की है, जबकि वह स्वयं इसके सक्षम अधिकारी हैं, किसने फर्जी रजिस्ट्रेशन किये, उसकी शिकायत मुझको लिखित दीजिए, हर फर्जी रजिस्ट्रेशन गलत है, क्रिमिनल है और दंडनीय है । हम इस पर कानूनी कार्यवाही करेंगे और ऐसे व्यक्ति को दन्डित करवाएंगे ।

उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक शिक्षा एवं चिकित्सा दोनों की व्यवस्था और यूनानी चिकित्सा व्यवस्था भी कर रहे हैं, साथ ही एलोपैथिक का बहुत बड़ा केन्द्र भी स्थापित कर रहे हैं । इस तरह से हम प्रदेश और देश की स्थिति को देखते हुए इन चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं । इसी दृष्टि से 7वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने आयुर्वेदिक एवं यूनानी रिसर्च सेंटर खोलने का फैसला लिया है और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने यहां दो आयुर्वेदिक एवं यूनानी रिसर्च सेंटर खोलने का फैसला लिया है, एक तो लखनऊ में और दूसरा वाराणसी में । साथ ही उत्तर प्रदेश शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी रिसर्च सटर को उच्च स्तर पर जैसा कि अभी भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया है, लेकिन प्रयास वहां पर भी इस सिलसिले में जारी है । लेकिन हम उसके लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में 10 करोड़ का प्राविधान करने जा रहे हैं और इस समय भी वर्ष 1984-85 में एक लाख रु0 उसके लिए दिया जा रहा है । साथ ही आयुर्विज्ञान शिक्षा सेंटर को एक शाखा संस्कृत महाविद्यालय से सम्बद्ध कर स्थापित करने की व्यवस्था की जा रही है । आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली, विज्ञान केमिकल्स पर निर्भर नहीं है, इसका स्रोत, इसकी जड़ और इसकी शक्ति जड़ी-बूटियां हैं । इसीलिए वानिकी सार्वजनिक प्रणाली के अन्तर्गत कुछ जड़ी-बूटियों का प्रयोग शुरू हुआ है, हमारे वह स्थान जो हिमालय पर्वत में हैं ।

अभी नैनीताल जिले में आयुर्वेदिक ड्रग्स कारखाने का शिलान्यास स्वामी श्री शंकरानन्द जी ने किया है, वह सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र से सम्बद्ध किया जा रहा है ताकि उसी आयुर्वेदिक संस्थान से जो जड़ी-बूटियां लुप्त हो रही हैं, या विदेशों को जा रही थी, उनको रोका जा सके और उनकी रक्षा की जा सके और पुनः उनको डेवलप कर सकें । हमारे जितने आयुर्वेदिक कालेज हैं या उनसे सम्बद्ध जो फार्मेसी हैं, औषधि विज्ञान को इस तरह से सुदृढ़ किया जाय और उनसे सम्बद्ध किया जाय और कुछ भूमि की भी व्यवस्था की जाय जहां कि स्वतः वह कार्य प्रारम्भ कर सकें । इसके लिये 2 करोड़ रु0 का प्राविधान था । इस साल छठीं पंचवर्षीय योजना में यह 2 करोड़ रु0 की राशि बढ़कर 10 करोड़ रु0 की हो गयी है और यह अतिरिक्त कार्य भी इसी में होंगे ।

हमारे आयुर्वेदिक कालेजों के शुद्धिकरण के लिये जैसे चिकित्सालय, छात्रावास, हास्पिटल इस छठीं पंचवर्षीय

योजना में हर आयुर्वेदिक कालेज में, 11 यूनानी कालेज हैं तो इसके लिये 25 करोड़ रु0 रखे गये हैं कि उनका छात्रावास, भवन, चिकित्सीय उपकरण सब उन्हें भलीभांति दिये जायं। विगत चार वर्षों में छठीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 300 आयुर्वेदिक चिकित्सालय थे वहीं पर अब 450 आयुर्वेदिक चिकित्सालय और खोल दिये गये हैं। हर विधान सभा क्षेत्र में हम एक चिकित्सालय जरूर खुलवा देंगे। श्रीमन्, आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि अभी छठीं पंचवर्षीय योजना समाप्त नहीं हुई है, पर हर विधान सभा क्षेत्र में चाहे होम्योपैथिक, चाहे यूनानी, चाहे आयुर्वेदिक चिकित्सालय हमने खुलवा दिये हैं।

अब मैं आपका ध्यान 900 जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उस ओर ले जाना चाहता हूं कि हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक-एक डाक्टर बैठा दिया गया है। इसलिये 900 चिकित्सालय यह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के और इसके अतिरिक्त जो नये खुले हैं उनके लिये 400 डाक्टर दिये गये हैं। इस तरह से हमें 1300 डाक्टर्स की आवश्यकता है। इसके लिये हम लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेज रहे हैं कि इसमें जल्दी करो। इसके अतिरिक्त यह भी सोचा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग का अपना एक सेवा आयोग हो, भले ही वह लोक सेवा आयोग से सम्बद्ध हो। आप देखें कि हर विभाग में टेन्शन है क्योंकि लोक सेवा आयोग के पास बहुत कार्य है। हम उनसे बार-बार प्रयास कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं और मैं इस सदन में भी कह रहा हूं स्वास्थ्य मन्त्री होने के नाते कि अगर लोक सेवा आयोग स्वास्थ्य विभाग की आवश्यकताओं का शीघ्रता से निस्तारण नहीं करेगा तो हम बाध्य होकर एक सेवा आयोग का गठन करेंगे।

हम प्रदेश के अन्दर 11 करोड़ आदमियों को रोक नहीं सकते हैं और एडहाक नियुक्ति हम करेंगे नहीं क्योंकि जब एडहाक लोग नियुक्त हो जाते हैं तो इसमें बड़ी परेशानी होती है। तीन-चार साल को जब वे सेवा कर लेते हैं तो उसके बाद वे लोक सेवा आयोग के सामने गये और अगर वहां वे सेलेक्ट न हुए तो वे भी परेशान होते हैं। तो मामला खराब हो जाता है, लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और सारी प्रशासनिक कार्यवाही रुक जाती है फिर सरकार को बाध्य होकर विनियमतीकरण की योजना निकालनी पड़ती है, जो हम समय से काम करना चाहते हैं, वह रुक जाता है, मान लीजिए जो लोग कार्य कर रहे थे, वह सीनियारिटी क्लेम करता है और किसी की सीनियारिटी पर प्रभाव पड़ता है तो यह बड़ी विडम्बना की बात होती है। लोक सेवा आयोग की परिधि में काम करने की मंशा रखते हुये भी उत्तर प्रदेश के नागरिकों के हितों को देखते हुये, अगर आवश्यक होगा तो श्रीमन्, हम एक आयोग का भी गठन करेंगे।

श्रीमन्, बहुत चर्चा होती है, हमारे चिकित्सकों की, मैं नहीं जानता,

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मैं केवल 5 मिनट और लूंगा। एक दोष उत्पन्न हो गया है कि टाई पहन कर कोई भी डाक्टर देहात में नहीं रहना चाहता है। जो पर्वतीय क्षेत्र में पैदा हुआ है और पर्वतीय क्षेत्र से एम0 बी0 बी0 एस0 किया है, वह भी पर्वतीय क्षेत्र में नहीं जाना चाहता है। पी0 एच0 सी0 पर जो डाक्टर नहीं जाते हैं, उनका निलम्बन इस चीज का इलाज नहीं है, उनके लिए जो स्थायी हैं, उनको 3 महीने का वेतन और जो अस्थायी हैं, उनको एक महीने का वेतन देकर छुट्टी कर दिया। जो डाक्टर सम्वर्ग हैं, चाहे वह आयुर्वेदिक चिकित्सक हों, होम्योपैथिक चिकित्सक

हों, एलोपैथिक चिकित्सक हों या यूनानी चिकित्सक हों, सभी को हमारे समाज में सबसे अधिक मान्यता है ।

मान्यवर, आप क्षमा करें, मां अपने पति के सामने अपनी बेटी को नंगा नहीं देख सकती है, लेकिन वही मां उस बेटी को एक डाक्टर के सामने नंगा लिटाने में नहीं हिचकिचाती है । मान्यवर, जिस समाज में चिकित्सक को ईश्वर के बाद माना गया है, तो अगर कोई डाक्टर ऐसा कोई काम अनुचित करता है, तो हमारा सिर लज्जा से झुक जाता है । मैं स्पष्ट आपसे कहना चाहता हूं कि उनके साथ कठोरता का व्यवहार किया जायेगा ।

मैं इस सदन का बहुत आभारी हूं, 2-3 बातें कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं । सत्य आपके सामने रखना चाहता हूं । भोखा लाल जी इमरजेन्सी की बात कहते हैं । 1976 में जब परिवार नियोजन का कार्यक्रम चला रहा था, तो बी0 सी0 जी0 का टीका लगाने की योजना चल रही थी, तो एक भ्रामक प्रचार फैलाया गया कि इस टीके के द्वारा बच्चों को नपुंसक बनाया जा रहा है (शेम-शेम की ध्वनि सत्ता पक्ष की ओर से) मान्यवर, है बिल्कुल शेम की बात । मैं राजनीतिक बात नहीं कह रहा हूं ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, यह जो माननीय मन्त्री जी कह रहे हैं उससे यह राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं ।

श्री लोकपति--

मान्यवर, जो बात मैं कह रहा हूं, वह उसको बड़ी गम्भीरता के साथ कह रहा हूं । मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं ।

श्री भोखा लाल--

मान्यवर, मैं नहीं समझ पाया कि मेरा नाम किस सन्दर्भ में लिया गया ।

श्री लोक पति--

किसी विषय में आने के लिए, किसी माननीय सदस्य को माध्यम बनाना पड़ता है । आप मेरा माध्यम हैं, इस इस बात को कहने के लिए । मैंने आपसे अनुरोध किया जितना आप मुझे कहने के लिए रोकेंगे, उतना ही आपका बोलने का अधिकार जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

कृपया शान्त रहें ।

श्री लोक पति--

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि टी0 बी0 के रोग को घेरे में लेने के लिए उत्तर प्रदेश में जो कार्यक्रम हुए हैं, वे अभी भारतवर्ष में शुरू नहीं हुए हैं । हम भुवाली में, गोरखपुर में, बनारस में और मुरादाबाद में जहां कि टी0 बी0 के रोगी बढ़ रहे हैं, कार्यक्रम प्रारम्भ करने जा रहे हैं । देवरिया में कुष्ठ रोग निवारण के लिए एक संस्था बाबा राघव दास की है, उनके साथ कुछ झगड़ा है, वह एक समाजसेवी संस्था है, उनको हम दवा दे रहे हैं । श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में साढ़े पांच लाख कुष्ठ रोगी हैं । उनके इस रोग को दूर करके उनको जीविकोपार्जन दिया जाय, यह कार्यक्रम हमने प्रारम्भ किया है और यदि जरूरत हुई तो प्लास्टिक सरजरी भी हमने कराई है । इन शब्दों के साथ मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं ।

(श्री माता प्रसाद पान्डेय का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

यह मुकाबला ठीक नहीं है ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, अभी सरयूपारी कन्नौजिया बोल रहे थे, उनको बोलने दिया जाता ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अधिष्ठाता महोदय, यह सम्भव नहीं होगा कि आप हमें उतना समय दे सकें, जितना माननीय मन्त्री जी को मिला। मैं यह चाहता भी नहीं हूं कि इस चर्चा में सम्मानित सदस्यों के हिस्से का भी समय लूं। लेकिन जिस ढंग से माननीय मन्त्री जी ने यहां प्रारम्भ किया, उसके पहले मैं एक बात यह कह दूं कि सदन में मेरा दुर्भाग्य रहा है कि जब कभी भी मैंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया और जिस-जिस विभाग का किया, उस विभाग के मन्त्री या तो मंत्रिमण्डल से हटा दिए गये या उनको दूसरा विभाग दे दिया गया। चाहे वह छेदालाल चौधरी हो श्री कृष्ण गोयल हों या हमारे खन्ना साहब हों हो सकता है कि माननीय हमारे स्वास्थ्य मन्त्री के ऊपर भी यह बात लागू हो और आने वाले दिनों में हम बजट को पेश कर सकें।

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मन्त्री जी ने बड़ी ही संजीदगी से अपने विभाग का ढपोरशंखी बजट प्रस्तुत करते हुए सारे सदन का ध्यान आकर्षित किया और स्वास्थ्य विभाग के बारे में एक अजीबोगरीब ढंग से उसे पेश किया। मान्यवर, जो बजट होता है अस्पताल खोल देने से, चिकित्सालय बना देने से और उनमें डाक्टर भेज देने से क्या उत्तर प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सकेगी और क्या स्वास्थ्य सुदृढ़ हो सकेगा। मान्यवर, मैं इस समय उनके द्वारा कही गई पूरी बातों में जाना चाहता बल्कि कुछ खास-खास बातों के बारे में कहना चाहूंगा।

जैसा माननीय मन्त्री जी ने बताया उससे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर आने वाले दिनों में कोई अस्वस्थ नहीं रहेगा। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए धन का प्राविधान करने की जरूरत है। जब तक आप अधिक से अधिक धन इस मद में खर्च नहीं करते तब तक यहां के रहने वालों की स्वास्थ्य सुरक्षा आप नहीं कर सकते हैं। जो भी तीनों अनुदानों का बजट है, उसकी सम्पूर्ण धनराशि बजट के 5.41 प्रतिशत स्वास्थ्य विभाग में आई है। मान्यवर, अब 11 करोड़ अधिक रुपयों की बात करने के लिये खड़े हुए, यही नहीं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसकी तरफ उन्होंने धन की कमी कर दी है और अस्पताल खोलने, कर्मचारियों के वेतन और भत्ते आदि में धनराशि की बढ़ोत्तरी हुई है और जो जनता की सुविधाओं के आइटम थे, उन पर मन्त्री जी ने धन कम कर दिया। इस बात को मैं आपको एक-एक करके बताना चाहता हूं। यह राज्य चिकित्सालयों तथा औषधालयों के लिए अतिरिक्त आहार की व्यवस्था मद संख्या 19 पृष्ठ संख्या 426 है, इसमें लिखा है पिछले तीन वर्षों के आंकड़े दिये हैं कि कितना खर्च किया है 1982-83 से 2.50 लाख रुपया खर्च किया है तीनों वर्षों के यही आंकड़े हैं, इसमें कोई बढ़ोत्तरी

नहीं हुई है। इसी तरह अनुदान संख्या 19 में पृष्ठ संख्या 416 है, जिसमें 280 चिकित्सालय हैं, जिसमें औषधि तथा आहार के लिए अतिरिक्त धनराशि 14.33 करोड़ रु0 की रखी है, यह भी पिछले तीन सालों से ज्यों की त्यों है यानी 14 करोड़ 33 लाख रु0 है। तीन वर्षों में रखी गई है। इसी तरह परिवार नियोजन कल्याण की बात की। माननीय मन्त्री जी ने कहा एक मिनट में ऊपर से नीचे तक ठीक करेंगे। तो अनुदान संख्या--

श्री अधिष्ठाता--

यह ऊपर से नीचे तक ठीक करने के क्या माने हैं ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर यह माननीय मन्त्री जी से सीख लें, मुझे बताने की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य आपस में बातें न करें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय मन्त्री जी उनकी आंखों के लिए काजल की व्यवस्था करें। बजट तो पढ़ते नहीं, वह पढ़ लिया करें तो मालूम हो जायेगा। तो चिकित्सा विभाग परिवार कल्याण का जो बजट है, उसमें आपने दो-करोड़ रु0 की कमी की है। तो एक तरफ तो आप स्वास्थ्य में लाभ पहुंचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो धनराशि पिछले तीन सालों में थी, वही ज्यों की त्यों बनी है। यह सही है कि पिछले वर्ष से 11 करोड़ से ज्यादा है लेकिन यह किस पर खर्च हो रहा है। वेतन में, महंगाई में और प्रशासनिक खर्च में तथा मेडिकल कालेज पर है। इन्हीं मदों में यह बढ़ा है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बड़ी होशियारी से अपनी बात कहते हैं एक बार अपनी बात को कहते हैं फिर उसे दोहराते नहीं हैं ताकि पकड़ में न आयें। जब पहली बार आप इस स्वास्थ्य विभाग के विधाता बने तो उस वक्त आपने जो भाषण दिया इसी सदन में उसकी कार्यवाही में लिखा है विधान सभा की कार्यवाही के खंड 345 अंक 7 के पृष्ठ 693, 1980 को देखने का कष्ट करें।

आपने कहा है कि आज उत्तर प्रदेश में 38 हजार शैय्यायें राष्ट्रीय चिकित्सालयों में उपलब्ध हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शासन का यह विचार है कि शैयाओं की संख्या बढ़ा कर 1 लाख 8 हजार करदी जाय। आने वाले 5 वर्षों में 90 हजार शैया बढ़ायी जायं। तो उस समय जब आप 80 में यहां आये थे तो उत्तर प्रदेश के गांव में और शहरों में रहने वाले आशायें लगाये कि उनके स्वास्थ्य के लिए उनके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए आप अधिक से अधिक व्यय करेंगे लेकिन वह संकल्प पूरा नहीं किया।

आप की एक स्वास्थ्य विभाग की परफारमेंस की किताब आज मुझे मिली है जो समय से नहीं मिली इसलिए पूरी गहराई से उसका अध्ययन नहीं कर पाये तो इसको देखने से पता चलता है कि कोई विशेष बढ़ोत्तरी आपने नहीं की है और अभी तक 1 लाख 80 हजार तक नहीं पहुंचे हैं। छठी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने को है यह 1984-85 चल रहा है। तो मंत्री जी अपनी बात पर तो टिके नहीं और आने वाले दिनों में पता नहीं कि कैसे टिके रहेंगे ? मान्यवर, इस बार जो बजट स्वास्थ्य विभाग का आया है, कि रोगियों को सुविधा देंगे और उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, तो इसमें कहना चाहता हूं कि आप कहां खड़े हैं। जो स्वास्थ्य का बजट है उसमें प्रति व्यक्ति जो खर्च कर रहे हैं उसके सम्बन्ध में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

वर्ष 1984-85 का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (परफारमेंस) आय-व्ययक के पृष्ठ (च) पर दिया है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति 20.28 रुपये खर्च कर रहे हैं। हमारे पास एक केरल की 1982-83 की बजट की पुस्तिका है जिसमें हिन्दुस्तान के आंकड़े निकालकर दिये हैं लेकिन 1978-79 का आंकड़ा उपलब्ध है, इसमें जम्मू-कश्मीर में 1978-79 में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर खर्च किया 27.71 रुपये, केरल में 20.63 रुपये खर्च किया।

श्री अधिष्ठाता--

दो मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

हमको 20 मिनट मिलने चाहिये लेकिन 5 मिनट और दें।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर खर्च के आंकड़े देखें तो मालूम होगा कि हम हिन्दुस्तान में अन्य प्रदेशों के मुकाबले कहां खड़े हैं। तो मालूम होगा कि हम बहुत से प्रदेशों से पीछे हैं फिर चाहे मेडिकल कालेजों या हेल्थ सेन्टर्स की स्थापना के बारे में हो, यह संक्षेप में मैं बता रहा हूं चूंकि समय कम है।

मान्यवर, रोगियों के उपचार पर पिछले वर्ष से इस बार खर्च प्रति व्यक्ति बढ़ा दिया है और एलोपैथिक अस्पतालों पर इस बार खर्च बढ़ाकर कर रहे हैं और जो 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर रहे हैं। मान्यवर, आयुर्वेद की वकालत की गयी और उसके चलते गांवों में गरीबों को दवा उपलब्ध हो सके, इसलिये इस वर्ष 30 पैसे प्रति व्यक्ति खर्च करने की व्यवस्था किया। लेकिन अस्पतालों में जो रोगी भर्ती किये गये उन पर भोजन पर 1.48 रुपये खर्च प्रति व्यक्ति किया गया जबकि जेल मैनुअल को मैंने पढ़ा तो उसमें जेल के प्रति कैदी पर दो से ढाई रुपये चावल, दाल, आटे पर खर्च आता है। इसलिये मंत्री जी जेल के कैदी के समान रोगियों के भोजन की व्यवस्था तो किया नहीं है लेकिन कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस प्रदेश को रोगोन्मुक्त कर देंगे।

इसी प्रकार होम्योपैथी दवा प्रति व्यक्ति कम हो गयी है क्योंकि पिछली-बार तो 18 पैसे एक रोगी पर खर्च था लेकिन इस बार 14 पैसे हो गया है। इसलिये होम्योपैथी बजट को भी आपने कम कर दिया है चूंकि वेतन पर पिछली बार 35 लाख रुपये खर्च था जिसको इस बार 30 लाख रुपये कर दिया है। मेरा आपसे सुझाव है कि इन खर्चों में अधिष्ठान खर्चे में कमी करके रोगियों के उपचार सम्बन्धी खर्चों में बढ़ोत्तरी की जाए, जिससे उनको और अधिक दवा और उपचार प्राप्त हो सके। गांव की जनसंख्या में जो 80 प्रतिशत लोग, आप अपने हिसाब से 54 परसेन्ट कह लीजिए, गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं, वह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से दवा कैसे खरीद सकते हैं क्योंकि प्राथमिक केन्द्रों का बजट ज्यों का त्यों है, उसमें कई वर्षों से कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि वेतन और भत्ते सम्बन्धी खर्चे बढ़ गये हैं।

हमारे यहां की एक गम्भीर घटना हमारे सामने है। एक गम्भीर रोगी के बारे में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टर ने कह दिया कि यहां उसकी दवा नहीं हो सकती है, वह जिला अस्पताल इलाज कराने जाए। इस पर उस रोगी ने मुझ से कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे जिला अस्पताल में जाऊं। मजबूरी में उसने अपने गहने बेचे। अतः मेरा सुझाव यह है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से आवश्यक रूप से सारी की सारी दवा और उपचार व्यवस्था करायी जाए। यह कैसी विडम्बना की बात है कि एक तरफ गरीबी रेखा से नीचे जीवन

यापन करने वाले लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से दवा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उपचार नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार में बैठे बड़े-बड़े अधिकारी और कर्मचारी लोगों के लिए आप सारी की सारी दवाओं की व्यवस्था कराते हैं, जिनका जीवन गरीबी रेखा से बहुत ऊंचे हैं।

आप आदेश जारी कीजिए कि जो 500 रुपये से अधिक मूल वेतन पाने वाले सरकारी वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनको कोई दवा या उपचार व्यवस्था सुविधा सरकारी अस्पतालों से नहीं दी जाएगी और उससे कम के जो व्यक्ति हैं, चाहे हरिजन हों या अन्य उनके लिए सारी दवा और उपचार व्यवस्था सरकार की ओर से निःशुल्क की जाएगी। यदि आप ऐसा कर दें तो मैं समझता हूं कि यह सरकार का बहुत जन कल्याणकारी कदम होगा और निश्चित रूप से इससे गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को भारी राहत मिलेगी।

आपको यह मालूम होना चाहिए कि गांवों के गरीबों की गरीबी से ही रोग फैलता है, उसी पर पहले रोग के कीटाणु हमला करते हैं डक्टर साहब (श्री कृष्णवीर सिंह कौशल) मैंने पहले के आपके कट-मोशन को पढ़ा है, मैं आपके माध्यम से सदन के सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि आप शासन पर दबाव डालकर मेरे इस सुझाव को शासन से पूरा कराने का प्रयास करें कि जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग, हैं, उनके दवा और उपचार की सारी व्यवस्था सरकारी खजाने से की जाएगी अब आगे मैं यह कहना चाहता हूं...

श्री अधिष्ठाता--

अब आप एक मिनट में खत्म करें।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मुझे कम से कम 20 मिनट मिलना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें, आपको फिर मौका मिलेगा, आप उस समय बोलियेगा।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मान्यवर, मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए, बाद में मैं दो मिनट ही लूंगा।

श्री अधिष्ठाता--

अच्छा दो मिनट में आप अपनी बात खत्म करें।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मंत्री जी ने कहा कि अस्पतालों में डाक्टर ही नहीं है, तो फिर प्रश्न यह है कि वहां दवा देता कौन है? मेरे हाथ में यू0 पी0 मेडिकल मैनुअल है, उसके पैरा 34 व 35 में स्पष्ट लिखा है। हमारे क्षेत्र में डिस्पेंसरी और महिला अस्पताल हैं, जिसमें एक पुरुष कम्पाउन्डर बैठा है और कम्पाउन्डर साहब दवा बांटते हैं, जिसे आपने स्वयं स्वीकार किया है। पैरा 34 में दिया है--

"ऐन अनक्वालिफाइड परसन, सच ऐज ए कम्पाउन्डर, शुड बी एलेज्ड इनचार्ज आफ ए मेडिकल इन्स्टीट्यूशन ओनली हवेन ए मेडिकल आफिसर इज ऐबससेन्ट फ्राम दि डिस्पेन्सरी फार वेरी शार्ट पीरियड्स, ओइंग फार एक्जाम्पल टू हिज आर हर एटेन्डेन्स ऐट ए कोर्ट आफ ला टू गिव एविडेन्स, आर एट ए डिपार्टमेन्टल एक्जामिनेशन, आर टू हिज आर हर टेम्पोररी इलनेस आर टू केजुअल लीव"

मान्यवर, अभिप्राय यह है कम्पाउन्डर इन परिस्थितियों में इन्चार्ज बनाया जाएगा, जब डाक्टर कोर्ट में गये हों, डिपार्टमेन्टल एक्जामिनेशन में गये हों या थोड़े समय के लिए बीमार हों। फिर उसके बाद पैरा 35 में कहा गया है।

"आन दि अकेजनस रेफर्ड टु इन दि अबव रूल, ए कम्पाउन्डर में रेन्डर फर्स्ट एड फार दि इमीडिएट रिलीफ आफ ए पेशेन्ट, आर डिस्पेन्स स्टाक रेमिडिज, आर रिपीट मेडिसिन्स प्रिवियसली प्रेस्क्राइब्ड बाई दि मेडिकल आफिसर, बट ही आर शी शुड आन नो एकाउन्ट प्रेस्क्राइब फार पेशेन्ट्स आन हिज आर हर ओन रिस्पोन्सिलिटी इफ दि एबसेन्स आफ दि मेडिकल आफिसर इज फार ए लेन्थन्ड पीरियड दि डिस्पेन्सरी शुड बी टेम्पोरेरिली क्लोज्ड"..

यदि डाक्टर नहीं है तो कम्पाउन्डर दवा नहीं दे सकता ।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया समाप्त करें ।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

अभी समाप्त करता हूं । मान्यवर, यह सरकार किन्हीं मान्यताओं को मानने के लिये तैयार नहीं है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के बारे में एक कमेटी बनी थी हेल्थ सर्वे एन्ड प्लानिंग कमेटी 1959 यह डा0 ए0 लक्ष्मण-स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में बनी थी और डा0 टी0 आर0 तिवारी इसके सचिव थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इनके बारे में कुछ सिफारिशें की हैं, सरकार उन सिफारिशों को ही स्वीकार करने का कष्ट करें । उन्होंने यह सुझाव दिया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जब खोले जायं तो उनके कर्मचारियों के रहने के लिये रेजीडेन्स की व्यवस्था की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

आपके 20 मिनट हो गये । आप कृपया बैठें ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने चिकित्सा एवं परिवार कल्याण से सम्बन्धित जो अपना बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं ।

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने अपने भाषण में जो घोषणायें की हैं, आगे आने वाले वर्ष में लागू होने वाली जिन योजनाओं की घोषणा उन्होंने की है तथा पिछले वर्ष की जो उपलब्धियां बतायी हैं उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं । सबसे बड़ी घोषणा उन्होंने यह की है कि इस वर्ष में फर्जी डाक्टरों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

(व्यवधान)

यह सराहनीय कार्य है । मैं आपके माध्यम से उनके संज्ञान में एक तथ्य लाना चाहता हूं । श्रीमन्, आज भी सरकार की नाक के नीचे लखनऊ शहर में, अखबारों में बड़े-बड़े एडवर्टाइजमेन्ट निकल रहे हैं और उसमें लिखा है, मेडिकल बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, । उसमें जो सील बनायी गयी है वह बिलकुल उत्तर प्रदेश सरकार की सील से मिलती जुलती है । यह फर्जी बोर्ड दो-दो ढ़ाई-ढ़ाई सौ रुपये लेकर प्राइवेट डाक्टरों को पंजीकृत करता है । इसमें बहुत से लोगों का शोषण किया और गुमराह किया है । मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि वे ऐसी संस्था के खिलाफ तत्काल उचित कार्यवाही करें ताकि लोग उसके चक्कर में न आ सकें ।

माननीय मन्त्री जी ने स्वास्थ्य सेवा आयोग की स्थापना करने की जो घोषणा की है वह भी प्रशंसनीय कदम है । मेरा अनुरोध है कि इस कार्य को वे बहुत शीघ्र पूरा करायें ताकि डाक्टरों की भर्ती या उनके चयन का कार्य शीघ्रता से हो सके ।

परिवार नियोजन के सम्बन्ध में माननीय विपक्ष के साथी ने अभी दूसरे प्रदेश के आंकड़े दिये और उत्तर प्रदेश

के आंकड़ों से उनकी तुलना की। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहूंगा कि वे कृपया अपने दिल पर हाथ रखकर यह बतायें कि इस समस्या की जड़ में कारण क्या है ?

श्रीमन्, इसका सबसे बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश के अन्दर जनसंख्या का बिस्फोट। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आगे आने वाली पीढ़ी इस प्रदेश की, उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों को कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने एक ऐसी राष्ट्रीय समस्या पर बजाय इसके कि उसमें हमारा सहयोग देते और नैतिक बल प्रदान करते, लेकिन उसको उन्होंने राजनीतिक मुद्दा बनाकर जनसंख्या की समस्या को विकराल और भयावह बना दिया। यहां तक कि जो बी० सी० जी० के टीके लग रहे थे, हमारे साथी जो उत्तर बैठे हुए हैं उन्होंने आम जनता को गुमराह किया कि बी० सी० जी० के जो टीके लग रहे हैं उससे बच्चे नपुंसक हो जायेंगे। इससे बड़े क्षोभ का विषय और कोई नहीं हो सकता। जो एक राष्ट्रीय समस्या थी उसको उन्होंने राजनीतिक मुद्दा बनाकर लाभ उठाने का प्रयास किया।

मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करूंगा कि इस राष्ट्रीय समस्या पर अपना पूरा सहयोग प्रदान करें। आज सारी समस्यायें जो उठ रही हैं, सारी समस्याओं की जड़ जन संख्या विस्फोट है। आपके माध्यम से मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान यह जो वर्ष 1983-84 में स्वीकृत/प्रस्तावित जनोपयोगी सुविधाओं का जिलावार विवरण सम्बन्धी पुस्तिका है, उसकी ओर ले जाना चाहूंगा। इसमें प्रत्येक जिले के लिये जो प्रस्तावित कार्यक्रम हैं, वह दिये गये हैं। अगर आप गौर से देखें तो अन्य क्षेत्रों की तुलना में आगरा मंडल के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, मैनपुरी आदि में जो दूसरे जिले हैं उनके मुकाबले में सुविधायें नगण्य हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि आगरा मंडल को उपेक्षा की दृष्टि से न देखकर अन्य जिलों को जो सुविधायें दी जा रही हैं उसी प्रकार से इसमें भी थोड़ा ध्यान रखें। आपके माध्यम से मैं मन्त्री जी से एक और निवेदन करना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं निवेदन करूं मान्यवर, आपकी इजाजत से एक शेर पढ़ना चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता--

जरूर पढ़िये।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

मान्यवर,

गमें दिल से कर गये बाबा वह
पांचवें दिन क,
उन्होंने सुन रखा था जिंदगी चार
दिन की है।

मान्यवर, लगातार, मुतवातिर माननीय मन्त्री जी ने सदन में आश्वासन दिया है, 3 वर्षों से लगातार आश्वासन देते रहे हैं लेकिन आज तक उन आश्वासनों पर कारगर कदम नहीं उठाये गये हैं।

मैंने निवेदन किया था कि आगरा में रीजनल ब्लड बैंक की स्थापना की जाय। लखनऊ की तरह आगरा में भी रीजनल ब्लड बैंक की स्थापना हो। आगरा ऐसा स्थान है जहां पश्चिमी अंचल के मरीज, मध्य प्रदेश और राजस्थान से लगे हुए इलाकों के मरीज आते हैं। खून की वहां पर अत्यन्त आवश्यकता होती है। तो लखनऊ के रीजनल ब्लड बैंक के बराबर ही वहां पर एक रीजनल ब्लड बैंक की स्थापना की जाय। वहां पर डाक्टर, आपरेटस, इक्विपमेन्ट तथा पैरा मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करें। यदि ऐसा करेंगे तो मरीजों की बहुत बड़ी सेवा होगी।

मुझे आशा है कि इस पर आज ही कार्यवाही करेंगे ।

श्रीमन्, एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं, एस0 एन0 मेडिकल कालेज, आगरा हेतु, मेडिसिन डिपार्टमेन्ट के लिये कुछ उपकरणों तथा आपरेटस की मांग मेरे द्वारा की गयी थी । आपने आश्वासन भी दिया था । आपके जो निदेशक, चिकित्सा शिक्षा हैं उन्होंने खतों किताबत की है लेकिन वह उपकरण और आपरेटस उक्त डिपार्टमेन्ट को नहीं मिले हैं । मैं आपके माध्यम से जानकारी कराना चाहूंगा कि फाइबर आप्टिक अपर जी0 आई0 सी0, इन्डोस्कोप, आटो-एनालाइजर, ई0 ई0 जी0 तथा इलैक्ट्रोमाइलोग्राफ उपकरणों की व्यवस्था की जाये । यह उपकरण उच्च शिक्षा तथा रोग निदान के लिये बहुत आवश्यक हैं । इन उपकरणों के लिये धन की व्यवस्था की जाय इससे काफी मरीजों तथा छात्रों का भला हो सकेगा । इसके साथ ही साथ में आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा, आगरा में मेरे क्षेत्र के स्लम एरिया में एक 30 बेड के चाइल्ड तथा मैटरनिटी हास्पिटल के लिये मैंने अनुरोध किया था । आगरा में मुहल्ला बुंदू कटरा में निर्बल वर्ग के गरीब तथा हरिजन काफी बड़ी तादाद में रहते हैं । अगर वहां स्लम एरिया में यह अस्पताल बन जायगा तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले बहुत से लोगों का भला हो सकेगा । इसके अलावा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आगरा मेडिकल कालेज में, न्यूरो सर्जरी तथा न्यूक्लीयर मेडिसिन, यह दो जो विशिष्टतायें हैं इनकी वहां पर स्थापना करें ताकि वहां के जो लोग दिल्ली भागते हैं, जो गरीब लोग हैं उनको दिल्ली नहीं भागना पड़ेगा और उनका भला हो सकेगा ।

[समय 3 बजकर 25 मिनट]

एक बात और कहना चाहूंगा, श्रीमन्, दवाओं की चोरी के बारे में, पिछले दिनों आगरे में चोरी हुई, टुण्डला में चोरी हुई, बाह में चोरी हुई । श्रीमन्, इस पर कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई । होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्साधिकारियों के समान वेतनमान स्वीकृत न होने के कारण उनमें निराशा और कुण्ठा व्यक्त हो गई है, उनमें बड़ा ही असन्तोष है । उनका वेतनमान आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्साधिकारियों के समान निर्धारित किया जाय । दूसरे श्रीमन्, तीन वर्षों से होम्योपैथिक उप निदेशक का पद रिक्त पड़ा हुआ है । शासन द्वारा एक वर्ष पूर्व होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा उक्त पद भरे जाने का निर्णय लिया जा चुका है, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं किया गया । श्रीमन्, उप निदेशक के लिए हम चाहते हैं कि जो चिकित्साधिकारी हैं, उनके द्वारा ही प्रोन्नति करके, वह पद भर दिया जाय । होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को अभी तक समय बद्ध वेतनमान नहीं दिया गया । यह बहुत छोटी-छोटी बातें हैं । मेरा विश्वास है कि माननीय मन्त्री जी इस पर गौर करेंगे । मान्यवर, पहली बार ऐसा हुआ है, मैंने कोई नई मांग नहीं रखी है, पुरानी ही हमारी मांग है । माननीय मन्त्री जी आज ही उदार मन से इनको पूरा किये जाने की घोषणा करेंगे ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । दिल्ली के खेलगांव में हुई अग्नि परीक्षा से बची हुई सरकार का बजट, उसकी शुरुआत स्वास्थ्य के बजट से हुई है और दो-दो स्वास्थ्य मन्त्री हमारे सामने बैठे हैं, इसको पेश किया है । माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया और जो भाषण दिया या अभिभाषण दिया उससे मुझे उनके पिछले भाषणों

की याद आ रही थी और श्रीमन्, डाक्टर कौशल ने बता ही दिया कि ये लगातार आश्वासन देते आ रहे हैं, अभी तक कोई पूर्ति हुई नहीं। मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से कुछ सीधे प्रश्न पूछ रहा हूं। उनमें पहला प्रश्न यह है कि उन्होंने यह कहा कि पहाड़ के अन्दर जो नौजवान पैदा हुये, वे भी पहाड़ में सेवा नहीं करना चाहते। पहाड़ के नवजवानों का लगातार आपके पास विरोध-पत्र आ रहा है, इस बात के लिये कि आपने उनको नियुक्तियां नहीं दीं और पूरे पहाड़ों के अन्दर हड़ताल, भूख हड़ताल हो रही है। शिक्षित नवजवान जिन्होंने कि आयुर्वेदिक अस्पतालों में नियुक्तियों के लिए लगातार प्रार्थना-पत्र दिये हैं, वह इसलिये कि वहां से आकर, यहां आकर डायरेक्ट्रेट में घूस नहीं दे सकते, लिहाजा आपने उन्हें नियुक्ति नहीं दिया है। पहाड़ों के अन्दर अस्पताल खाली पड़े हुये हैं और आप यहां से डाक्टर नियुक्त करके नहीं भेज सकते और जिन डाक्टरों को भेजते हैं, वे एक महीने वहां रहने के बाद छुट्टी लेकर नीचे आ जाते हैं। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। टेहरी जिले में मैं आपके अनेक डाक्टर ऐसे हैं, जोकि अपने किसी भी अस्पताल में नहीं रहते हैं। वे नरेन्द्र नगर में या हरिद्वार में पड़े हुये हैं और महीने में एक दिन तनख्वाह लेने वे चले जाते हैं और मन्त्री जी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।

मन्त्री जी के लिए हम लोग कोई इन्सान नहीं हैं, जब हैजा फैलता है, इसी आदरणीय सदन के अन्दर आप कहते हैं कि हर जगह सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर सकती। आप कहते हैं कि गैस्टोइन्ट्राइटिस से मरे हैं। तब भैय्या जी की तरफ से सवाल का जवाब किस तरह से आता है? जब बद्रीनाथ की यात्रा शुरू होती है, तो नीचे से डाक्टर वगैरह भेजे जाते हैं। और जैसे ही यात्रा का सीजन खत्म होता है, बद्रीनाथ की यात्रा का समय पूरा होता है उनको नीचे भेज दिया जाता है। आपके जो पेशाबघर और पाखानाघर सड़कों के किनारे बने हैं वह इसलिये बने हैं कि पूरे हिन्दुस्तान से आदमी वहां आता है। स्थानीय आदमियों की आपकी नजर में आपकी सरकार की नजर में कोई इज्जत नहीं है। यह जो बजट है इसके लिये मैं एक भयानक शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूं। पता नहीं भैय्या जी को कैसा लगे। मैं कहता हूं कि आपको पाखन्ड बन्द करना चाहिये। आप कहते हैं कि पहाड़ के अन्दर चिकित्सा सुविधा देंगे। आप साफ कहें कि इन कारणों से नहीं दे पाये। पिछले तीन साल से कह रहे हैं कि हम आपको चिकित्सा सुविधा देंगे। तीन वर्षों में 20 बार मैं आपके पास गया हूं।

श्री बरम पाल--

ट्रान्सफर के लिये।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

अपने व्यक्तिगत कार्य से नहीं गया। 30 बार गया इसलिये कि एक बार आप दर्शन टेहरी जिले में दीजिये। आपने हर बार आश्वासन दिया कि आऊंगा। हमारी जो संस्थायें हैं, आदरणीय सदन में इतना समय नहीं मिल सकता कि तमाम चीजों को तफसीलवार पेश करूं। सारे प्रान्त में आप दौरा करते हैं, लेकिन हमारे यहां नहीं गये। आपकी नीयत साफ होती तो जाते।

हमारे यहां टेहरी नगर में एक डैम बनाया जा रहा है। इस बांध की वजह से टेहरी में लगातार धूल उड़ती रहती है जिसको अंग्रेजी में फालआउट कहते हैं। जिसके कारण पिछले 5 सालों से लोग हृदय रोग और दूसरी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। हमारे यहां एक्सीडेंट जब होता है टनल को बनाते हुये, एक साथ 20 आदमी, 30 आदमी घायल होकर आते हैं और उनके जीवन मरण का सवाल होता है। लेकिन

अस्पताल में दवा आदि की व्यवस्था नहीं होती है। अरबों रुपये का डैम बन रहा है, क्योंकि इतनी व्यवस्था नहीं कर लेते हैं कि जो अचानक आदमी आ जाता है उसको खून दे सकें, मामूली दवा दे सकें। चाहे मोटर का ऐक्सीडेंट हो चाहे टनल के अन्दर ऐक्सीडेंट हो जाय, अस्पताल में आने के बाद उसका जीवित रहना मुश्किल होता है।

मान्यवर, इनके जितने डाक्टर हैं, जितने नये डाक्टर जा रहे हैं सब गोलियां खाते हैं। मरीजों को दवा बांटें या न बांटें लेकिन सब फिकरनाट की गोलियां खाते हैं। उनको आप स्वस्थ रखिये। कोई डाक्टर ऐसा नहीं है जो फिकरनाट, मैनडेक्स और 20 नाम हैं, डाक्टर कौशल बता सकते हैं, की गोलियां खाते हैं। मान्यवर, विधायकों के लिए टानिक देना आपने बन्द कर दिया है। सचिवालय में एक अस्पताल यहां के कर्मचारियों के लिये है। इन कर्मचारियों के लिये आपके डाक्टर साहब पर्ची लिख देते हैं। जो पर्चा डाक्टर लिखता है, वह पर्चा दुकानदार जमा कर लेता है और कहता है कल आइये। फिर श्रीमन्, वह कल आता ही नहीं है। उसका पेमेंट कर लिया जाता है, लेकिन दवा कर्मचारियों को नहीं मिल पाती है। यह आपकी नाक के नीचे हो रहा है।

एक बात और कहना चाहता हूं कि सचिवालय के अन्दर कर्मचारियों के लिये एक होम्योपैथिक यूनिट खोलने की कृपा करें। आपने हम विधायकों के लिए होम्योपैथिक की यूनिट खोली है मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करता हूं कि पहाड़ों में जहां कुछ नहीं दे सकते हैं वहां होम्योपैथिक की यूनिट ही दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

इसमें जो आपकी पुस्तिका हमारे सामने दी गयी है इसमें भी श्रीमन्, आप देख लीजिए कि हमारे जिले के साथ विशेष अन्याय किया गया है जो यूनिट खोली है उसमें टिहरी जिले को सबसे कम यूनिट दी गयी है। हम तो विरोध पक्ष के हैं तो यह बात उठा रहे हैं। एक वहां के मंत्री आर्या जी बैठे हुए हैं यह आपसे बता नहीं पाते।

श्री अधिष्ठाता--

आपके भाषण का समय समाप्त हुआ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, ऐसी सख्त भाषा न कहें। मान्यवर, हमारे यहां पहाड़ों में जो योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं उनको पूरा करावें। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*डाक्टर रामकृष्ण उपाध्याय--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपके स्वास्थ्य विभाग का बजट जो उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ विभाग का बजट है जिससे सारे प्रदेश की लगभग साढ़े 12 करोड़ जनता के जनजीवन का सम्बन्ध है, यहां जो प्रदेश के जनप्रिय लोकप्रिय लोकपति त्रिपाठी हैं. ने रखा है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य आपस में बातचीत न करें।

डाक्टर रामकृष्ण उपाध्याय--

वह प्रदेश के लिए अच्छा सिद्ध होगा। आपके अपने कार्यकाल में अपने प्रदेश के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्दर, ऐसा कोई अंचल बाकी नहीं है जहां प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र की स्थापना न हो। कोई अंचल ऐसा नहीं है जहां आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना न हो। मैं मानता हूं कि कहीं व्यवस्था की कमी है जैसे डाक्टरों की कमी है। कम्पाउन्डरों की कमी है। लेकिन पहाड़ों में जहां तक मैंने देखा चिकित्सा की व्यवस्था सम्भली है अगर हम ऐसे बढ़ते हुए कदम की सराहना के बजाय आलोचना करें, तो किसी कार्यकर्ता का मनोबल गिराना ही कहा जायेगा। आपने अपने बजट भाषण में कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी जिस पर कि सदन का कोई माननीय सदस्य रिमार्क लगा सके। लेकिन मुझे कुछ सुझाव देने हैं। प्रदेश में इंडियन मेडिसिन बोर्ड है। इसका मैं अध्यक्ष हूं। यह बोर्ड कोई आपकी भारतीय चिकित्सा पद्धति का है। इसमें पहले श्री धुलेकर जी अध्यक्ष थे। उन्हें "कमेटी बोर्ड" दिया गया। वह आपने देखा। लेकिन उस गरीब बोर्ड का ध्यान आपको भूल गया है। इस बोर्ड को 18 साल पहले जो ग्रान्ट दी गई थी वही ग्रान्ट आज भी दी जा रही है। इस बोर्ड में 35-36 कर्मचारी होंगे। सरकारी अधिकारी लेविल पर जो जी0 ओ0 है, उसमें जो सुविधायें हैं, उसको देने से हम अर्थाभाव के कारण वंचित हो रहे हैं। कृपया इसके ग्रान्ट के संशोधन पर ध्यान दें। इस बोर्ड में 56 हजार (रजिस्टर्ड) चिकित्सक हैं। जिसमें यदि आपत्ति जनक नाम काट दें तो कोई अशुद्धि न रहे। कई बार शासन को चिट्ठी लिखी गई। हमारे यहां के कार्यकर्ता मायूस हो रहे हैं। उस विषय पर अवश्य ध्यान दें। दूसरे विषय पर हमने आपसे कहा था। ध्यान देंगे, आपने कह दिया है। एक और विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेदिक (भारतीय चिकित्सा पद्धति) के अन्तर्गत औषधियों का उत्तम कोटि में प्राप्त होना। भारत के अन्दर ही यह सम्भव है। धनवंतरि जी ने यही कहा था। हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आये थे। हरड़ के बारे में कहते हैं कि उसको अपने साथ लेकर बैठ जाइये तो मल बनने लगता है, उसके पेड़ के नीचे चले जाइये तो पेट साफ हो जाता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के विकास की आवाज भारत से नहीं उठेगी तो और कहां से उठेगी। कैप्सूलों और रंगीन दवाइयों को देखकर लोग आकर्षित हो सकते हैं। लेकिन भारतीय चिकित्सा पद्धति में कूट पीस कर चूर्ण बनाकर औषधियां निर्मित की जाती हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। आयुर्वेदिक रसायनों पर भारत सरकार न पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में मांग के आधार पर आयुर्वेदिक औषधालयों की बहुत कमी है। उसके लिये धन की आवश्यकता है। आधुनिक मशीनों की आवश्यकता है।

मैं एक सुझाव रखता हूं, छोटा सा जिससे कि ताजी आयुर्वेदिक औषधियां मिलें। इसके लिए कुछ एकड़ भूमि में आयुर्वेदिक गार्डेन की स्थापना की जाय, जिससे स्वच्छ जड़ी बूटियां मिले। उन्हें कूटपीसकर अच्छी औषधियां प्राप्त की जा सकें। इससे अच्छा लाभ पहुंचेगा। आज हमारे प्रदेश के अन्दर जो चिकित्सालय खुले हैं, उनके लिए कम्पाउन्डरों की जरूरत होती है। आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक कम्पाउन्डरों की हमारे बोर्ड द्वारा पूर्ति होती है। लगभग 260 कम्पाउन्डर ट्रेनिंग पर चल रहे हैं। इन्हें चलाने वाली संस्थाओं पर पैसा सरकार की तरफ से इन्हें अनुदान रूप में खर्च नहीं किया जाता। किस तरह से शान्त वातावरण में आयुर्वेदिक कम्पाउन्डर निकलें। इन्डियन मेडिसिन बोर्ड में इसके लिए बराबर ज्ञापन दिया जा रहा है। हम चाहेंगे कि उन प्रशिक्षण केन्द्रों को कुछ न कुछ ग्रान्ट दी जाए ताकि उनका पठन-पाठन पूर्णतया आधुनिक हो सके और अच्छा कार्य हो सके। इसी विषय को लेकर आयुर्वेदिक कम्पाउन्डरों ने हड़ताल की, विद्यार्थियों ने हड़ताल की,

उनकी हड़ताल सही थी। दूसरी ओर जो मांगें थीं, वह सही नहीं थीं। जो आयुर्वेदिक कम्पाउन्डर्स ट्रेनिंग सेन्टर्स है उनको यदि सरकार पैसा न दे तो कैसे आधुनिक ज्ञानयुक्त कम्पाउन्डर्स बढ़ सकते हैं। कृपया करके ये जो 5 कम्पाउन्डर्स प्रशिक्षण सेन्टर्स हैं उनको कुछ ग्रान्ट दें ताकि इनमें संतोषजनक पढ़ाई लिखाई हो सके। आपने उत्तर प्रदेश के अन्दर जो चिकित्सालय स्थापित किये हैं, जनता उनकी प्रशंसा कर रही है। आपने जेनरेटर की व्यवस्था की है, पेय जल की व्यवस्था की है, अस्पतालों में बढ़ोत्तरी की है। आप जैसे गुणकारी व्यक्ति ने जो यह स्वास्थ्य विभाग का बजट रखा, वह कम है और ज्यादा होना चाहिये था। इन शब्दों के साथ में इस योग्य बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने सन् 1980 में इस विभाग को सम्भाला था और अब तक 4 बजट पेश कर चुके हैं। इनके 1980 से लेकर 1984 तक के सारे भाषणों का पढ़ लिया जाय, इन्होंने उनको टेप कर लिया है और उसको हर साल दोहरा देते हैं। वही बातें दोहरा देते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने स्वास्थ्य विभाग में कौन सी नयी योजना जोड़ी। इनके विभाग की स्थिति यह है कि नीति इनके अफसर बनाते हैं और तबादला ये करते हैं, और इनके तबादले का अमल भी नहीं होता। हालत यह है कि दो विभाग होते हैं सारी दुनिया भर में जो जन कल्याणकारी सरकार होती है, वह स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान देती है। शिक्षा तो बाद में आयेगा।

स्वास्थ्य विभाग की यह हालत है, आज ग्रामीण इकाइयां हैं, जहां से हमारे देश की व्यवस्था शुरू होती है और जहां पर 80 फीसदी लोग रहते हैं, वहां पर आज आदमियों को दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। माननीय मन्त्री जी ने अपना बजट भाषण जन स्वास्थ्य रक्षक से शुरू किया, मैं भी अपना भाषण जन स्वास्थ्य रक्षक से ही शुरू करता हूं। आपने कहा कि इनका चुनाव ग्राम प्रधान के मारफत होता है, जबकि होता यह है कि ग्राम प्रधान बेचारा कुछ नहीं जानता है। आज आप डेढ़ सौ से लेकर पांच सौ तक आप इनकी नियुक्तियां करने जा रहे हैं। गांवों में भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। उनके लिए दवाइयां देने की व्यवस्था थी, उनको झोला दिये जाने की व्यवस्था थी। लेकिन श्रीमन्, होता यह है कि आधी दवाइयां तो डाक्टर रख लेता है और आधी दवाइयां उसे दी जाती हैं। उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है।

यदि जनता को चिकित्सा की सुविधायें नहीं मिल पायेंगी तो गांवों के अन्दर अपने आप फर्जी डाक्टर पैदा हो जायेंगे। हर आदमी मरने से बचता है, इसलिए मजबूरी में वह बेचारा फर्जी डाक्टर के पास जाता है। मेरा कहना यह है कि छोटे-छोटे अस्पतालों में डाक्टर होने चाहिए मगर ऐसा होता नहीं है। आज सारे के सारे डाक्टर घर पर बैठते हैं। मेरी निजी जानकारी है कि डाक्टर लोग अस्पताल में न जाकर घर पर ही दवाइयां बेचते हैं और जो सरकारी सुइयां मिलती हैं, साल-साल भर तक उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। फलस्वरूप लोगों के फोड़े आदि निकल आते हैं।

श्रीमन्, शाहजहांपुर में मस्तिष्क ज्वर फैल गया। ढाई सौ, तीन सौ लोगों की जानें चली गयीं परन्तु आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं आयी। आपको इसकी खबर अखबारों से मिली। आपके विभाग के लोगों ने सारी बातें छिपा दीं। डिप्टी डाइरेक्टर और अन्य अधिकारियों ने जिन्होंने इस मामले को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

छिपाया, उनके विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की ? यह हमें अभी तक मालूम नहीं हो पाया, जबकि इसकी सूचना आपको पहले ही मिल जानी चाहिए थी ।

श्रीमन्, जितने भी बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र हैं, वहां पर ऐसी स्थिति है कि जितने भी कुंयें हैं, वे पानी से भर गये हैं, क्योंकि उनका जल स्तर पहले ही ऊंचा होता है, परन्तु आपके विभाग ने उनमें दवाइयां डालने की व्यवस्था नहीं की और न ही आप में इतनी हिम्मत है । मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में आपने एक अस्पताल को धन देने की घोषणा की थी कि इसे बनायेंगे, मगर एम० पी० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी आदि के कहने पर कि हम चुनाव नहीं जीत पायेंगे, आधा रुपया, हमारा जो 5 लाख रुपया था, श्री राम रतन जी को दे दिया और आधा रुपया परागी लाल चौधरी जी को दे दिया और आपने यह सिद्ध कर दिया कि हमारा आपसे कोई सम्बन्ध नहीं है । यह हालत आज हो रही है और वह अस्पताल पूरा नहीं हो पाया । बहराइच में बनाना था, उसे भी अपने बिदड़ा कर दिया ।

आज से हालत खराब यह है कि हार्ट अटेक और कैन्सर की बीमारियां बहुत हो रही हैं । आज बड़े-बड़े नेता इन्हीं बीमारियों के शिकार हो रहे हैं । आप अपने अस्पतालों में अच्छे जनरेटर की व्यवस्था करें । आप अपने ही मेडिकल कालेज को ले लीजिए, वहां पर स्थिति यह है कि बिजली फेल हो जाती है और डाक्टरों को एयर कन्डीशन की जरूरत है , इसी सिविल अस्पताल को ले लीजिए, वहां पर आदमी एक गिलास पानी भी नहीं पी सकता है, वहां पर सफाई नहीं हो सकती है । आप सभी लोग वहां पर मरीजों को देखने भी जाते हैं । जब यहां पर, जो कि इस प्रदेश की राजधानी है, ऐसी हालत है तो गांव की हालत का क्या होगी ?

आप कहते हैं कि आपका जो विभाग है, वह नीचे से शुरू हो रहा है, नीचे की इकाई को ठीक कर रहा है । मैं तो आपसे यही कहता हूं कि आप पहले अपने शहर को ही ठीक करके दिखाइये, लखनऊ को ही ठीक कर लीजिए । बनारस में ही कोई चमत्कार दिखला दीजिए, वहां की व्यवस्था को ही ठीक कर लीजिए । या राजीव जी को ही खुश कर लीजिए, मुख्य मन्त्री बनना चाहते हैं तो सुल्तानपुर में ही कुछ करके दिखाइये, अमेठी में कुछ करके दिखाइये ।

आपके विभाग के अन्तर्गत जो काम धाम हो रहा है, वह मान्यवर, सर्वविदित है । मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इन सब चीजों को दुरुस्त करने के लिये विशेष प्रयास कीजिए और कार्य में चुस्ती लाइये । आप तबादलों की बाबत कोई स्पष्ट नीति बनाइये और उस हिसाब से तबादले कीजिए । मान्यवर, आजकल क्या हो रहा है, राजनीति पर आक्षेप लग रहे हैं । बाप राजनीति में है, ससुर राजनीति में है और बेटा या दामाद अस्पताल में डाक्टर है या इंजीनियर है, तो उसकी हर वक्त पैरवी ही चलती है कि फलां इंजीनियर फलां मन्त्री का बेटा है । फलां डाक्टर फलां मुख्य मन्त्री का दामाद है या फलां डाक्टर फलां मन्त्री का दामाद है । तो, मेरा मत है कि इन सबको रोकने के लिये कोई इस तरह का विचार हो, ताकि कोई भी राजनीतिज्ञ अपनी लड़की की शादी किसी डाक्टर या इंजीनियर से न करे । इसके बारे में कुछ करने की जरूरत है ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया, आप बैठें ।

श्री मुख्तार अनीस—

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं प्रस्तुत बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

मान्यवर, कहने और करने में कितना अन्तर होता है, यह बात निश्चित रूप से यहां देखने को मिलती है। मान्यवर, अभी एक तरफ तो यह चर्चा कर रहे हैं, स्वास्थ्य के जगत में, स्वास्थ्य की दुनिया में चारों तरफ इनकी कमी नजर आ रही है, लेकिन हमारे सम्मानित साथी-भाई माता प्रसाद कटौती का प्रस्ताव रखे हैं और इस प्रस्ताव में उन्होंने कहा है कि चूंकि इनकी नीतियों की आलोचना करना हमारा कर्त्तव्य है, इसलिए मैं एक रुपये कटौती का प्रस्ताव रखता हूं।

मान्यवर, एक तरफ तो जनता को बताते हैं कि हम आपकी सुख-सुविधा के लिये कितनी व्यवस्था कर रहे हैं, सदन में कितना चिल्ला रहे हैं, अखबार वालों को, नैतिकता की दुहाई दे देकर, बार-बार उनको अपनी बातों को सुना रहे हैं और दूसरी तरफ विवश हैं कटौती का प्रस्ताव रखने के लिये।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से इस स्वास्थ्य विभाग के बजट में थोड़ी बढ़ोत्तरी होनी चाहिए, इसलिए मान्यवर, कि मानव और उनकी मानवता दोनों बेत करती हैं स्वास्थ्य के ऊपर। जब इंसान का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तब तक मैं समझता हूं कि दुनिया का कोई भी कार्य, किसी भी कार्य का संचालन ठीक रूप से नहीं हो सकता है। इसलिए मान्यवर, उसमें जो कुछ भी पेश किया है, मेरे विचारों से उसमें थोड़ी कमी है, उसमें और लेना चाहिए था।

मान्यवर, सदन और आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय लोकपति त्रिपाठी ने स्वास्थ्य और चिकित्सा में और स्वास्थ्य सम्बन्धी चिकित्सा शिक्षा में जो चार चांद उत्तर प्रदेश में लगाये हैं, वह इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। मान्यवर, विगत सालों में होम्योपैथी और आयुर्वेदिक यह दो पद्धतियां किस तरह से रौंदी जा रही थीं। उनका किस तरह से दमन किया जा रहा था और अब उनके ऊपर किस प्रकार से विचार किया जा रहा है, किस तरह से निष्पक्ष भाव से उनके ऊपर विचार किया जा रहा है। यह इनकी देन है। यह इस सरकार की देन है, जिसके माध्यम से एक समानांतर रेखा खींची गयी और दोनों को मुकाबले पर बिठाया। किन्तु मान्यवर, आपके माध्यम से उनसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि जिस तरह से आपने आयुर्वेदिक और यूनानी को एलोपैथिक के मुकाबले में बिठाया है, मान्यवर, निश्चित रूप से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि होम्योपैथिक को भी उसी श्रृंखला में जोड़ने का कष्ट करें। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एक तरफ पी0 एम0 टी0 और दूसरी तरफ सी0 पी0 एम0 टी0 इसमें किसी तरह से भेद-भाव नहीं है, क्वालिफिकेशन के मामले में, कठोर से कठोर, कठोरतम कदम की अपेक्षा आपसे की जाती है, लेकिन उनके वेतन, उनकी नियुक्ति में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए।

मान्यवर, करोड़ों-करोड़ों रुपये आप एलोपैथी में खर्च कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, मैं आपको चुनौती देता हूं कि अंग्रेजी दवाओं में, कम से कम 20 बीमारियां ऐसी हैं, जिनको ठीक करने की क्षमता नहीं है। जैसे--अस्थमा, गाउट्स, साइटिका, रहूमेटिज्म इत्यादि। कोई बीमारी ऐसी नहीं है, जो एलोपैथी से ठीक कर दें। इनके पास आपरेशन के सिवाय कुछ नहीं है। केवल एक "एण्टी बायोटिक" है। जिससे यह कुछ

कर सकते हैं । अगर डाक्टर चतुर है, पढ़ा-लिखा है, विद्वान है तो आयुर्वेदिक और होम्योपैथी में शक्ति है कि कठिन से कठिन रोग का निवारण हो सकता है ।

जहां तक कुछ क्वैक्स का सवाल है, उनको आपको ठीक करना होगा । आज भी बिहार में कुछ मेडीकल कालेज ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से चल रहे हैं । उत्तर प्रदेश में भी कुछ हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है । यहां पर लड़कों से पैसा ले लिया जाता है, एडमीशन कर दिया जाता है लेकिन वह लड़का मारा-मारा फिरता है । उत्तर प्रदेश का निवासी अगर बिहार से शिक्षा ग्रहण करता है, डिप्लोमा लेकर आता है तो ऐसा प्राविधान होना चाहिये कि डिग्री सैक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट सैक्शन में उसका प्रवेश हो सके । आपके यहां का लड़का बिहार में पढ़ने जाता है, वहां से डिग्री लेकर आता है, आप उसको नौकरी नहीं देते हैं, लेकिन आपके यहां से लड़का अगर केरल जाता है, बिहार जाता है, तो उसको नौकरी मिल जाती है । इसमें संशोधन करने का कष्ट करें ।

अब मैं आपको अपने क्षेत्र की तरफ ले चलूंगा । वर्ष 1980 के बजट में मैंने आग्रह किया था कि मैं उस इलाके से आता हूं जो देवरिया का गरीब इलाका है पडरौना । यहां पर हुरलापुर, सोखोपार, भटवलिया इत्यादि स्थान हैं । मैंने कई बार यहां पर हास्पिटल की व्यवस्था हेतु अनुरोध किया है । केवल हुरलापुर में तो व्यवस्था हो गई है, लेकिन शेष जगहों पर अभी अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं है । मेरी मांग है कि इन स्थान पर भी अस्पताल की व्यवस्था कर दी जाय । अगर एलोपैथी नहीं दे सकते हैं तो होम्योपैथी या आयुर्वेदिक ही दे दीजिए, लेकिन दे जरूर दीजिए ताकि जो वादा मैंने किया है, वह पूरा हो सके । इसके साथ ही मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य, परिवार कल्याण विभाग के बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने बड़े जोरों से अपने बजट को बहुत ही प्रगतिशील और क्रान्तिकारी बताया है परन्तु मैं उन्हीं के आंकड़ों द्वारा यहां पर यह साबित करूंगा कि उनका बजट कितना स्वास्थ्य विरोधी है और कितना गरीब विरोधी है । 1983-84 में जहां प्रति रोगी औषधि व्यय 7.88 है, वहीं इस समय जो दे रहे हैं वह 8.14 पैसा है । मान्यवर, आज दवाओं की कितनी कीमत बढ़ गयी है, लेकिन यह दवाएं एक आदमी को सिर्फ 8.14 पैसा की दिलवा रहे हैं । उसी प्रकार से पिछले वर्ष प्रति व्यक्ति आय 29.81 पैसे और जिसमें यह कह रहे हैं हमने बढ़ोत्तरी की है, लेकिन उसमें 24.48 पैसा अब रखा गया है । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि आज मस्तिष्क ज्वर फैला हुआ था, जिससे हजारों व्यक्ति मर गये, लेकिन उनका विभाग इसका कोई उपचार मान्यवर, समय से नहीं दे सके और जब कुछ व्यवस्था इस ओर कर पाये जब हजारों व्यक्ति मर गये ।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पिछले चार वर्षों से, माननीय मुख्यमंत्री, पर्वतीय विकास मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री निरंतर घोषणा कर रहे हैं कि एक माह के अन्दर पहाड़ों पर डाक्टरों की नियुक्ति कर दी जायेगी, जब इस पर कुछ नहीं हुआ तो मैंने एक प्रश्न इस सम्बन्ध में किया था, उसके जवाब में बताया गया कि आज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(इस समय 4 बजकर 2 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

भी एलोपैथी में 427 पद डाक्टरों के रिक्त हैं, आयुर्वेद में 252 पदों में से 70 पद रिक्त हैं और होम्योपैथिक में 25 पदों में से 14 पद रिक्त हैं । तो मान्यवर, यह स्थिति पहाड़ों की है । स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि हमने लोक सेवा आयोग को धमकी दे दी है कि अगर आप हमारी व्यवस्था नहीं कर सकेंगे तो स्वास्थ्य विभाग अपनी व्यवस्था अलग से कर लेगा ।

मान्यवर, इस तरह के प्रयास तो कई वर्षों से हो रहे हैं, परन्तु अब तक कोई व्यवस्था पहाड़ों पर नहीं हो सकी है, जो लड़के वहां के आरक्षित कोटे में आते हैं, उनको भी वहां पर मौका नहीं दिया जाता है । इसी प्रकार से अनुसूचित जाति, जन-जाति के बच्चों का आरक्षण है और उनसे यह अनुबन्ध भी अनिवार्य रूप से कर लिया जाता है कि पास होने के बाद कोई दूसरी जगह सेवा नहीं कर सकते हैं, दूसरे हरिजनों के पदों पर उनको जो पदोन्नतियां मिलती हैं और वह पहाड़ों पर इस रूप में आना चाहते हैं उन्हें भी आप लेने के लिए तैयार नहीं हैं, इस प्रकार से तो यही देखने में नजर आ रहा है कि आप वहां पर डाक्टरों की नियुक्ति करने वाले नहीं हैं और अगर यही नीति और स्थिति रही तो वहां कभी भी डाक्टरों की नियुक्ति पूरी नहीं हो सकेगी और जितने डाक्टरों की नियुक्ति आप वहां पर कर भी रहे हैं तो वह वहां पर ज्वाइन करके फिर वापस आ जाते हैं और यहां पर बैठे-बैठे अपना वेतन वहां से प्राप्त कर रहे हैं । तो इस मसले पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है और विचार कर इस पर कोई शीघ्र पूरी व्यवस्था करें ।

पिछले वर्ष 5 एलोपैथिक अस्पताल आपने वहां पर खोले और इस वर्ष भी इतने ही खोलने जा रहे हैं । होम्योपैथिक में भी 5 अस्पताल पिछले वर्ष खोले और इस वर्ष भी 5 की ही व्यवस्था करने जा रहे हैं इसमें भी कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी और बढ़ोत्तरी को छोड़िए, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिछले वर्ष 19 खोले गये थे और अब इस वर्ष 10 खोले जा रहे हैं, जिसको घटा दिया गया है । स्वास्थ्य उप केन्द्र पिछले साल 50 खोले गये थे और आज भी 50 की व्यवस्था की जा रही है । जबकि वहां की भौगोलिक स्थिति और वहां के क्षेत्रफल को देखते हुए और जनसंख्या के हिसाब से जो व्यवस्था व सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए थी, वह नहीं हो पा रही है । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का खासतौर से चमोली बहुत आभारी है कि जब आप सिंचाई मंत्री थे, वहां पर जो विष्णु प्रयाग परियोजना है उसके लिए आपको ही याद किया जाता है कि वह आपकी कृपा से हुई । परन्तु जब से आप स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, वहां के लोगों को बहुत निराशा हुई है । कहा जाता है कि हनुमान जी द्रोणागिरि से संजीवनी बूटी लाये थे, वही द्रोणागिरि उत्तराखंड में है परन्तु आपने आयुर्वेद की कोई चीज वहां पर नहीं खोली है । वहां की मांग है कि उत्तराखंड विद्यापीठ में आयुर्वेद औषधि बनाने के लिए कोई हरबल इन्स्टीट्यूट खोला जाय, इस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि इस दिशा में आपका कोई ध्यान नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त, आप बैठिये ।

श्री मोहन सिंह--

अभी तो वे द्रोणागिरि पर चढ़ रहे थे कि आपने उन्हें बैठा दिया ।

श्री अध्यक्ष--

अब समय कम है, हर सदस्य को बोलने के लिए केवल पांच-पांच मिनट का मौका मिलेगा ।

*श्री मारकण्डेय चन्द्र--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस प्रदेश के कुशल स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो इस प्रदेश की साढ़े बारह करोड़ जनता के लिए कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है, उस पर बोलने का मौका दिया है। मान्यवर, समय तो कम है लेकिन मेरे पूर्व वक्ताओं ने और स्वास्थ्य मंत्री जी ने बजट के बारे में जो बातें कही हैं उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

मान्यवर, बहुत पहले जिला परिषदों में, जनपद के सुदूर क्षेत्रों में चिकित्सा सम्बन्धी कार्य करने के लिए जो चिकित्सालयों की स्थापना होती थी तो सचमुच में जिला परिषदों के चिकित्सालय उस कमी को पूरा करते थे। आज जिला परिषदों की वित्तीय स्थिति अत्यन्त निर्बल हो चुकी है, उनके पास उन चिकित्सालयों को चलाने के लिए कोई साधन नहीं है। कुछ दिनों पूर्व शासन ने निश्चय किया था कि जिला परिषद् के चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण किया जायेगा। स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिये कदम उठाया था परन्तु न जाने क्यों यह योजना अधर में पड़ी रह गयी।

गोरखपुर जिला परिषद् जब देवरिया भी उसमें था तो वहां पर 40-42 चिकित्सालय खोल कर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की बात कही गयी थी, परन्तु वे चिकित्सालय नहीं खोले गये। गोरखपुर में लगभग 7-8 सुदूर क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा ठीक नहीं है और जिला परिषद् की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह इतना भार वहन कर सके। इसलिये यदि चिकित्सालयों का शीघ्राति-शीघ्र प्रान्तीयकरण न किया गया तो उनकी दुर्दशा से उन्हें कोई रोक नहीं सकता है, वह दुर्दशा के आंसू रो रहे हैं।

हमारे माननीय मंत्री जी को पूरे प्रदेश की विहंगम जानकारी है। हर क्षेत्र की उनको जानकारी है। मंत्री जी यह भी जानते हैं कि गोरखपुर और देवरिया बिहार के पड़ोसी जिले हैं। इसलिये गोरखपुर और देवरिया के बच्चों को जब यहां एडमिशन नहीं मिलता है तो वे बिहार मेडिकल की डिग्री लेने चले जाते हैं कि वहां जाकर वे अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें परन्तु वहां से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वे यहां आते हैं तो काम करने के लिये उनकी डिग्री का मान्यता नहीं दी जाती है और इससे वे सेवा से वंचित रह जाते हैं। जबकि दूसरे प्रदेश के विद्यार्थी यहां आकर उत्तर प्रदेश में शिक्षा ग्रहण करते हैं और उन्हें यहां नौकरी भी मिल जाती है। लेकिन बिहार का पड़ोसी होने के नाते गोरखपुर और देवरिया के लोगों के सम्बन्ध बिहार में भी होते हैं, रिश्तेदारियां होती हैं, सन्निकट के सम्बन्ध होते हैं इसलिये यहां के बच्चे वहां पढ़ने के लिये भी चले जाते हैं परन्तु यहां उन्हें नौकरी नहीं दी जाती है।

मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि इस गतिरोध को समाप्त करके, जो बच्चे बिहार से डिग्री लेकर आवें उन्हें यहां नौकरी देने में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गोण्डा आदि जो जिले तराई के हैं, उनमें पानी का जमाव होता है, उसके कारण मच्छरों की समस्या वहां उत्पन्न हो गयी है। माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के समय यह कहा कि मस्तिष्क का ज्वर बड़े पैमाने पर था, तो वह आज भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। मान्यवर, मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है और मच्छरों को समाप्त करने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। युद्ध स्तर पर कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्यक्रम चलाया जाय जिससे मच्छरों का विनाश हो सके माननीय मंत्री जी ने यह घोषणा की है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक दूसरा आयुर्वेद का डाक्टर होगा। यदि माननीय मंत्री जी गरीबों को सस्ती से सस्ती दवा देना चाहते हैं और उनको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक होम्योपैथिक का डाक्टर नियुक्त कर दें। इससे अधिक से अधिक गरीबों को लाभ होगा। इन सुझावों के साथ में माननीय मंत्री जी ने जो कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया, इसका मैं समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री केदार नाथ सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का पूरा भाषण मैंने बड़े गौर से सुना। उन्होंने बहुत सी योजनाओं और कार्यक्रम पर प्रकाश डाला। लेकिन मान्यवर, मेरा अनुरोध है किसी भी योजना से गरीब जनता को, भूखी जनता को स्वास्थ्य लाभ नहीं पहुंच सकता है जब तक उसके लिए कोई विशेष देखरेख न की जाय। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई ऐसा वक्तव्य दें जिससे यह लगे कि यह शासन या स्वास्थ्य विभाग गरीबों की देख रेख में जुटा हुआ है। क्या आज अस्पतालों में सभी जगह मरीजों की संख्या बढ़ रही है और जिन अस्पतालों में मरीजों की संख्या नहीं बढ़ रही है वहां के स्वास्थ्य अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। इन लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को नजरंदाज कर दिया है। अगर किसी गरीब व्यक्ति को देश की तरक्की दिखलाने के लिए लखनऊ का मुआयना करा दें उसका दिग्दर्शन करा दें तो क्या उसको यह आभास मिलेगा कि हम तरक्की कर रहे हैं। लेकिन जब वह स्वयं यह अनुभव न कर लें कि मेरा अपना भी लाभ हो रहा है तब तक वह महसूस नहीं करेगा कि हम या देश तरक्की कर रहे हैं। आज गांव में यह सर्वेक्षण कराने की चेष्टा नहीं की जा रही है कि जो दवा शासन द्वारा वहां भेजी जा रही है उसका वहां उचित ढंग से प्रयोग किया जा रहा है या नहीं, वह दवा गरीब जनता को मिल पा रही है अथवा नहीं।

जब कोई शिकायत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की की जाती है तो उसको नजरंदाज कर दिया जाता है। जिन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें की जा रही हैं वे सिफारिशों के बल पर अपनी जगह पर बैठे रहते हैं और वहां अपना तांडव नृत्य कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे इस सम्बन्ध में प्रकाश डालें और जहां पर मरीजों की संख्या घट रही है वहां के स्वास्थ्य अधिकारियों को दण्डित किया जाय। मैं सदन के माध्यम से मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि जिस स्वास्थ्य अधिकारी या कर्मी को हटाने के लिए पुलिस अधिकारी, एस0 एस0 पी0, डिप्टी सी0 एम0 ओ0 ने लिखा लेकिन वह अपने स्थान से नहीं हटा और वहीं पर जमा हुआ है। जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है उनमें से 75 प्रतिशत ऐसे हैं जब माननीय सदस्य यहां पर प्रश्न करते हैं तभी उनको दंडित किया जाता है यह बड़ा ही दुर्भाग्य है।

मान्यवर, मैंने अपने साढ़े तीन साल के समय में किसी स्थानान्तरण को रोकने के लिए नहीं कहा। लेकिन जिनके विरुद्ध शिकायतें हैं, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं कि अधिकारियों और डाक्टरों के विरुद्ध शिकायतें हैं उनको जबरन हमारे यहां थोपा जा रहा है। मैं कहना

चाहता हूं कि सन् 1980 में हमारे यहां के मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल ने शिकायत की थी और उस डाक्टर का ट्रान्सफर भी हो गया था।...(लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, सामान्य चर्चा पर हमें बोलने का मौका नहीं मिला था, इसलिये कृपा करके हमें थोड़ा और समय दे दिया जाय।

मान्यवर, उनके खिलाफ शिकायतें आयी थीं और अभी हाल में 6 आदमी भी हैजे से मर गये थे तब भी उनको वहां से नहीं हटाया गया। ऐसे-ऐसे स्वास्थ्य अधिकारी वहां पर विद्यमान हैं। जब मैंने विधान सभा में प्रश्न किया तब वे निलम्बित किये गये। दूसरे अस्पताल की हालत यह है कि जो वहां पर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, वे ठीक काम नहीं कर रहे थे। मैंने इस सम्बन्ध में निदेशक महोदय का ध्यान आकर्षित किया और उनमें से एक का स्थानान्तरण कर दिया गया और दूसरे ने सिफारिश के बल पर स्थानान्तरण रुकवा लिया। मैंने कहा कि अगर स्थानान्तरण करना है तो दोनों को वहां से हटा दें नहीं तो विभाग और विधायक दोनों की बदनामी होगी। एक ने सिफारिश के बल पर स्थानान्तरण रुकवा दिया और दूसरे को हटा दिया गया। मान्यवर, मैं अपेक्षा करता हूं कि कम से कम इस प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य की भलाई के लिये गरीब लोगों के लिये वे ऐसा रास्ता अख्तियार करें कि जनता को भी महसूस हो परन्तु उसके लिये माननीय मंत्री जी सक्षम नहीं हैं। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

प्रदेश में दैनिक वस्तुओं के मूल्य में जबरदस्त तेजी आने तथा राज्य सरकार को उसे रोकने में असफल होने के कारण उत्पन्न जन असन्तोष की समस्या के सम्बन्ध में होने वाली चर्चा के स्थगन की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मैं एक सूचना देना चाहता हूं। आज दिनांक 12 मार्च, 1984 को मद संख्या 12 में डेढ़ घंटे की चर्चा नियम 52 के अन्तर्गत निर्धारित है। माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री जी ने प्रार्थना की है कि इस चर्चा को आज स्थगित कर दिया जाय क्योंकि वे आज किसी दूसरी कमेटी में जा रहे हैं उन्होंने इसे 19 मार्च, 1984 को लेने के लिये कहा है। सदन की इस सम्बन्ध में क्या राय है?

(कोई आपत्ति नहीं की गयी।)

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, आज कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक है उसमें यह बात तय हो जायेगी।

श्री रियासत हुसैन--

इसको स्थगित करने की कोई बात नहीं है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं उनसे प्रार्थना कर दी जाय कि 19 तारीख तक मंहगाई न बढ़े।

श्री अध्यक्ष--

आज यह स्थगित हुआ और अगली तिथि के बारे में कार्य मंत्रणा समिति में तय कर लिया जायेगा।

1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या--19 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा), अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) तथा अनुदान संख्या--21 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (क्रमागत)

श्री शिवराज सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे जन स्वास्थ्य

मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मैं यह समझूंगा कि हमारा उत्तर प्रदेश बड़ा भाग्यशाली है कि हमारे दोनों स्वास्थ्य मंत्री स्वस्थ भी हैं और बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमारे प्रदेश के मनुष्यों, व्यक्तियों और सबकी अच्छाई के लिये यह बजट प्रस्तुत किया है। चूंकि समय थोड़ा है इसलिये केवल सुझाव देना ही उचित समझता हूं। हमारे यहां बहुत कम लोग ऐसे रह गये हैं जो कि नब्ज देखकर बीमारी का पता लगा लेते हैं। उनके उत्थान के बारे में कोई उल्लेख इस बजट में नहीं किया गया है।

हमारे यहां अलीगढ़ में एक वैद्य राम प्रसाद लोहसरा निवासी हैं जो कि नब्ज देखकर बीमारी बता देते हैं। उनके पास कोई जमीन नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को जो आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में जड़ी-बूटी पैदा करके आयुर्वेद का उत्थान कर सकते हैं, उनको जमीन दी जाय और उन्हें सहायता दी जाय तो उससे आयुर्वेदिक चिकित्सा का विकास होगा। जैसा कि डाक्टर कौशल ने कहा, मैं उनका समर्थन करता हूं। आगरा मंडल उपेक्षित रहा है। अन्य मंडलों की अपेक्षा आगरा मंडल को कम रुपया दिया गया है। यह मंडल उपेक्षित रहा है। अलीगढ़ में श्री मलखान सिंह चिकित्सालय है। उसके अन्दर आधुनिक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं और न ही वहां पर जो डाक्टर हैं उनके लिये मकान हैं। काफी दूर उनको रहना पड़ता है। हमारा शहर संवेदनशील है वहां कभी-कभी घटनायें हो जाती हैं तो ऐसे समय में वहां डाक्टर बुलाने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है जिससे बड़ी दिक्कत पड़ती है। मेरा अनुरोध है कि अलीगढ़ नगर का जो श्री मलखान सिंह चिकित्सालय है उसको आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराये जायें और जो घटनायें हो जाती हैं उसके लिए फौरन डाक्टरों का प्रबंध किया जा सके, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये। इसके अलावा जो वहां पर नालियां अस्पताल में बनी हैं वह ठीक नहीं हैं रास्ते में धूल पड़ती है, हमारा यह चिकित्सालय पुराने भवन में है जो जीर्ण अवस्था में है उसको देख कर ऐसा लगता है कि हास्पिटल नहीं, कोई अनाथालय हो। यहां पर 26 लाख की आबादी है, सारे जनपद से वहां मरीज आते हैं उनके वहां पर रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि अलीगढ़ के मलखान सिंह में सुधार हो।

यह भी जरूरी है कि हमारे यहां देहातों में भी अस्पताल होने चाहिये हमारे गांवों में जहां 5 हजार से 10 हजार तक की आबादी है वहां अभी तक कोई चिकित्सालय नहीं है। एक थोड़ा सा बजट यहां से जाता है और वह हर विधायक में, क्षेत्र के लिए बंटता है तो उससे 10 हजार और 5 हजार तक की आबादी वाले क्षेत्र में अस्पताल नहीं बन पाता है इसलिए जो पैसा है वह बहुत कम है इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

देहात में डाक्टर कम जाते हैं उनको वहां पर दिक्कतें आती हैं और प्राइवेट लोग चिकित्सालय चलाते हैं जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता उस तरफ भी देखने की बात है। मेरा अनुरोध है कि जो देहात में डाक्टर रहते हैं उनके लिए कोई विशेष प्रोत्साहन मिलना चाहिए उनके वेतन में वृद्धि हो ताकि वहां जाने के लिए वे आकर्षित हों।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री शिव राज सिंह--

इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में एक जुमला कहा जिसको मैं सबसे कीमती मानता हूं उन्होंने कहा कि डाक्टरों के अखलाकी स्तर को बढ़ाना है। आपने कहा कि एक मां जो अपनी बेटी को अपने शौहर के सामने नंगा नहीं देख सकती वही मां अपनी बेटी को डाक्टर के सामने नंगा खड़ा करने के लिए तैयार हो जाती है। मैं समझता हूं कि आपके भाषण का यह सबसे खबसूरत जुमला है। डाक्टर हमारे समाज का सबसे कीमती वर्ग है। हमारी सरकार डाक्टर बनाने के लिए लाखों रुपया खर्च करती है सच है। लेकिन यह बात भी सच है कि हमारे आज के समाज में जिस तरह का करेक्टर डाक्टरों का है उसमें अगर डाक्टरों के पास इलाज के लिए जाना है तो वह मजबूरी में ही जाना है आज यह प्रोफेशन इतना अनडिगनिफाइड है, इतना शैतानी प्रोफेशन हो गया है कि उससे बुरा दूसरा कोई प्रोफेशन नहीं है। माननीय मंत्री जी ने अपना बजट प्रस्तुत करते हुए और माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने अपना कटौती का प्रस्ताव रखते हुए तमाम प्रदेश भर की बातें कहीं। मैं उन पर नहीं जाऊंगा और अपने रामपुर शहर के बारे में कहूंगा। जब मैं अपने शहर के अस्पताल में जाता हूं तो वहां हालत यह हो गई है कि उसको कहने में भी शर्म आती है।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, मेरी व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य आजम खां ने यह कहा कि डाक्टरों का प्रोफेशन अनडिगनिफाइड है, इतना शैतानी है। तो इससे पूरे प्रदेश के डाक्टरों का अपमान होता है। इसलिए इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, अगर माननीय सदस्य को शैतान की परिभाषा मालूम होती तो अपने आप को भी शैतानों में शामिल न करते। तो मैं अपने शहर की बात कर रहा था वहां अस्पताल की हालत यह हो गई है कि उसको देख कर शर्म से सर झुकता है। इसके में दो तीन उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे शहर में कोई डाक्टर अस्पताल से इस बात के लिए तैयार नहीं है कि जब तक मरीज उसके घर में मरीज को न दिखा ले उस वक्त तक मरीज को अस्पताल में दाखिला नहीं मिलता। आपको ताज्जुब होगा कि इमरजेंसी सेक्शन में इमरजेंसी के वक्त बुखार देखने के लिए थर्मामीटर तक नहीं मिलेगा....

(श्री रूप राम के सीधे आकर बैठ जाने पर)

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी आप खड़े हो जायें। मैंने पहले भी टोका था कि सदन में आयें तो शिष्टाचार के नियमों का पालन करें।

आबकारी राज्य मंत्री (श्री रूप राम)--

मैं क्षमा चाहता हूं और मैंने पहले भी आनर किया था।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मंत्री जी, आप ध्यान दें चूंकि मैं अपने यहां के अस्पताल से बहुत दुखी हूं। वहां अस्पताल में थर्मामीटर नहीं मिलेगा, पट्टी नहीं मिलेगी और यहां तक कि जख्मों को बढ़ाने के लिए कैंची तक नहीं मिलेगी। रोइये जार-जार क्या कीजिये हाय-हाय क्यों? हमारे यहां बंद कमरे से, जहां बाहर ताला लगा रहता है, अलमारी से दवाओं की चोरी हो जाती है और चोर का पता तक नहीं चलता है। मान्यवर, हमारे यहां अस्पताल में डाक्टर सक्सेना हैं, जो

अच्छे सर्जन हैं, वह पिछले 22 सालों से रामपुर में हैं। उनका तबादला हो जाता है लेकिन फिर वह वहीं आ जाते हैं। उनका 5 लाख रुपये का मेंथाल प्लांट लगा है ढेर सम्पत्ति है और कोल्ड स्टोरेज लग रहा है, पता नहीं उनके पास कहां से इतनी दौलत आती है। उनका ट्रान्सफर होता है लेकिन फिर वह आ जाता है। उसको लोगों ने लात घूंसों से मारा है अस्पताल में लेकिन उसके पास इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है चूंकि वहां से दूसरी जगह से अच्छी रिश्वत मिलती है। उसके दोनों हाथों में कोढ़ है। खाल गिरती है, पानी गिरता है लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि उसकी सिफारिश किस स्तर पर है कि ट्रांसफर होने के बावजूद फिर वह वहां आ जाता है और दोनों हाथों में कोढ़ होने के बावजूद दस्ताने पहन कर आपरेशन करता है। उसके हाथों में और चेहरे पर कोढ़ है। जिस्म का बेशतर हिस्सा कोढ़ी है।

मान्यवर, अब मैं अपने यहां के जनाने अस्पताल की मिसाल देना चाहता हूं। हमारे यहां एक कांड हो गया जिसकी मिसाल इसलिए मैं देना चाहता हूं कि यदि दोषी व्यक्तियों को माकूल सजा नहीं मिलती तो उस चीज को जिसे रोकना चाहते हैं यहीं रुकेगी और इससे नसीहत नहीं लेंगे। मान्यवर, हमारे यहां तक 19-20 साल की लड़की जनाने अस्पताल में भर्ती हुई, उसके डिलीवरी होने वाली थी। डाक्टर ने सोचा कि पता नहीं उसको रात में किस समय डिलीवरी हो और उसको जाना पड़े इसलिए उसने उस औरत के बच्चेदानी में हाथ डाल दिया इस तरह से बच्चा बाहर खींचा कि बच्चेदानी बाहर निकल आई और डाक्टरनी ने घबराकर बच्चेदानी को अन्दर कैसे किया जाए, इसलिए बच्चेदानी को कैंची से टुकड़े-टुकड़े करके अन्दर किया और उसके शौहर से मुरादाबाद से खून लाने को कहा गया। शौहर खून लेने गया और डाक्टर घर चली गई। लड़की उसी वक्त मर चुकी थी। रामपुर के लोग वहां गये तो अस्पताल के सम्बन्धित डाक्टर और नर्सें भाग गयीं लेकिन दूसरे डाक्टरों और नर्सों की पिटाई हुई। हमने लिखकर कंप्लेंट किया, एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गई लेकिन सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिए इस तरह के जो जुल्म अस्पतालों में डाक्टर करते हैं, जो अस्पताल में डाक्टर सक्सेना 22 सालों से हैं तो उससे क्या दिलचस्पी है और उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है जबकि अखबार लिखते-लिखते थक गये हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त। श्री धरमपाल।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं केवल एक सुझाव देना चाहता हूं कि मंत्री जी कोई ईमानदार आफिसर रामपुर भेजकर पूरे मामले की इंक्वारी करालें और यदि कोई दोषी हों तो उनको खतरनाक सजा दें।

*श्री धरमपाल--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट के अवसर पर बोलने का मौका दिया। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में और श्री माता प्रसाद द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे आश्चर्य है, मेरे दिल में बड़ी श्रद्धा थी भाई आजम खां के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी श्रद्धा में कहीं न कहीं भूल हो गई जो उन्होंने डाक्टरों के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पेशे को शैतान का पेशा घोषित कर दिया। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि डाक्टर का दर्जा बहुत पवित्र और महत्व-पूर्ण है, भगवान के बाद उसी का दर्जा है। हम अपनी जवान बेटी और बहन का इलाज व आपरेशन उसी डाक्टर से कराते हैं और उसके अलावा हम किसी के सामने अपनी बहन, मां और पत्नी को नहीं छोड़ सकते हैं।

जिस रूप में हम अपनी बहन और बेटी को नहीं देख सकते हैं, सार्वजनिक रूप से कोई नहीं देख सकता है, उस रूप में देखने के लिए और इलाज करने के लिए हम डाक्टर को दावत देकर बुलाते हैं। ऐसे सम्मानित पेशे के व्यक्तियों के लिए इस प्रकार के अल्फाज प्रयोग करने के लिए हमें शर्म आती है। अब मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं, अभी हमारे माननीय सदस्य ने केरल के बारे में और उसके बजट के बारे में कहा है। उनको मालूम होना चाहिये कि वहां की डेट आफ बर्थ जहां की तहां रुकी हुई है। जबकि आपके एक नेता ने सन् 1977 में अपने भाषण में जो कुछ कहा था उसे मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। उन्होंने सन् 1977 में इसी लखनऊ में कहा था कि आप एक दो बच्चों की बात करते हैं, मैं तो कहूंगा कि आप 13/13 बच्चे पैदा कीजिए, मैं उन सबकी और आपकी जिम्मेदारी लूंगा। एक तरफ आप 13 बच्चे पैदा करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ अच्छी सुख सुविधा की बात करते हैं तो यह दोनों बातें एक साथ कैसे सम्भव हो सकती हैं?

आप जम्मू काश्मीर से हमारी मिलान करते हैं जहां पर यहां से ज्यादा प्रति व्यक्ति इस मद में खर्च किया जाता है। इस सम्बन्ध में मैं उनकी जानकारी के लिए उनको बताना चाहता हूं कि वहां की जो स्वयं की सरकार है, उसका इस मद का वेतन भत्ता तक का खर्च उसके अपने साधनों से पूरा नहीं होता है। उसमें 40 करोड़ की शार्टेज होती है, जिसे भारत सरकार अपने तरफ से पूरा करती है और इसमें का सारे का सारा टोटल वह भारत सरकार से लेते हैं। तो ऐसे राज्य से हमारे बजट की तुलना कोई सही बात नहीं होगी। श्रीमन्, बड़े जोर शोर के साथ केन्द्र में साढ़े तीन साल इनकी सरकार रह गई और प्रदेशों में इनकी सरकार चली, उस वक्त इनका हेल्थ मैनुअल पढ़ने की फुरसत नहीं मिली, शायद रद्दी की टोकरी में पड़ कर रह गया और आज हमें यह उसका पालन करने की सीख दे रहे हैं। आज उनको इसकी याद आई है।

अब मैं अपने जनपद बहराइच के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, वहां पर कोढ़ियों की संख्या सबसे ज्यादा है, अतः मन्त्री जी उसकी ओर विशेष ध्यान दें और उस रोग के रोकथाम और रोगियों के उपचार आदि की विशेष व्यवस्था करें, ताकि यह रोग खत्म हो सके। क्षय रोग के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं। आपने इस भीषण रोग के बारे में क्रान्तिकारी कदम उठाया है, लेकिन नये सिरे से इसका सर्वे होना चाहिये, ताकि जानकारी हो सके कि कुल कितने क्षय रोगी हैं और उसका पूरा उपाय हो सके।

हमारे बहराइच में जो सरकारी अस्पताल है, उसके बारे में मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं और आज पुनः निवेदन करना चाहता हूं, वहां पर ड्रेनेज की समस्या है बारिश के दिनों में वहां पर भारी जल भराव हो जाता है, जिससे रोगियों और डाक्टरों व कर्मचारियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस बजट में उसके लिए धन देने की व्यवस्था की जाये, ताकि ड्रेनेज बनवाकर जलभराव की समस्या से उस अस्पताल को मुक्ति दिलायी जा सके। इसके अलावा हर जगह की तरह वहां भी विद्युत् आपूर्ति की दशा बड़ी शोचनीय बनी रहती है, अतः 22 लाख रु0 की जनसंख्या में जो एक अस्पताल है, जहां पर आपरेशन की सारी सुविधा

है, वहां पर एक जनरेटर की भी अवश्य व्यवस्था कर दी जाए। आपने स्वयं कहा है, ललितपुर में 200 बेड्स का जो चिकित्सालय बनने जा रहा है, उसके सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसका आप शीघ्र से शीघ्र शिलान्यास करा दें, जिससे कार्य प्रगति के साथ शुरू हो जाए।

मुझे आपसे एक शिकायत भी है, आपने मन्त्री जी अपने बजट के सम्बन्ध में एक बैग बंटवाया है, जिसमें परिवार नियोजन से सम्बन्धित पोस्टर्स हैं। आपने इन पैकेटों को विरोधी दल के सदस्यों को भी उपलब्ध कराया है, अच्छा होता कि उसमें उनके लिए परिवार नियोजन के पोस्टर्स रखने के बजाए आप निरोध के दो-चार पैकेट रखवा देते। मैं इस थोड़ी सी बात के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस प्रस्तुत बजट के विरोध में और श्री मती प्रसाद पान्डेय द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, स्वास्थ्य के प्रति हमारे प्रशासन की क्या जिम्मेवारियां हैं, यह देखने की बात है। इसको हमें समझना होगा। स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन, स्वच्छ भोजन व स्वच्छ जल बहुत ही आवश्यक है और स्वच्छ इलाज भी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के 37 वर्षों में 35 साल कांग्रेस का शासन रहा और इस शासन की ओर से स्वच्छ जल नहीं मिल सका, यह शासन स्वच्छ भोजन नहीं दे सका, स्वच्छ दवाएं नहीं दे सका, लानत है ऐसी सरकार पर, लानत है ऐसे मंत्रि-मन्डल पर। मैंने अपने क्षेत्र के 20 कुओं के पानी को सरकार के विभाग में ही टेस्ट करवाया और टेस्ट करवाने के बाद यह पता चला कि उनका पानी पीने योग्य नहीं है। आज तक वहां स्वच्छ जल की व्यवस्था नहीं कराई गई।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त। कृपया बैठें।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

आज पूरे प्रदेश में गन्दगी के कारण मलेरिये का प्रकोप है, मच्छरों का प्रकोप है, हैजे का प्रकोप है और मन्त्री जी सो रहे हैं, कोई इन्तजाम नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें, आप बिना मेरी आज्ञा के बोल रहे हैं, अब कुछ लिखा नहीं जाएगा।

(श्रीमती महारानी दोहरे का नाम पुकारे जाने पर)।

श्री बलवीर सिंह--

मुझे मान्यवर, 5 मिनट तो दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

5 मिनट हो गए, अब यह कुछ लिखा नहीं जायेगा, आप कृपया बैठें।

श्री बलवीर सिंह--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह लिखा नहीं जाएगा।

श्रीमती महारानी दोहरे--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी के बजट पर जो बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। साथ ही मैं इस बजट का हृदय से समर्थन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

करती हूं । माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने हमारे जनपद में 300 पलंग का अस्पताल खोलने की घोषणा की है, उसके लिए मैं अपने जनपद की ओर से और अपनी जनता की ओर से बधाई देना चाहती हूं । इस बजट का विशेष सम्बन्ध इस देश की उन करोड़ों महिलाओं से है, जो बच्चों को जन्म देती हैं । जिस प्रकार से बच्चों की परवरिश होती है, जिस प्रकार से जन्म के बाद उनकी देखभाल होती है, जिस प्रकार के वे नागरिक बनकर निकलते हैं, उसी प्रकार से हमारे समाज की रचना होती है, वैसा ही उसी के अनुसार हमारे प्रदेश का निर्माण होता है । इस कारण उनके पालन-पोषण में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है और उसका अपना एक विशेष महत्व होता है ।

मान्यवर, मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान देहात के उन अंचलों की ओर दिलाना चाहती हूं, जहां पर कि जैसा मन्त्री जी ने स्वयं कहा है, प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता देहात में रहती है । यह भी सच है कि गरीब वर्ग ही ज्यादातर देहात में ही रहता है । वहां पर सरकार की ओर से एलोपैथिक, होम्योपैथिक और जो दूसरी संस्थायें हैं, हर चीज की डिस्पेन्सरीज वहां पर खोली जा रही हैं, उनकी व्यवस्था की जा रही है । लेकिन मैं एक बड़ी कमी का अनुभव कर रही हूं और सुझाव के तौर पर माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि जिस तरह से जिले के अन्दर, जब कोई महिला गर्भवती होती है, तो उसकी प्री-नैटल और पोस्ट-नैटल केयर की जाती है जो बच्चे के जन्म के लिए बहुत उपयोगी होती है, उसी तरह से यह व्यवस्था देहात के लिए बहुत जरूरी है । देहात में डिस्पेंसरीज बहुत बड़ी तादाद में खोली जा रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है । आप लोग शान्ति से मेरी बात सुनें । मेरी बात सुन लीजिए नहीं तो आपके बच्चे लंगड़े-लूले रह जायेंगे और आपको भोगना पड़ेगा । मैं आपके बच्चों के भले के लिए बात कर रही हूं, आप लंगड़े-लूले हैं । मैं आपके भले की बात कर रही हूं ।

मान्यवर, हमारे ग्रामीण अंचल की की जो बहनें होती हैं, जहां आने-जाने के साधन नहीं होते हैं, जैसे मेरे क्षेत्र 303 लखना, जनपद इटावा में वहां जमुना और चम्बल को पार करना पड़ता है, उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं । वहां हमारी बहनों, माताओं के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती है कि उनकी देखभाल की जा सके । कभी-कभी ऐसी स्थिति सामने आ जाती है कि जब हमारी मां, बहनें, बेटियां ऐसी स्थितियों से गुजरती हैं तो वहां से अस्पताल बहुत दूर होता है और देहात की मां, बहनों की जान बचाना एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है । अस्पताल तक ले जाने के लिए यातायात के साधन भी नहीं होते हैं, चारपाई पर लादकर चलते हैं तो कभी-कभी रास्ते में वह दम तोड़ देती हैं ।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आप प्री-नेटल केयर के लिए सुचारु रूप से व्यवस्था नहीं कर सकते तो कम से कम हफ्ते में या महीने में या 15 दिनों में एक शिष्ट मंडल द्वारा जिसमें लेडी डाक्टर वगैरह जायं और वह ऐसी महिलाओं को देखें और उनके लिये व्यवस्था करें । वैसे हमारी माताओं और बहनों को पुष्टाहार और दवायें वगैरह दी जाती हैं लेकिन इसमें और सुधार होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, आपने लाल बत्ती दिखा दी है इसलिये मैं अपने क्षेत्र चक्र नगर ब्लाक के बारे में जो चम्बल के नाम से पुकारा जाता है और डाकुओं से प्रभावित क्षेत्र है, उसके बारे में कहना चाहती हूं । वहां पर डिस्पेंसरी बनी है लेकिन डाक्टर डर के मारे नहीं जाता है । जब मैंने वहां का दौरा किया तो मरीज नहीं थे । मैंने पूछा तो

डाक्टर ने बताया कि 12–13 मरीज आने वाले हैं। मैंने कहा कि डिस्पेंसरी खुली रहे यही ठीक है लेकिन मैं नहीं पसन्द करता आप कौन सी बीमारी फैलाना चाहते हैं कि 12–13 मरीज आ जायेंगे। यह जनहित में नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगी कि उनके दिल में जो भय है उसको निकाल कर उनके लिये साधन जुटाये जायं ताकि वह डाक्टर के कर्तव्य का पालन कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करती हूं और आप को पुनः धन्यवाद देती हूं।

(श्री माता प्रसाद पाण्डेय का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, 5 मिनट का समय मुझे दे दें।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

एक मिनट का समय मुझे भी दे दें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने मेरे कटौती के प्रस्ताव पर हो रही बहस में इस सम्मानित सदन में हिस्सा लिया है मैं उनके लिये आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, मैं मेडिकल एजूकेशन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। समय नहीं है इसलिये एक–दो बातें ही कहना चाहूंगा। हमारे प्रदेश में जो मेडिकल कालेज हैं, 1944 में ब्रिटेन में एक फूड एन्ड हेल्थ कमेटी बनी थी उसने रिपोर्ट दी थी कि मेडिकल कालेज जितने हैं वह विश्व–विद्यालयों के अधीन होने चाहिये। जब वह विश्वविद्यालयों के अधीन होंगे तो उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा और वहां से अच्छे और स्टैंडर्ड डाक्टर निकलेंगे।

मान्यवर, यह व्यवस्था विदेशों में, ब्रिटेन, अमेरिका में चालू रखी गयी लेकिन हमारे अपने प्रदेश में इन कालेजों को जिनको सरकार ने स्थापित किया है उनको युनिवर्सिटीज के हाथ में न देकर अपना नियंत्रण कायम किया है जिसका परिणाम यह है कि लड़कों को पास कराने से लेकर एडमीशन कराने तक में मंत्रिमंडल के लोग हस्तक्षेप करते हैं जिससे हमारे प्रदेश की जनता में निराशा की भावना पैदा होती है। मान्यवर, लखनऊ में जो मेडिकल कालेज, हैं, इंडियन मेडिकल काउन्सिल के अध्यक्ष मिस्टर पी0 एन0 सिन्हा ने एक साल पहले एक पत्र लिखा था कि इस कालेज की डिग्री की मान्यता को वह विघड़ा कर लेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से आप के माध्यम से आग्रह करूंगा कि इस मेडिकल कालेज का जो स्तर है, वह निरंतर गिरता जा रहा है। उसमें राजनैतिक गुटबन्दी चरम सीमा पर जा रही है। आप स्वयं हस्तक्षेप कर के उस इंडियन मेडिकल कौंसिल की धमकी को देख कर यहां के स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश करें। वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि हिन्दुस्तान की कुछ वित्तीय स्थिति 35 हजार डाक्टरों की है। इसलिए छोटे रोगों की दवा के लिए इन मेडिकल कालेजों से निकले हुए डाक्टर गरीबों को दवा के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते। इसलिए कोई तीन–तीन साल का प्रशिक्षण कोर्स चलाया जाय, जिससे सारे लोग तीन साल के प्रशिक्षण प्राप्त लोगों से खांसी, बुखार, छोटे–छोटे रोगों की दवाइयां उनसे प्राप्त हो सकें और यह जो झोला छाप डाक्टर हैं, जो सीधे–सादे लोगों को मार रहे हैं, उनसे मुक्ति मिल सके।

मान्यवर, मैं तीसरी बात आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आप होम्योपैथिक अस्पताल रोज खोलते हैं, तो कम्पाउन्डरों की ट्रेनिंग की संख्या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुल 40 हैं, 40 कम्पाउन्डरों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है और एक साल में आप 100 होम्योपैथिक अस्पताल खोलते हैं, तो जब 100 चिकित्सालय खोलेंगे, तो 100 कम्पाउन्डर की जरूरत पड़ेगी, 40 तो प्रशिक्षित हो गये और 60 अप्रशिक्षित रख दिये जाते हैं, जिससे ठीक से दवा वितरित नहीं हो पाती है। मेरा आप के माध्यम से निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इसको और भी बढ़ावे। मान्यवर, जिलों में आपने पोलियो और सारे रोगों को 7वीं पंचवर्षीय योजना में समाप्त करने की घोषणा की। लेकिन भौतिक चिकित्सक की कोई व्यवस्था नहीं है। सारे प्रशिक्षण महाविद्यालय तो इस प्रदेश में हैं, परन्तु भौतिक चिकित्सक का कोई प्रशिक्षण विद्यालय इस प्रदेश में नहीं है और प्रत्येक जिलों में भौतिक चिकित्सकों की आवश्यकता है, यह तो नहीं है, लेकिन कानपुर में नर्सेज प्रशिक्षण डिग्री स्तर का महाविद्यालय है जहां से निकलने के बाद उनको वहां काम करना पड़ता है, जो उसके पहले करती थी। जहां इनकी तो व्यवस्था है, परन्तु भौतिक चिकित्सक की व्यवस्था नहीं है। मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बजट में इसकी व्यवस्था करें।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में ब्रेन के एक्सरे की कोई व्यवस्था सरकारी स्तर पर नहीं है। लखनऊ में एक प्राइवेट एक्सरे की व्यवस्था है जिस किसी को ब्रेन का एक्सरे कराना पड़ता है, उसे एक हजार रुपये देना पड़ता है। मान्यवर, ब्रेन का रोग कांग्रेसियों में बहुत बढ़ गया है। इसलिए एक्सरे कराने के लिए आप मेडिकल कालेज में ब्रेन प्लांट बैठाने की व्यवस्था करें और मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हिन्दुस्तान में सर्वाधिक मौत क्षय रोग से होती है, टी0बी0 से होती है।

मान्यवर, भुवाली का अस्पताल बड़ी दयनीय स्थिति में है। जितना बी0 सी0 जी0 का टीका लगाना चाहिए, टीका लगाने के बाद भी प्रदेश में रोग बढ़ते जा रहे हैं। मान्यवर, मच्छरों का प्रकोप है। आप की लोक लेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक रिपोर्ट दी कि डाक्टर भल्ला हैं, जिनको मैं नहीं जानता हूं, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो यह डी0डी0टी0 या बी0 एच0 सी0 का छिड़काव हुआ, उसको एनालेसिस्ट ने अधिमानक स्तर की घोषित कर दिया था। लेकिन उसका छिड़काव हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और मच्छर मर नहीं रहे हैं और जिन गांवों में दो स्लाइड्स पाजिटिव निकले, वहां छिड़काव होना चाहिए। परन्तु 30-30 जब स्लाइड्स निकलने पर भी उस गांव में छिड़काव की व्यवस्था नहीं हुई। इसलिए मलेरिया बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप मलेरिया की रोकथाम के लिए कोई कारगर कदम उठावें। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं हमारे प्रदेश की निरीह जनता, गांव में रहने वाली जनता जिसके लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक सरकार आयी थी जिसने किसानों को पास बुक दिया था। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह सरकार गरीबों को स्वस्थ्य बुक दें। जिसमें गांव में रहने वाले हर परिवार के हर व्यक्ति की इन्ट्री हो। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं आपकी नजरों में वह अव्यावहारिक हो सकता है लेकिन जब आप गांव के अस्पतालों में तीन डाक्टरों की व्यवस्था करने जा रहे हैं तो यह अव्यवहारिक नहीं है। डाक्टर गांव में जायें और परिवार के हर व्यक्ति का वजन, बीमारी और स्वास्थ्य के बारे में सारी चीज उस स्वास्थ्य बुक में दर्ज हो। जिससे गांव में रहने वाली साधारण जनता को अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हो सके।

आपने स्वयं कहा है कि तमाम कुष्ठ के रोगी व्यापक स्तर पर बीमारी बढ़ जाने के बाद अस्पताल में पहुंचते हैं। अगर गांव का साधारण आदमी अपने बारे में जान जायेगा कि उसको कौन सा रोग है या कौन सा रोग होने वाला है तो वह उसके निदान के लिये अस्पताल में जायेगा। एक बात मैं और कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, मान्यवर, आज मिश्रण की बात आयी। गांव में छोटे लेबिल का बनिया 50 रुपये का मसाला बेचने वाला और 30 रुपये की दुकान करने वाला मिलावट में पकड़ा जाता है। आपने हेल्थ इंसपेक्टर को खाद्य निरीक्षक बनाया। खाद्य निरीक्षक के 70 स्थान रिक्त हैं। वह भरे नहीं गये।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आपके खाद्य निरीक्षक गांव में छोटी स्तर के तेली और दुकान करने वाले को पकड़ते हैं, और जेल भेज देते हैं जो अपनी रोजी और रोटी के लिये परिवार के साथ एकजुट होकर लगा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि यह बड़े व्यापारियों को नहीं पकड़ते हैं, मिठाई और मसाले की दुकान करने वाला छोटा आदमी मिलावट नहीं करता है। बड़े पैमाने पर लोग मिलावट करते हैं। मेरा अनुरोध है कि बड़े स्तर पर मिलावट करने वाले लोगों को पकड़ा जाय और न्यायालय से सजा दिलाई जाय। एक बात कह कर मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। चिकित्सा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आपका कोई मानक नहीं है किसी डाक्टर की पहुंच आप तक है तो वह तीन दिन के अन्दर दूसरे अस्पताल में चला जाता है। आप का पैर पकड़ कर वह दूसरी जगह चला जाता है। मेरा अनुरोध है कि इसमें कोई व्यवस्था बनाई जाय। कोई मानक बने कि इस मानक के अनुसार, इस आधार पर ट्रान्सफर होंगे। एक बात मैं होम्योपैथिक मेडिकल अफसर के बारे में कहना चाहता चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष--

लाल बत्ती की तरफ देखें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

होम्योपैथिक मेडिकल अफसरों के वेतन के बारे में वेतन आयोग ने नहीं मानी। उनका वेतन बढ़ाया जाय होम्योपैथिक अस्पतालों को देहात के अन्दर सी0 एम0 ओ0 के अन्दर कर दिया और 5 सौ की दवा की व्यवस्था की है। होम्योपैथिक के अतिरिक्त निदेशक का पद खाली है उसको इन्हीं में से भरे और अस्पतालों में 5 सौ से अधिक की दवा की व्यवस्था की जाय। ताकि साधारण आदमी को दवा मिल सके। एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों में जो 5 सौ से अधिक बेसिक वेतन पाते हैं उनकी दवा की सारी सुविधा काटकर गांव के निरीह लोगों को दी जाय। गांव के लोगों को मुफ्त दवा दी जाय। अन्त म में अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं और सम्मानित सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 पर नियुक्त प्रवर समिति के लिये सदस्यों के नामों का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

श्री राम प्यारे पान्डे कोई प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

श्री मुख्तार अनीस--

प्रस्ताव क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो रख रहे हैं।

श्री राम प्यारे पान्डेय--

माननीय अध्यक्ष, दिनांक 17 फरवरी, 1984 को मेरा प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, इस सदन द्वारा स्वीकृत हो चुका है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपरोक्त प्रवर समिति में (पदेन सदस्यों के अतिरिक्त) निम्नलिखित सदस्य हों :

1--डाक्टर अम्मार रिजवी, संसदीय कार्य मंत्री।

2--श्री लाल प्रताप सिंह, (प्रतापगढ़)।

3--श्री श्याम लाल बाजपेयी (बाराबंकी)।

4--श्री ऊबल (वाराणसी)।

5--श्री विमल प्रसाद तिवारी (फर्रुखाबाद)।

6--श्री मोहन सिंह (देवरिया)

7--श्री फखरे आलम (बदायूं)

8--श्री रामजी राम (फैजाबाद)।

9--श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद)।

10--श्री राम औतार दीक्षित (हरदोई)।

11--डा0 बृज किशोर मिश्र (देवरिया)।

12--श्री कुंवर सिंह नेगी (चमोली)।

13--श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान (अलीगढ़)।

14--श्री सत्यपाल सिंह (शाहजहांपुर।)

15--श्री सरदार सिंह (मथुरा)

16--श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी (प्रतापगढ़)।

17--श्री संकटा प्रसाद शास्त्री (वाराणसी)।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय राम प्यारे पान्डे ने इस आदरणीय सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 19-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा), अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) तथा अनुदान संख्या 21-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (क्रमागत)

जन स्वास्थ्य मंत्री (लोकपति)--

मान्यवर, पांच बज रहा है।

श्री अध्यक्ष--

आप कुछ बुलन्दशहर का ध्यान रखें।

श्री लोकपति--

मान्यवर, कितने मिनट का समय मुझे मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष--

आप को 20 मिनट का समय मिलेगा।

श्री लोकपति--

मान्यवर, माननीय मुख्तार अनीस साहब ने कहा कि दिमाग को देखना चाहिए, ऐसा लगता है कि कुछ दिमाग इधर-उधर हो रहा है। तो इसमें निर्णय किया है कि उत्तर प्रदेश के0 जी0 मेडिकल कालेज में जब हैड कैम्प लगाया जाए तो सबसे पहले उसमें

जाने वाले मुख्तार अनीस साहब हों। मान्यवर, मुझे दुख है जब कोई कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है तो उसमें सुझाव भी दिए जाते हैं। माता प्रसाद पाण्डेय जी ने कोई सुझाव नहीं दिया, जबकि कटौती का प्रस्ताव इसलिए रखा जाता है कि कोई सुझाव दिया जाए। 1979 के आंकड़े उन्होंने पेश किए जो उन्हीं के जमाने के थे। रु0 8.87 पैसे प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर व्यय होता था। अब श्रीमन्, इस प्रदेश में पूंजीगत परिव्यय छोड़कर 1984-85 में यह रु0 20.28 प्रति व्यक्ति हो गया। तो श्रीमन्, हम नीचे से ऊपर उठते हैं लेकिन इन्होंने जरूर यह प्रयास किया कि नीचे से छोटी ऊपर से बड़ी और वह इमारत ढह गयी। कुछ माननीय सदस्य मक्खी, मच्छर इनको मारने के लिए कह रहे थे तो इनको मारने के लिए हम मशीन की व्यवस्था कर रहे हैं, आगरा मंडल में ताकि मक्खी न रहें, मच्छर न रहें।

श्रीमन्, गांव में जो मुख्तार अनीस जी ने कहा, माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने कहा गांव में जल के शुद्धिकरण के कार्य को करने के लिए पाइप और ब्लीचिंग पाउडर आदि जो है यह जो हमारे ग्रामीण रक्षक हैं उनके सुपुर्द कर देंगे। और माननीय विधायक जो अपने क्षेत्र का दौरा करते हैं। यह सही है कि वह सरकारी मुलाजिम नहीं हैं लेकिन अगर आप हमको यह सूचित कर दें कि वह अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करते तो उस पर जांच की जाएगी। किसी अधिकारी के बारे में, तो उन माननीय विधायक का पत्र मैं अपने यहां रख लेता हूं और उस व्यक्ति के लिये मैं स्वतः एक नोट भेजता हूं अपने विभाग को और जब उसकी रिपोर्ट आ जाती है, सही या गलत, आपको अवगत करा देता हूं कि इस पर कार्यवाही संभव है या नहीं। आप के पत्र को मैं विभाग को नहीं भेजता। यह सरकारी नियम है, यह प्रथा रही है कि आपका पत्र शिकायतों के साथ जाय, लेकिन मैं इसको नहीं मानता।

श्रीमन्, यही बात डाक्टरों के बारे में है। पी0 एस0 सी0 अस्पतालों पर डाक्टर नहीं रहते। यदि आप मुझे अवगत करा देते हैं कि इस जगह डाक्टर गायब रहता है तो मैं निश्चित रूप से उस डाक्टर के प्रति कार्यवाही करूंगा। मैंने आय-व्ययक प्रस्तुत करते समय, आपके विचारार्थ, यह कहा कि सन् 1983-84 में अनुपस्थिति के कारण 100 डाक्टरों की सेवाएं समाप्त की गयी। यह प्रयास हम कर रहे हैं कि हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर, जो नया निर्मित हो रहा है, डाक्टरों को एक आवास दिया जाय। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि उन्नाव के डाक्टर लखनऊ रहते हैं या कानपुर रहते हैं यह परेशानी है।

हम भविष्य में इसको दृष्टिगत रख रहे हैं कि लखनऊ के व्यक्ति का ट्रान्सफर उन्नाव न हो, कानपुर के व्यक्ति का ट्रान्सफर उन्नाव न हो, दूर के किसी जनपद से आए, ताकि लखनऊ या कानपुर में उसका कोई हित न हो, कोई स्वार्थ न हो। यहां सचिवालय डिस्पेन्सरी की बात माननीय नौटियाल जी ने उठायी। सचिवालय में दवा रखी जाती है पर्याप्त दवा रखी जाती है और जब लोकल परचेज की आवश्यकता होती है जो जरूरत होती है, क्रय करते हैं। अब यह व्यवस्था कर रहे हैं कि जो आदमी लोकल परचेज करने जाय, जिस दुकान से दवा ले, वहां हस्ताक्षर अवश्य करे। जो दवा बिना हस्ताक्षर के होगी, वह स्वीकार नहीं की जायगी। सचिवालय में एम्बुलेंस रख दी गयी है ताकि आकस्मिक दुर्घटना घटे तो तत्काल उसे बलरामपुर या मेडिकल कालेज पहुंचाया जा सके। भगवान न करे दुर्घटना हो।

आपने होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सालय की मांग की सचिवालय में, इसको करा दिया जायगा।

स्थानीय निकायों के चिकित्सालयों के सरकारीकरण के बारे में शासन का दृष्टिकोण है, नियोजन विभाग और भारत सरकार का भी यही है कि जब तक स्थानीय निकाय इससे सम्बद्ध नहीं होंगे, सारी जिम्मेदारी शासन को ही उठानी होगी। फिलहाल उस पर अमल न करके 20 होम्योपैथिक और 10 आयुर्वेदिक चिकित्सालय पूर्ण कर दिये जा रहे हैं। इससे अधिक बढ़ाने की स्थिति नहीं है। रूरल सर्विसेज इन्सेनिटी की बात आयी। यह कर दिया गया है कि किसी व्यक्ति को पोस्ट ग्रेजुएशन करने की राजकीय चिकित्सक को आज्ञा नहीं दी जायगी, जो दो वर्ष की ग्रामीण सेवा न कर लें। पहली ई0 बी0 भी नहीं दी जायगी जो ग्रामीण सेवा दो वर्ष की नहीं करेगा, उनका प्रोमोशन रोक दिया जायगा, जिन्होंने ग्रामीण, पर्वतीय सेवा नहीं की है, उनका प्रोमोशन नहीं होगा और ग्रामीण सेवा करने के लिये हर चिकित्सक को 100 रुपया प्रति माह अतिरिक्त रूरल एलाउन्स दिया जायगा।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

डाक्टरों को गांवों में मकान की व्यवस्था नहीं है।

श्री लोकपति—

जिन स्थानों पर नहीं है, वहां आप दीजिये, हम उसका किराया दे देंगे। होम्योपैथिक, उप-निदेशक की नियुक्ति की बात यहां पर आई। जल्दी ही उनकी नियुक्ति का मामला शासन के विचाराधीन है। मान्यवर, माननीय डाक्टर कौशल जी ने कुछ सुझाव दिये। मैं आपको और इस सदन को अवगत करा चुका हूं कि हेड-केन 60 लाख रुपये लागत की किंग जार्ज मेडिकल कालेज में लगायी गई है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ लखनऊ में न्यूरो सर्जरी की व्यवस्था थी, किन्तु अब हम इसे प्रदेश के शेष 6 मेडिकल कालेजों में करने जा रहे हैं, उनके नाम हैं कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, झांसी और इलाहाबाद। इसके लिये इस वर्ष 30 लाख रुपया भी दिया गया है।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, ऐसा लगता है कि इन न्यूरो सर्जरी की स्थापना से सभी कांग्रेस के लोग खुश हुये हैं, ताकि वह बीमार हो सकें और अपना इलाज करा सकें।

श्री लोकपति—

आप ही ने तो कहा था कि कांग्रेस के लोग पता नहीं किसकी दया से बीमार नहीं होते। आप लोग बीमार हों, इसलिये हम इस न्यूरो सर्जरी की स्थापना कर रहे हैं।

मान्यवर, चेस्ट सर्जरी की सुविधा केवल लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद में थी, शेष 4 मेडिकल कालेजों में इसकी व्यवस्था नहीं थी। इसलिये अब हम इन चार मेडिकल कालेजों में, आगरा, झांसी, गोरखपुर और मेरठ में इसको स्थापित करने जा रहे हैं।

बर्निंग यूनिट की आजकल बहुत प्रगति हो रही है। मक्खी वाले विधायक कहां गये? मक्खी मारना ज्यादा जरूरी है। उन व्यक्तियों को हम सजा देंगे जो अपनी बहुओं को दहेज के नाम पर जला देते हैं। श्रीमन्, यह बहुत जरूरी है ....

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी बोल रहे हैं या महबूब बोल रही है।

श्री लोकपति—

सामने का तो असर आ ही जाता है। मान्यवर, मैं कह रहा था कि बर्निंग यूनिट 2 मेडिकल कालेज में है—लखनऊ में और कानपुर में है, शेष 5 मेडिकल कालेज में नहीं है। इसलिये अब हम इनमें भी इस यूनिट की स्थापना करने जा रहे हैं। वे मेडिकल

कालेज हैं आगरा, झांसी, गोरखपुर और मेरठ ।

मान्यवर, कैन्सर डिटक्शन यूनिट की जहां तक बात है, अरली कैन्सर डिटक्शन यूनिट इस समय आगरा, कानपुर और लखनऊ में कार्य कर रहा है । मेरठ और झांसी में इसे हम स्थापित करने जा रहे हैं, इलाहाबाद में यह स्थापित किया जा चुका है ।

मान्यवर, मोबाइल की बात है । आज सड़कों पर बहुत एक्सीडेन्ट होते हैं । तत्काल उनको राहत सुविधा नहीं मिल पाती है । इसलिये इन 7 मेडिकल कालेजों के अन्तर्गत हम मोबाइल एक्सीडेन्ट यूनिट की स्थापना करने जा रहे हैं । मेरा प्रयास यह होगा कि भारत सरकार हमारे इन मोबाइल यूनिटों का सम्बन्ध वायरलेस से कर दें ताकि जहां पर घटना हो, वायरलेस से सूचना देकर उस स्थान पर मोबाइल पहुंच सके । फर्स्ट एड में हम सभी लाइफ सेविंग और जितने भी इक्वीपमेंट होते हैं, वे हम सब देने जा रहे हैं और इसी प्रकार हृदय रोग के रोगियों के लिये, हर मेडिकल कालेज में कार्डियोलाजी यूनिट हम बनाने जा रहे हैं और घर से मेडिकल कालेज तक पहुंचने के बीच में, उस व्यक्ति का निधन न हो, वह व्यवस्था उसमें हम रखे हैं । यह हम सात मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध करेंगे । एक ऐसी यूनिट दिल्ली में काम कर रही है, हमारी एक टीम उसको देखने जायेगी और फिर उसी तरह से यहां कायम करेंगे । श्रीमन्, इसी तरह से उत्तर प्रदेश में पेस मेकर की सुविधा की बाबत है । कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को, जिनकी औसत आमदनी एक हजार रुपये प्रति माह से कम है, उन सबको पेस मेकर की सुविधा शासन की तरफ से उपलब्ध करायेंगे ।

(मेजों की थपथपाहट)

इसमें राज्य कर्मचारी भी हैं, इसमें हमारे अध्यापक भी रहेंगे, इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के अधिकारी भी रहेंगे और भगवान न करे, उसमें हमारे सम्मानित विधायक भी इसमें रहेंगे ।

एक सदस्य—

हम लोग भी आ गये ।

श्री लोकपति—

आप तो नागरिक रूप में आ ही गये ।

एक सदस्य—

भूतपूर्व के लिए भी ।

मुख्य मन्त्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

आप अभी भूतपूर्व नहीं होने जा रहे हैं, इसलिए आप चिंता न करें ।

श्री लोकपति—

नहीं, इनको चिंता है, इनको डर है कि यह भूतपूर्व हो जायेंगे ।

इसके बाद माननीय विधायकों ने कुछ बातें कहीं, माननीय मुख्तार अनीस ने कहा कि मैंने उनके उस चिकित्सालय को काटकर, दो अपने कांग्रेस भाईयों को दे दिया । यह सही है, मगर इस नीयत से नहीं काटा कि वह कांग्रेस (आई0) में हैं और आप जनता में हैं । इसलिए नहीं किया । आपके चिकित्सालय की स्थापना के लिए 1984–85 की सप्लीमेंटरी में बजट रख देने की व्यवस्था कर दी गयी है । आपके यहां रेउसा में तीस शय्याओं के चिकित्सालय की व्यवस्था की बाबत ।

कु0 अलमेलु अम्माल—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी हमारे यहां कुछ दिन पूर्व बस्ती में पधारे थे और मेरे अनुरोध पर उन्होंने वायदा किया था कि हमारे जिले में आई0 सी0 सी0 यू0 खुलवा देंगे । इसलिए अनुरोध है कि उस पर भी कुछ प्रकाश डाल दें ।

श्री लोकपति--

इस वर्ष, मैंने शुरू में कहा था, उस समय शायद माननीया विधायिका सदन में नहीं थी, 7 इंसेंटिव केयर यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित होंगे। इसमें एक बस्ती में होने जा रहा है। यह कह दिया था।

डाक्टर कौशल ने मांग की थी कि साहब उनके आगरा के मेडिकल कालेज में जोनल ब्लड बैंक की स्थापना हो। तो, उसकी बाबत यह कहना है कि वह तो पिछले साल हो चुका है और उसके लिये एक लाख रुपया भी दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जो आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति हो जायेगी। एक हमारे विधायक ने बिसवां के लिये कहा कि बिसवां के चिकित्सालय में एक्स-रे मशीन नहीं है। उसकी बाबत मैंने आदेश कर दिये हैं कि बिसवां चिकित्सायय में, एक्स-रे मशीन, तहसील स्तर के चिकित्सालय में लगा दी जाय। उत्तर प्रदेश के उन जनपदों में, प्रथम वरीयता में पर्वतीय क्षेत्र, जिनमें एम्बुलेंस खराब हैं, वहां तत्काल एम्बुलेंस पहुंचा दिये जायं। ऐसे आदेश कर दिये गये हैं। और, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में, जहां एम्बुलेंस नहीं हैं, अथवा खराब हैं, वहां नये एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी जाय। जनरेटर के बाबत में यह कहना चाहूंगा कि जनरेटर उत्तर प्रदेश के 36 जनपदों में लग चुके हैं, 20 जनपद अभी जनरेटर से बचे हैं। मैं इसकी बाबत प्रयास करूंगा कि 1984-85 में 20 जनपदों में जनरेटर सुविधा उपलब्ध हो जाय।

इसी के साथ, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, माननीय माता प्रसाद जी से यह अनुरोध करूंगा कि संसदीय परम्परा का तो पालन होगा, अब आपने प्रस्ताव को एक रुपया न करके 255 करोड़ रु0 को पेश कर दें, ताकि सदन इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर ले। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष--

माता प्रसाद पाण्डेय जी, आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री माता प्रसाद पांडेय--

मान्यवर, मैंने जो सुझाव दिये, उस पर तो माननीय मन्त्री जी ने कुछ कहा नहीं, इसलिए प्रस्ताव वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(श्री खैरुल बशर के खड़े होने पर)

श्री लोकपति--

मऊ में तो 50 शैय्याओं के चिकित्सालय को स्वीकार कर लिया है।

श्री खैरुल बशर--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। यूनानी कालेज में 3 साल में 11 एडमीशन हुए हैं, इसकी व्यवस्था कीजिये।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठें।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 86,14,83,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 54,30,73,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपये कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 37,31,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । इसमें से मैंने श्री मुरलीधर द्विवेदी की सूचना को स्वीकार किया है और बाकी को अस्वीकार किया है ।

कानपुर देहात की पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में निर्दोष व्यक्तियों की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य के स्थगन की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मद संख्या 10 को आज, किसी और समय के लिये स्थगित करता हूं ।

(मद संख्या 11 पुकारे जाने पर)

*श्री माता प्रसाद पांडेय—

मेरे बस्ती जिले में वकील मारे गये, मैंने काम रोको प्रस्ताव और नियम 51 के द्वारा सूचना दी । स्वीकृत किया, फिर भी माननीय मन्त्री वहां नहीं गये, 20 फरवरी को आपके दफ्तर से सूचना गयी, 21 मार्च को लगा दिया गया है । वकीलों में निराशा की भावना है, मैं चाहूंगा इसे जल्द लगाकर वक्तव्य दिलवा दें ।

द्वारिका प्रसाद जोद्धन, जनपद सीतापुर की भूख से मृत्यु होने के सम्बन्ध में वक्तव्य

*राजस्व मन्त्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

[जिलाधिकारी, सीतापुर से प्राप्त सूचनानुसार जनपद सीतापुर की तहसील

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सदर, बिसवां एवं महमूदाबाद के ब्लाक लहरपुर, बेहटा रेउसा, सकरन, बिसवां, महमूदाबाद एवं रामपुर मथुरा के 103 ग्राम सीपेज से एवं 944 ग्राम बाढ़ एवं जलप्लावन से विगत दो वर्षों से अधिक समय से प्रभावित होते रहे हैं।

2--जनपद की तहसील सीतापुर के ब्लाक लहरपुर के ग्राम ढखोरा, पीरकपुर, नरिया, परसिया, अन्देश नगर एवं बसन्तीपुर सीपेज क्षेत्र के अन्तर्गत हैं एवं बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन ग्रामों के कृषकों की फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति पहुंची है, किन्तु यह स्थिति नहीं है कि लोगों को घर-घर भीख मांगने की नौबत पड़ी हो। जनपद की किसी भी तहसील में भुखमरी की स्थिति नहीं है और न ही किसी व्यक्ति की भूख के कारण मृत्यु हुई है। सीपेज प्रभावित ग्रामों में सीपेज के दूषित जल के प्रयोग से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है और न कोई व्यक्ति इस कारण बीमार रहा है। जहां तक श्री द्वारिका प्रसाद पुत्र जोधन, निवासी ग्राम चांदपुर, तहसील महमूदाबाद, जनपद सीतापुर की भूख से मृत्यु का प्रश्न है, जिलाधिकारी, सीतापुर की सूचनानुसार श्री द्वारिका पुत्र जुद्धा, निवासी चांदपुर मजरा, रामपुर, तहसील महमूदाबाद, जनपद सीतापुर की मृत्यु दिनांक 31 दिसम्बर, 1983 को उसके निवास-स्थान पर प्राकृतिक रूप से हुई थी।

3--जिलाधिकारी, सीतापुर से प्राप्त सूचनानुसार द्वारिका मृतक के नाम निर्धारित सीमा से अधिक भूमि होने के कारण उसका नाम अहेतुक सहायता अनुदान वितरण सूची में अंकित नहीं था और न ही उसे सहायता/अनुदान दिये जाने हेतु तहसील में बुलाया गया था। चूंकि द्वारिका की मृत्यु किसी दैवी आपदा के कारण नहीं हुई, इसलिये उसे सहायता दिये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। जांच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक का पुत्र श्री शत्रोहन लाल, मन्त्री, लोकदल के यहां मजदूरी करता है। अतः मृतक के पुत्र को सहायता दिलाने हेतु उनके द्वारा तथ्यहीन शिकायती-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4--प्रदेश में भुखमरी को रोकने के लिये शासन ने बेतार संदेश दिनांक 13 मई, 1983 के अन्तर्गत समस्त जिलाधिकारियों को इस आशय के आदेश जारी किये हैं कि प्रत्येक न्याय पंचायत के मुख्यालय पर निराश्रित असहाय व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार अभाव की स्थिति में वितरण हेतु एक या दो क्विन्टल खाद्यान्न रखा जाय।

5--जनपद के सीपेज प्रभावित क्षेत्र में सरकारी देयों की वसूली वर्ष 1981 से स्थगित है। सीपेज प्रभावित क्षेत्रों में लगान में छूट के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भी वसूली का कार्य दिनांक 15 दिसम्बर, 1983 तक स्थगित था तथा उसके बाद से नियमानुसार वसूली की जा रही है। शासन ने टेलेक्स दिनांक 7 मार्च, 1984 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, सीतापुर को यह आदेश जारी किये हैं कि जिन मामलों में भू-राजस्व तथा लगान के छूट के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं उनमें प्रस्तावित छूट की सीमा तक भू-राजस्व तथा लगान की वसूली शासन के अन्तिम निर्णय तक रोक दी जाय तथा जिन मामलों में फसलों की क्षति 50 प्रतिशत से कम हुई है उनमें इन देयों की वसूली में उत्पीड़क कार्यवाही न की जाय।

6--वर्तमान वित्तीय वर्ष 1983-84 में सीतापुर जनपद को कुल 104.50 लाख रुपये की धनराशि राहत कार्यों हेतु आवंटित की गयी है। जिलाधिकारी से प्राप्त सूचनानुसार जनपद के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रु0 25,52,305 अहेतुक सहायता रु0 43,06,800 गृह निर्माण अनुदान तथा रु0 10,000 निःशुल्क खाद्यान्न सहायता के रूप में वितरित किया गया।

7--बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बीमारी की रोकथाम के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा वहा के निवासियों को हैजे के टीके लगवाये गये, दवाओं का वितरण किया गया तथा कुओं में कई-कई बार दवा डालकर उन्हें विसंक्रमित किया गया।]

*श्री हरगोविन्द वर्मा--

माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, उसमें सत्य को छिपाने का काम किया है। पहली बात तो यह कि मैंने द्वारिका प्रसाद के बारे में कहा था कि उसकी मृत्यु भूख से हुई। मंत्री जी ने पूरे तौर से छिपा लिया जबकि द्वारिका प्रसाद की "डेड बाडी" का पोस्ट मार्टम भी कराया गया, उसकी चर्चा नहीं की गई। किसी चीज को छिपाने का काम माननीय मंत्री जी ने सदन में किया है। दूसरी बात, जो भुखमरी के सिलसिले में प्रश्न किया उसमें मंत्री जी ने कहा कि जिलाधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट आयी है। उसमें उन्होंने कहा कि मौत भुखमरी से नहीं हुई है, जबकि मान्यवर, इस वक्तव्य में यह बात स्वीकार की गई है।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न तो करें।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

हर गांव पंचायत में आपने यह स्वीकार किया कि वहां पर गल्ला रखा जाये, मान्यवर, मेरा कहना है कि मेरी जानकारी है कि यह मौत भुखमरी से हुई और वहां पर बाढ़ भी आई है और इसको आपने स्वीकार भी किया है तो इस सबको देखते हुए वहां पर जो वसूली हो रही है, उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा आपको नहीं दे रहा हूं, आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

माननीय अध्यक्ष जी, वक्तव्य पढ़ा गया है मद संख्या 10 का और माननीय सदस्य प्रश्न जो कर रहे हैं वह मद संख्या 11 से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष--

नहीं मद संख्या 10 को स्थगित कर दिया गया है और 11 को लेकर उसके वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया गया है। इसलिए अब 11 ही चल रहा है।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, इसमें साफ-साफ कहा है कि उनकी मौत भुखमरी से हुई है, जानकारी में यह भी आया है कि मृतक श्री द्वारिका प्रसाद के पास कुछ जमीन भी है, जिसमें सीवेज है, तो मैं शासन से यह जानना चाहता हूं कि जब उसके पास जमीन थी तो क्या उसकी मौत न खाने पीने से हुई है, इस सम्बन्ध में डाक्टर की रिपोर्ट क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, मृतक द्वारिका प्रसाद के पास 2.18 एकड़ भूमि है, उसकी इस भूमि में बाढ़ का पानी अवश्य आता है लेकिन निकल जाता है वैसे ही, जैसे आता है, इसलिए उसमें खेती होती थी और उसमें इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं थी जिससे वह भूखों रह सकता। उसके दो लड़के हैं, एक लड़का तो खेती के काम को करता है और दूसरा लड़का लोक दल के किसी मंत्री के यहां मजदूरी का काम करता है और जब उसका पिता मरा तो उन मंत्री साहब ने उसको कुछ सहायता दिलवाने की गर्ज से यह लिखवा दिया कि उसका पिता भूख के कारण मरा है और जब जांच हुई तो यह बात सामने आयी कि उसकी मौत भूख से नहीं हुई है, इसलिए यह बनावटी बात है।

श्री हर गोविन्द वर्मा—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यदि पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी रपट क्या है, उसको पढ़वा दीजिए और दूसरी बात यह कि यदि उस इलाके में बाढ़ आयी और सीपेज को आप स्वयं स्वीकार भी किया है, तो इस सिलसिले में मुआवजा व लगान के माफ करने के बारे में सरकार क्या कर रही है, क्योंकि इस बारे में इस वक्तव्य में कोई बात नहीं है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, मृतक का पोस्टमार्टम हुआ और यह साबित हुआ कि उसकी मौत भूख से नहीं हुई है ।

एक सदस्य—

उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ दीजिए ।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, मृतक की आयु 77 वर्ष की थी, डाक्टरों को यह पता नहीं चल सका कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, वैसे उसकी मौत प्राकृतिक ढंग से हुई है उसकी उम्र को देखते हुए और हो सकता है कि वह बीमार हो या इसलिए हुई कि उसकी अवस्था ज्यादा हो गई थी, जिससे उसकी मृत्यु हुई ।

श्री हर गोविन्द वर्मा—

मान्यवर, इसमें तथ्यों को छिपाया जा रहा है जानबूझ कर और सही स्थिति से अवगत नहीं कराया जा रहा है इसलिए मैं इस वक्तव्य को फाड़ रहा हूं और सदन का त्याग कर रहा हूं क्योंकि यह सरकार प्रदेश के गरीबों, हरिजनों की विरोधी है ।

(श्री हरगोविन्द वर्मा सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री रामकुमार भार्गव—

मान्यवर, यह हमारे जनपद की बहुत बड़ी और गम्भीर समस्या है, इस मौके पर माननीय मुख्य मंत्री जी भी गये थे । इसलिए मान्यवर, वे सदस्य जो उत्तेजित थे हालांकि ऐसे मामले में उनका उत्तेजित होना स्वाभाविक है क्योंकि गांव में रहने को जगह नहीं है, सीपेज के कारण सारे मवेशी मर चुके हैं, कुछ नहीं बचा है । मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि जो मंत्री जी का यह कहना है कि वहां के लोगों को घर-घर भीख मांगने की नौबत नहीं आयी है तो मैं उनसे कहता हूं कि वहां के लोगों की सचमुच में ऐसी स्थिति हो गयी है कि लोगों को मजदूरी मांगने पर भी नहीं मिल रही है ।

आपने कहा है कि लगान में छूट प्रस्तावित है तो क्या मंत्री जी इस गम्भीर समस्या को देखते हुए आज ही आप वहां पर लगान माफ करने की घोषणा करेंगे ? वहां की जितनी भी जमीनें थीं सब सीपेज में चली गयी हैं वहां के काश्तकारों को उनका मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा, जबकि उनको उसका मुआवजा मिलना चाहिये चाहे आप नहर की सिंचाई दर को बढ़ा दें परन्तु उनको मुआवजा जरूर दे दें । मैं मांग करता हूं कि इस समस्या की जांच करने के लिए एक समिति का भी गठन होना चाहिये जो कि सही स्थिति को सदन के सामने पेश कर सके ।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जहां तक सीतापुर जनपद की सीपेज की समस्या है, जलभराव की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, मैंने पहले ही कहा है कि शासन ने वहां के लिए 104 लाख 50 हजार रु० वहां पर अलग-अलग सहायता के लिए, सहायता के रूप में दिया है और जितने क्षेत्रों में या गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हुआ है उनके लिए तीन महीने के पहले तक वसूली बन्द थी । अब फिर वसूली हुई है लेकिन इसके लिए अधिकारियों से कहा गया है कि वे इसके लिए सख्ती न करें, 500 रु०

तक का जो देय है उसे न तो हवालात में ले जाने का सवाल है और न उसे उत्पीड़न किए जाने का सवाल है। शासन ने सहायता के लिए अलग-अलग रुपये दिये हैं यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे पढ़ कर माननीय सदस्यों को सुना दूं।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, पहले तो मैं यह जानना चाहूंगा कि वहां के डी0 एम0 ने द्वारिका के सम्बन्ध में कोई अपनी रिपोर्ट भेजी होगी तो वह डी0 एम0 की डिटेल रिपोर्ट क्या है कि कब से वह बीमार था, उसकी आयु क्या थी और किस बीमारी से वह मरा? दूसरी चीज साथ में आपने यह भी कहा कि पंचायती अदालतों पर दो-दो क्विन्टल गल्ला बंटवाने के लिए रखा गया था, तो वह गल्ला किसके यहां रखा गया था और उसका वितरण किस आधार पर हुआ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, न्याय पंचायतों के स्तर पर जो गल्ला रखा गया वह निराश्रितों के लिए रखा गया था। जहां तक द्वारिका का सवाल है, वह इस परिधि में नहीं आता है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि उसके पास 2.18 एकड़ जमीन थी और उसके तीन लड़के हैं जिसमें से दो खेती का काम करते हैं और एक नौकरी का काम करता है। उसकी अवस्था 77 वर्ष की थी।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैंने केवल दो प्रश्न किये थे कि वहां के डी0 एम0 की विस्तार में रिपोर्ट उसके सम्बन्ध में जो आयी है? उसकी बीमारी के बारे में, उसकी फिजिकल कंडीशन के बारे में उसमें लिखा होगा। इसके अलावा जो दो-दो क्विन्टल गल्ला आपने पंचायती अदालतों पर रखवाया उसमें से जो द्वारिका से सम्बन्धित जो पंचायती अदालत थी, वहां पर किसके यहां आपने गल्ला रखवाया और उसे द्वारिका को न दिये जाने का क्या आधार था?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, यह जो वक्तव्य मैंने सदन के सामने पेश किया है वह डी0 एम0 की रिपोर्ट के आधार पर ही पेश किया है। यही सब बातें उनकी रिपोर्ट में कही गयी हैं। जहां तक गल्ला रखवाने का प्रश्न है कि वह किसके यहां रखवाया गया, कहां रखवाया गया, कहां रखा गया, यह स्थानीय व्यवस्था थी, जिलाधिकारी और उनके मातहत अधिकारियों ने जो विश्वसनीय व्यक्ति थे, उनके यहां पर उसकी व्यवस्था की।

[समय 5 बजकर 28 मिनट]

श्री भीखा लाल--

मैं माननीय मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं, एक तो यह कि मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई तो उसका पोस्ट मार्टम कराने की क्या जरूरत पड़ी और दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि क्या जिलाधिकारी ने यह जानने की कोशिश की उसके यहां पर खाद्यान्न मौजूद था अथवा नहीं।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जो लोग असहाय थे, जो सहायता की परिधि में आते थे और जो सहायता के हकदार थे उनकी सूची तैयार थी। द्वारिका ने न तो सहायता के लिए कोई याचना की और न द्वारिका के लड़कों ने ही याचना की, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह भूखों मरता। उसकी 77 वर्ष की आयु थी, वह अपनी मौत से मरा। जैसा कि मैंने प्रारम्भ में बताया कि उसका लड़का लोक दल में जिला शाखा का मंत्री है, और नौकरी करता है, उसने दरख्वास्त दी, तब उसकी जांच हुई।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भीखा लाल--

मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं आया। मैंने स्पष्ट सवाल किया था कि जब उसकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई तो उसका पोस्ट मार्टम क्यों कराया गया और क्या जिलाधिकारी ने इस बात की जानकारी की कि उसके घर में खाद्यान्न उपलब्ध था ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जिस समय उसकी मौत हुई, वह अपने घर में था, वहां पर उसके लड़के मौजूद थे, उनके सामने मृत्यु हुई, कहीं रास्ते में या खेत में उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसके घर में खाने को था, उसने इसकी याचना नहीं की खाना नहीं है और खाने की व्यवस्था की जाये। पोस्ट मार्टम की स्थिति तो तब आई जब उसके लड़के ने दरखास्त लगायी कि मेरे पिता की मृत्यु भूख से हो गयी है तब जिलाधिकारी ने जांच शुरू की और उसका पोस्ट मार्टम हुआ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, दो बाते हैं। मान्यवर, उसके बेटे ने शासन में दरखास्त लगायी और उसकी बात नहीं मानी गयी, उसकी सारी जमीन पानी से डूबी हुई है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि उसने दरखास्त लगाया कि पोस्ट मार्टम कराया जाय, मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी बेटा अपने बाप का पोस्ट मार्टम कराने के लिए दरखास्त नहीं लगा सकता है। क्या माननीय मंत्री जी इसकी सारी जांच कराने का कष्ट करेंगे। मैंने 7 तारीख को इसी सदन में एक कार्य स्थगन का प्रस्ताव भी दिया था कि जो बाढ़ और सीपेज का क्षेत्र है वहां पर जबरदस्ती लगान की वसूली की जा रही है। शासन ने कहा कि जहां पर 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है वहां पर आंशिक रूप से लगान की वसूली का काम रोका गया है। सीतापुर में बिसवां और महमूदाबाद तहसीलों में लगान वसूली का काम नहीं रुका है। 25-30 आदमियों को लगान न देने के कारण पीटा गया है, यह सब कलेक्टर के आदेश से हो रहा है। 2/3 इलाका पानी में डूबा हुआ है। बाढ़ और सीपेज से लोग परेशान हैं, लेकिन लगान की वसूली का काम नहीं रुका है। और लगान वसूली का काम नहीं रुका...

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, प्रश्न ही कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आज ही क्या माननीय मंत्री जी ऐसे आदेश भेजने की कृपा करेंगे कि तुरन्त लगान वसूली स्थगित कर दी जाय और साथ ही मृतक के बारे में आदेश देंगे कि इसकी जांच की जाय कि उसकी मृत्यु किस तरह से हुई है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, जिलाधिकारी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें यह कहा गया है कि सीतापुर जनपद में बाढ़ और सीपेज की समस्या जरूर है लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिससे लोग सड़कों पर इधर-उधर घूम रहे हों और कह रहे हों कि हमारे पास खाने के लिये कुछ नहीं है। वह व्यवस्था ठीक है।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

जिलाधिकारी ने जो रिपोर्ट दी है, यह सब झूठ है। मैं चुनौती देता हूं।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, जहां-जहां 50 प्रति शत से अधिक नुकसान हुआ है वहां लोगों के

साथ कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है और वहां पर उनसे कोई जोर जबरदस्ती से वसूली नहीं की जा रही है यह मैं माननीय सदस्य से बताना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल प्रातः 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ : 12 मार्च, 1984

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 17 पर ।)

श्री तिवारी के विरुद्ध मुख्य आरोप निम्नवत् हैं :—

1—मंडल कर्मचारियों द्वारा श्री तिवारी के भ्रष्टाचार व शोषण के ठोस सबूत देने के बाद भी उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

2—कार्यालय में आवास बनाए हैं तथा किराया नहीं देते ।

3—नियम के विरुद्ध हाउस एलाउन्स ले रहे हैं तथा सरकारी पंखे, ट्यूब लाईट एवं सरकारी जीप का प्रयोग निजी कार्य में करते हैं ।

4—बच्चू लाल इण्टर कालेज, पूरा फैजाबाद के प्रबन्धकीय विवाद में निर्णय लेकर 15,000 रुपया लेना ।

5—बी0 एन0 इण्टर कालेज, अकबरपुर, फैजाबाद में प्रवक्ता, अंग्रेजी तथा नागरिक शास्त्र के पद सृजन में अनियमितता ।

6—राजेन्द्र प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डुमरिया डीह, गोंडा के प्रबन्धकीय विवाद में घूस लेकर निर्णय देना ।

7—परिचारिकों की नियुक्ति में घूस लेना तथा अनियमित नियुक्ति करना ।

8—पैसा लेकर अध्यापकों का स्थानान्तरण निरस्त अथवा स्थगित करना ।

9—ए0 एन0 डी0 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोसाईगंज, फैजाबाद के प्रधानाचार्य के पद स्थापन में घूस लेना ।

10—सी0 टी0 अध्यापकों की नियुक्ति में घूस लेना ।

11—सीताराम निलम्बित लिपिक जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को शिक्षा निदेशक के आदेशों के बावजूद घूस न मिलने के कारण बहाली में विलम्ब करना ।

12—निजी स्वार्थवश ड्राइवर का स्थानान्तरण ।

13—कार्यालय प्रांगण में लगे दो इमली के पेड़ों को इमली तुड़वाकर बाजार में बिकवाना ।

14—नए खुले राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महराजगंज, सुल्तानपुर में परिचारिकों की नियुक्ति में घूस लेना ।

15—प्रसार अध्यापकों की प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के पद पर निदेशालय से आदेश होने पर भी प्रोन्नति आदेश निर्गत न करना ।

16—आशुलिपि न जानते हुए भी दो व्यक्तियों की नियुक्ति करना ।

17—श्री राघवेन्द्र लाल श्रीवास्तव कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक प्रतापगढ़ के निलम्बन के सम्बन्ध में कोर्ट से प्रमाण पत्र देने पर भी उनके अवशेष का भुगतान न करना ।

18—बिना अनुमति तथा बिना अवकाश की स्वीकृति के काठमान्डू (नेपाल) जाना ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 90 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58 पर)

1--प्रयोगशाला आगरा की प्रचार वाहन गाड़ी यू0 टी0 बी0 1032 उनके घर के सदस्यों एवं समान को लेकर उनकी पुत्री को दिनांक 26-6-83 को शादी हेतु मय परिवार के बहराइच दिनांक 12-6-83 को रवाना ।

2--प्रयोगशाला सचल वाहन यू0 एस0 एस0 6524 की 12 वोल्ट 25 प्ले का नया बैटरी की कीमत 2,295 रुपया गायब एवं उसके स्थान पर लोकल मेड बैटरी कीमत 600.00 रुपये लगायी गई ।

3--प्रयोगशाला वाहनों में फर्जी कार्य मरम्मत एवं सामान एवं फर्जी बिलों एवं सांठ गांठ द्वारा करीब 50,000.00 रुपया का आहरण । परन्तु दोनों वाहनों में कुछ ही सामान पड़ा है । वह भी पुराना ।

4--प्रयोगशाला प्रचार वाहन संख्या यू0 टी0 टी0 1032 का निजी कार्य एवं सैर सपाटों में सरकारी धन पर प्रयोग । फर्जी लाग बुक फर्जी यात्रा भत्ता द्वारा हजारों रुपयों का गोलमाल । जैसे दिनांक 6-5-83 से 8-5-83 तक अपने सम्बन्धियों को मथुरा, वृन्दावन, फतेहपुर, सीकरी, ताज आदि घुमाया गया ।

5--प्रयोगशाला परिचर श्री मुन्ना लाल तिवारी जिसे श्री पाठक अपने साथ इलाहाबाद से लाये हैं, से ड्राइवर का कार्य लेना एवं वास्तविक ड्राइवर को प्रयोग में न लाना । जबकि आडिट आख्या वर्ष 1979, प्रस्तर संख्या--12, पत्रांक संख्या 440 1140 द्वारा श्री मुन्ना लाल द्वारा ड्राइविंग को सख्त मना होना श्री तिवारी प्रयोगशाला परिचर द्वारा सहायक निदेशक, परिवार की चित्रपट केस मई, 1981 में ले जाते समय आगरा में एक लड़की की दुर्घटना में मृत्यु । अदालत में परिचर के स्थान पर ड्राइवर लिखाना एवं अदालती तारीखों में श्री मुन्ना लाल को कोई छुट्टी न देना जैसे मई, 1983 दिनांक 7, 10, 13, 23, 25 आदि ।

6--राजकीय कर्मचारियों को अपने घर पर लगाना एवं उनके एवज में दैनिक मजदूरों को सरकारी धन का प्रतिमाह में हजारों रुपयों का भुगतान जैसे मुन्ना लाल तिवारी, जसबहादुर थापा (दैनिक श्रमिक) आदि ।

7--श्री मुन्ना लाल तिवारी, जसबहादुर थापा एवं श्री भगवान शर्मा (समस्त) परिचर का दिनांक 12-6-82 में बहराइच शादी में कार्य करवाने हेतु ले जाने एवं श्री बाबूलाल शर्मा प्र0 परिचर की आगरा के पद पर ड्यूटी श्री रूपलाल प्र0, परिचर, मैनपुरी को शासकीय खर्चे पर आगरा 10 दिन के लिये सम्बद्ध करना ।

8--क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्र0 शा0 के भंडार एवं खरीद आदि में बड़े-बड़े घोटाले ।

नत्थी "ग"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 100 का उत्तर पीछे पृष्ठ 61 पर ।)

मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका मेरठ से प्राप्त जांच आख्या :—

1—प्रबन्ध तंत्र उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण अधिनियम 1974 की धारा–3 के अन्तर्गत विद्यालय की समस्त अचल सम्पत्ति का विवरण प्रारम्भ से अब तक प्रस्तुत करने में विफल है । जो एक गम्भीर चूक है ।

2—वर्ष 1965 से विद्यालय को अनावर्तक क्रीड़ास्थल अनुदान अंकन 8,000 रुपये स्वीकृत हुआ था । उक्त अनुदान से क्रय जमीन का प्रयोग अनुदान की शर्तों के अनुसार न तो क्रीड़ा स्थल के रूप में हो रहा है और न ही इस सत्य के प्रमाण मिल सके हैं कि जमीन पर विद्यालय का कब्जा है । न ही प्रबन्धतंत्र ने विभाग को अचल सम्पत्ति का विवरण अभी तक प्रस्तुत किया है ।

3—विद्यालय का प्राभूत दुकानों के रूप में है । न तो ये दुकानें मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका के पद में प्लेज है और न ही इनकी आय नियमित रूप से अनुरक्षण कोष में जमा किये जाने की पुष्टि हो सकी है । यह भी शिकायत हुई है कि प्राभूत की दुकाने संस्था के नाम रजिस्टर्ड नहीं है ।

4—विद्यालय अनुरक्षण शुल्क की 15 प्रतिशत आय शासनादेशों के अनुसार निर्धारित मदों में व्यय नहीं की जा रही है । इस सम्बन्ध में उठाई गई आडिट आपत्तियों का निवारण भी नहीं हो रहा में और दिनांक 9 मई, 1981 को अंकन 1,000 रु0 मुकदमें खर्च में व्यय किये गये और 1,000 रु0 दक्षता अनुदान वापसी में तथा अंकन 8,145·75 रुपये सी0 डी0 एस0 की धनराशि में 15 प्रतिशत शुल्क से 15–4–83 को व्यय कर दिया गया जो नहीं किया जाना चाहिये था । इस प्रकार की गम्भीर आर्थिक चूकें होती चली जा रही हैं ।

5—विद्यालय को वर्ष 1979 में अंकन 16,200 रु0 सेनेटरी सुविधा अनावर्तक अनुदान वर्ष 1978 में 1,000 रु0 दक्षता अनुदान दिया गया था । अभी तक न तो उक्त अनुदानों का उपभोग किया गया है और न ही अनुदान राशि वापस लौटाई गई है ।

6—वर्ष 1962 से 1983 तक विद्यालय लेखों की सम्परीक्षा में उठाई गई आडिट आपत्तियों का निराकरण बिल्कुल नहीं किया गया है । प्रबन्ध–तंत्र आडिट आपत्तियों से निराकरण करने में पूर्णतया उदासीन है और सभी आडिट आपत्तियां ज्यों की त्यों है ।

7—1983 की हाई स्कूल गृह विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा में अवैध रूप से 7·00 रु0 प्रति छात्रा शुल्क लिया गया । आवश्यक जांच कराने के उपरान्त प्रबन्धक को निर्देश निर्गत किये गए कि छात्राओं से लिया गया अवैध शुल्क उन्हें वापस लौटाया जाय । किन्तु न तो शुल्क लौटाया गया है और न ही शुल्क का कोई ब्योरा विद्यालय में उपलब्ध है ।

8—1983 की गृह परीक्षा में अनुत्तीर्ण समस्त छात्राओं को प्रबन्धक ने जुलाई, 1983 में अनधिकृत रूप से उत्तीर्ण घोषित कर दिया और ऐसी समस्त अनुत्तीर्ण छात्रायें अगली कक्षा में अध्ययन कर रही हैं। प्रबन्धक की यह कार्यवाही अवैधानिक एवं आपत्तिजनक है।

9—विद्यालय में छात्राओं के बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध नहीं है। लगभग 400 सीट फर्नीचर की कमी है। स्पष्ट है कि प्रबन्ध तंत्र अपने उत्तरदायित्व को निभाने में विफल रहा है।

10—स्टाफ सदस्यों के वेतन से अनिवार्य जमा धनराशि की कटौती करके कुछ धन भविष्य निधि आयुक्त कानपुर को न भेजकर अनियमित रूप से अनुपालन निधि में जमा किया गया था। अनुपालन निधि में जमा किये गये अनिवार्य जमा धनराशि का ब्याज स्टाफ को अभी तक वितरित नहीं किया गया है जबकि ब्याज की राशि का भुगतान करने का उत्तरदायित्व प्रबन्धतंत्र का है।

11—संशोधित प्रशासन योजना विभागीय आदेशों के उपरान्त भी अभी तक इस कार्यालय के माध्यम से उप शिक्षा निदेशक मेरठ को प्रस्तुत नहीं की गई हैं जो एक गम्भीर चूक है।

12—वेतन वितरण अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत स्टाफ सदस्यों का देय वेतन निर्धारित समय में भुगतान नहीं हो रहा है। अतः प्रबन्धतंत्र वेतन वितरण अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने का दोषी है। बार-बार निर्देश निर्गत करने पर भी प्रबन्धतंत्र ने अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की है।

13—विद्यालय का प्रबन्ध स्वीकृत प्रशासन योजना के नियमों के विपरीत चलाया जा रहा है। विद्यालय में गुटबन्दी होने से शैक्षिक वातावरण खराब होता जा रहा है। प्रधानाचार्य की सेवायें इण्टरमीडियेट शिक्षा अधिनियम के नियमों के विपरीत समाप्त की गई हैं और प्रधान लिपिक का उत्पीड़न किया जा रहा है। इस प्रकार की कार्यवाहियों से विद्यालय के आन्तरिक प्रशासन पर कुप्रभाव पड़ रहा है।

कुमारी सुशीला माथुर, प्रधानाचार्या, हिन्दू कन्या इन्टर कालेज, शामली, मुजफ्फरनगर द्वारा विद्यालय की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध की गई शिकायत :—

1—समिति ने संस्था के हितों के प्रतिकूल विद्यालय की सम्पत्ति का दुरुपयोग होने दिया है और चल सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया है। जो उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) अधिनियम 1974 के उपबन्धों का उल्लंघन है। निम्नांकित तथ्यों से इसकी पुष्टि हो जायेगी :—

(क) वर्ष 1965 में संस्था को क्रीड़ास्थल अनुदान अंकन 8,000 रु0 स्वीकृत हुआ था। अनुदान से क्रीड़ा स्थल क्रय करके उसको अनुदान की शर्तों व उद्देश्यों के अनुरूप प्रयोग नहीं किया गया तथा क्रीड़ा स्थल पर विद्यालय का कब्जा नहीं है।

(ख) मैनेजमेन्ट ने अनावर्तक अनुदान अंकन 16,200 व 1,000 रु0 का उपयोग अनुदान की शर्तों के अन्तर्गत नहीं किया है।

(ग) स्टाफ सदस्यों से वेतन से सी0 डी0 एस0 की जो कटौती करके अनुपालन निधि में जमा की थी उसे अन्य कार्यों में प्रयोग करके 15-4-83 को मूलधन अंकन 8,145·75 रु0 अनुपालन निधि की 15 प्रतिशत शुल्क आय से वितरित कर दिया गया और ब्याज अभी तक भी भुगतान नहीं किया गया है ।

(घ) दक्षता अनुदान राशि अंकन 1,000 रु0 भी 15 प्रतिशत शुल्क आय से विभाग को वापस कर दिया गया है ।

(च) अनुपालन निधि से 15 प्रतिशत शुल्क आय का अपहरण किया जा रहा है । दिनांक 9-5-81 को अंकन 1,000 रु0 मुकदमें की फीस के मध्य व्यय कर दिये गये ।

(छ) 1962 से 1983 तक हुए आडिट के मध्य जो आडिट आपत्तियां लगी हैं उनके निवारणार्थ मैनेजमेन्ट को लाखों रुपया अनुपालन निधि में जमा करना अनिवार्य है ।

2—विद्यालय का प्रशासन/प्रबन्ध समिति स्वीकृत प्रशासन योजना के नियमों से भिन्न रूप में चलाया जा रहा है और संस्था के प्रशासन में कुप्रबन्ध हो गया है । विभाग के निर्देशानुसार धारा-16 ग ग के अन्तर्गत संशोधित प्रशासन उप शिक्षा निदेशक को प्रस्तुत करके उसे पारित नहीं कराया गया है ।

3—विभागीय आदेशों के उपरान्त भी आडिट आपत्तियों का निवारण नहीं किया जा रहा है ।

4—वेतन वितरण अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप स्टाफ को विगत ढाई वर्षों में समय के अन्दर वेतन भुगतान नहीं हुआ है । श्री राजेश शर्मा स0 अ0 श्रीमती ऊषा बाष्णेय, श्रीमती लाजवन्ती अग्रवाल व श्रीमती नीलम पाल के अवशेष वेतन का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है ।

5—विद्यालय में फर्नीचर की प्रर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है ।

6—विभागीय अधिनियमों के विपरीत पद न होते हुए भी पहले श्री नरेन्द्र कुमार दफ्तरी को लिपिक पद पर नियुक्त किया गया जिसे मन्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका मेरठ ने अमान्य किया और अब श्री प्रीतम सिंह चपरासी को लिपिक पद पर नियुक्त कर दिया गया । न पद है और न ही निरीक्षिका मेरठ का अनुमोदन लिया गया है ।

7—शिक्षा संशोधन अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत कार्यवाही करके प्रधानाचार्या प्रधान लिपिक व कुछ अन्य स्टाफ सदस्यों का उत्पीड़न मनमाने ढंग से किया जा रहा है । इस कारण विद्यालय प्रशासन की स्थिति बहुत खराब हो गई है । प्रधानाचार्य को 2-5-82, 4-6-83, 26-6-83, 15-7-83 को निलम्बित करने की अवैध कार्यवाही की गई जिससे स्वयं 19-5-82 को प्रबन्ध ने वापस लिया और शेष को 18-6-83, 13-7-83, 22-7-83 को निरीक्षिका मेरठ ने अमान्य किया । इसी प्रकार प्रधान लिपिक की सेवा समाप्ति की अवैध कार्यवाही दिनांक 19-5-82 को निरीक्षिका मेरठ ने 18-4-83 को अमान्य किया किन्तु अवैध रूप से 25-6-83 को फिर निलम्बित कर दिया गया ।